एकादश माला, खंड 18, अंक 2

गुरुवार, 20 नवम्बर, 1997
29 कार्तिक, 1919 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(भाग-एक)
(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 18 में अंक 1 से 4 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

गुरुवार, 20 नवम्बर, 1997/ 29 कार्तिक, 1919 (शक)

का

शुद्धि पत्र

....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
52	16	लूट	छूट
70	9	फुटछ	फुट
111	नीचे से 2	(क) तक चार माह के दौनान	(क) गत चार माह के दौरान
344	12	तेता	नेता

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डॉ. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री एम. आर. खोसला
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे. एस. वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्री गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 18, छठा सत्र (भाग-एक), 1997/1919 (शक)
अंक 2, गुरुवार, 20 नवम्बर, 1997/29 कार्तिक, 1919 (शक)

विषय	कालम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
यूनाइटेड किंगडम के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1-2
न्यायमूर्ति जैन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने के मुद्दे पर प्रश्न काल के निलंबन के बारे में	2-12
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 40	13-41
अतारांकित प्रश्न संख्या 219 से 448	41-326
सभा पटल पर रखे गए पत्र	326-333
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	334
लोक लेखा समिति	
सोलहवां से चौबीसवां प्रतिवेदन - *प्रस्तुत*	334-335
संचार सम्बन्धी स्थायी समिति	
तेरहवां प्रतिवेदन - *प्रस्तुत*	335-336
श्रम और कल्याण सम्बन्धी स्थायी समिति	
आठवां और नौवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश - *प्रस्तुत*	336
रेल सम्बन्धी स्थायी समिति	
नौवां, दसवां, ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन - *प्रस्तुत*	336
आयकर (दूसरा संशोधन) विधेयक - *वापस लिया गया*	348
विधान परिषद विधेयक	348-352
विचार करने के लिए प्रस्ताव	348
श्री रमाकान्त डी. खलप	348-349

लोक सभा

गुरुवार, 20 नवम्बर 1997/29 कार्तिक, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे इस सभा को हमारे पूर्व मित्र श्री एस. कमलनाथन के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री कमलनाथन चौथी लोक सभा के सदस्य थे जिन्होंने वर्ष 1967-70 के दौरान पूर्ववर्ती मद्रास राज्य के कृष्णागिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व वह वर्ष 1962-67 के दौरान पूर्ववर्ती मद्रास राज्य की विधान सभा के सदस्य थे। वह अगस्त 1971 में राज्य सभा के लिए चुने गए और अप्रैल, 1972 में पुनर्निर्वाचित हुए।

श्री कमलनाथन एक योग्य संसदविद थे। वह वर्ष 1969-70 के दौरान प्राक्कलन समिति और वर्ष 1972 में सरकारी उपक्रमों सबंधी समिति के सदस्य थे।

श्री कमलनाथन पेशे से कृषक थे। वह एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में अपने राज्य को विशिष्ट सेवा प्रदान की।

श्री कमलनाथन का 66 वर्ष की आयु में 17 अगस्त, 1997 को चेन्नई में देहान्त हो गया।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विशवास है कि यह सभा उनके शोक संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्य-गण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

यूनाइटेड किंगडम के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे कुछ घोषणा करनी है।

अपनी ओर से और सभा के सदस्यों की ओर से मुझे भारत आए युनाइटेड किंगडम के संसदीय शिष्टमंडल के अपने माननीय अतिथियों श्री कीथ वाज़, संसद सदस्य तथा अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

शिष्टमंडल के अन्य सदस्य निम्नलिखित हैं :

1. डॉ० रोजर बेरी, संसद सदस्य
2. श्री हेरी लोहेन, संसद सदस्य
3. श्री माईकल कोल्विन, संसद सदस्य
4. डॉ० अशोक कुमार, संसद सदस्य
5. श्री पायरा खाबरा, संसद सदस्य
6. श्री पिटर लूफ, संसद सदस्य
7. श्री एन्ड्रयू शेव, संसद सदस्य
8. मालकम् विक्स, संसद सदस्य

यह शिष्टमंडल 16 नवम्बर, 1997 को दिल्ली पहुंचा। इस समय वे विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और सार्थक हो। हम उनके माध्यम से यूनाइटेड किंगडम की तत्र महती महारानी तथा वहां की संसद और वहां की मित्र जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं भेजते हैं।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

न्यायमूर्ति जैन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने के मुद्दे पर प्रश्न काल के निलंबन के बारे में

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन के सामने रूल 388 के मुताबिक एक नोटिस दिया है और उस नोटिस के मुताबिक रूल 32 सस्पेंशन ऑफ क्वश्चन ऑवर की मांग की है। इसके साथ-साथ आज के आर्डर पेपर में आइटम नम्बर तीन और चार को भी सस्पेंड कीजिए। आइटम नम्बर पांच से गृह मंत्री की जो रिपोर्ट सदन के सामने आने वाली है, वहां से सदन की कार्यवाही शुरू की जाये, इस तरह की हमने मांग की है, क्योंकि पूरे देश में जैन कमीशन के बारे में जो बातें अखबार में आई हैं, इससे एक अलग माहौल पैदा हो रहा है। इसमें कई लोगों के ऊपर कुछ इल्जाम लगायें हैं, ऐसी स्थिति आज अखबार के द्वारा पूरे देश के सामने आई है तो इसमें सच्चाई क्या है, वह देखने की जरूरत है। जब तक रिपोर्ट की कापी हमारे पास में नहीं आयेगी, तब तक इस बारे में हम कोई कदम उठा नहीं सकते और यह कापी पहले लाने के लिए बाकी आर्डर पेपर ऑफ दि डे का जो प्रोग्राम है, यह सब बदलकर यहां से हम शुरूआत करेंगे तो बहुत मदद हो जायेगी।

अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने इससे पहले सदन में वायदा किया था कि क्वश्चन ऑवर सस्पेंड न हो, मगर यह एक एक्स्ट्रा आर्डिनरी सिचुएशन है तो जब एक्स्ट्रा आर्डिनरी सिचुएशन होती है तो एक्स्ट्रा आर्डिनेरी डिसीजन लेने की भी जरूरत पड़ती है और इसलिए यह एक्स्ट्रा आर्डिनरी डिसीजन आप लेंगे, इस तरह की मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, कृपया प्रश्न काल स्थगित कर दीजिए जिससे कि जैन कमीशन की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जा सके......*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जैन कमीशन की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसे प्राथमिकता के क्रम में सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। सभा के अन्य कार्यों की तुलना में जैन कमीशन की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखे जाने को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यही कारण है कि हमारे नेता ने आप से अनुरोध किया है। सभा के अन्य कार्यों की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आज की कार्यसूची में यही मुख्य कार्य होना चाहिए।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय मेरा मानना है कि आज लोक सभा में प्रश्न काल के स्थान पर इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए हमारे नेताओं ने आप से ऐसा अनुरोध किया है और आप उनके अनुरोध को स्वीकार करें......*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हम चाहते हैं कि प्रश्न काल को स्थगित किया जाए जिससे कि सभा जैन कमीशन की रिपोर्ट से संबंधित मुद्दे उठा सके......*(व्यवधान)*

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : महोदय, जैन कमीशन ने किसी व्यक्ति विशेष पर इल्जाम नहीं लगाया है। इसने संयुक्त मोर्चा सरकार के कुछ लोगों पर इल्जाम लगाया है। सरकार को उन्हें बनाये रखने का कोई अधिकार नहीं है। हम सब निर्णय चाहते हैं। इसका अपना महत्व है। यह कोई साधारण स्थिति नहीं है, यह एक गंभीर स्थिति है जहां कुछ मंत्रियों पर दोष लगाये गए हैं ....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. दासमुंशी : इस रिपोर्ट के बारे में पता चल जाने पर यह मामला काफी महत्वपूर्ण हो गया है। पूरे देश में इसकी प्राथमिकता को लेकर चिंता जाहिर की गई है। सभा को भी इसकी प्राथमिकता समझते हुए प्रश्न काल को स्थगित करना चाहिए।.. ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे अपने नेता के प्रश्न का जवाब नहीं देने दे रहे हैं।

......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : इस स्थिति को किसने पैदा किया, किसने आतंकवाद को जन्म दिया......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आजमी, विपक्ष के नेता बोल रहे हैं

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, संसद् के शीतकालीन सत्र का.यह पहला दिन है और विशेष सत्र के बाद यह सत्र हो रहा है। उस विशेष अधिवेशन में हमने कुछ फैसले किये थे। श्री शरद पवार ने भी उन फैसलों का उल्लेख किया है, लेकिन वे चाहते हैं कि उसमें आज के लिए अपवाद कर दिया जाये। प्रश्न काल न हो और सीधे जैन कमीशन की रिपोर्ट पर सदन चला जाये, मामला चला जाये।

मैं समझता हूँ कि अपवाद के रूप में होगा, नियम नहीं बनेगा, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। आप अगर चाहें तो प्रश्न काल को स्थगित करने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर सकते हैं और सदन की कार्रवाई आगे चले, इस तरह की व्यवस्था दे सकते हैं।. .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, 45 मिनट के पश्चात् रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी और जहां तक कांग्रेस दल का संबंध है तो उसकी एवज में विपक्ष के नेता का सद्व्यवहार काफी महत्वपूर्ण रखता है।

कुमारी ममता बनर्जी : आप क्यों विरोध कर रहे हैं...... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह बाधा क्यों उत्पन्न कर रही हैं? कुछ धीरज रखिए।

......*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : आप हमारे नेता नहीं हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप भी इसमें शामिल हैं......*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता की उत्सुकता और चिंता को समझ सकता हूँ जो अभी भी दिवास्वप्न देख रहे हैं। लेकिन हमारे दाहिने ओर बैठे मेरे मित्रों की उत्सुकता के बारे में, मैं नहीं समझ सकता......*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, वह क्या कह रहे हैं। उत्सुकता का किसी दल विशेष से संबद्ध नहीं होता। श्री राजीव गांधी सभा के नेता थे और वह हमारे प्रधानमंत्री भी थे। वह क्या बात कर रहे हैं? उन्हें अन्य मित्रों का सम्मान करना चाहिए... ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : काफी हो चुका है। श्री पाणिग्रही यह मुझ पर छोड़ दीजिए

......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : समय बर्बाद न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप चाहते हैं उसमें विलम्ब हो जाएगा।

......*(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : 21 मई 1991 को हमारे महान् नेता की मृत्यु के पश्चात् उनके दल ने पश्चिम बंगाल बंद का आह्वान किया था अब वह इसके विरुद्ध बोल रहे हैं......*(व्यवधान)* यह एक षड्यंत्र था। इस में वह भी शामिल थे। अब वह इसके विरोध में बोल रहे हैं......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मात्र यही कहिये की प्रश्नकाल स्थगित किया जाना चाहिए अथवा नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं तीन वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया हूं......*(व्यवधान)* आज दिक्कत यह है कि नेता का कोई अनुयायी नहीं है। उनके नेता का कोई अनुयायी नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी : किसने ऐसा कहा है। आप कौन होते हैं ये सब बातें कहने वाले ? हमारे मामले में हस्तक्षेप न करें। पहले आप अपने दल को देखें कि पश्चिम बंगाल में वह क्या कर रहा है......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात समाप्त करने दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब मात्र 40 मिनट बचे हैं। गृह मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। वह यहां आने वाले हैं। रिपोर्ट को जाने बिना इस पर हम चर्चा कैसे प्रारम्भ कर सकते हैं ? अतः प्रश्नकाल अभी जारी रहने दें। इससे कांग्रेस दल और बी.जे.पी. के इरादों का पता चलता है......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस पार्टी के मित्रों की भावनाओं के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं मानता हूं कि राजीव गांधी इनके नेता ही नहीं थे, इस देश के प्रधान मंत्री भी थे और जितने ये चिंतित हैं, हम भी उतने ही चिंतित हैं.. ....*(व्यवधान)*

***श्री मृत्युन्जय नायक** : अभी तक ड्राप क्यों नहीं किया ? इतना* कम है तो क्यों नहीं किया ?......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने कांग्रेस के मित्रों से इस मौके पर विनती करना चाहता हूं और अटल जी से भी विनती करूंगा, यह ठीक है कि हमने स्पेशल सेशन किया था। इतनी जल्दी हम इन सारी चीजों को, यह रिपोर्ट निश्चिततौर पर आधे घंटे बाद आ जाएगी क्योंकि सरकार की तैयारी आधे घंटे बाद की है।......*(व्यवधान)* मैं आपसे ज्यादा तेजी से बोल सकता हूं।......*(व्यवधान)* मैं आप सबसे ज्यादा जोर से बोल सकता हूं।

श्री मृत्युन्जय नायक : इतना नहीं बोल सकते हैं।...... *(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : गलत बात बोलेंगे और दूसरों की बात सुनेंगे भी नहीं, यह ठीक नहीं है।......*(व्यवधान)* मैं इनसे ऊंची आवाज में बोल सकता हूं।......*(व्यवधान)*

श्री मृत्युन्जय नायक : पहले रिपोर्ट पेश होगी, उसके बाद डिस्कशन होगा।......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कहें। आप इस प्रकार उत्तेजित क्यों हो रहे हैं।

......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : थोड़ा धैर्य रखें। आप उन्हें कुछ न कहें।

......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे संबोधित करें। कुमारी ममता बनर्जी आप बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मेरी विनती है, इनसे नहीं, अटल जी से मेरी विनती ज्यादा है कि हमने जिस तरह से बात तय की थी, यानि पन्द्रह और बीस मिनट में कोई चीज यदि खिसक जाएगी तो राष्ट्र में तमाम चीजों पर गड़बड़ी हो जाएगी। मैं आपकी बात को मानता हूं कि पूरी बहस हो जाए, पूरी बात हो जाए तथा पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और दोषी हों ......*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, इसलिए यह बहस होगी तब पता चलेगा कि आप दोषी हैं या हम दोषी हैं, इसलिए सदन में प्रश्नकाल को स्थगित करना मैं वाजिब नहीं मानता और प्रश्नकाल को चलना चाहिए और मैं अटल जी, आपसे भी अपील करता हूं कि प्रश्नकाल के मामले में आधे घंटे में कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली है। ......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। मेरे विचार से इतना पर्याप्त है। क्या मैं आपसे अपील कर सकता हूं।

......*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, यह 20 या 30 मिनट का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न देश की प्राथमिकता और महत्व से संबंधित है। सदन मामले को प्राथमिकता दिये जाने पर विचार करे। प्राथमिकता के आधार पर कार्यसूची निर्धारित की गई है।. .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इतना पर्याप्त है।

श्री पी.आर. दासमुंशी : सरकार ने आज तक समाचारों से प्रकाशित किसी भी बात का खंडन नहीं किया है। इसलिए यह प्राथमिकता का मामला है। हमारे नेता बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैन आयोग की रिपोर्ट पहला मुद्दा है।......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री श्रीकान्त जेना बोलें।

......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। अब, सरकार की बात सुनें।

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): महोदय, मैं केवल लोक सभा में कांग्रेस दल के नेता श्री शरद पवार, जो उस समय अध्यक्ष महोदय द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में ठीक सत्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय के कक्ष में उपस्थित थे और जब यह निर्णय लिया गया था, को स्मरण दिलाना चाहूंगा। .....*(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा : हमें इससे कोई लेना देना नहीं है......*(व्यवधान)* आप समय क्यों मांगते हैं? हेरा-फेरी के लिए पर्याप्त समय था। आपको कितना समय चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना : हेरा-फेरी करने में कौन उस्ताद है?

श्री अजित कुमार पांजा : अब और अधिक हेरा-फेरी न हो। आप अभी से इसे सभा पटल पर रखें।

श्री श्रीकान्त जेना : सरकार जैन आयोग की रिपोर्ट को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।......*(व्यवधान)*

श्री मृत्युंजय नायक : नहीं। सरकार ने क्या कार्यवाही की है? वे गम्भीर नहीं हैं......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप अपनी बात कह चुके हैं।

......*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. दासमुंशी : सरकार लालू प्रसाद यादव के ऊपर लगे आरोप को ध्यान में रखकर उनसे पद से त्याग पत्र देने को कहने के लिए गम्भीर थी।......*(व्यवधान)*

श्री मृत्युंजय नायक : सरकार चुप है। वह पद से त्याग-पत्र दे......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब हम इस पर पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री मृत्युंजय नायक : ऐसा डबल स्टेन्डर्ड नहीं होना चाहिए .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : सरकार आपके निर्देशों का पालन करेगी। सरकार प्रतिवेदन के लिए तैयार है और सरकार प्रतिवेदन से संबंधित की गई कार्यवाही के बारे में भी तैयार है।......*(व्यवधान)*

श्री मृत्युंजय नायक : आपने द्रविण मुनेत्र कषगम के दल के मंत्रियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह पर्याप्त है।

......*(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना : मैं इसे सदन की कार्यवाही में रिकार्ड करवाता हूँ जैसा कि सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्रतिवेदन 20 तारीख को सभा पटल पर रखा जायेगा। ......*(व्यवधान)*

श्री मृत्युंजय नायक : आप उन मंत्रियों को हटाइये ......*(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि यह निर्णय लिया गया था कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के पश्चात् इस पर चर्चा की जायेगी और सरकार चर्चा के लिए तैयार है......*(व्यवधान)*

श्री मृत्युंजय नायक : नहीं। सरकार तैयार नहीं है ......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब इस संबंध में अंतिम बात श्री जसवंत सिंह की सुने। कृपया सुनें।

......*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : प्रश्न काल को समाप्त करने का प्रश्न नियम से बंधा है और प्रतिपक्ष के नेता ने इसके बारे में पहले ही बता दिया है। समस्या सरकार और सरकार समर्थकों के बीच प्रतीत होती है। इसलिए मेरे विचार से यह सर्वथा उचित है कि जब झगड़ना सरकार और सरकार के समर्थकों के बीच में है तो आप मामले का निर्णय कीजिये।......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इतना पर्याप्त है।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय इस संबंध में आपकी अध्यक्षता में निर्णय लिया गया था और हम केवल उससे निर्देशित हैं ......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इतना पर्याप्त है।

......*(व्यवधान)*

श्री मृत्युंजय नायक : क्या सरकार ने अब तक कोई निर्णय लिया है? वे अभी भी उनके साथ बैठ रहे हैं......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री नायक, मेरे विचार में इतना पर्याप्त है।

......*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : इस प्रतिवेदन को प्रकट करने के लिए कौन उत्तरदायी है।......*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. दासमुंशी : आपने श्री लालू प्रसाद यादव को हटाने के लिए केवल 24 घंटे लिये किन्तु आप अपने सहयोगी को यह नहीं कह सकते कि हट जाइये। यह क्या है?......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, क्या आप मुझे अनुमति देंगे? धैर्य रखिये। नयी बातें सीखना अच्छी आदत है।

अब मुझे प्रश्न काल स्थगित करने के संबंध में श्री शरद पवार की ओर से सूचना मिली है। कोई भी कारण नहीं बताया गया है कि प्रनकाल क्यों स्थगित कर दिया जाये।

......*(व्यवधान)*

श्री मृत्युंजय नायक : महोदय, हमने स्पष्टीकरण दे दिया है। ......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। इस प्रकार व्यवधान न डालें। मैं सदन को वही बता रहा हूं जो तथ्य मेरे पास हैं।

सूचनानुसार :

"महोदय, मैं आज प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए नियम 32 को स्थगित करने हेतु नियम 388 के अन्तर्गत सूचना देना चाहता हूं।"

श्री मृत्युंजय नायक : महोदय, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है।......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए एक वाक्य की सूचना प्राप्त हुई है। अब मैं पढ़ता हूं कि नियम 388 क्या कहता है। इसके अनुसार "कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाये......"

मैं इसे रेखांकित करता हूं।

"........... किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा।"

जैन आयोग का प्रतिवेदन आज की कार्य सूची में पांचवें स्थान पर है।

श्री मृत्युंजय नायक : लेकिन इसमें और भी विषय हैं.... ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जैन आयोग का प्रतिवेदन आज की कार्य-सूची में पांचवें स्थान पर है। इसलिए जैन आयोग के प्रतिवेदन को अभी सभा पटल पर रखा जाना है चर्चा के लिए प्रस्ताव लाया जाना है। इसलिए सभा-पटल पर प्रतिवेदन की अनुपस्थिति में और किसी प्रस्ताव की अनुपस्थिति में, नियम 388 को नकारा नहीं जा सकता। मुझे अधिकार प्राप्त नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं?

......*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, वह कार्य सूची फिर से बनाये जाने की मांग कर रहे थे।......*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : महोदय, यह एक असाधारण स्थिति है और हमारा अनुरोध यह है कि आज की कार्य सूची में फिर तैयार किया जाय......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों के अन्तर्गत ऐसा नहीं कर सकता हूं।

श्री पी.आर. दासमुंशी : तब हमें इस संबंध में मतदान कर लेना चाहिये।......*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, आपने वही कहा जो श्री शरद पवार ने कहा कि सभा को कार्यसूची को फिर से व्यवस्थित कर जैन आयोग के प्रतिवेदन पर पहले चर्चा की जाए और शेष कार्यवाही को उसके बाद संपन्न किया जाए। उनका निवेदन भी यही था।......*(व्यवधान)* जैन आयोग की रिपोर्ट को सर्वोच्च वरीयता देते हुए इसे सबसे पहले सभा पटल पर रखा जाना चाहिये। रिपोर्ट को सबसे पहले सभा पटल पर रखा जाए और उसके बाद ही सभा की आगे की कार्यवाही हो। उनकी विनती यही थी और यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित है......*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या आपके निर्णय को भी चुनौती दी जा सकती है?

श्री पी.आर. दासमुंशी : हम आपके निर्णय को चुनौती नहीं दे रहे हैं। हम केवल अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसे मैं स्पष्ट कर देता हूं।

......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि वे निर्णय को चुनौती दे रहे हैं।

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं ...... *(व्यवधान)* सदन के संसदीय आचार नियमों से सारा देश परिचित है।

अध्यक्ष महोदय : नियम 388 के अनुसार सदस्यों के मतैक्य से किसी भी नियम को स्थगित किया जा सकता है तथा इस मामले में नियम 32 को सभा के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा के लिये स्थगित किया जा सकता है। सभा के समक्ष कोई भी प्रस्ताव नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं?

......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही नहीं उठता। मैं क्या कर सकता हूं?

......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं परन्तु मेरे पास यह अधिकार नहीं है, यह अध्यक्ष की शक्ति के बाहर है।

श्री अजित कुमार पांजा : आप कौन सा प्रस्ताव चाहते हैं?

श्री ए.सी. जोस (इदुक्की) : महोदय, नियमों के संबंध में आपका स्पष्टीकरण सही भी हो सकता है अथवा गलत भी हो सकता है। मुद्दा यह है कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां अध्यक्ष अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जबकि किन्हीं कारणों से प्रश्न काल को स्थगित करना पड़ा है। यहां स्थिति यह है कि राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय को उठाया गया है जिस पर सारे देश में चर्चा हो चुकी है। किसी बड़े राजनैतिक दल के नेता द्वारा उठाए गये ऐसे महत्वपूर्ण विषय के संबंध में, जिस पर सारे देश में चर्चा हुई हो, आप नियमों से बंधे हुए नहीं हैं। मैं सादर अनुरोध करता हूं कि यह नियमों का प्रश्न नहीं है बल्कि यह स्वविवेकाधिकार का प्रश्न है। ऐसे मामलों में अपने विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हम श्री पायलट की बात सुनें।

श्री ए.सी. जोस : यह नियमों का प्रश्न नहीं है। विवेकाधिकार का प्रयोग किया ही जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस को देखूंगा। स्पष्ट कहूं तो मेरे पास ऐसे कोई उदाहरण नहीं हैं। मैं इस संबंध में रिकार्ड देखूंगा और इस पर विचार करूंगा।

श्री ए.सी. जोस : संसदीय इतिहास में हमने इन्हीं मुद्दों की वजह से प्रश्नकाल को स्थगित होते हुए बहुत बार देखा है। अतः मैं आपसे अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने का अनुरोध करता हूं।

श्री राजेश पायलट : पहले भी कई बार सभा के समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आपने स्वयं तथा अन्य कई आदरणीय अध्यक्षों ने सभा की राय लेते हुए अपने निर्णय दिये हैं। यह एक असाधारण स्थिति है। मैं आपसे सहमत हूं कि अभी आपके समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु आप उस प्रस्ताव को वरीयता दे सकते हैं जो पहले से ही कार्य सूची में क्रमबद्ध है। सदन के रुझान को देखते हुए निर्णय लेने का अधिकार आपको है। मैं समझता हूं, यह काफी जटिल स्थिति है। आप सभा का मत ले सकते हैं। बहुत बार आपने कहा है कि आप सदन के साथ हैं और सदन सर्वोच्च है। आज नियमों को प्रमुखता न दें।

श्री ए.सी. जोस : इस मामले में कांग्रेस पार्टी के नेता के पक्ष में निर्णय लेने पर विरोधी दल के नेता को भी कोई आपत्ति नहीं है। सभा के सदस्यों की सर्वसम्मत राय यही है कि प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया जाए। अतः आप सभा के बहुमत को स्वीकार करते हुए निर्णय लें।

श्री पी.आर. दासमुंशी : आपकी अनुमति लेकर क्या एक मिनट के लिए मैं आपसे कुछ कह सकता हूं? मेरी बात चर्चा के लिये आपकी सहमति से संबंधित है। श्री राजीव गांधी सदन के नेता थे। श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया और उसके बाद एक और आयोग नियुक्त किया गया। पहले भी कई बार आयोग द्वारा की जा रही जांच में हुई प्रगति और निष्कर्षों से संबंधित मुद्दे उठाने के लिये आपने सदस्यों को अनुमति दी है। हम उसके लिये आपके आभारी हैं और अब जब 6 साल बाद इस नाजुक मसले से संबंधित कड़ियों पर प्रकाश डल रहा है तो क्या आप नहीं समझते कि इस मामले को किसी अन्य मामले की अपेक्षा सर्वोच्च वरीयता दी जानी चाहिये। मेरा आपसे केवल यही अनुरोध है। श्री राजीव गांधी–नाम छोड़ दीजिए सदन के नेता थे। उनकी क्रूर हत्या के मामले पर सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है और आपने बहुत बार सदस्यों को इस संबंध में हो रही जांच की प्रगति के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। क्या सब की राय यही नहीं है कि इस मुद्दे को सभा में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दासमुंशी जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि नियम चाहे जो कुछ भी हो, परन्तु इस तरह के मसलों में सभा सर्वोच्च है और वह निर्णय भी ले सकता है। किंतु नियमानुसार ऐसी स्थिति में सभा के सभी सदस्यों का मतैक्य अनिवार्य है। क्या मैं नियम पढ़ूं?

> "सदन के एकमत से प्रश्न काल को स्थगित किया जा सकता है।"

यदि सरकार इससे सहमत हो तभी यह निर्णय सर्वसम्मत होगा। किंतु सरकार इससे सहमत नहीं है। अतः इस निर्णय पर सर्वसम्मति नहीं है। प्रमुख विरोधी दल इस निर्णय से सहमत हैं और कांग्रेस भी इसकी मांग कर रही है परन्तु सरकार इससे सहमत नहीं है।

रेल मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या सदन की इच्छा यही है कि प्रश्नकाल स्थगित कर दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हाँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्नकाल निलंबित होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के लिए धनराशि

*21. श्री छीतुभाई गामीत :
श्री एस. रमना :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के विकास हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई है तथा अब तक राज्यवार कितने गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास हेतु इस प्रकार आबंटित धनराशि अपर्याप्त बतायी गई है;

(ग) क्या कतिपय राज्य सरकारों से इस मद में धनराशि की उपलब्धता बढ़ाए जाने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक अनुरोध पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पु येरननायडू): (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। चालू वर्ष के लिए ग्रामीण सड़क विकास हेतु राशि की मात्रा अभी ज्ञात नहीं है क्योंकि वित्त वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब तक सम्पर्क सड़कों से जोए गऐ गांवों की संख्या से संबंधित राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की सड़कों सहित अन्य सड़कों का निर्माण राज्य योजनाओं का हिस्सा होता है और इस कार्य के लिए आवश्यक धनराशियां निर्धारित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, बुनियादी सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राज्यों को छूट दी गई है कि वे बुनियादी न्यूनतम सेवा घटकों के बीच आबंटनों को स्वयं निर्धारित करें, जिनमें से एक घटक ग्रामीण सड़कें हैं। जहां ग्रामीण सड़कों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, वहां राज्य सरकारें ग्रामीण सड़कों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का उपयोग कर सकती हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) उग्रवादी गतिविधि से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने के लिए आंध्र प्रदेश के पंचायती राज मंत्री से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। उन्हें सूचित कर दिया गया था कि मंत्रालय ने देशभर में ग्रामीण सड़कों के निर्माण की गति को तेज करने हेतु निधियां आबंटित करने के लिए आयोग को प्रस्ताव भेजा है।

केरल सरकार के कृषि मंत्री से भी इस मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें केरल के फार्म क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया था। मंत्रालय ने यह बताते वक्त कि मंत्रालय में कोई पृथक बजट प्रावधान नहीं है, यह कहा गया था कि इस मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्पर्क सड़कों से न जुड़े गांवों को जोड़ने के लिए केन्द्रीय सहायता देने की योजना का एक प्रस्ताव योजना आयोग के समक्ष रखा है।

विवरण-I

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों) पर व्यय/परिव्यय

(रुपये करोड़ में)

आठवीं योजना (1996-97)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिव्यय	व्यय			कुल
		1994-95 संशोधित अनुमान	1995-96 संशोधित अनुमान	1996-97 संशोधित अनुमान	1994-97 (प्रत्याशित व्यय)
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	29.00	9.60	5.00	5.00	19.60
2. अरुणाचल प्रदेश	75.00	14.34	16.01	43.59	73.94
3. असम	100.00	2.50	3.58	27.27	32.94
4. बिहार	720.00	18.00	16.10	77.00	111.10
5. गोआ	-	-	-	-	-
6. गुजरात	35.00	7.00	7.00	11.00	25.00
7. हरियाणा	6.40	5.00	0.10	2.15	7.25
8. हिमाचल प्रदेश	91.00	13.94	15.00	40.27	69.21
9. जम्मू व कश्मीर	38.00	8.98	8.90	80.60	98.48
10. कर्नाटक	120.00	39.36	16.93	67.67	123.95
11. केरल	-	-	-	23.00	23.00
12. मध्य प्रदेश	110.00	13.52	18.50	20.18	52.20
13. महाराष्ट्र	100.00	32.57	37.80	56.28	126.65
14. मणिपुर	40.00	6.10	9.50	43.50	59.10
15. मेघालय	25.00	9.04	10.73	12.40	32.17
16. मिजोरम	52.00	6.38	-	12.00	18.38
17. नागालैंड	30.00	0.94	4.50	13.78	19.22

1	2	3	4	5	6
18. उड़ीसा	80.00	45.13	38.22	44.77	128.12
19. पंजाब	-	-	-	-	-
20. राजस्थान	200.00	39.20	95.07	115.48	249.75
21. सिक्किम	40.00	6.03	12.26	5.13	23.42
22. तमिलनाडु	93.00	18.50	18.50	50.00	92.00
23. त्रिपुरा	45.00	8.90	7.93	17.93	34.76
24. उत्तर प्रदेश	950.00	145.32	50.91	66.30	262.53
25. पश्चिम बंगाल	82.00	9.50	21.00	86.25	116.75
कुल राज्य	3061.40	459.84	413.54	921.55	1794.93
26. अंडमान व निको. द्वीप समूह	-	-	-	7.50	7.50
27. चंडीगढ़	2.00	0.45	0.45	0.48	1.38
28. दादरा व नगर हवेली	1.90	1.45	1.70	2.46	5.61
29. दमन व दीव	0.80	0.34	0.34	0.35	1.03
30. दिल्ली	-	-	-	20.72	20.72
31. लक्षद्वीप	-	-	0.82	0.85	1.67
32. पांडिचेरी	-	-	-	-	-
कुल संघ राज्य क्षेत्र	4.70	2.24	3.31	32.36	37.91
कुल राज्य + संघ राज्य क्षेत्र	3066.10	462.00	416.85	953.91	1832.84

विवरण-II

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कें) के अंतर्गत बारहमासी सड़कों से जोड़े गए 1000 और इससे अधिक की आबादी वाले गांवों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	कुल गांवों की संख्या	1995-96 तक जोड़े गए गांवों की कुल संख्या*
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	13467	1647
2.	अरुणाचल प्रदेश	81	71
3.	असम	3719	3719
4.	बिहार	14332	9559
5.	गोवा	226	201
6.	गुजरात	8300	8292
7.	हरियाणा	3470	3468
8.	हिमाचल प्रदेश	459	450
9.	जम्मू व कश्मीर	1178	1035
10.	कर्नाटक	8396	6915
11.	केरल	1262	1262
12.	मध्य प्रदेश	7337	5742
13.	महाराष्ट्र	11328	11162
14.	मणिपुर	277	268
15.	मेघालय	109	109
16.	मिजोरम	342	3421
17.	नागालैंड	240	240
18.	उड़ीसा	6173	5811
19.	पंजाब	3346	3346
20.	राजस्थान	5707	5280
21.	सिक्किम	69	64
22.	तमिलनाडु	6432	6424
23.	त्रिपुरा	535	535
24.	उत्तर प्रदेश	22295	18529
25.	पश्चिम बंगाल	10428	6705
	कुल राज्य	129506	110976
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	31	31
27.	चंडीगढ़	16	16
28.	दा. व ना. हवेली	38	38
29.	दमन व दीव	15	15
30.	दिल्ली	160	160
31.	लक्षद्वीप	-	-
32.	पांडिचेरी	84	84
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	344	344
	कुल योग (राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र)	129852	111320

* प्रत्याशित।

रेल दुर्घटनाएं

***22. श्री अय्यन्ना पटरुडु :**
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन माह के दौरान आज तक मालगाड़ियों सहित रेल दुर्घटनाओं/रेलों के पटरी से उतरने की घटनाओं का रेलगाड़ी/स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण क्या थे;

(ग) उक्त दुर्घटनाओं में से प्रत्येक में कितने लोग मारे गए/घायल हुए और इनसे कितने मूल्य की सरकारी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान हुई दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए कितने आयोग गठित किए गए;

(ङ) इन जांच आयोगों के निष्कर्ष क्या हैं और सरकार ने इन आयोगों की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की है;

(च) सरकार ने दुर्घटना के शिकार लोगों को कितना मुआवजा दिया है; और

(छ) सरकार ने ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) इन तीन महीनों के दौरान किसी जांच आयोग का गठन नहीं किया गया है। बहरहाल, प्रत्येक दुर्घटना की जांच अधिकारियों की एक समिति द्वारा की जाती है। गंभीर दुर्घटनाओं की जांच रेल संरक्षा आयोग द्वारा जांच की जाती है जो रेल मंत्रालय से अलग, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ऐसे किसी आयोग का गठन नहीं किया गया है।

बहरहाल, दुर्घटना जांच समितियां प्रत्येक दुर्घटना के लिए जिम्मेवारी निर्धारित करती हैं जिसके आधार पर दोषी पाए जाने वाले रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। रेल संरक्षा आयोग की लगभग सभी सिफारिशों को भी आमतौर पर धीरे-धीरे लागू कर दिया जाता है।

(च) अभी तक किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। रेल दावा अधिकरण द्वारा दावों का निपटान कर दिए जाने के बाद मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

(छ) सूचना संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

किस्मवार और जोनवार परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं

अगस्त 1997 - अक्टूबर, 1997

क्र.स.	रेलें	म.रे. 97	पू.रे. 97	उ.रे. 97	पूर्वो. 97	पू.सी. 97	द.रे. 97	द.म. 97	द.पू. 97	प.रे. 97	म.प.प. 97	कोंकण 97	जोड़ 97
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	टक्कर यात्री			1		1							2
	अन्य		2						1	1			4
	जोड़		2	1		1			1	1			6
2.	पटरी से उतरने की घटनाएं												
	यात्री	3	2	4	2	5	6	1	3	3		1	30
	अन्य	9	3	3		2	9	4	9	5			44
	जोड़	12	5	7	2	7	15	5	12	8		1	74
3.	समपार फाटक												
	यात्री	1		2		1	3			4			11
	अन्य			1						1			2
	जोड़	1		3		1	3			5			13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. गाड़ी में आग													
	यात्री		1										1
	अन्य												
	जोड़		1										1
5. कुल जोड़	यात्री	4	2	8	2	7	9	1	3	7		1	44
	अन्य	9	5	4		2	9	4	10	7			50
	जोड़	13	7	12	2	9	18	5	13	14	1	94	–

दुर्घटनाएं मानवीय चूक, उपस्कर की खराबी, तोड़-फोड़ तथा अन्य विविध कारणों से हुई।

विवरण-II

अगस्त से अक्तूबर 1997 तक के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में हताहत और रेल संपत्ति को हुई क्षति की लागत

रेल	यात्री		रेल कर्मचारी		अन्य		जोड़		क्षति की लागत (लाख रुपयों में)
	मृत	घायल	मृत	घायल	मृत	घायल	मृत	घायल	
मध्य	कोई नहीं	10	कोई नहीं	कोई नहीं	3	कोई नहीं	3	10	90.8
पूर्व	कोई नहीं	कोई नहीं	2	1	कोई नहीं	कोई नहीं	2	1	315.46
उत्तर	कोई नहीं	16	कोई नहीं	1	17	11	17	28	107.3
पूर्वोत्तर	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	5.17
पू.सी.	8	8	2	कोई नहीं	1	1	11	9	54.99
दक्षिण	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	1	3	1	3	50.42
दक्षिण मध्य	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	176.07
दक्षिण पूर्व	84	361	4	9	कोई नहीं	कोई नहीं	88	370	597.24
पश्चिम	कोई नहीं	13	कोई नहीं	17	6	19	6	49	20.2
मैट्रो	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
कोंकण	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	4.5
जोड़	92	408	8	28	28	34	128	470	1422.15

विवरण-III

संरक्षा में सुधार लाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

(i) ट्रंक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के कार्य में तेजी लाई गई है।

(ii) दुर्घटनाओं के पीछे मानवीय भूल की गुंजाइश को न्यूनतम करने के लिए सिगनलिंग सर्किटरी में आशोधन किया जा रहा है।

(iii) चलती गाड़ी के चालक को खतरे के सिगनल के संबंध में अग्रिम चेतावनी देने के लिए मुंबई उपनगरीय खंडों पर सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

(iv) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टैंपिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में प्रगामी वृद्धि की गई है।

(v) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशिष्टताओं पर निगरानी रखने के लिए अत्याधुनिक रेलपथ अभिलेखी यान, दोलनलेखी यान और पोर्टेबल एक्सीलरोमीटर का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(vi) अनेक डिपुओं में सवारी और माल डिब्बों की अनुरक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और प्रेडोन्नयन किया गया है।

(vii) धुरों की कोल्ड ब्रेकेज को रोकने के लिए, धुरों के दोषों का पता लगाने हेतु नेमी ओवरहालिंग डिपुओं को पराध्वनिक जांच उपस्करों से सुसज्जित किया गया है।

(viii) बिना चौकीदार वाले फाटकों पर सीटी बोर्ड/गति अवरोधक और सड़क चिन्ह लगाए गए हैं और ड्राइवरों की दृश्यता में सुधार किया गया है।

(ix) सड़क उपयोगकर्ताओं को समपार को सुरक्षित रूप से पार करने के संबंध में शिक्षित करने के लिए दृश्य-श्रव्य प्रचार चलाए जाते हैं।

(x) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ न ले जाने देने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(xi) ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों के उपयोग सहित ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन से जुड़े कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया है।

(xii) निर्धारित अंतरालों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

(xiii) गाड़ी परिचालन से जुड़े कर्मचारियों के निष्पादन की निरंतर निगरानी की जाती है और कमी पाए जाने पर कर्मचारियों को क्रैश प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता है।

(xiv) कर्मचारियों में संरक्षा चेतना जगाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा उठाई गई हानि

*23. **श्री राजीव प्रताप रूडी :**
श्रीमती शारदा टाडीपारथी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया गया;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान लाभ में आई भारी गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस्पात के उत्पादन में लगने वाले कच्चे माल पर आने वाली लागत का सबसे बड़ा भाग कोयले पर ही खर्च होता है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड से खरीदे गये कोयले में भारी मात्रा में राख होने की वजह से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को भारी हानि हुई है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि कतिपय उच्च-पदाधिकारियों द्वारा की गयी कुछ अनियमितताओं को पकड़ा गया है; और

(ज) यदि हाँ, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाह की गई है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) 1994-95, 1995-96 और 1996-97 में सेल द्वारा अर्जित किया गया निवल लाभ (कर-पूर्व) निम्नलिखित है :

वर्ष	करोड़ रुपए
1994-95	1163
1995-96	1319
1996-97	588

(ख) प्रचालनात्मक क्षमताओं में सुधार, उच्च उत्पादन और बेहतर प्रौद्योगिकी-आर्थिक निष्पादन के बावजूद, 1996-97 में सेल के लाभ में आई गिरावट मुख्यतः कोयले की कीमत, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत, रेल भाड़ा, विद्युत दरों, विशेष सीमा शुल्क में वृद्धि और ऋण लागत आदि में वृद्धि होने के कारण आदान लागतों में असामान्य वृद्धि होने के कारण हुई। इस वृद्धि से लगभग 1000 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ा था, जबकि प्रचालनात्मक क्षमता में सुधार करके इसके कुछ भाग को ही निष्प्रभावी किया जा सका। लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले अन्य कारणों में कम लागत पर आयात करना और नई क्षमताओं से अतिरिक्त घरेलू आपूर्ति का होना शामिल है इसके साथ ही बाजार में मन्दी के दौर के कारण भी सेल आदान लागत में वृद्धि के प्रभाव को ग्राहकों पर नहीं डाल सका।

(ग) से (च) 1996-97 के दौरान सेल के इस्पात के उत्पादन में कोयले की लागत (बायलर कोयले को छोड़कर) कच्चे माल की लागत का लगभग 56% है। कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल) द्वारा आपूर्तित कोककर कोयला उच्च राखयुक्त होने से कोक दर और धमन भट्टी की उत्पादकता और इसके कारण वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

(छ) और (ज) मैसर्स सी.आई.एल. से खरीदे गए कोयले के संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के आरोप की कोई शिकायत सेल अथवा इस्पात मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है/उनके द्वारा जांच नहीं की गई है।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

*24. **श्री जी.एम. बनातवाला : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो संभावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रस्तावित संशोधन के ब्यौरे दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997 (विधेयक नं0 43) में है, जो 28.7.97 को राज्य सभा में पुरस्थापित किया जा चुका है। वे विधेयक इस समय संसद की शहरी व ग्रामीण रोजगार स्थायी समिति के विचाराधीन है।

(ग) मामला संसद की शहरी व ग्रामीण रोजगार स्थायी समिति के विचाराधीन न होने के कारण इस अधिनियम में संशोधन को अंतिम रूप देने के बारे में कोई निश्चित समय-सीमा बताना अभी संभव नहीं है।

उपग्रह चैनल में विदेशी भागीदारी

*25. **श्री जी. एल. कनोजिया :**
श्री प्रमोद महाजन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपग्रह चैनल के क्षेत्र में कुल इक्विटी में से 49 प्रतिशत की विदेशी भागीदारी की अनुमति देने का है;

(ख) क्या सरकार की कुल इक्विटी में विदेशी भागीदारी को 25 प्रतिशत तक ही सीमित रखने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) सरकार दिनांक 16.5.1997 को संसद में प्रस्तुत प्रसारण विधेयक में, उपग्रह प्रसारण सेवा के मामले में अधिकतम 49% तक विदेशी इक्विटी की भागीदारी की व्यवस्था है। इस विधेयक को संसद में संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया था जिसें इस बारे में अनेक प्रकार के मत प्राप्त हुए हैं। सरकार प्रसारण मीडिया में विदेशी इक्विटी संबंधी मुद्दे पर संयुक्त प्रवर समिति द्वारा अभिव्यक्त और संसद में आम सहमति के अनुसार कार्रवाई करेगी।

[हिन्दी]

दूरदर्शन और आकाशवाणी के कलाकारों का चयन

*26. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) दूरदर्शन और आकाशवाणी के कलाकारों के चयन की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या शहरी लोगों को ही कलाकारों के रूप में चुने जाने के अधिकतम अवसर मिलते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को अवसर देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन क्षेत्रों के कलाकारों की प्रतिभा विकसित हो सके?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों कलाकारों का चयन, स्वर-परीक्षण समितियों द्वारा स्क्रीनिंग एवं स्वर-परीक्षा के बाद कलाकारों की कार्य-निष्पादन संबंधी गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है और उन्हें विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों की क्षेत्रीय स्तरों पर स्थानीय स्वर-परीक्षण समितियां हैं और मुख्यालय में संगीत स्वर-परीक्षण बोर्ड है। आकाशवाणी के श्रेणीबद्ध गायक कलाकारों को दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया जाता है और दूरदर्शन द्वारा बाल एवं युवा कार्यक्रमों को छोड़कर गायक कलाकारों के लिए अलग से कोई स्वर-परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। तथापि, नृत्य कलाकारों के चयन के लिए दूरदर्शन द्वारा स्वयं स्वर-परीक्षा ली जाती है।

(ख) और (ग) कलाकारों के चयन के मामले में ग्रामीण और शहरी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में अधिक आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होने के फलस्वरूप शहरी क्षेत्रों के संगीत कलाकारों का सुगम संगीत एवं शास्त्रीय संगीत में प्रदर्शन बेहतर होता है। तथापि, लोक संगीत में ग्रामीण कलाकार शहरी कलाकारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। पिछड़े क्षेत्रों में प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए आकाशवाणी ने लोक एवं जनजातीय संगीत के संचयन हेतु 20 केन्द्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा, लोक और जनजातीय संगीत को प्रोत्साहित करने एवं इसे लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से आकाशवाणी द्वारा लोक एवं जनजातीय संगीत की स्वर-परीक्षा हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों से कोई स्वर-परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाता है।

[अनुवाद]

देश में फर्जी समाचार पत्र

*27. **श्री अनन्त गुढ़े : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) देश में फर्जी समाचार पत्रों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समाचार-पत्र रजिस्ट्रार के पास ऐसे समाचार-पत्र-पत्रिकाओं के नामों का पंजीकरण कराने का सिलसिला बेरोकटोक चल रहा है जो प्रकाशित नहीं किये जाते;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने शीर्षस्थ निकायों के सहयोग से और नियमों तथा विनियमों में उपयुक्त परिवर्तन करके प्रचार माध्यमों में विद्यमान इस गलत प्रवृत्ति को रोकने के लिए नयी पहल की है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस जटिल समस्या के समाधान के लिए कौन-कौन से अन्य उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अंतर्गत भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा सत्यापित कुल 2,40,000 से अधिक शीर्षकों में से वर्ष 1996 के अंत तक की स्थिति के अनुसार पंजीकृत समाचारपत्रों और पत्रिकाओं की संख्या 42,388 थी। सरकार को समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के शीर्षकों को अवरुद्ध करने संबंधी गंभीर समस्या की जानकारी है। लगभग 2,00,000 शीर्षक रुके पड़े हैं।

(घ) से (च) प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के प्रावधानों की समीक्षा करने और रुके पड़े शीर्षकों को निकालने के लिए संशोधनों की सिफारिश करने तथा समाचारपत्रों की पंजीकरण प्रक्रिया सरल बनाने के लिए सरकार ने एक विशेष समीक्षा दल का गठन किया था। इस दल की सिफारिशों के आधार पर सरकार का प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम में संशोधन करने का विचार है।

एयर इंडिया को घाटा

*28. **श्री ए.सी. जोस :**
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अब तक एयर इंडिया को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा घाटे के कारणों को पता लगाने के लिए हाल ही में कोई उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एयर इंडिया को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का सुझाव दिया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) :

(क)	वर्ष	निवल लाभ/(हानि) एयर इंडिया (करोड़ रुपये में)
	1994-95	40.80
	1995-96	(271.84)
	1996-97	(296.94) (अनन्तिम)

(ख) एयर इंडिया को यह घाटा ब्याज तथा नए विमानों पर मूल्यह्रास के कारण व्यय में वृद्धि, बढ़ रही स्पर्धा तथा प्रचालन लागत के फलस्वरूप लब्धि में कमी, बढ़ रहे अवतरण, हैंडलिंग तथा विक्चालनात्मक प्रभारों, इंजीनियरों द्वारा किए गए आन्दोलन, रुपए के मूल्य ह्रास इत्यादि कारणों से हुआ।

(ग) और (घ) सरकार ने हाल ही में टैरिफ आयोग के अध्यक्ष, डॉ० विजय केलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो एयर इंडिया को हो रहे घाटे के कारणों की व्यापक जांच-पड़ताल करेगी और कंपनी की बेहतर स्थिति को बहाल करने के लिए रणनीतियां सुझाएगी।

(ङ) एयर इंडिया को लाभकारी बनाने के लिए उसके द्वारा जो महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। उनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

(1) घाटे वाले वायुमार्गों पर उड़ानों के प्रचालन में कमी कर दी गई है।

(2) अतिरिक्त राजस्व सृजन हेतु विपणन संबंधी प्रयासों में वृद्धि कर दी गई है।

(3) अब लाभकारी मार्ग को ही महत्व दिया जा रहा है।

(4) 16.8.1997 से किरायों में वृद्धि की गई है।

(5) विभिन्न यूनियनों के साथ दीर्घावधिक वेतन संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

[हिन्दी]

यात्री सुविधाएं

*29. **श्रीमती सुभावती देवी :**
डॉ० वाई.एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को वर्ष 1996 और 1997 के दौरान आज तक भोजन, पेयजल, शौचालयों, प्रतीक्षालयों, विश्राम गृहों, शेड वाले प्लेटफार्मों तथा रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर अन्य यात्री

सुविधाओं के गिरते स्तर के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों की जोन-वार संख्या कितनी है;

(ख) रेल गाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रेल गाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को कुछ और नई सुविधाएं देने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) वर्ष 1996 और 1997 (अगस्त, 97) तक के दौरान यात्री सुविधाओं के संबंध में रेलवे द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :

रेलवे	1996	1997 (अगस्त तक)
मध्य	2660	1672
पूर्व	1420	1005
उत्तर	2262	1335
पूर्वोत्तर	773	336
पूर्वोत्तर सीमा	197	129
दक्षिण	726	406
दक्षिण-मध्य	686	493
दक्षिण-पूर्व	1334	916
पश्चिम	1832	1042

(ख) रेलवे के अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित और अचानक निरीक्षण किए जाते हैं कि अपेक्षित यात्री सुविधाएं उपलब्ध हों और उनका ठीक प्रकार से रख-रखाव किया जाए। जहां कहीं आवश्यक होता है, इन निरीक्षणों के अनुपालन में निवारक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर उपलब्ध सेवाओं को मॉनीटर करने और उनमें सुधार लाने के लिए सेवा सुधार ग्रुप स्थापित किए गए हैं।

(ग) और (घ) गाड़ियों और स्टेशनों पर यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए रेलों द्वारा किए गए और किए जाने वाले प्रस्तावित विभिन्न उपायों में वाता. 3 टियर डिब्बे चलाना, राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराना, दूसरे दर्जे के शयनयान डिब्बों में, गद्दीदार शायिकाओं की व्यवस्था करना, मिनरल वाटर एवं सैशे सप्लाई करना तथा स्टेशनों पर यात्री सूचना प्रणाली में सुधार करना शामिल है।

[अनुवाद]

राज्यों को हुडको द्वारा सहायता

*30. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान हुडको ने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की;

(ख) क्या 1996-97 के दौरान हुडको द्वारा दी गई सहायता का पूर्णतः खर्च/उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या हुडको ने किए गए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं और परियोजनाओं का निरीक्षण किया है; और

(घ) 1997-98 के दौरान कितनी राशि की सहायता दी जायेगी?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम जी. वेंकटरामन) : (क) हुडको द्वारा आवास तथा शहरी अवस्थापना परियोजनाओं के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान स्वीकृत ऋण के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में है।

(ख) हुडको ऋण वाली परियोजनाओं के बावत कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए कार्यान्वयन अनुसूची एक से तीन वर्ष की होती है। ऋण की अदायगी समय अनुसूची और कार्य प्रगति के अनुसार की जाती है। प्रदत्त राशि के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर हैं। इस राशि में पिछले वर्षों के दौरान मंजूर परियोजनाओं की ऋण राशि भी शामिल है।

(ग) हुडको द्वारा मंजूर सभी योजनाओं में निरीक्षण अनुसूची का भी प्रावधान है। ये निरीक्षण सामान्यता ऋण की प्रथम किस्त जारी करने के बाद किए जाते हैं। अंतिम किस्त जारी करने से 6 महीने पहले भी निरीक्षण किया जाता है। किस्तें जारी करने का कार्य निर्माण कार्य की संतोषजनक प्रगति और गुणवत्ता से जुड़ा है।

(घ) हुडको का, वर्ष 1997-98 के दौरान आवास तथा शहरी अवस्थापना स्कीमों के लिए, 2,495 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर करने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

आवास तथा शहरी अवस्थापना परियोजनाओं के लिए हुडको द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान स्वीकृति स्कीम के ऋणों की राज्य वार संख्या

(रुपये करोड़ में)

राज्य	आवास		शहरी अवस्थापना	
	स्कीमों की सं०	ऋण राशि	स्कीमों की सं०	ऋण राशि
1	2	3	4	5
अंडमान निको. द्वीप समूह	–	–	0	0.00
आंध्र प्रदेश	129	213.4	29	290.39
असम	8	33.04	2	40.70

1	2	3	4	5
बिहार	37	49.59	1	1.50
दिल्ली	2	2.60	2	75.00
गोवा	2	11.35	0	0.00
गुजरात	41	47.39	4	39.15
हिमाचल प्रदेश	8	20.16	1	5.90
हरियाणा	11	17.45	0	0.00
जम्मू व कश्मीर	9	3.69	0	0.00
केरल	49	177.79	4	63.63
कर्नाटक	68	81.89	23	181.65
मेघालय	3	5.74	1	2.33
महाराष्ट्र	18	41.79	4	29.83
मणिपुर	3	39.65	0	0.00
मध्य प्रदेश	65	77.6	0	4.86
मिजोरम	3	5.72	3	0.00
नागालैंड	2	5.89	0	0.00
उड़ीसा	19	33.90	0	0.00
पंजाब	26	37.13	4	6.47
राजस्थान	145	98.89	2	27.17
सिक्किम	2	7.14	0	0.00
तमिलनाडु	128	213.12	11	158.39
त्रिपुरा	1	0.09	0	0.00
उत्तर प्रदेश	59	168.34	4	14.98
पश्चिम बंगाल	34	48.35	7	86.94
कुल	872	1441.70	102	1028.89

विवरण-II

1996-97 के दौरान जारी ऋण का राज्यवार ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

राज्य	1996-97
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.74
आंध्र प्रदेश	194.92
अरुणाचल प्रदेश	0.00
असम	19.86
बिहार	24.29
चंडीगढ़	0.00
दमन व दीव	0.00
दिल्ली	108.12
दादर नगर हवेली	0.00
गोवा	0.30
गुजरात	46.72
हिमाचल प्रदेश	20.67
हरियाणा	22.10
जम्मू व कश्मीर	13.92
केरल	241.71
कर्नाटक	194.55
लक्षद्वीप	0.00
मेघालय	11.48
महाराष्ट्र	112.91
मणिपुर	15.59
मध्य प्रदेश	40.81
मिजोरम	8.60
नागालैंड	4.90
उड़ीसा	26.16
पांडिचेरी	0.00
पंजाब	23.19
राजस्थान	83.44
सिक्किम	4.67
तमिलनाडु	236.74
त्रिपुरा	0.14
उत्तर प्रदेश	43.32
पश्चिम बंगाल	40.12
कुल	1539.97

वायु यातायात नियंत्रण टावर

*31. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई.सी.ए.ओ) के मानदंडों के अनुसार वायु यातायात नियंत्रण टावर (ए.टी.सी) की अधिकतम अनुमत्य ऊंचाई 24 फीट है;

(ख) यदि हाँ, तो देश के किन-किन विमानपत्तनों में वायु यातायात नियंत्रण टावर की ऊंचाई अनुमत्य ऊंचाई से अधिक है; और

(ग) सरकार का आई.सी.ए.ओ. के मानदंडों की अनदेखी कर इस प्रकार की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) जी, *नहीं। नियंत्रण टावरों के लिए कोई एक समान ऊंचाई निर्दिष्ट नहीं है। इकाओ अपेक्षा करता है कि नियंत्रण टावर की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए जिससे कि विमान यातायात नियंत्रक को विमानक्षेत्र और इसके इर्द-गिर्द चारों ओर दिखाई देता रहे। वैमानिकी अध्ययन के अध्यधीन टावर को विमानपत्तन पर प्रचालनात्मक सेवाओं से संबंधित संस्तुत व्यवहार के भी अनुरूप होना चाहिए।*

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस द्वारा अर्जित राजस्व

*32. **श्री रामेश्वर पाटीदार** :
श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा देश में 1996-97 और 1997-98 के दौरान आज तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से ढोये गये यात्रियों की कुल संख्या तथा माल की मात्रा क्या है;

(ख) इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर अन्य अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों से संतोषप्रद ढंग से प्रतिस्पर्धा कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) वर्ष 1996-97 तथा अप्रैल से सितम्बर, 1997 तक के दौरान इंडियन एयरलाइंस की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों द्वारा वाहित यात्रियों तथा सामान की संख्या निम्न प्रकार है :

	1996-97	1997-98 (अप्रैल-सितम्बर, 1997)
यात्रियों की संख्या ("000)	964	566
कार्गो (टन)	11201	6070

(ख) इंडियन एयरलाइंस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों में उड़ान से अर्जित यातायात राजस्व निम्न प्रकार से अनुमानित है :

वर्ष	(करोड़ रुपए में)
1996-97	620.00
1997-98 (अप्रैल-सितम्बर)	350.00

(ग) और (घ) जी, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर इंडियन एयरलाइंस के यात्री तथा कार्गो वहन में चालू वर्ष में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जहां तक कि इसे निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है।

	अप्रैल-सितम्बर		
	1996-97	1997-98	% वृद्धि
यात्रियों की संख्या("000)	450	566	25.8
कार्गो (टन)	5041	6070	20.4

इंडियन एयरलाइंस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालित सीट गुणक में भी निरंतर वृद्धि हुई है जो कि नीचे दी गई है :

1994-95	58.1%
1995-96	62.5%
1996-97	64.5%
1997-98 (अप्रैल-सितम्बर)	65.5%

(ङ) और (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अर्द्ध-निर्मित फ्लैट

*33. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत दो वर्षों में अनेक अर्द्ध-निर्मित फ्लैटों और नागरिक सुविधाओं रहित फ्लैटों का आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फ्लैटों की पूरी लागत राशि प्राप्ति कर ली है परन्तु उनका कब्जा नहीं दिया है; और

(घ) उन व्यक्तियों को जिनसे फ्लैटों की पूरी राशि वसूल कर ली गई है परन्तु कब्जा नहीं दिया गया है बाजार दर से ब्याज का भुगतान करने हेतु कब कदम उठाए गए हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन) : (क) डी डी ए ने सूचित किया है कि उसने गत दो वर्षों के दौरान सिविक सुविधाओं के बिना 9835 फ्लैट आबंटित किये थे। इस अवधि के दौरान कोई भी अर्ध-निर्मित फ्लैट अलाट नहीं किया गया।

(ख) ये फ्लैट बिजली कनेक्शन देने के लिए दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा दी गई निर्धारित तारीखों के आधार पर आबंटित किए गये थे क्योंकि बाहरी बिजली सुविधाएं बोर्ड द्वारा मुहैया करायी जाती है जो कि एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, दिल्ली विद्युत बोर्ड ने बताया है कि कभी-कभी विद्युतीकरण योजनाओं की प्रगति लाइन रूट की मंजूरी न मिलने, ठेके संबंधी कठिनाइयों तथा निर्माण सामग्री की स्थायी कमी जैसी विभिन्न बाधाओं से प्रभावित होती है। इन फ्लैटों में बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के लिए डीडीए द्वारा सभी संबंधित एजेंसियों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ग) डीडीए ने ऐसे मामलों की सूचना दी है।

(घ) इन व्यक्तियों को बाजार दर पर ब्याज का भुगतान करने संबंधी कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

केलकर समिति की सिफारिशों को लागू करना

*34. **श्री मोहन रावले :**
श्री के.सी. कोंडय्या :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस बोर्ड ने केलकर समिति की सिफारिशें तेजी से लागू करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार को केलकर समिति की रिपोर्ट कब सौंपी गई थी;

(घ) केलकर समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों को लागू करने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (ङ) जी, हां। केलकर समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट *दिसम्बर*, 1996 में दे दी थी। समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(1) वित्तीय पुनःसंरचना जिसमें प्रतिपूर्ति के रूप में 922 करोड़ रुपए को पूंजीगत रूप से शामिल करना, सबार्डिनेटेड ऋण, इक्विटी और इंडियन एयरलाइन्स तथा इसके कर्मचारियों का अंशदान शामिल है

(2) विमान-बेड़ा योजना

(3) मार्ग युक्तियुक्तकरण

(4) संगठनात्मक पुनः संरचना

(5) मानव संसाधन प्रबन्धन।

केलकर समिति की सिफारिशों के अध्ययन और इसके कार्यान्वयन के लिए संभावित उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा जनवरी, 1997 में योजना आयोग के प्रधान सलाहकार (यातायात) की अध्यक्षता वाली एक समिति का तुरन्त गठन किया गया था।

चूंकि पूर्व स्थिति बहाली संबंधी रणनीति में अधिक मात्रा में वित्तीय अंशदान अंतर्ग्रस्त हैं, इसलिए कार्यान्वयन पर तुरन्त कार्रवाई के लिए मामले को वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के साथ उठाया गया था। जबकि योजना आयोग ने आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के लिए प्रारूप नोट को अनुमोदित कर दिया था तब इसे वित्त मंत्रालय ने लेखा महानियंत्रक के पास छानबीन के लिए भेजा था। 23.10.97 को प्रस्तुत सीजीए रिपोर्ट के आधार पर, वित्त मंत्रालय को मामले पर अपनी अंतिम राय अभी देनी है।

रेल माल भाड़े में वृद्धि

*35. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में रेल माल भाड़ा बढ़ाया है तथा आवश्यक वस्तुओं पर राजसहायता समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे प्रति वर्ष कितना अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया जाएगा;

(घ) क्या माल भाड़े में वृद्धि के बावजूद रेलवे अभी भी धन की कमी महसूस कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और धन की कमी पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं;

(च) क्या इस वृद्धि के कारण लोग रेलों की अपेक्षा सड़क के रास्ते भेजना पसन्द करेंगे; और

(छ) यदि हां, तो रेलों द्वारा माल ढुलाई बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) जी हां, 15.10.97 से कुछ चुनिंदा वस्तुओं के भाड़े में समायोजन किया गया है। सभी दूरियों के लिए कोयले की भाड़ा दर में औसतन 3.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके अलावा (i) रासायनिक खाद (ii) हाईड्रोजेनेटिड ऑयल (iii) रिफाइन्ड वनस्पति तेल (iv) फल और सब्जियां (v) खाद्य तेल (vi) पशुधन (vii) आर्गेनिक खाद (viii) खली से भिन्न चारा (ix) तिलहन (x) मिट्टी का तेल (xi) रसोई गैस (xii) चीनी और (xiii) खाद्यान्नों को विगत में दी जा रही रियायतें आंशिक रूप से वापस लेकर इन वस्तुओं की भाड़ा दरों ने संशोधन किया गया था। ईंधन के मूल्य में वृद्धि और पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण भी रेलों पर पड़ने वाले अतिरिक्त खर्चों को वहन करने के लिए रेल भाड़े में समायोजन करना आवश्यक हो गया है। इन संशोधनों से प्रतिवर्ष 525 करोड़ रू. के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है।

(घ) और (ङ) माल भाड़े में वृद्धि के अलावा, रेलों द्वारा आमदनी को बढ़ाने और खर्चों पर नियंत्रण करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप धन की कमी होने की कोई संभावना नहीं है।

(च) और (छ) चूंकि यह वृद्धि मामूली है इसलिए रेल यातायात का रुख सड़क यातायात की ओर मुड़ने की संभावना नहीं है।

कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना

*36. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों द्वारा आवास योजनाओं हेतु जमीन की खरीद पर किए जाने वाले व्यय में भागीदारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वित्तीय एजेंसियों के माध्यम से कमजोर वर्गों को प्रदान किए गए आवास-ऋण पर ब्याज की दर कम करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कमजोर वर्गों को आवासों के आवंटन में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन): (क) ऐसी कोई योजना नहीं है। आवास राज्य का विषय है अतः यह निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है कि क्या वे भूमि की लागत में कार्यान्वयन एजेंसियों, लाभार्थियों को भागीदार बनाना चाहेंगे तथापि हुडको धन उपलब्ध होने पर, अपने सामान्य ऋण प्रदायी दायित्व के अनुसरण में भूमि अधिग्रहण तथा विकास योजनाओं के लिए आवास बोर्डों, स्लम बोर्डों, विकास प्राधिकरणों, सुधार ट्रस्टों, स्थानीय निकायों इत्यादि विभिन्न राज्य स्तरीय एजेंसियों को धन देता है।

(ख) हुडको द्वारा 31.10.97 तक स्वीकृत भूमि अधिग्रहण स्कीमों के राज्य-वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) हुडको द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजनाओं हेतु 9.5 प्रतिशत (सकल) की रियायती ब्याज दर पर ऋण लिया जा रहा है, चूंकि हुडको द्वारा उधार ली गई राशि की लागत काफी अधिक होती है अतः ब्याज दर को और कम करना हुडको के लिए संभव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कमजोर वर्गों को शहरी क्षेत्रों में आवास आवंटन की ऐसी कोई योजना नहीं है। राज्य सरकारें अपनी योजना-प्राथमिकताओं और संसाधनों के आधार पर, विभिन्न आय वर्गों के लिए आवास योजनाएं बनाती हैं। राज्य एजेंसियों को उनकी आवास योजनाओं के लिए हुडको ऋण सहायता देता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

हुडको की भूमि अधिग्रहण योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा (31.10.97)

(सं. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	योजनाओं की संख्या	ऋण राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4	5.22
2.	असम	1	1.23
3.	बिहार	1	0.64
4.	दिल्ली	1	3.77
5.	गुजरात	0	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	10	5.60

1	2	3	4
7.	हरियाणा	2	0.98
8.	जम्मू व कश्मीर	8	18.72
9.	केरल	6	19.11
10.	कर्नाटक	9	8.16
11.	महाराष्ट्र	2	7.93
12.	मध्य प्रदेश	20	8.58
13.	उड़ीसा	0	0.00
14.	पंजाब	4	48.58
15.	राजस्थान	22	68.64
16.	तमिलनाडु	25	28.36
17.	उत्तर प्रदेश	166	587.50
18.	पश्चिम बंगाल	0	0.00
	योग	282	813.02

[हिन्दी]

माल डिब्बों की खरीद

*37. **श्री अनंत कुमार हेगड़े :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालडिब्बों की खरीद के मामले में रेलवे द्वारा कोई नीति तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के वैगन इंडिया लिमिटेड को नजर अंदाज करके सरकार ने मालडिब्बे की खरीद के लिए निविदा जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को मालडिब्बों की खरीद के संबंध में किसी भारी घोटाले से संबंधित कोई सूचना प्राप्त हुई है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) सरकार की नीति खरीद में पारदर्शिता, किफायत और स्पर्धा लाने की है। इस नीति के दायरे में रहते हुए रेल मंत्रालय ने 1998-99 से माल डिब्बों की अपनी 100 प्रतिशत आवश्यकता को खुली निविदा के जरिए मालडिब्बा उद्योग से खरीदने का एक प्रशासनिक निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) माल डिब्बों की खरीद में पारदर्शिता, किफायत और स्पर्धा लाने के उद्देश्य से, रेलों ने 1998-99 के लिए 27,000 अदद चौपहिया इकाइयों की अनुमानित आवश्यकता के लिए खुली निविदा जारी की है। इसे 03.09.97 को खोला गया है। वैगन इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को निविदा में भाग लेने की छूट थी और वास्तव में, इसके सभी 12 सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। निविदा को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और अभी तक कोई ठेका नहीं दिया गया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) से (झ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सर्वेलेंस रडार

*38. **श्री जी.ए. चरण रेड्डी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन मंत्रालय ने अपने आकाश क्षेत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु वर्तमान वर्ष के अंत तक देश के पूरे आकाशीय क्षेत्र की सुरक्षा को ''सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार्स'' तथा उपग्रह आधारित प्रणालियों के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ''सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार'' को स्थापित किए जाने संबंधी परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए अथवा किए जाने वाले ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हवाई अड्डा निगरानी राडार पहले ही 7 हवाई अड्डों पर प्रचालनात्मक हैं और 1997 में एक का संस्थापन अहमदाबाद में किया जा रहा है। तीन गौण निगरानी राडार प्रणालियां पहले ही संस्थापित की जा चुकी हैं तथा 8 और प्रणालियों

के संस्थापन का कार्य प्रगति पर है। विमान मार्ग निगरानी राडार दो स्थानों पर प्रचालनरत हैं और दो का संस्थापन किया जा रहा है। दिसम्बर, 1997 तक दो स्थानों पर स्वचालित डिपेंडेंट निगरानी राडारों को संस्थापित कर लिया जायेगा।

रेल दुर्घटनाएं

*39. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी किसी चूक जिसके कारण रेल दुर्घटना हुई हो, के लिए महाप्रबंधकों को जिम्मेवार ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेवार कारकों की गहराई से जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाप्रबंधकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करने से यह समस्या हल हो जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का इस संबंध में कौन से अन्य कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) भारतीय रेल पर होने वाली प्रत्येक दुर्घटना की, रेल प्राधिकारियों अथवा रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा, जो कि रेलों से अलग स्वतंत्र पदाधिकारी हैं, गहराई से जांच की जाती है। ऐसी जांचों के आधार पर, दुर्घटना के प्रत्येक मामले में जिम्मेदारी तय की जाती है। रेल दुर्घटना के लिए उत्तरदायी कारक हैं: (1) मानवीन गलती, (2) रेलपथ की खराबी, (3) सवारी और माल डिब्बों का खराब रख-रखाव, (4) उपस्कर की खराबी, (5) गाड़ियों में आग लगना, (6) सड़क उपयोगकर्ताओं की असावधानी, (7) तोड़फोड़ और अन्य प्रासंगिक कारण। किसी भी जांच रिपोर्ट में किसी भी जोनल रेल के महाप्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।

(ङ) संरक्षा में सुधार लाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

(1) ट्रंक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के कार्य में तेजी लाई गई है।

(2) दुर्घटनाओं के पीछे मानवीय भूल की गुंजाइश को न्यूनतम करने के लिए सिगनलिंग सर्किटरी में आशोधन किया जा रहा है।

(3) चलती गाड़ी के चालक को 'खतरे के सिगनल' के संबंध में अग्रिम चेतावनी देने के लिए मुंबई उपनगरीय खंडों पर सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

(4) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई टैंपिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है।

(5) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशिष्टताओं पर निगरानी रखने के लिए अत्याधुनिक ट्रैक रिकार्डिंग कारों, आसिलोग्राफ कारों और पोर्टेबल एक्सीलरोमीटरों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(6) अनेक डिपुओं में सवारी और माल डिब्बों की अनुरक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और ग्रेडोन्नयन किया गया है।

(7) धुरों की कोल्ड ब्रेकेज को टालने के लिए, धुरों के दोषों का पता लगाने हेतु नेमी ओवरहालिंग डिपुओं को अल्ट्रासोनिक जांच उपस्करों से लैस किया गया है।

(8) बिना चौकीदार वाले समपारों पर सीटी बोर्ड/गति अवरोधक और सड़क चिह्न लगाए गए हैं और ऐसे सुधार किए गए है जिससे ड्राइवर आसानी से दूर तक देख सके।

(9) सड़क उपयोगकर्ताओं को समपार को सुरक्षित रूप से पार करने के संबंध में शिक्षित करने के लिए दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(10) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ ले जाने से रोकने के लिए उपाय किए गए हैं।

(11) ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों के उपयोग सहित ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन से जुड़े कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया है।

(12) निर्धारित अंतरालों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

(13) गाड़ी परिचालन से जुड़े कर्मचारियों के निष्पादन की निरंतर निगरानी की जाती है और कमी पाए जाने पर कर्मचारियों को क्रैश प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(14) कर्मचारियों में संरक्षा चेतना जगाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

घरेलू यात्रियों की संख्या में कमी

*40. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका** :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1996-97 में घरेलू यात्रियों की संख्या में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क)

अंतर्देशीय यातायात में वर्ष 1995.96 की तुलना में वर्ष 1996-97 में 1.52 प्रतिशत की सीमांत गिरावट आई है।

(ख) मुख्यतः कुछ निजी विमान कम्पनियों के बंद हो जाने के कारण यातायात में गिरावट आई थी।

(ग) विमान कम्पनी प्रचालकों को अतिरिक्त विमान अभिगृहीत करने की अनुमति दी जा रही है ताकि यात्रा करने वाले लोगों के लिए और अधिक सीटें उपलब्ध हों। उदाहरणार्थ, इंडियन एयरलाइंस के उपलब्ध सीट किलोमीटर वर्ष 1995-96 के 9973 मिलियन से बढ़कर 1996-97 में 11216.4 मिलियन हो गए हैं। जेट एयरवेज ने भी वर्ष 1996-97 में चार बी. 737 विमान बढ़ा लिए हैं।

सौर ऊर्जा का विकास करने हेतु अनुदान

219. **श्री अनंत कुमार** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 के दौरान देश में सौर ऊर्जा का विकास करने के लिए स्वीकृत की गई केन्द्रीय अनुदान सहायता का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान सौर प्रकाशवोल्टीय और सौर तापीय अनुप्रयोगों पर एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सौर लालटेन, घरेलू रोशनी प्रणालियां, ग्राम विद्युत संयंत्र, सड़क रोशनियां और कुछ अन्य प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां तथा सौर कुकर जैसी विशिष्ट युक्तियों को सरकार की आर्थिक राजसहायता योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। वास्तविक लक्ष्यों के आधार पर और कार्यान्वयन के पश्चात दावों की जांच पड़ताल के बाद राज्यों को अनुदान जारी किए जाते हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान अब तक राज्यों को रिलीज की गई अनुदान राशि संलग्न विवरण में दी गई है। कुछ अन्य राज्यों से प्राप्त दावों (क्लेम) को निपटाया जा रहा है।

विवरण

सौर ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1997-98 के दौरान जारी किए गए अनुदान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई राशि (रुपये)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	990
2.	असम	6,40,000
3.	बिहार	25,00,000
4.	दिल्ली	6,460
5.	हरियाणा	54,15,925
6.	मेघालय	3,00,000
7.	तमिलनाडु	53,50,000
8.	पश्चिम बंगाल	47,75,694
9.	उत्तर प्रदेश	64,50,000
10.	चंडीगढ़	89,640
11.	पांडिचेरी	1,70,000
	कुल	2,56,98,709

[हिन्दी]

दिल्ली के किसानों को मुआवजा

220. **श्री अशोक प्रधान** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के किसानों की अधिगृहीत की गयी भूमि के एवज में उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) दिल्ली में किसानों को उनकी भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिनियम, 1894 की धारा 23 व 24 तथा अन्य संगत धाराओं के तहत नियत पैरामीटरों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।

[अनुवाद]

शहरी जनसंख्या के लिए सफाई सुविधाएं

221. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शौचालयों के निर्माण हेतु 1062.64 करोड़ लागत वाली 761 योजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत कितने नगरों को शामिल किए जाने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी, हां।

(ख) मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए कम लागत के सफाई प्रबंध की समन्वित योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य-वार अलग-अलग धनराशि आवंटित नहीं की जाती।

वास्तविक प्रगति तथा संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा किए गए व्यय को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत योजनाओं के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।

स्वीकृत योजनाओं, उनकी परियोजना लागत तथा स्वीकृत सब्सिडी के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में भैंसा, चिराला, गुंटकल, मिरयालगुडा, कुतुबुल्लापुर, रायदुर्ग, तान्दूर तथा उप्पल कलां कस्बों के लिए हाल ही में 8 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

विवरण

मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए कम लागत के सफाई प्रबंध की योजनाएं

(संख्या लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	योजनाओं की सं०	परियोजना लागत	स्वीकृत सब्सिडी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	76	11175.50	2964.73
2.	असम	27	3908.27	1284.59
3.	बिहार	9	2607.32	1107.56
4.	गोवा	1	2243.66	0.00
5.	हरियाणा	85	4730.90	2034.94
6.	जम्मू व कश्मीर	9	1934.76	827.22
7.	कर्नाटक	66	7315.53	1542.64
8.	केरल	2	668.84	159.28
9.	मध्य प्रदेश	32	2256.15	952.49
10.	महाराष्ट्र	11	3651.63	1123.40
11.	मणिपुर	3	215.78	88.49
12.	मेघालय	3	253.99	66.67
13.	मिजोरम	1	50.00	3.45
14.	उड़ीसा	63	1219.92	510.12
15.	पंजाब	78	14734.89	5653.62
16.	राजस्थान	130	12179.34	4585.40
17.	तमिलनाडु	86	7713.78	1787.69
18.	त्रिपुरा	1	778.25	235.14
19.	उत्तर प्रदेश	65	13472.76	5888.11
20.	पश्चिम बंगाल	12	8002.51	5482.04
21.	अंडमान निकोबार द्वीप स.	1	150.74	33.01
	कुल योग	761	106263.52	36330.69

परती भूमि विकास के संबंध में मोहन धारिया समिति की रिपोर्ट

222. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परती भूति विकास के संबंध में मोहन धारिया समिति की रिपोर्ट सरकार को किस तारीख को प्रस्तुत की गई है;

(ख) समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) सरकार की प्रत्येक सिफारिशों के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सिफारिशों के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) 8 दिसंबर, 1995

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) चूंकि सिफारिशों का संबंध भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से था, इसलिए मामले पर आगे की कार्रवाई करने से पूर्व इनके विचार/टिप्पणियां मांगी गई थी अधिकांश सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं तथा मंत्रालयों/ विभागों/राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई करें। विवरण के क्रम संख्या 3 और 10 में सूचीबद्ध सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं तथा यथासमय इन पर निर्णय ले लिया जाएगा।

विवरण

क्रम. सं.	सिफारिश	सरकार की प्रतिक्रिया
1.	देश में 175 मिलियन हेक्टेयर बंजरभूमि को विकसित करने के लिए एक योजना तैयार करने की आवश्यकता है जिसे 10-15 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा	सरकार ने सिफारिश स्वीकार नहीं की है। राज्य सरकारों के जरिए छोटी परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
2.	भूमि प्रबंधन हेतु केन्द्रीय भूमि उपयोग प्राधिकरण का गठन करना	सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई है।
3.	निम्नीकृत भूमि के प्रबंध के लिए भू-संसाधन विभाग का गठन करना	सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई है।
4.	वन क्षेत्रों वाली तथा सार्वजनिक बंजरभूमि का उचित रखरखाव किया जाना चाहिए	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित कार्रवाई करें।
5.	प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाने तथा सामाजिक घेराबंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए	-वही-
6.	सतत विकास के लिए वैज्ञानिक चारटग्रेड नीति अपनाई जानी चाहिए	-वही-
7.	भूमि-क्षरण को रोकने के लिए तात्कालिक उपाय आवश्यक हैं। भूमि की न्यूनतम हानि हो, इस बात को बढ़ावा दिया जाना चाहिए	-वही-
8.	जलाक्रांत और खारेपन वाली भूमि को पुनःउपजाऊ बनाने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए	-वही-
9.	मरुस्थलों को बढ़ने से रोकने हेतु योजना बनायी जानी चाहिए और कार्यान्वित की जानी चाहिए	-वही-
10.	बाढ़ नियंत्रण तथा जल नीतियों (भूतल तथा भूजल) की समीक्षा की जानी चाहिए	सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं।
11.	बंजरभूमि विकास कार्यक्रमों में जनता, पंचायती राज संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित कार्रवाई करें।
12.	निगमित क्षेत्र को शामिल किया जाना चाहिए तथा कम ब्याज दर और आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए	-वही-
13.	किसानों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा वृक्षों की कटाई पर लगा प्रतिबंध जारी रखा जाना चाहिए	-वही-
14.	बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के वास्ते विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए व्यापक जागृति अभियान चलाया जाना चाहिए।	-वही-

[हिन्दी]

भागलपुर-मंदार रेलवे लाइन का निर्माण

223. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भागलपुर-मंदार रेलवे के बरास्ता हन्सडीहा दुमका तक विस्तार की पहले की योजना का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ख) क्या कोयला मंत्रालय ने रेल मंत्रालय को यह लिखा है कि बरास्ता गोड्डा पोरैयाहाट का राजमहल हन्सडीहा रेलवे लाइन को जोड़ने से कोयले की ढुलाई आसान हो जाएगी और रेल की आमदनी में वृद्धि होगी;

(ग) क्या कोयला मंत्रालय इस रेल लाइन के खर्चे को वहन करने पर सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो राजमहल लाइन के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) कार्य को स्वीकृति दे दी गई है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है तत्पश्चात् भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा और दसवीं योजना अवधि में पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कालीकट में यात्री सर्वेक्षण

224. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय मार्ग में यात्री यातायात पर कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्ष का क्या ब्यौरा है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान टिकटों की बिक्री से कुल कितनी आय अर्जित की गई?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान कालीकट हवाई अड्डे पर अर्जित राजस्व निम्न प्रकार है :

	इंडियन एयरलाइन्स	एअर इंडिया (लाख रुपये में)
1994-95	4439.26	2359.20
1995-96	5840.95	2556.28
1996-97	5403.23	1982.23
योग	15683.44	6897.52

एल्यूमिना और एल्यूमिनियम का उत्पादन

225. **श्री के. पी. सिंह देव** :
श्री शरत पटनायक :
श्री जयप्रकाश अग्रवाल :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सितम्बर, 1997 तक एल्यूमिनियम विनिर्माण एकक और नालकों ने इस वर्ष तक एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के उत्पादन में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एल्यूमिनियम उत्पादन देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सन् 2000 तक एल्यूमिनियम और एल्यूमिना उत्पादन में नालको द्वारा क्या लक्ष्य रखे गए हैं;

(च) एल्यूमिना क्षेत्र में विदेशी सहयोग के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(छ) इसके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) और (ख) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान एल्यूमिनियम के प्राथमिक उत्पादकों द्वारा एल्यूमिना और एल्यूमिनियम का उत्पादन निम्नवत् है :

आकड़े टनों में

	1994-95	1995-96	1996-97	अप्रैल-सितम्बर, 97
एल्यूमिना	1531438	1631571	1420535	842998
	(मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लि0 को छोड़कर)			
एल्यूमिनियम	477801	529264	520100	268439

(ग) और (घ) पांच प्राथमिक उत्पादकों की एल्यूमिनियम उत्पादन की स्थापित क्षमता 6,82,000 टन है जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादन क्षमता 3,30,000 टन और निजी क्षेत्र की क्षमता 3,52,000 टन है। देश के प्राथमिक उत्पादक अपने वाणिज्यिक परख के आधार पर एल्यूमिनियम के उत्पादन के संबंध में अपने निर्णय लेती है। इसके अलावा, एल्यूमिनियम धातु और उसके पदार्थ विद्यमान निर्यात-आयात नीति के अनुसार ओपन जनर्ल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत आते हैं। सभी को स्वदेशी उत्पादन से उत्पादकों की आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर प्रत्येक उत्पादक अपनी वाणिज्यिक परख, जो वर्ष दर वर्ष अलग-अलग हो सकती है, के आधार पर एल्यूमिनियम आयात कर सकता है।

(ङ) नालकों द्वारा सन् 2000 तक एल्यूमिना और एल्यूमिनियम का अनुमानित उत्पादन निम्न प्रकार है :

	1997-98	1998-99	1999-2000
एल्यूमिना	8,00,000	8,00,000	8,00,000*
एल्यूमिनियम	2,18,000	2,18,000	2,30,000

* दिसम्बर,1999 तक एल्यूमिना शोधनशाला की स्थापित क्षमता 10,50,000 टन वार्षिक तक बढ़ जाएगी।

(च) और (छ) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने एल्यूमिनियम क्षेत्र में निवेश के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों की निवेश पद्धति को अनुमोदन प्रदान कर दिया है:

कंपनी का नाम	प्रस्तावित सहयोगी कंपनी	कार्यकलाप
कांहुला एल्यूमिनियम कंपनी लि. हैदराबाद	आस्ट्रेलियन कैपिटल एण्ड टैक्नालॉजी प्रा. लि. आस्ट्रेलिया (विदेशी इक्विटी 53.43%)	आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम जिले में कैल्साइंड एल्यूमिना
गुजरात अलक्लीज एण्ड कैमिकल्स लि०	रेथियान इंजीनियर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन इंक संयुक्त राज्य अमरीका (विदेशी इक्विटी 17%)	गुजरात के कच्छ जिले में एल्यूमिना कैल्साइंड फ्यूज्ड एल्यूमिना विद्युत का निर्माण
गुजरात एल्यूमिनियम एण्ड बाक्साइड लि०	रेथियान इंजीनियर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन इंक संयुक्त राज्य अमरीका (विदेशी इक्विटी 50%)	गुजरात के कच्छ जिले में एल्यूमिना, एल्यूमिनियम कंपाउंड मैटल कोक, विद्युत आदि का निर्माण
आक्साइड इंडिया प्राइवेट	बीएएम लि० यू.के. (एनआरआई 13.81%)	पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में उच्च और निम्न एल्यूमिना पियरिटी बैड स्पोर्ट एक्टवेटिड एल्यूमिना कैटालिस्ट कैरियर का निर्माण
लार्सन और टुब्रो लि०	पहचान की जानी है (20%)	उड़ीसा में एल्यूमिना

सरकार ने मैसर्स इंडियन एल्यूमिनियम कं. लि. (इंडाल) को भी उड़ीसा में 1 मिलियन टन एल्यूमिना संयंत्र वाली निर्यातान्मुखी यूनिट स्थापित करने की अनुमति भी दी है। इस आशय के पत्र में यह कहा गया है कि इंडाल की परियोजना में एक अलग एफ सी अनुमोदन के तहत 25 प्रतिशत विदेशी इक्विटी सहभागिता का विदेशी सहयोग हो सकता है।

लाहोती समिति की रिपोर्ट

226. **श्री समत मेहता :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लाहोती समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार संभाव्यता अध्ययन कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (घ) लाहोटी समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अनुकंपा के आधार पर रोजगार

227. **श्रीमती केतकी देवी सिंह :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के.लो.नि.वि. और न.दि.न.पा. के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी नियुक्तियों संबंधी नियम और प्रतिक्रियाएं क्या हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और नई दिल्ली नगर परिषद के मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार की जाती है। इस विषय में सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सं० 14014/6/86-स्था० (घ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30-6-1987

कार्यालय ज्ञापन

विषयः दिवंगत सरकारी कर्मचारी के पुत्र/पुत्री निकट संबंधी की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां - समेकित अनुदेश

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग द्वारा समय-समय पर इस आशय के अनुदेश जारी किए जाते रहे हैं जिनमें दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/निकट संबंधी की अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां करते समय अपनाए जाने वाले सिद्धान्त निर्धारित किए गये हैं। संवर्भ की सुविधा को ख्याल में रखते हुए इस विषय पर जारी किए गय आदेशों को सरलीकृत करके इस कार्यालय ज्ञापन में समेकित किया गया है।

1. जिन पर लागू होते हैं

(क) जिस सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौराम हो जाती है, जिसमें आत्महत्या भी शामिल है, जिसके फलस्वरूप उसके परिवार को तत्काल सहायता की आवश्यकता हो जाती है और जब परिवार में कमाने वाला कोई भी अन्य सदस्य न हो तो उस स्थिति में उसके पुत्र अथवा निकट संबंधी पर।

(ख) आपवादिक मामालों में जब विभाग इस बात में संतुष्ट हो कि परिवार की दशा दयनीय है तथा वह बड़ी विपत्ति में है तो ऐसी स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ ऐसे सरकारी कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/निकट संबंधी को भी दिया जाए जिन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 38 के अधीन अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा विनिमावली के तदनरूपी उपबंधों के अधीन 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व बीमारी के कारण सेवा-निवृत्त किया गया हो। समूह "घ" के कर्मचारियों के मामले में जिनकी अधिवर्षिता की सामान्य आयु 60 वर्ष है अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पर तभी विचार किया जाए जबकि उन्हें बीमारी के आधार पर 57 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पूर्व सेवा-निवृत्त किया गया हो।

(ग) उस सरकारी कर्मचारी के पुत्र अथवा पुत्री अथवा निकट संबंधी पर जिसकी मृत्यु पुनर्नियोजन के दौरान नहीं अपितु सेवा अवधि में वृद्धि के दौरान हो जाती है।

2. अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां करने वाले सक्षम प्राधिकारी

(क) प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव या सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग के सचिव।

(ख) सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के मामले में ऐसी शक्तियों का प्रयोग पूरक नियम 2(10) के अधीन विभागाध्यक्षों द्वारा किया जाए।

3. पद जिस पर ऐसी नियुक्तियां की जा सकती हैं :

समूह 'ग' पद अथवा समूह 'घ' का कोई पद

4. पात्रता

(क) अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती कोटा के लिए की जा सकती हैं।

(ख) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदकों को तभी नियुक्त किया जाना चाहिए जबकि वे संगत भर्ती नियमों के प्रावधानों के अधीन उक्त पद के लिए सभी दृष्टियों से पात्र तथा उपयुक्त पाए जाएं।

(ग) फिर भी आपवादिक परिस्थितियों में जहां परिवार की दशा बड़ी दयनीय है, वहां विभाग निम्नतम स्तर अर्थात समूह 'घ' अथवा अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति किए जाने के मामले में अस्थायी रूप से शैक्षणिक अर्हताओं में छूट देने के लिए सक्षम हैं। यह छूट केवल दो वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञेय होगी। इस अवधि के बाद शैक्षिक अर्हता में कोई छूट स्वीकार्य नहीं होगी तथा यदि संबंधित व्यक्ति अभी भी अर्हता प्राप्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(घ) जहां किसी विधवा को अनुकंपा के आधार पर समूह 'घ' पद पर नियुक्त किया जाता है वहां उसे शैक्षिक अर्हताओं की अपेक्षाओं से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि भर्ती नियमावली में निर्धारित आठवीं कक्षा की शैक्षिक अर्हता के बिना भी पद के कार्य का निष्पादन संतोषजनक ढंग से किया जाता हो।

(ङ) ऐसे मामलों में भी जब सरकारी कर्मचारी सेवा करते हुए अपने परिवार को दयनीय दशा में छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसके परिवार में कोई कमाने वाला व्यक्ति है तो भी उपर्युक्त मामलों में ऐसे सरकारी कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/निकट संबंधी को पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाए। किन्तु ऐसी सभी नियुक्तियां संबंधित विभाग के सचिव के पूर्वानुमोदन से की जानी चाहिए जो ऐसी किसी नियुक्ति को अनुमोदित करने के पूर्व स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लेगा कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी द्वारा छोड़े गए आश्रितों की संख्या उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति, देनदारियों, कमाने वाले सदस्य की आय और उसकी देनदारियों तथा क्या कमाने वाला सदस्य दिवंगत सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहा है तथा क्या उसे परिवार के अन्य सदस्यों के लिए सहायता का स्रोत नहीं होना चाहिए, इन सभी तथ्यों का ध्यान में रखते हुए छूट देना न्यायोचित है।

5. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जाने की सीमा

नियुक्ति प्राधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेगा कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, शारिरिक रूप से

विकलांग व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुल आरक्षण जिसमें अग्रेनीत आरक्षण शामिल हैं जिसके ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं (जो इस समय केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति तथा शारिरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों पर ही लागू है) किसी विशेष अवसर पर उपलब्ध रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगाः

*1.	अनुसूचित जाति	15%
*2.	अनुसूचित जनजाति	7½%

इस विभाग की दिनांक 15-12-79 की अधिसूचना संख्या 39016/10/70 - स्था० (ग) के नियम 4 के परंन्तुक 1 के अध्यधीन।

3. भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह (ग) पदों में 10% तथा समूह 'घ' पदों में 20%

4. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति 3%

* अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण संबंधी विवरणिका के परिशिष्ट 3 के अनुसार ऐसे कार्यालयों के मामले में जो 100 का रोस्टर अपना रहे हैं वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षणों की प्रतिशतताएं भिन्न-भिन्न हैं।

6. छूट

अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां निम्न स्थितियों में छूट देकर की जाती हैं।

(क) भर्ती प्रक्रिया अर्थात कर्मचारी चयन आयोग अथवा रोजगार केन्द्र के अभिकरण के बिना।

(ख) आयु सीमा में जहां आवश्यक हो निम्न आयु सीमा में 14 वर्ष की आयु से नीचे कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(ग) शैक्षिक अर्हता में उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित सीमा तक।

(घ) इस विभाग के अधिशेष एकक/रोजगार तथा प्रशिक्षण महा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

7. अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए विलम्बित अनुरोध

मंत्रालय/विभाग अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अनुरोधों पर उन मामलों में भी विचार कर सकते हैं जिसमें मृत्यु काफी समय पूर्व अर्थात 5 वर्ष अथवा इससे भी पहले हुई हो किन्तु ऐसे विलम्बित अनुरोधों पर विचार करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की धारणा अधिकाशंत सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए हो जाने के बाद उसके परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से जुड़ी हुई हो, केवल यही तथ्य कि परिवार इन वर्षों के दौरान किसी न किसी प्रकार जीवन निर्वाह करने में समर्थ रहा है, यह प्रमाणित करने के लिए काफी होना चाहिए कि उसके पास जीवन निर्वाह के कुछ साधन थे। अतः ऐसे मामलों में कार्रवाई करते समय बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे मामलों में सचिव स्तर पर ही निर्णय किया जाए।

8. अनुकंपा के आधार पर नियुक्त की गई विधवा का पुनर्विवाह

अनुकंपा के आधार पर नियुक्त की गई किसी विधवा को पुनर्विवाह के बाद भी सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी।

9. चयनात्मक दृष्टिकोण

(क) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति इस प्रकार की होनी चाहिए कि उस पद पर नियुक्त व्यक्ति पद के लिए आवश्यक तथा प्रशासन में कार्य-कुशलता बनाए रखने की अपेक्षाओं से मेल खाती हुई अनिवार्य शैक्षिक तथा तकनीकी अर्हताएं तथा अनुभव रखता हो।

(ख) दिवंगत समूह "घ" के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/निकट संबंधी की नियुक्ति केवल समूह "घ" के पद के लिए प्रतिबंधित करने की मंशा नहीं है।

अतः दिवंगत कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/निकट संबंधी समूह "ग" के पद पर नियुक्त किया जा सकता है जिसके लिए वह शैक्षिक रूप से अर्हक हो बशर्ते कि समूह "ग" में कोई रिक्ति विद्यमान हो।

(ग) चूंकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों का अनुमोदन विभागाध्यक्ष के स्तर पर किया जाना होता है और चूंकि सभी रिक्तियों अनुकंपा के आधार नियुक्तियों के प्रयोजन से एक ही स्थान पर जोड़ी जानी होती हैं, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि अधीनस्थ तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों का उचित हिस्सा प्राप्त हो।

(घ) अनुकंपा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों की योजना पर वर्ष 1958 में ही विचार कर लिया गया था। सरकार द्वारा तब से कई कल्याणकारी उपाय प्रारम्भ किए गए हैं, जिनमें से निम्नलिखित उपायों के फलस्वरूप सेवा में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों की आर्थिक स्थिति में काफी अंतर आ गया है। इस अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामलों पर विचार करते समय, इन योजनाओं के अंतर्गत परिवार द्वारा प्राप्त प्रसुविधाओं को ध्यान में रखा जाए।

1. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना के अंतर्गत दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार को निम्नलिखित आर्थिक सहायता दी जाती हैः

समूह "घ" कर्मचारी	रु. 10,000/-
समूह "ग" कर्मचारी	रु. 20,000/-
समूह "ख" कर्मचारी	रु. 40,000/-
समूह "क" कर्मचारी	रु. 80,000/-

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त राशि के अलावा सरकारी कर्मचारी द्वारा अंशदान के रूप में दी गई राशि का लगभग 2/3 हिस्सा भी उसे देय होता है।

2. दिवंगत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय उसके खाते में जमा अधिकतक 240 दिनों की अर्जित छुट्टी के नकदीकरण का लाभ।

3. दिवंगत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के तत्काल तीन वर्ष पूर्व अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि में औसत जमाराशि के बराबर, अतिरिक्त राशि की हकदारी, किन्तु शर्त यह है कि यह जमा राशि से संबद्ध बीमा योजना के अधीन कतिपय शर्तों के अध्यधीन होगी।

4. संशोधित कुटुम्ब पैंशन।

5. जहां आवश्यक हो, अनुकंपा निधि से सहायता।

10. पद के परिवर्तन के अनुरोध

यदि किसी व्यक्ति ने किसी विशिष्ट पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वीकार कर ली है तो उन परिस्थितियों को समाप्त समझा जाएगा, जिनके कारण उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति हुई थी और उसके बाद उस व्यक्ति को जिसने अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार कर ली है, भविष्य में प्रगति के लिए अपने साथियों की तरह प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार उच्चतर पदों पर नियुक्ति के लिए अनुकंपा के आधार पर उनके दावों को निरपवाद रूप से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

11. सामान्य

अनुकंपा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों के मामलों पर कार्रवाई करने तथा अपेक्षित जानकारी पता लगाने के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुबंध में दर्शाए गए प्रपत्र को उपयोग में लाया जाए।

हस्ताक्षर
(के.एस.आर.कृष्णा. राव)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 3013180

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी सम्बद्ध कार्यालय।
3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय (प्रशा.शाखा), नई दिल्ली।
6. लोक सभा सचिवालय (प्रशा.शाखा), नई दिल्ली।
7. भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
9. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 9 अशोक रोड, नई दिल्ली।
10. के.से. – II अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ और ऐसी ही कार्रवाई के लिए भेजी जाती हैः

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय (रेल विभाग) रेल बोर्ड, नई दिल्ली।

प्रति सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को सूचनार्थ भेजी जाती है।

हस्ता./-

उन सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के रोजगार से संबंधित प्रपत्र, जिनकी सेवाकाल में ही मृत्यु हो जाती है/जो अशक्तता पैंशन पर सेवानिवृत्त किए गए हों

भाग – 1

1. (क) दिवंगत/अशक्तता पैंशन पर सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारी का नामः
   (ख) कर्मचारी का पदनामः
   (ग) कर्मचारी की जन्म तिथिः
   (घ) मृत्यु/अशक्तता पैंशन पर सेवानिवृत्त होने की तारीखः
   (ङ) की गई सेवा की कुल अवधिः
   (च) क्या स्थायी है अथवा अस्थायीः
   (छ) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं?
2. (क) नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का नामः
   (ख) कर्मचारी के साथ उसका संबंधः
   (ग) जन्म तिथिः
   (घ) शैक्षिक अर्हताएंः
   (ङ) क्या कोई अन्य आश्रित व्यक्ति अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया है।
3. निम्नलिखित राशियों सहित, छोड़ी गई कुल परिसम्पत्तियां के ब्यौरेः
   (क) परिवार पैंशन
   (ख) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान
   (ग) सामान्य भविष्य निधि की शेष राशि
   (घ) जीवन बीमा पालिसी (जिनमें पी.एल.आई. शामिल है)
   (ङ) चल/अचल सम्पत्तियां और परिवार को उससे प्राप्त होने वाली वार्षिक आय
   (च) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा राशि

(छ) छुट्टी का नकदीकरण

कोई अन्य परिसम्पत्तियां

कुल.............

4. देनदारियों के संक्षिप्त ब्यौरे यदि कोई हों

5. कर्मचारी के सभी आश्रितों के ब्यौरे (यदि उनमें से कुछ रोजगार दर हैं, तो उनकी आय और यह कि क्या वे इकट्ठे रह रहे हैं अथवा अलग-अलग)

क्र.सं.	नाम	कर्मचारी से संबंध और आयु	रोजगार प्राप्त है अथवा नहीं, रोजगार का स्वरूप और आय के ब्यौरे
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरी सर्वात्तम जानकारी के अनुसार सही हैं। इसमें दिए गए यदि कोई तथ्य बाद में कभी गलत अथवा झूठे पाए जाते हैं तो मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

तिथिः उम्मीदवार के हस्ताक्षर

श्री.......................... को मैं जानता हूं और इसके द्वारा दिए गए तथ्य सही हैं।

स्थायी सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर
नाम.......................................
पता.......................................

तिथिः

मैंने यह जांच की है कि उम्मीदवार द्वारा जो तथ्य ऊपर दिए गए हैं, वे सही हैं।

कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीखः नाम..............................

पता..............................

भाग - 2

(क) नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का नाम

(ख) कर्मचारी के साथ उसका संबंध

(ग) शैक्षिक अर्हताएं, आयु (जन्म तिथि) और अनुभव यदि कोई हो तो

(घ) पद जिस पर उसकी नियुक्ति का प्रस्ताव है

(ङ) क्या यह पद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भरा जाना है अथवा ऐसे किसी अन्य कार्यालय में जो उक्त सेवा में शामिल नहीं है।

(च) क्या भर्ती नियमों में सीधी भर्ती की व्यवस्था है

(छ) क्या उम्मीदवार उक्त पद के लिए भर्ती नियमों की शर्तों को पूरा करता है

(ज) रोजगार कार्यालय/कर्मचारी चयन आयोग की प्रक्रिया से छूट के अलावा अन्य कौन सी ढील दी जानी है।

II. क्या भाग - 1 में उल्लिखित तथ्यों को कार्यालय द्वारा सत्यापित किया गया है और यदि हां तो उसका रिकार्ड दर्शाएं।

III. विभागाध्यक्ष/मंत्रालय की व्यक्तिगत सिफारिश।

IV. यदि कर्मचारी की मृत्यु/अशक्तता के आधार पर सेवानिवृत्ति 5 साल से पहले की गई हो तो ऐसी स्थिति में इस मामले को पहले क्यों नहीं भेजा गया।

[अनुवाद]

ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी

228. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलियाः
श्री रामेश्वर पाटीदारः
श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ः

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सभी पंजीकृत कॉपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि आवंटित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो जिन सोसाइटियों को अब तक भूमि आवंटित की गयी है, उनका पंजीकरण वर्ष सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उन सोसाइटियों का उनके पतों सहित ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक भूमि आवंटित नहीं की गई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा भूमि की दर निर्धारित करने के लिए कोई मानदण्ड/नियम बनाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इनका कड़ाई से पालन किया जा रहा है; और

(च) शेष सोसाइटियों को कब तक भूमि आवंटित किये जाने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम जी. वेंकटरामन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने पंजीकार, सहकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा विनिर्धारित 1400 तक की पंजीकरण संख्या वाली सहकारी समूह आवास सोसायटियों को भूमि देने का प्रस्ताव किया है।

(ख) और (ग) जिन सोसायटियों को भूमि आबंटित कर दी गई है/या अभी आबंटित की जानी है, उनकी सूची तैयार की जा रही है और उसे सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा;

(घ) जी हां।

(ङ) जी हां।

(च) भूमि की उपलब्धता और सोसायटियों द्वारा निर्दिष्ट मानदण्ड/नियमों को पूरा करने के आधार पर शेष सोसायटियों को भी भूमि का आबंटन कर दिया जाएगा।

बंगलौर और वाराणसी के बीच ट्रेन

229. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलौर से वाराणसी तक की यात्रा अत्यधिक महंगी है और यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या बंगलौर और वाराणसी के बीच सीधी रेल सेवा आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) भारतीय रेलों पर यात्रा की गई दूरी, यात्रा की श्रेणी और गाड़ी की स्थिति के अनुसार रेल किराया प्रभारित किया जाता है;

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण।

जिंक की मांग और उत्पादन

230. **श्री जी.ए. चरण रेड्डी** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगले पांच वर्षों के लिए जिंक और सीसे संबंधी कार्यदल ने स्वदेशी मांग की पूर्ति के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान जिंक लि. ने डाबरी और विशाखापत्तनम में अपने उत्पादन को 10,000 टन तक बढ़ाने का निश्चय किया है;

(ग) क्या वह एक नये 60,000 से 100,000 टन के जिंक सुपर स्मेल्टर के निर्माण की भी योजना बना रहा है जो 5 से 6 वर्षों के भीतर बन जाएगा;

(घ) क्या सन् 2002 तक जिंक की मांग बढ़कर 2,86,000 टन हो जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो इस समय देश में जिंक का कुल उत्पादन कितना है; और

(च) वार्षिक मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने अगले पांच वर्षों के लिए जस्ते और सीसे की घरेलू मांग को परिदर्शित किया है।

(ख) हिन्दुस्तान जिंक लि. (एच.जैड.एल.) ने देबारी और विशाखापत्तनम स्थित प्रत्येक जस्ता प्रगालक की क्षमता को 10000 टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान, देश में प्राथमिक रूट से जस्ते का कुल उत्पादन 1,40,148 टन रहा है।

(च) कार्यदल द्वारा वर्ष 1997-98 के लिए जस्ते की मांग 2,26,5000 टन आंकी गई है। जस्ता धातु की मांग को घरेलू उत्पादन, प्राथमिक और गौण दोनों माध्यमों तथा आयात से पूरा किया जा सकता है।

आवास योजना के लिए ऋण

231. **श्री एल. रमना** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रियायती दरों पर गृह निर्माण हेतु ऋण प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितना ऋण दिया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आवास ऋण के संबंध में सरकार को कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम जी. वेंकटरामन) : (क) सरकार आवास निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध नहीं कराती है। तथापि, आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग श्रेणी की आवासीय योजनाओं के लिए ब्याज की रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के आवासों के लिए हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार को हुडको से ऋण लेने वाली एजेंसियों की तरफ से ऋण की मंजूरी एवं सवितरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के लिए वरीयताप्राप्त क्षेत्रों के लिए राज्यवार/वर्षवार आवास का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

राज्य	1994-95 ऋण राशि	1995-96 ऋण राशि	1996-97 ऋण राशि
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	34.59	38.33	112.74
असम	6.51	27.09	11.85
बिहार	4.85	19.42	24.52
दिल्ली	-	-	-
गोवा	2.20	-	-
गुजरात	22.82	10.82	37.61
हिमाचल प्रदेश	0.91	20.00	10.20
हरियाणा	13.01	39.73	10.50
जम्मू कश्मीर	-	2.36	0.37
केरल	48.49	70.48	125.60
कर्नाटक	45.19	32.21	52.98
मेघालय	11.06	-	-
महाराष्ट्र	33.27	8.36	5.15
मणिपुर	2.77	2.68	2.76
मध्य प्रदेश	19.11	1.11	0.90
मिजोरम	-	-	5.78
नागालैण्ड	5.00	13.00	8.76
पंजाब	2.91	-	3.15
राजस्थान	22.83	27.98	37.10
सिक्किम	3.30	1.80	2.43
तमिलनाडु	56.32	68.21	72.79
त्रिपुरा	-	0.38	-
उत्तर प्रदेश	25.09	22.06	17.77
पश्चिम बंगाल	14.49	7.88	17.33
अंडमान निकोबार	-	-	-
कुल	402.97	437.10	587.39

कालीकट-दिल्ली उड़ानें

232. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कालीकट से दिल्ली को सीधी उड़ानें शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विमान क्षमता संबंधी कठिनाइयों तथा कम यातायात संभाव्यता के कारण, इस समय इंडियन एयरलाइंस की कालीकट से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान प्रचालित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, रोजाना मुम्बई से होकर कालीकट तथा दिल्ली के बीच यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों के लिए सुविधाजनक उड़ान व्यवस्था कर दी गई है।

[हिन्दी]

जमालपुर रेल कार्यशाला का विकास

233. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व रेलवे के जमालपुर फैक्टरी के विकास हेतु आवंटित 63 करोड़ रुपये की राशि को कम करके 8 करोड़ रुपए कर दिया गया है और उसमें से भी केवल 5 प्रतिशत ही अभी

तक खर्च किये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप विकास संबंधी गतिविधियां रुक गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जमालपुर रेल फैक्टरी को धीरे-धीरे बंद करने का है क्योंकि कर्मचारियों की संख्या 29 हजार से घट कर 11 हजार हो गई है;

(घ) क्या जमालपुर तकनीकी संस्थान के पास उच्चस्तर के आधुनिकतम अनुसंधान हेतु प्रयोगशाला, सर्वश्रेष्ठ आवसीय सुविधाओं, अच्छे भवन तथा योग्य इंस्ट्रेक्टरों के बावजूद वहां से निकलने वाले प्रथम श्रेणी प्रशिक्षुओं तथा विशेष श्रेणी प्रशिक्षुओं की संख्या में निरंतर कमी हो रही है; और

(ङ) क्या उपर्युक्त के मद्देनजर सरकार का विचार इस फैक्ट्री को विकसित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी हां। कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इस कार्य की लागत 9.63 करोड़ रुपए तक कम हो गई है। अगस्त 97 तक 1.07 करोड़ रुपए का व्यय वहन किया जा चुका है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जमालपुर में रेलवे संस्थान में प्रशिक्षु मैकेनिकों और विशेष श्रेणी के प्रशिक्षुओं की वार्षिक भर्ती क्रमशः यांत्रिक पर्यवेक्षकों (पूर्व रेल के लिए) और यांत्रिक अधिकारियों (भारतीय रेल के लिए) की आवश्यकता पर आधारित होती है।

संस्थान को प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग भारतीय रेल के अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और अन्य रनिंग तथा अनुरक्षण कर्मचारियों का इन-हाउस प्रशिक्षण के लिए भी किया जाता है।

(ङ) जी हां। इस कार्य की योजना और अनुमान 9.63 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृत किए गए हैं और यह कार्य पूरी तेजी पर है।

[अनुवाद]

कालीकट में हवाई उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन

234. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में मानसून के दौरान कालीकट विमानपत्तन से हवाई उड़ानों के मार्ग में कुल कितनी बार परिवर्तन किया गया;

(ख) क्या कलीकट विमानपत्तन इंस्ट्रुमेंटल लैंडिंग सिस्टम पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है; यदि हां तो मानसून के दौरान बार-बार हवाई उड़नों के मार्ग में परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कालीकट विमानपत्तन पर रात्रि में विमानों के उतरने की सुविधा उपलब्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) 1995-1997 की अवधि के दौरान, कालीकट हवाई अड्डे से मानसून के दौरान 87 उड़ानें विपथित की गई हैं।

(ख) यद्यपि कालीकट हवाई अड्डे पर आई॰एल॰एस॰ प्रणाली पूर्णतया प्रचालनात्मक है। कभी-कभी मौसम की स्थिति न्यूनतम अपेक्षा से भी अधिक बिगड़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उड़ानों के लिए विपथन करना जरूरी हो जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए काम करने वाले ठेकेदार

235. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग बहुत सा काम ठेकेदारों के जरिए करवा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ये ठेकेदार अपने मजदूरों के लिए सरकारी भूमि पर झुग्गियां और गोदामों को बनाते हैं, जिनके कारण सरकारी कालोनियां झुग्गी-झोपड़ी बस्तियोंमें बदल जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी सभी झुग्गियों को सरकारी भूमि से शीघ्र हटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचना दी है कि बड़ी संख्या में निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए भारी संख्या में अपेक्षित कार्यबल को देखते हुए, नियमित आधार पर कामगारों को नियोजित करना और इस तरह स्थापना संबंधी लागत खर्च बढ़ाना विवेकपूर्ण नहीं है।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार अपने श्रमिकों और सामग्री भण्डारण के लिए सरकारी भूमि पर झुग्गियां बनाते हैं, जिन्हें कार्य पूरा हो जाने के बाद हटा दिया जाता है। इस कारण कालोनियों में कोई गंदी बस्ती कायम नहीं होती है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का प्रस्ताव

236. **श्री भक्त चरण दास:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने 300 मिलियन विदेशी वाणिज्यिक ऋण प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. की भावी निवेश योजना 1996 में कम लाभ के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) और (ख) सेल ने चरणों में, 3000 लाख अमरीकी डालर का विदेशी वाणिज्यिक ऋण (इ.सी.बी.) प्राप्त करने के लिए सिद्धान्ततः मंजूरी देने हेतु वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार सेल ने निम्नलिखित के लिए मंजूरी प्राप्त करने हेतु वित्त मंत्रालय को विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं:

- न्यूनतम औसतन 10 वर्ष के लिए 1000 लाख अमरीकी डालर का यान्कीबान्ड इश्यू।

- औसतन 7 वर्ष के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों से उगाहे गए 850 लाख अमरीकी डालर का ऋण (पछले वर्ष 150 लाख अमरीकी डालर पहले ही उगाहे जा चुके हैं)।

वित्त मंत्रालय ने उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए हैं। ऋण जुटाने से संबंधित प्रस्ताव अग्रिम चरण में है जबकि सेल ने घरेलू बाजार में ब्याज दरों को कम करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय पत्रों में व्यापक प्रचार करने के मद्देनजर फिलहाल यान्कीबान्ड इश्यू के संबंध में कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है।

(ग) से (ङ) निम्नतर लाभ के कारण सेल की भावी निवेश योजना पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। किसी प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ में उतार चढ़ाव बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तथापि चल रही योजनाओं और भावी योजनाओं के लिए भी निवेश योजना आन्तरिक स्रोतों की उपलब्धता और पूंजी बाजार से धन जुटाने पर निर्भर करते हुए जारी है।

उपमहानगरीय रेलगाड़ी का रात्रि हाल्ट

237. **श्री चिन्तामन वानगा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम रेल ने मुंबई से दहानु रोड के बीच उपमहानगरीय रेल गाड़ियों के रात्रि के ठहराव के लिए यार्ड के तौर पर बोलवाड़ रेलवे स्टेशन का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ये रेलगाड़ियां बोलवाड़ स्टेशन से शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आर.के. पुरम् में टाईप-दो के क्वार्टरों की बालकनियों की ग्लेजिंग

238. **श्री जय प्रकाश (हरदोई) :**
श्री राम सागर:
श्री मंगल राम प्रेमी:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाईप-चार तथा इससे ऊपर के क्वार्टरों की तुलना में टाइप-दो तथा टाईप-तीन के क्वार्टरों में 10 प्रतिशत प्रभार के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए मंजुर की गयी धनराशि बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त कार्य हेतु इस धनराशि में वृद्धि करने का है;

(ग) आर.के. पुरम नई दिल्ली में टाईप-दो के क्वार्टरों के लिए कार्यवार कितने अनुरोध लंबित पड़े हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) आबंटी द्वारा मद का कुछ प्रतिशत भुगतान करने पर अतिरिक्त सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए आबंटन टाइप-वार न करके एक मुश्त आधार पर किया जाता है।

(ख) जी हां, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि निधियों की उपलब्धता के आधार पर मौद्रिक सीमा बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

(ग) आर.के.पुरम में टाइप-II आवास के लिए 1009 अनुरोध पत्र लम्बित हैं। ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) निधियों की उपलब्धता के आधार पर काम हाथ में लिया जाता है।

विवरण

18.11.97 के अनुसार लंबित अनुरोध

क्र.सं.	सामग्री का नाम	लम्बित कार्य (संख्या)
1.	वाश बेसिन	70
2.	चमकदार टाइल्स	141
3.	लाफ्ट टैंक	69
4.	लकिंग मिरर	52
5.	ग्लास शैल्फ	39
6.	किचन सिंक	100
7.	कोटा स्टौन	140
8.	चिमनी ब्रेकिंग	95
9.	आयरन गेट	79
10.	कटीले तार की बाड़	138
11.	ग्लेजिंग	86
	कुल	1009

आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक-एक संवाददाता की नियुक्ति करना

239. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का प्रत्येक जिले में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कम से कम एक संवाददाता की नियुक्ति करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राजस्थान में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में अन्य राज्यों में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, वर्तमान में प्रत्येक जिले में संवाददाता की व्यवस्था करने का काई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नौवीं पंचवर्षीय योजना में आकाशवाणी के लिए प्रत्येक जिले में एक अंशकालिक संवाददाता नियुक्त करने की एक स्कीम प्रस्तावित है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सत्यजित रे फिल्म इंस्टीट्यूट के छात्रों की शिकायतें

240. **श्री राम नाईक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सत्यजित रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के छात्र 24 सितम्बर, 1997 से कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस.जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां, संस्थान में उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं की कमी के विरोध में छात्रों ने दिनांक 24.9.97 से कक्षाओं का बहिष्कार किया। तथापि, इस बहिष्कार को दिनांक 10.11.97 को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) संबंधित प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि प्राप्त उपस्कर, ध्वनि एवं रिकार्डिंग स्टूडियो, पूर्वदर्शन थियेटर आदि को चालू करने और आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को पूरा करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई की जाए ताकि कक्षाएं सुचारु रूप से चल सकें।

[हिन्दी]

इस्पात संयंत्र के लिए विद्युत की आवश्यकता

241. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की संयत्रवार विद्युत की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) प्रत्येक इस्पात संयंत्र की आवश्यकता पूरी करने हेतु विद्युत किन-किन स्रोतों से उपलब्ध होती है;

(ग) क्या किसी इस्पात संयंत्र ने अपना दूसरा संयंत्र स्थापित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के संबंध में "सेल" के इस्पात संयंत्रों और बी.एस.पी. की संयंत्र-वार आवश्यकता का लगाया गया आंकलन निम्नलिखित हैः

इस्पात संयंत्र	औसत विद्युत आवश्यकता (मेगावाट)	सप्लाई का स्रोत
1	2	3
भिलाई स्पात संयंत्र (बी.एस.पी)	222	एम.पी.ई.बी. और निजी विद्युत उत्पादन

1	2	3
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी.एस.पी) और मिश्र इस्पात संयंत्र (ए.एस.पी)	151.4	डी. वी.सी.और निजी विद्युत उत्पादन
राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी)	175	ग्रिडको और निजी विद्युत उत्पादन
बोकारो इस्पात संयंत्र	262	डी. वी.सी.और निजी विद्युत उत्पादन
इण्डियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को)	29	डी. वी.सी.और निजी विद्युत उत्पादन
सेलम इस्पात संयंत्र	12.75	टी.एन.ई.बी
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	21.91	के.एस.ई.बी. और निजी विद्युत उत्पादन
विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र (वी.एस.पी)	221	ए.पी.एस.ई.बी. से सिस्टम सहयोग से निजी विद्युत उत्पादन

(ग) और (घ)(1)सेल के सभी एकीकृत इस्पात संयंत्रों ने निजी विद्युत संयंत्र स्थापित किए हुए हैं। निजी विद्युत संयंत्रों का संयंत्र वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

संयंत्र	निजी विद्युत संयंत्र की प्राप्य क्षमता (मेगावाट)
बी.एस.पी	104
डी.एस.पी	135
आर.एस.पी	190
बी.एस.एल.	240
इस्को	25
वी.आई. एस.एल.	6 (डीजल जेनरेटर सैट)

(2) बी.एस.पी के निजी विद्युत संयंत्र की निर्धारित क्षमता 247.5 मेगावाट है। यह बैक प्रेशर टर्बाइन सिस्टम के माध्यम से कोक शुष्क शीतन संयंत्र के अपशिष्ट ताप से और गैस एक्पैंशन टर्बाइन सिस्टम के माध्यम से धमन भट्टी के हाई टॉप प्रेशर से 16 मेगावाट विद्युत का भी उत्पादन करता है।

[अनुवाद]

ए-320 विमानों का प्रचालन

242. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोचीन हवाई अड्डे से ए-320 विमानों को उड़ाए जाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में निर्णय लेने में असाधारण विलम्ब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो और अधिक विलम्ब से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (ग) कोचीन हवाई अड्डे पर उपलब्ध धावनपथ 6000 फुट का है परन्तु यह एक एकदिशीय धावनपथ है और उपलब्ध अवतरण दूरी केवल 5645 फुटछ ही है। एक समिति का गठन यह निर्धारण करने के लिए किया गया था कि क्या कोचीन हवाई अड्डे के लिए/वहां से ए 320 प्रचालन सुरक्षित रूप से किये जा सकते हैं। इस समिति में इंडियन एयरलाइन्स, नागर विमानन महानिदेशालय, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद और भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। समिति का यह निष्कर्ष था कि सीमित धावनपथ लम्बाई, एकदिशीय प्रचालनों, मौसम परिस्थितियों को देखते हुए, कोचीन के लिए वहां एयरबस ए-320 प्रचालन की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कतिपय शर्तों को पूरा किया जाए। तदनुसार मामले पर पहले ही कार्रवाई आरंभ कर दी गई है और समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए कोचीन में 14 फरवरी 1997 को संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। अनेक उपाय सुझाए गए हैं जिनमें पोर्ट ट्रस्ट आथारिटी से भूमि प्राप्त करना, ए-320 विमानों के अवतरण के लिए रेल/सड़क यातायात को रोकना, धावनपथ की तकनीकी जांच और अन्य तकनीकी पहलू शामिल हैं। चूंकि इस कार्य में काफी संख्या में राज्य / केन्द्र सरकार के संगठन अंतर्ग्रस्त हैं, इसलिए तकनीकी समिति की सिफारिशों पर कार्यान्वयन के संबंध में कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

कमजोर वर्गों को रिहायशी प्लाट

243. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली तथा अन्य राज्यों में कमजोर वर्गों के लोगों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रिहायशी प्लाट के उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गुजरात में समाज के कमजोर वर्गों को भी रिहायशी सुविधायें प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्लाट कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम जी. वैंकटरामन): (क) जहां तक शहरी आवास का संबंध है, 20 सूत्री कार्यक्रम में कमजोर वर्गों को आवासीय प्लाट उपलब्ध करने की किसी योजना की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, आवास राज्य का विषय होने के नाते, राज्य सरकारों को अपनी योजना प्राथमिकताओं और संसाधनों के अनुसार कमजोर वर्गों के लिए अवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं तैयार करनी हैं। जहां तक हुडको का सम्बन्ध है, सन् 1970 में इसके प्रारम्भ से दिनांक 30.9.97 तक इसने अब तक गुजरात में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवासों सहित 1024 आवसीय योजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इन योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 381143 आवासीय इकाइयों, 3883 सुधारे गये मकानों और 6590 विकसित प्लाटों की परिकल्पना है।

भवन वाणिज्यिक परिसर विनिर्माता

244. श्री टी.गोविन्दन : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) देश के बड़े शहरों में भवन-निर्माताओं को वाणिज्यिक स्थलों का आवंटन करता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसे आवंटनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भवन-निर्माताओं द्वारा करार के मानदण्डों का उल्लंघन करने के मामले सामने आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम जी. वैंकटरामन): (क) और (ख) जी, नहीं। हुडको द्वारा व्यापारिक निर्माणकर्ताओं को कोई व्यापारिक स्थान आबंटित नहीं किया जा रहा है। फिर भी हुडको द्वारा सरकार की तरफ से एन्ड्रयूज गंज नई दिल्ली में सामुदायिक केन्द्र परिसर विकसित किया जा रहा है। सरकार के अनुमोदन से मैसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. (ए पी आई एल) को 10.3.95 को नीलामी के पश्चात् जगह आबंटित की गई है ताकि हुडको द्वारा निर्मित कार पार्किंग बेसमेण्ट पर शापिंग आर्केड का निर्माण किया जा सके।

(ग) हुडको के अनुसार शिकमी पट्टा करार में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

फर्जी प्रमाणपत्रों/अंक तालिकाओं के आधार पर रेलवे में नौकरी

245. श्री माणिकराव होडल्या गावीत: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में इस प्रकार के कुछ मामले आए हैं कि गत तीन वर्षों के दौरान रेल कर्मचारियों के बच्चों को उच्च विद्यालयों तथा इंटरमीडिएट बोर्ड की फर्जी अंक तालिकाओं तथा प्रमाणपत्रों के आधार पर वर्ग तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों में रोजगार प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के व्यक्ति अभी भी कार्यरत हैं अथवा उन्हें रोजगार से निलंबित/निकाल दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखा दी जाएगी।

चेन्नई -मुंबई लाइन का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण

246. श्री ए.जी.एस. रामबाबू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चेन्नई-मुंबई लाइन पर ऐसे कौन - कौन से खंड हैं जिनका दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण किया गया है और किन-किन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया जाना बाकी है;

(ख) इस कार्य में विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) ब्यौरा निम्नानुसार है:

दोहरे खंड	विद्युतीकृत खंड
1. चेन्नई-रेणीगुंटा वरास्ता अरकोणम	1. मुम्बई-पुणे
2. रेणीगुटा-बालापल्ले	2. रेणीगुंटा-चेन्नई
3. भाकरापेटा-कुडूडापाड	
4. मुदुदानुरू-कोंडापुरम्	
5. रॉयलचेरुपू-गुंतकल वरास्ता गूटी	
6. मतमारी-रायचूर	
7. रायचूर-येरमारस	
8. कृष्णा-वाडी	
9. वाडी-गुलबर्गा	
10. दौंड-पुणे	
11. पुणे-मुम्बई	

वे खंड जिनका अभी दोहरीकरण किया जाना है	वे खंड जिनको अभी विद्युतीकृत किया जाना है
1. बालापल्ले-भाकरापेटा	1. पुणे-वाडी-गुंतकल
2. कुड्डापाड-मुदुदानूल	2. गुंतकल-रेणीगुंटा
3. कोंडापुरम-रायलचेरुव	
4. गुंतकल-मलमारी	
5. येरमारस-कृष्णा	
6. गुलबर्गा-भिगवण	
7. भिगवण-दौंड (दोहरीकरण प्रगति पर है)	

(ख) इसमें कोई देरी नहीं हुई है।

(ग) दौंड-भिगवण खंड का दोहरीकरण शुरू कर दिया गया है। गूटी-रेणिगुंटा खंड के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है तथा सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध हो जाने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा। रायचूर-गुंतकल खंड के दोहरीकरण की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और क्षेत्रीय रेलवे के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है। चेन्नई तथा मुम्बई के बीच शेष इकहरा लाइन खंडों पर उपलब्ध मौजूद क्षमता को यातायात की आवश्यकताएं अपेक्षित होंगी। इन खंडों का दोहरीकरण शुरू किया जाएगा।

पुणे-वाडी-गुंतकल खंड के विद्युतीकरण के लिए लागत एवं सभाव्यता सर्वेक्षण शुरू किया गया है। इस खंड के विद्युतीकरण के लिए अंतिम निर्णय सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर किया जाएगा। गुंतकल-रेणिगुंटा-खंड जो रेणिगुंटा/हॉसपेट विद्युतीकरण परियोजना का भाग है, संसाधनों की तंगी तथा अन्य अधिक घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण के लिए सापेक्ष प्राथमिकता के कारण, फिलहाल रोक दी गई है।

त्रिचुर-गुरवायूर रेल लाइन

247. **श्री एन एन कृष्णदास:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण रेलवे के अंतर्गत त्रिचुर-गुरवायूर रेल लाइन को ट्रंक लाइन से किस स्थान पर जोड़ा जायेगा; और

(ख) हाल ही में प्रस्तावित पट्टाम्बी से गुरवायूर अथवा कुट्टिपुरम-गुरवायूर रेल लाइन के सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) शोरनूर-मंगलोर दोहरीकरण परियोजना में मंगलौर और कुट्टीपुरम के बीच दोहरीकरण करने और कुट्टीपुरम से गुरुवायूर तक नई लाइन का निर्माण करने की परिकल्पना की गई थी। इसलिए यह कार्य दोहरीकरण परियोजना के रूप में स्वीकृत किया गया था। अब चूंकि इस रेलपथ को शोरूवण्णूर तक दोहरा करने का विनिश्चय किया गया है इसलिए यह लाइन एक नई लाइन परियोजना हो गई है। अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 1994 की सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन किया जा रहा है। उस स्थान जहां यह लाइन शोरुवण्णूर-मंगलोर मुख्य लाइन से जुड़ेगी, का विनिश्चय अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद किया जाएगा।

ऊर्जा स्रोतों के लिए विधान

248. **श्री मदन पाटिल:** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ऊर्जा स्रोतों के लिए एक विधान लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्तावित विधान लाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक पुनः स्थापित किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने देश की अक्षय ऊर्जा की व्यापक संभाव्यता का उपयोग करने की दृष्टि से एक विस्तृत अक्षय ऊर्जा नीति बनाने की कार्यावाही शुरू की है। पहले प्रयास के रूप में "अक्षय ऊर्जा नीति विवरण" का प्रारूप तैयार किया गया है। इस नीति पर अगली कार्रवाई सरकार के अनुमोदन के बाद की जाएगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा की गयी यात्रा

249. **श्री सुशील चन्द्र:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन केन्द्रीय मंत्रियों के क्या नाम हैं जिन्होंने जनवरी से अक्तूबर 1997 तक मंत्रालय/सरकारी संगठनों या किसी दूसरे संस्थानों के विमानों से हवाई यात्रा की थी और इन यात्राओं की तिथियां कौन-कौन सी थीं;

(ख) क्या मंत्रियों ने एक ही दिन और एक ही गन्तव्य पर पहुंचने के लिए अलग-अलग विमानों का प्रयोग किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इंडियन एयरलाइंस और दूसरे एयरलाइंस के अलावा विमानों के प्रयोग के संबंध में बनाये गये नियमों का ब्यौरा क्या है और क्या उनके द्वारा इन नियमों का पालन किया जा रहा है; और

(ङ) सरकार द्वारा 1997 से आज तक के दौरान की गयी यात्राओं पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

[अनुवाद]

जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर उपरिपुल का निर्माण

250. **डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर उपरिपुल का निर्माण कार्य दिसम्बर, 1997 तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जोगीघोपा से गुवाहाटी तक रेल लाइन 1998 के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नहीं छुड़ाये गये नौभार की नीलामी

251. **श्री सुरेश आर. यादव** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता विमानपत्तनों में नहीं छुड़ाये गये नौभार की नीलामी कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी नीलामी से अभी तक कितनी आय प्राप्त हुई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) जी, हां। मुम्बई तथा दिल्ली हवाई अड्डों पर नहीं छुड़ाए गए कार्गो की नीलामी पहले ही शुरू की जा चुकी है। चेन्नई तथा कलकत्ता में नीलामी संबंधी प्रक्रिया नवम्बर, 1997 के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगी। मुम्बई हवाई अड्डे से 8 नवम्बर, 1997 तक प्राप्त धनराशि 6,61,06,029/- रुपए है जबकि इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली से 1,39,05,016/- रुपए है।

डिब्रूगढ़ स्थित टेलीविजन टावर की ऊंचाई

252. **श्री केशब महन्त**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अधिक से अधिक लोगों को टेलीविजन देखने की सुविधा का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से डिब्रूगढ़ (असम) स्थित टेलीविजन टावर की ऊंचाई को बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) आवर्तिता आबंटन सम्बन्धी स्थायी सलाहकार समिति (एस.ए.सी.एफ.ए.) द्वारा ऊंचाई प्रतिबंध लगाने के कारण डिब्रूगढ़ में 10 कि.वा. उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर (उ.श.ट्रा) वाले प्रसारण एन्टेना को ऐसे उच्च शक्ति ट्रान्समीटरों के लिए निर्धारित 150 मी. की सामान्य ऊंचाई वाले टावर की तुलना में 75 मी. की ऊंचाई वाले टावर पर लगाया जाना था। इस मामले को आवर्तिता आबंटन सम्बन्धी स्थायी सलाहकार समिति के साथ दुबारा उठाया गया है तथा टावर की ऊंचाई में कोई भी बढ़ोत्तरी सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनापत्ति पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

राजस्थान के अजमेर में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर

253. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अजमेर, राजस्थान में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस संबंध में कार्य लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को कब तक शुरू और पूर्ण किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) अजमेर में तारागढ़ फोर्ट हिल पर एक उच्च शक्ति टी.वी. ट्रान्समीटर स्थापित करने सम्बन्धी स्कीम सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है और उपकरण भी प्राप्त किया गया था। उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थल तक पहुंच मार्ग न होने और इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड-कल्चर हैरिटेज (इन्टेक) द्वारा की गई आपत्तियों की वजह से इस स्कीम को पहले कार्यान्वित नहीं किया जा सका। पहुंच मार्ग को पूरा कर लिया गया है। स्थल पर कार्य पहले ही शुरू हो गया है। इस परियोजना के 2000-2001 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

उपनगरीय यात्री

254. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान, दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में मेट्रो-वार कुल कितने उपनगरीय यात्रियों ने यात्रा की;

(ख) दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में पृथकतः उपनगरीय खंड पर कितनी ई.एम.यू. रेलगाड़ियां चलती हैं;

(ग) उपरोक्त महानगरों के प्रत्येक खंड पर यात्रियों और ई. एम. यू. रेलगाड़ियों का अनुपात क्या है; और

(घ) प्रत्येक उपनगरीय खंड से कितनी निवल आय होती है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 1995-96 और 1996-97 में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में यात्रा करने वाले उप नगरीय यात्रियों की संख्या इस प्रकार है:

	प्रारंभिक यात्रियों की संख्या (मलियन में)	
	1995-96	1996-97
दिल्ली	2	2
मुंबई	1813	1892
कलकत्ता	470	476
चेन्नई	199	208

दिल्ली को औपचारिक रूप से 'उप नगरीय' घोषित नहीं किया गया तथापि, दिल्ली और आसपास के उप नगरीय जैसे यात्री यातायात के आंकड़ों को दिल्ली के सामने दर्शाया गया है।

(ख) रोजाना चलने वाली ईएमयू गाड़ियों की औसत संख्या:

दिल्ली	22
मुंबई	2035
कलकत्ता	863
चेन्नई	553

(ग) प्रत्येक ईएमयू गाड़ी में चलने वाले यात्रियों की औसत संख्या :

दिल्ली	278
मुंबई	2547
कलकत्ता	1510
चेन्नई	1032

(घ) उपनगरीय गाड़ियों के संबंध में कोई आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं अतः उनके पृथक वित्तीय परिणाम भी दर्शाए नहीं जा सकते हैं। तथापि, उपनगरीय सेवाओं के संबंध में संचालन व्यय आमदनी और अधिशेष का आकलन करने के लिए लागत-निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। वर्ष 1995-96 के लिए नवीनतम उपलब्ध मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में उपनगरीय रेलों के लिए आकलित कि.ग्रा. वित्तीय परिणाम दर्शाने वाले आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं।

	लाभ (+)/हानि (-)	(करोड़ मूल से)
मुंबई	(+)	82.23
कलकत्ता	(-)	259.31
चेन्नई	(-)	73.77

[हिन्दी]

दूरदर्शन द्वारा अर्जित आय

255. **श्री विजय गोयल:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न धारावाहिकों के प्रसारण से दूरदर्शन द्वारा कितनी आय अर्जित की गई;

(ख) किस धारावाहिक से अधिकतम आय प्राप्त की गई; और

(ग) कौन-कौन से धारावाहिक अभी तक मंजूरी के लिए लंबित हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) दूरदर्शन द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान धारावाहिकों सहित कार्यक्रमों के प्रसारण से 572.72 करोड़ रुपये की कुल राशि अर्जित की गई थी।

(ख) "श्री कृष्णा" श्रीमान्।

(ग) अनुमोदन के लिए लम्बित धारावाहिकों के नाम इस समय प्रस्तुत नहीं किए जा सकते क्योंकि वे प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। यह संख्या हजारों में है क्योंकि निर्माता दूरदर्शन की किसी मांग के संदर्भ के बिना अपने आप प्रस्ताव प्रस्तुत कर देते हैं।

[अनुवाद]

आकाशवाणी से खेलों तथा आखों देखा हाल का सीधा प्रसारण

256. **श्री आर. एल. पी. वर्मा:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच टोरंटो और पाकिस्तान में खेले गए मैचों का सीधा प्रसारण नहीं किया गया था;

(ख) क्या आकाशवाणी से आखों देखा हाल का भी प्रसारण नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार को कितने राजस्व का घाटा हुआ है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां। इन मैचों का सीधा प्रसारण नहीं किया जा सका क्योंकि दूरदर्शन के पास प्रसारण अधिकार उपलब्ध नहीं थे।

(ख) और (ग) आकाशवाणी ने पाकिस्तान में भारत तथा पाकिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट मैचों को कवर किया था तथा 28.9.97 और 2.10.97 के बीच राष्ट्रीय हुक अप पर कॉमेन्टरी

प्रसारित की थी। आकाशवाणी द्वारा भारत तथा पाकिस्तान के बीच टोरंटो में खेले गए क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण नहीं किया गया था किन्तु इसी दिन श्रोताओं के लाभार्थ 15 मि. का सार प्रसारित किया गया था। वित्तीय बाध्यताओं तथा तकनीकी समस्याओं के कारण टोरंटो में खेले गए मैचों को सीधे कवर नहीं किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद-सिंगापुर-कुआलालम्पुर के लिए एयर इंडिया की विमान सेवा

257. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया का विचार एक - दूसरे देश के पत्तनों पर हवाई जहाज उतारने के संबंध में पारस्परिक व्यवस्था के आधार पर हैदराबाद को सिंगापुर और कुआलालम्पुर से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उड़ानों के कब तक आरंभ होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार हैदराबाद से बड़ी संख्या में मुसलमान यात्रियों द्वारा खाड़ी देशों की यात्रा करने को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद को खाड़ी देशों से भी जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) एयर इंडिया की इस समय हैदराबाद से सिंगापुर/कुआलालम्पुर के लिए सीधी उड़ान आरंभ करने की कोई योजनाएं नहीं हैं। तथापि, हैदराबाद और बंगलौर/चेन्नई के बीच इंडियन एयरलाइन्स के वर्तमान प्रचालनों में सिंगापुर के लिए तत्कालिक सम्पर्क की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) हैदराबाद-कुवैत, जेद्दाह, मस्कट और शारजाह के साथ सीधी विमान सेवा से पहले ही जुड़ा हुआ है। हैदराबाद को मुम्बई होकर दुबई, रियाध, आबू धाबी, दोहा, देहरान और बेहरीन से भी विमान सेवा से जोड़ा जा चुका है। हैदराबाद से खाड़ी के लिए अधिक सीधी उड़ानों का अधिक प्रचालन यातायात संभाव्यता और विमान क्षमता की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

फिल्मों का स्तर

258. **श्री परसराम भारद्वाज:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह अवगत है कि जो फिल्में टी.वी. पर दिखाई जा रही हैं, वे उस स्तर की नहीं हैं जिन्हें परिवार के सभी सदस्य साथ-साथ बैठकर देख सकें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दूरदर्शन के जरिये हमारी संस्कृति के स्वरूप में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रैड्डी) : (क) और (ख) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाणित की गई फिल्मों को ही दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन फिल्मों को प्रसारित करने से पूर्व इनका पूर्वदर्शन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि ये फिल्में पारिवारिक दर्शन हेतु उपयुक्त हैं।

जहां तक विदेशी उपग्रह टी.वी. चैनलों पर फिल्मों के प्रसारण का संबंध है, वे इस देश के नियमों तथा विनियमों की परिधि में नहीं आते हैं क्योंकि इन्हें भारत के बाहर से अपलिंक किया जाता है। सरकार ने प्रसारण विधेयक संसद में पहले ही प्रस्तुत कर दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन चैनलों को परिधि में लाने का प्रावधान है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा खरीद

259. **श्री आई.डी. स्वामी:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या के.लो.नि. विभाग का विद्युत प्रभाग घटिया गुणवत्ता वाले विद्युत सामान की खरीद कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में नीति/मापदंड का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, सामान-वार, दर-वार, दिल्ली में के.लो.नि. विभाग के विद्युत प्रभाग द्वारा कौन-कौन से सामान की खरीद की गयी;

(घ) क्या के.लो.नि. विभाग ने डी.जी.एस.एंड डी. और विनिर्माताओं से सीधे खरीद की है;

(ङ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विनिर्माण-वार, प्रभाग-वार, माह-वार कौन-कौन सा और किस गुणवत्ता का सामान खरीदा गया; और

(च) क्या के.लो.नि. विभाग ने इस संबंध में सरकारी नीति/अनुदेशों का उल्लंघन किया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम जी. वैंकटरामन): (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में खरीद, सामान्यतया निम्नलिखित तीन स्रोतों से की जाती है :

(1) जो सामान पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के दर/ चालू ठेके के अन्तर्गत है, उसकी सीधी खरीद की जाती है।

(2) जो सामान रेट-कंट्रेक्ट खरीद की अर्न्तगत नहीं हैं, उसकी खरीद प्रतियोगी कोटेशन की जाती है।

(3) कुछ सामान की खरीद मौजूदा सरकारी निदेशों के अनुसार केन्द्रीय भंडार/सुपर बाजार से भी की जाती हैं।

(ग) ये ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

(घ) जी, हां, अपरिहार्य परिस्थितियों में।

(ङ) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

(च) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि सरकारी निर्देशों एवं अनुदेशों का उलंघन नहीं किया गया है।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

260. **श्री देवेन्द्र बहादुर राय:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वास्तविक तथा वित्तीय दृष्टि से राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ;

(ख) क्या सरकार कुशल ग्रामीण कारीगरों को बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु कोई प्रोत्साहन दे रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पारम्परिक रूप से प्रशिक्षित कारीगर अभी भी बेरोजगार हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरन नायडू) : (क) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख मजदूरी रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं- (1) जवाहर रोजगार योजना (2) सुनिश्चित रोजगार योजना (3) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं की वित्तीय तथा वास्तविक उपलब्धियां संलग्न विवरण I से VI में दी गई हैं।

(ख) से (ङ) ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब कारीगरों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे अपना निजी काम-धंधा शुरू कर सकें। ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किट की आपूर्ति योजना के अंतर्गत ग्रामीण कारीगरों को इस उद्देश्य के साथ 2,000 रुपए तक की अधिकतम वित्तीय सीमा तक के उन्नत किस्म के औजार किट प्रदान किए जाते हैं ताकि वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार तथा उत्पादन और आय में वृद्धि कर सकें और शहरी क्षेत्रों की ओर उनका पलायन कम हो। योजना के अंतर्गत 4,500 रुपए लागत तक के विद्युत चालित औजार किट के उपयोग की भी अनुमति है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण गरीब कारीगरों को भी आय सृजित करने वाली गतिविधियों के जरिए उन्हें स्वरोजगार प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए अपने उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के जरिए ऋण दिलाकर वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रत्येक सहायताप्राप्त परिवार को ऋण राशि के 25 से 50 प्रतिशत तक की सबसिडी भी दी जाती है। योजना में परिवर्तनशील निवेश की भी अनुमति है। उद्योग मंत्रालय भी एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसका नाम प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, जिसमें उद्योग, सेवा तथा व्यवसाय के जरिए अपना उद्यम स्थापित करने के लिए ग्रामीण युवाओं में से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार परियोजना लागत का 15 प्रतिशत की सबसिडी भी प्रदान करता है बशर्ते कि यह सबसिडी प्रति उद्यमी 75,000 रुपए से अधिक न हो। उपर्युक्त योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से औद्योगिक स्थलों, शैड, दुकान तथा बिजली कनेक्शन आदि प्रदान करने जैसी आवश्यक आधारभूत सहायता देने का भी अनुरोध किया गया है। पारम्परिक कुशल कारीगर, जोकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बेरोजगार हैं; की मानिटरिंग इस मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती है।

विवरण-I

वर्ष 1994-95, 1995-96 व 1996-97 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित और उपयोग किए गए संसाधन

(लाख रुपये में)

		1994-95		1995-96		1996-97	
क्र.सं	राज्य	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	33343.71	36264.38	39888.48	34556.90	17372.39	17488.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	322.51	222.22	329.58	357.12	178.30	198.33
3.	असम	8921.21	10386.94	10820.18	9583.33	5718.18	4543.21

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	70386.81	50731.49	78589.18	62281.95	34075.58	30563.53
5.	गोवा	348.46	372.24	356.09	363.47	192.65	236.26
6.	गुजरात	13635.36	14166.06	14754.11	12024.42	6376.25	6280.49
7.	हरियाणा	2389.61	2503.42	3398.28	3304.78	1531.81	1371.79
8.	हिमाचल प्रदेश	1107.26	1150.10	1149.09	1001.19	612.16	745.94
9.	जम्मू व कश्मीर	3103.75	3813.23	3381.00	2534.38	1243.93	994.37
10.	कर्नाटक	22911.44	23746.02	24422.41	24908.76	11665.34	12015.30
11.	केरल	6620.11	7234.60	8029.34	8888.24	4244.16	4458.15
12.	मध्य प्रदेश	49583.34	50503.16	51119.46	42377.25	22014.51	19724.06
13.	महाराष्ट्र	39760.18	36760.33	41658.79	39801.56	18937.55	18664.14
14.	मणिपुर	413.36	370.54	425.45	506.22	228.53	186.36
15.	मेघालय	483.68	407.31	496.31	200.28	267.40	365.90
16.	मिजोरम	203.75	336.38	208.04	284.56	112.65	138.26
17.	नगालैंड	518.46	410.70	526.28	264.07	286.64	485.57
18.	उड़ीसा	29128.18	25542.96	30642.94	28671.40	14093.11	14426.64
19.	पंजाब	1699.26	1673.48	1969.93	408.38	1089.39	705.63
20.	राजस्थान	18805.61	19909.03	20825.10	18204.39	9146.40	8766.70
21.	सिक्किम	188.76	189.21	341.93	618.83	104.36	167.26
22.	तमिलनाडु	27752.94	33982.35	32634.06	39415.70	15704.96	18040.02
23.	त्रिपुरा	536.90	1131.61	558.65	788.23	296.83	566.91
24.	उत्तर प्रदेश	74376.76	74606.88	87188.55	83562.16	42334.91	42123.49
25.	पश्चिम बंगाल	30410.53	29856.99	33287.71	30492.80	15569.34	12837.59
26.	अं. व नि.द्वीप समूह	152.70	161.26	154.18	161.26	84.41	54.95
27.	दा. व न. हवेली	82.89	91.41	83.92	33.18	45.81	49.75
28.	दमन व दीव	48.83	27.36	49.28	55.02	26.99	27.61
29.	लक्षद्वीप	76.55	80.27	76.70	40.86	42.32	49.22
30.	पांडिचेरी	149.47	121.21	151.86	199.85	82.64	121.96
	कुल	437492.38	426833.14	484969.77	446690.62	223679.48	216397.86

विवरण-II

वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्धारित वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

(लाख श्रम दिन)

		1994-95		1995-96		1996-97	
क्र.सं	राज्य	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1145.23	812.99	790.08	701.57	373.67	184.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.38	5.58	9.88	8.24	4.42	2.79
3.	असम	211.97	263.29	178.63	179.08	98.77	91.54
4.	बिहार	1340.30	986.88	1245.86	1197.03	489.25	460.02
5.	गोवा	7.84	6.45	7.94	8.38	4.39	5.30
6.	गुजरात	240.49	258.40	210.23	209.42	109.14	105.20
7.	हरियाणा	33.29	33.96	38.63	33.50	15.73	13.08
8.	हिमाचल प्रदेश	28.68	26.87	24.27	21.45	7.63	10.62
9.	जम्मू व कश्मीर	117.10	88.04	90.94	48.23	47.27	18.36
10.	कर्नाटक	513.65	499.67	491.56	524.89	255.74	250.94
11.	केरल	97.10	101.01	108.01	127.75	59.73	55.45
12.	मध्य प्रदेश	1015.23	1075.25	849.29	759.46	444.97	349.02
13.	महाराष्ट्र	1119.13	1100.73	910.75	1014.47	469.32	455.08
14.	मणिपुर	5.78	7.16	5.78	9.34	3.20	3.49
15.	मेघालय	7.82	8.50	7.88	4.86	4.35	6.96
16.	मिजोरम	4.08	5.72	4.15	5.20	2.29	2.46
17.	नागालैंड	11.51	8.47	11.82	5.76	6.54	11.65
18.	उड़ीसा	676.65	604.51	623.47	678.31	321.32	314.19
19.	पंजाब	25.39	24.36	28.25	6.44	15.62	7.85
20.	राजस्थान	497.35	545.58	300.89	361.72	162.92	168.12
21.	सिक्किम	6.19	7.03	5.38	9.27	1.49	2.63
22.	तमिलनाडु	815.47	1027.66	853.09	1069.75	406.90	488.60
23.	त्रिपुरा	13.19	29.02	12.40	18.43	6.35	10.38
24.	उत्तर प्रदेश	1298.55	1395.94	1320.54	1532.46	603.21	658.18
25.	पश्चिम बंगाल	613.39	580.82	433.38	414.75	221.86	178.53
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	2.46	2.59	2.26	2.59	1.25	0.82

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	दा. व न. हवेली	2.29	2.07	1.42	0.64	0.65	1.02
28.	दमन व दीव	1.48	0.55	1.55	1.11	0.85	0.50
29.	लक्षद्वीप	1.38	1.91	1.45	1.05	0.80	0.88
30.	पांडिचेरी	3.08	4.72	3.16	3.10	1.74	2.91
	कुल	9865.45	9517.07	8480.05	8958.25	4141.37	3861.42

विवरण-III

1994-95 से 1996-97 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि (अर्थात् खर्च)

(लाख रुपए में)

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	के दौरान उपलब्धि		
		1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	13787.18	42249.54	25509.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	862.81	1956.55	2054.94
3.	असम	4115.31	9822.98	8790.06
4.	बिहार	9639.54	12901.12	20868.18
5.	गोवा	-	-	-
6.	गुजरात	1809.97	5751.65	7570.86
7.	हरियाणा	2901.53	3814.72	2447.56
8.	हिमाचल प्रदेश	115.02	455.55	1061.14
9.	जम्मू व कश्मीर	2338.55	6715.49	5318.68
10.	कर्नाटक	8024.38	12144.91	14307.22
11.	केरल	1901.38	2241.90	2063.44
12.	मध्य प्रदेश	17959.01	22951.66	24229.95
13.	महाराष्ट्र	7617.01	10295.49	11876.27
14.	मणिपुर	1327.52	1337.11	1131.87
15.	मेघालय	65.88	499.80	368.40
16.	मिजोरम	2206.36	2023.87	1509.46
17.	नागालैंड	1124.87	1800.70	1143.18
18.	उड़ीसा	11655.94	13133.80	19772.34
19.	पंजाब	-	-	असूचित
20.	राजस्थान	10876.32	14770.06	12609.31
21.	सिक्किम	243.04	778.31	322.40

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	4409.34	7581.23	17014.19
23.	त्रिपुरा	2375.65	2085.78	1905.08
24.	उत्तर प्रदेश	8908.28	16731.98	19833.03
25.	पश्चिम बंगाल	9220.72	9929.18	11729.24
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	42.11	10.28	25.23
27.	दा. व न. हवेली	3.16	20.17	51.05
28.	दमन व दीव	3.46	13.05	0.98
29.	लक्षद्वीप	10.96	44.33	100.36
30.	पांडिचेरी	-	-	असूचित
	कुल	123545.28	172061.21	213620.28

एन. आर. - असूचित।

* सुनिश्चित रोजगार योजना एक मांग पर आधारित योजना है इसलिए इसके अन्तर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

विवरण-IV

1994-95 से 1996-97 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(लाख श्रम दिन)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	के दौरान सृजित श्रम दिन		
		1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	277.24	252.42	437.35
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.84	50.67	39.05
3.	असम	95.50	181.82	162.38
4.	बिहार	193.72	254.44	324.49
5.	गोवा	-	-	0.00
6.	गुजरात	35.26	92.45	122.98
7.	हरियाणा	34.64	52.11	24.10
8.	हिमाचल प्रदेश	3.20	6.86	11.78
9.	जम्मू व कश्मीर	59.85	129.96	91.64
10.	कर्नाटक	177.45	268.73	314.18
11.	केरल	27.64	32.47	28.76
12.	मध्य प्रदेश	363.78	388.02	379.22
13.	महाराष्ट्र	233.89	293.23	309.72
14.	मणिपुर	28.60	31.21	16.72

1	2	3	4	5
15.	मेघालय	1.39	8.30	5.90
16.	मिजोरम	41.71	40.91	32.26
17.	नागालैंड	28.81	49.00	30.74
18.	उड़ीसा	281.24	311.06	439.36
19.	पंजाब	-	-	एन. आर.
20.	राजस्थान	273.11	288.02	212.65
21.	सिक्किम	8.50	16.00	4.45
22.	तमिलनाडु	141.29	211.35	468.42
23.	त्रिपुरा	60.35	43.20	44.73
24.	उत्तर प्रदेश	165.63	318.23	319.94
25.	पश्चिम बंगाल	184.79	143.08	143.26
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	0.57	0.11	0.32
27.	दा. व न. हवेली	0.10	0.23	0.47
28.	दमन व दीव	0.12	0.36	0.02
29.	लक्षद्वीप	0.34	1.02	2.06
30.	पांडिचेरी	-	-	एन. आर.
	योग	2739.56	3465.27	3966.95

एन. आर. - असूचित।

* सुनिश्चित रोजगार योजना एक माग पर आधारित योजना है, इसलिए इसके अन्तर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

विवरण-V

1994-95 से 1996-97 तक के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय आवंटन एवं उपयोग

(लाख रुपए में)

क्र.सं	राज्य	1994-95		1995-96		1996-97	
		आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	8344.00	11287.12	8336.41	8624.01	8336.41	12810.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	623.00	562.92	623.48	581.56	62343	435.87
3.	असम	2747.00	3105.55	2743.50	3409.07	2743.50	2298.73
4.	बिहार	16232.00	8015.32	16218.24	10784.51	16218.24	13235.67
5.	गोवा	142.00	96.74	141.87	116.30	141.87	83.78
6.	गुजरात	3063.00	3265.37	3059.22	3077.68	3059.22	3026.53
7.	हरियाणा	736.00	351.32	735.33	1663.74	735.33	1111.65
8.	हिमाचल प्रदेश	240.00	376.81	230.78	412.28	239.78	510.96

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू व कश्मीर	1000.00	620.55	999.09	701.26	999.09	701.10
10.	कर्नाटक	5603.00	4354.35	5594.91	5574.60	5594.91	6083.14
11.	केरल	2038.00	2401.23	2036.15	2268.90	2036.15	2700.13
12.	मध्य प्रदेश	10573.00	10237.74	0565.39	11305.57	10565.39	13469.83
13.	महाराष्ट्र	9096.00	7577.01	9087.73	9837.30	9087.73	9406.32
14.	मणिपुर	450.00	315.82	449.59	312.64	449.59	416.30
15.	मेघालय	478.00	352.05	477.57	301.54	477.57	426.39
16.	मिजोरम	201.00	199.12	201.82	233.74	201.82	237.90
17.	नागालैंड	337.00	215.52	335.69	221.48	335.69	202.01
18.	उड़ीसा	6769.00	6034.80	6763.83	7266.29	6763.85	6972.15
19.	पंजाब	523.00	1125.75	521.53	731.71	521.53	547.32
20.	राजस्थान	4393.00	4626.81	4388.01	4730.24	4388.01	4102.25
21.	सिक्किम	56.00	42.19	55.95	179.25	55.95	130.16
22.	तमिलनाडु	7543.00	8418.21	7537.14	8515.03	7537.14	7086.52
23.	त्रिपुरा	643.00	1049.70	641.42	766.73	641.42	914.07
24.	उत्तर प्रदेश	20335.00	19335.12	20316.50	19266.98	20316.50	21456.55
25.	पश्चिम बंगाल	7478.00	5747.45	7472.20	6693.99	7472.20	5474.89
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	71.00	48.03	70.94	49.92	70.34	29.10
27.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-
28.	दा. व न. हवेली	15.00	14.70	14.99	13.68	14.99	10.71
29.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-
30.	दमन व दीव	28.00	4.92	27.97	16.67	27.97	14.79
31.	लक्षद्वीप	7.00	9.69	6.99	4.38	6.99	3.58
32.	पांडिचेरी	58.00	40.03	57.95	49.20	57.95	55.90
	अखिल भारत	109822.00	100831.66	109721.16	107716.20	109721.16	113954.49

विवरण-VI

1994-95 से 1996-97 तक के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धि

(लाभार्थी परिवारों की संख्या)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95		1995-96		1996-97	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	166884	150908		122863		203135
2.	अरुणाचल प्रदेश	12468	18764		14381		10625
3.	असम	54938	62584		59030		38087
4.	बिहार	324640	224736		265525		244764
5.	गोवा	2840	2192		1486		1982
6.	गुजरात	61262	72418		55686		47545
7.	हरियाणा	14715	28285		29771		17202
8.	हिमाचल प्रदेश	4796	7355		6606		7990
9.	जम्मू व कश्मीर	20000	13545		13189		11474
10.	कर्नाटक	112055	125810		119685		116900
11.	केरल	40767	46294	लक्ष्य निर्धारित नहीं	43357	लक्ष्य निर्धारित नहीं	48690
12.	मध्य प्रदेश	211466	210629		210692		168123
13.	महाराष्ट्र	181926	196677		181597		161018
14.	मणिपुर	8982	7658		6077		7256
15.	मेघालय	9567	6020		4534		6822
16.	मिजोरम	4027	3345		5085		3059
17.	नागालैंड	6737	2251		2531		2915
18.	उड़ीसा	135382	139837		120669		102741
19.	पंजाब	10464	22701		11786		7160
20.	राजस्थान	87857	107799		92818		70304
21.	सिक्किम	1120	1281		2843		2249
22.	तमिलनाडु	150860	201221		133895		13725
23.	त्रिपुरा	12856	21818		14657		157597
24.	उत्तर प्रदेश	325353	369725		355916		364552
25.	पश्चिम बंगाल	149552	159722		161724		110280
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	1421	1126		832		591

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	चंडीगढ़	–	–	लक्ष्य निर्धारित नहीं	–	लक्ष्य निर्धारित नहीं	–
28.	दा. व न. हवेली	300	302		274		168
29.	दिल्ली	–	–		–		–
30.	दमन व दीव	561	97		310		304
31.	लक्षद्वीप	140	100		18		30
32.	पांडिचेरी	1161	1221		1563		1293
	अखिल भारत	2115097	2215421		2089400		1923651

उड़ीसा में अपारंपरिक ऊर्जा

261. **श्री रनजीब बिसवाल:** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उड़ीसा पीछे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अपारंपरिक स्रोत से ऊर्जा के उत्पादन और विकास की भारी गुंजाइश है;

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में अपारंपरिक ऊर्जा के विकास करने की क्या योजना तैयार की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय उड़ीसा राज्य सहित देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। उड़ीसा राज्य और देश में स्थापित की गई विभिन्न प्रणालियों /युक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देशव्यापी आधार पर अनुमान लगाए गए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की मोटे तौर पर संभाव्यता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) आठवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत लक्ष्यों और उलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विभिम्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

उड़ीसा राज्य में तथा देश में 31 अक्तूबर, 1997 तक स्थापित की गई विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियां/युक्तियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	31.03.1997 तक की संचित उपलब्धियां	
		उड़ीसा में	देश में
1.	बायोगैस संयंत्र (संख्या)	1,32,297	25,38,992
2.	उन्नत चूल्हा (सं.)	13,54,000	2,28,43,000
3.	सौर ऊर्जा कार्यक्रम		
I.	सौर लालटेन (संख्या)	1967	1,31,190
II.	सड़क रोशनी प्रणालियां (सं.)	2068	31,527
III.	घरेलू रोशनी प्रणालियां (सं.)	256	52,330
IV.	सामुदायिक रोशनी / टी.वी प्रणालियां (संख्या)	58	875
V.	सौर विद्युत पैक (सं./क्षमता)	5 (33.91 केडब्ल्यूपी)	184(999 केडब्ल्यूपी)
4.	सौर कुकर	2530	4,35,940
5.	सौर तापीय प्रणालियां	2,459 वर्ग मीटर	3,80,000 वर्ग मीटर
6.	जल पंपिंग पवन मिल (स.)	322	3280
7.	लघु जल विद्युत परियोजनाएं (सं. / क्षमता)	3 (1.26 मेवा.)	210 (144.28 मे.वा)

विवरण-II

भारत में अनुमानित विभिन्न प्रकार के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की संभाव्यता

क्र.सं.	स्रोत/प्रणाली	सन्निकट संभाव्यता
1.	बायोगैस संयंत्र (सं.)	12 मिलियन
2.	उन्नत चूल्हा (सं.)	120 मिलियन
3.	बायोमास	17,000 मेवा
4.	सौर प्रकाशवोल्टीय	20 मेगावाट/वर्गमीटर
5.	सौर तापीय प्रणालियां	35 मेगावाट/वर्गमीटर
6.	पवन विद्युत	20,000 मेगावाट
7.	लघु जल विद्युत	10,000 मेगावाट
8.	शहरी और म्यूनिसिपल अपशिष्ट	1700 मेगावाट

विवरण-III

आठवीं योजना-लक्ष्य/उपलब्धियां

	लक्ष्य	उपलब्धियां
- बायोगैस संयंत्र (संख्या)	7.5 लाख	9.54 लाख
- सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र (संख्या)	450	1337
- उन्नत चूल्हा	100 लाख	131.77
- सौर कुकर	3 लाख	1.99 लाख
- सौर जल तापन प्रणालियां	2.75 लाख वर्गमीटर सौर तापीय वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र	1.80 लाख वर्गमी. सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र
- सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां	3 मेगावाट संमग्र क्षमता	6.11 मेवा. समग्र क्षमता
- पवन विद्युत	100 मेगावाट	860 मेगावाट
- लघु जल विद्युत	200 मेगावाट	63 मेगावाट
- बायोमास/बायोएनर्जी से विद्युत	300 मेगावाट	115 मेगावाट
- एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम	500 नए ब्लॉक	408 नए ब्लॉक

विवरण-IV

कार्यक्रमवार नौवीं योजना - वास्तविक लक्ष्य

क्र.सं.	कार्यक्रम/उप-कार्यक्रम	यूनिट	वास्तविक लक्ष्य
1	2	3	4
1.	पारिवारिक बायोगैस संयंत्र	लाख सं०	14.50
2.	सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी	संख्या	4000
3.	उन्नत चूल्हा	लाख सं०	250
4.	बायोमास स्टैंडएलोन		
	(क) गैसीफायर प्रणालियां	मेगावाट	50
	(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण	संख्या	200
5.	एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम (नए ब्लॉक)	संख्या	750
6.	ऊर्जाग्राम/ऊर्जा सर्वेक्षण	संख्या	125/500
7.	विशेष क्षेत्र प्रदर्शन	संख्या	400
8.	पशु ऊर्जा	संख्या (ब्लॉक)	750
	(क) सौर ऊर्जा		
9.	सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम		
	(क) एसपीवी सड़क रोशनी	संख्या	
	(ख) एसपीवी घरेलू रोशनी	लाख सं.	5
	(ग) एसपीवी लालटेन	लाख सं.	10
	(घ) एसपीवी विद्युत संयंत्र(लघु)	मेवापी	5
	(ङ) अन्य प्रणालियां	मेवापी	
10.	एसपीवी सिंचाई पम्प	संख्या	10,000
11.	सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम		
	(क) सौर जल तापन प्रणालियां	लाख वर्ग मी संग्राहक क्षेत्र	13.00
	(ख) सौर कुकर	लाख सं०	5
12.	पवन पंप और हाइब्रिड प्रणालियां		
	(क) पवन पंप	संख्या	15000
	(ख) पवन बैटरी चार्जर	किवा.	700
13.	पवन विद्युत	मेगावाट	2000
14.	लघु जल विद्युत	मेगावाट	400* (266)**
15.	बायोमास विद्युत	मेगावाट	500* (395)**
16.	सौर तापीय विद्युत	मेगावाट	150
17.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत	मेगावाट	10

1	2	3	4
18.	शहरी एवं औद्योगिक ऊर्जा परियोजना	मेगावाट	86
19.	भूतल परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन		
	(क) बैटरी चालित वाहन	संख्या	1000

* अनुमोदन ** कमीशनिंग

[हिन्दी]

बिहार में पवन और पन-बिजली का उत्पादन

262. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में केन्द्र सरकार द्वारा अथवा निजी भागीदारी के माध्यम से पवन और पन-बिजली के उत्पादन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी ऐसी योजनाओं को आरंभ करने का है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए कितनी परियोजनाएं शुरू की गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस वर्ष कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं अथवा की जानी हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, बिहार सहित सारे देश में अक्षय ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन को प्रोत्साहन दे रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा पवन एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना हेतु राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन जैसे-रियायती सीमा शुल्क, करावकाश, उत्पाद शुल्क राहत, पूंजीगत/ब्याज आर्थिक राज सहायता आदि दिए जाते हैं। बिहार में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना अभी केवल राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। राज्य से नौवीं योजना अवधि के दौरान अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाएं शुरू करने और निजी-भागीदारी को आकर्षित करने हेतु उपयुक्त नीति की घोषणा करने का अनुरोध किया गया है।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा राज्य में 1500 किवा समग्र क्षमता की आठ लघु जल विद्युत परियोजनाओं को सहायता दी गई है। इसके अलावा, लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु 45 व्यवहार्यता अध्ययनों के लिए भी सहायता की गई। यह राज्य यू एन डी पी / जी ई एफ से सहायता प्राप्त पहाड़ी जल विद्युत परियोजना में भी भागीदारी कर रहा है। इस वर्ष के दौरान पटना में सब्जी मंडी अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने की एक परियोजना (125 किवा.) भी शुरू की गई है।

[अनुवाद]

कन्नान्नौर स्थित विमानपत्तन

263. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में कन्नान्नौर में एक हवाई अड्डा बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव योजना आयोग के सम्मुख लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसकी अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना पर योजना आयोग द्वारा कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

अनधिकृत कब्जाधारियों पर बकाया राशि

264. **श्री सत्यपाल जैन:**
श्री प्रमोद महाजन:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पूर्व मंत्रियों, संसद सदस्यों और पूर्व संसद सदस्यों से कामन किराया, विद्युत, जल शुल्क आदि जैसे विभिन्न प्रभारों की कतिपय धनराशि की वसूली की जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन व्यक्तियों से उक्त राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस राशि की पूर्ण वसूली कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) जी, हां।

वसूल किये जाने वाले किराये के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

1. भूतपूर्व मंत्री : 97,80,080/- रुपये
2. संसद सदस्य : 29,33,213/- रुपये
3. भूतपूर्व संसद सदस्य : 1,22,48,156/- रुपये

बिजली एवं पानी के प्रभारों के संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही है और यह जानकारी सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ग) वसूलियां सशक्त रूप से प्राप्त की जा रही हैं। जिन मामलों में स्मरण-पत्र और नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी राशि प्राप्त नहीं हुई है, उनमें सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोग की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत वसूली कार्यवाही शुरू की गई हैं। चूंकि सरकारी बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित पैरामीटर के अन्दर की जानी है, इसलिए इस प्रकार की वसूलियों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

कोयले के वैगनों का गुम होना

265. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्माः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों और अप्रैल, 1995 से अगस्त, 1995 के बीच कोयले के कितने वैगन गुम हुए जिनके संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने दावे किए हैं;

(ख) इन कोयला वैगनों के गुम होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड को उनके दावों का भुगतान कब तक किया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों और अप्रैल से अगस्त, 95 के दौरान गुम हुए कोयले के वैगनों की संख्या, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा दावा दायर किया गया है, निम्नलिखित हैं:

अवधि	गुम हुए कोयले के वैगनों की संख्या
1992-93 से	30669
1994-95 तक	
अप्रैल से अगस्त, 95 तक	4676
कुल :	35345

(ख) किसी बिजली संयंत्र को बुक किए गए कोयले के रेक दुर्घटना, दरार, नागरिक अशांति अथवा भीड़-भाड़ आदि के कारण कुछ अपवादिक मामलों में मुख्यतः बिजली संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और किसी प्रकार की तंगी के कारण बिजली घर द्वारा माल डिब्बों की उतराई जल्दी न करने के कारण दूसरे बिजली संयंत्र को डायवर्ट कर दिए जाते हैं।

(ग) चूंकि रेलवे ने उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को उनके गुम हुए 35345 माल डिब्बों के बदले असंबद्ध 43896 कोयले के माल डिब्बों की आपूर्ति कर दी है इसलिए गुम हुए माल डिब्बों के लिए उनके दावों के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा/ग्रेटर नोएडा को रेल मार्ग से जोड़ना

266. **श्री अशोक प्रधानः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा को रेल मार्ग से जोड़ने संबंधी कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सर्वेक्षण रिपोर्ट पर तेजी से कार्यवाही के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सर्वेक्षण में शीघ्रता लाने के लिए रेलवे को कहा गया है।

[अनुवाद]

विमानपत्तन सुरक्षा बल

267. **श्री दिनेश चन्द्र यादवः**
श्री शिवानन्द एच. कौजलगीः

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विमानपत्तनों के लिए विमानपत्तन सुरक्षा बल के गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (घ) कुछ हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए एक अनन्य विमानन सुरक्षा संगठन की स्थापना संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

पक्षियों के विमान द्वारा टकराने की घटनाएं

268. **श्री देवी बक्स सिंहः**
श्री राधा मोहन सिंहः

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 1996 के दौरान तथा अक्तूबर, 1997 तक पक्षियों के विमान द्वारा टकराने की घटनाओं का क्या ब्यौरा है;

(ख) क्षतिग्रस्त विमानों की मरम्मत पर किए गए खर्च का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) भारतीय सिविल पंजीकृत विमानों के साथ वर्ष 1996 में पक्षी टकराव की 149 तथा वर्ष 1997 में (अक्तूबर तक) 117 घटनाएं हुई हैं।

(ख) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के विमानों की मरम्मत पर वर्ष 1996 के दौरान 8.92 करोड़ रु. तथा वर्ष 1997 (अक्तूबर माह तक) के दौरान 30.9 लाख रुपए व्यय हुए।

(ग) पक्षी टकराव रोकने तथा सुरक्षित हवाई यात्रा प्रदान करने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) पोलीथीन बैगों का इस्तेमाल करके कूड़े का उचित संग्रहण तथा निपटान। (2) कूड़े के ढेरों को ढककर रखना। (3) निर्दाहकों की संस्थापना। (4) खुले मैदान में अवैध रूप से पशुओं की खाल उतारे जाने की रोकथाम। (5) पशु कंकाल उपयोग केन्द्र की स्थापना। (6) आधुनिक बूचड़ खानों की स्थापना। (7) हवाई अड्डों के आस-पास से गंदी बस्ती, अनाधिकृत सुअर पालन तथा डेरी फार्मों को हटाना। (8) हवाई अड्डों के क्षेत्रों में जल-भराव रोकना। (9) हैंगरों का कबूतर विहीन करना। (10) विमानक्षेत्र के भीतर पक्षियों को दूर भगाना तथा मारना। (11) विमान यातायात नियंत्रकों द्वारा विमान पत्तनों को पक्षियों की उपस्थिति के बारे में सूचना देना। (12) विमानों के आगमन तथा प्रस्थान संबंधी क्रियाविधियों में संशोधन। (13) कूड़े के निपटान से संबंधित वायुयान नियमों का उल्लंघन करने के विषय में वायुयान अधिनियम में संशोधन कर उसे एक संज्ञेय अपराध घोषित करना। (14) हवाई अड्डों के भीतर तथा उनके आस-पास के क्षेत्रों का संबंधित प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से आवर्ती निरीक्षण करना।

[अनुवाद]

50 सीटों वाले विमानों की खरीद

269. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 50 सीटों वाले विमानों की खरीद करनी पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो किन कम्पनियों द्वारा ये विमान बेचे जा रहे हैं;

(ग) खरीदने के लिए प्रस्तावित 50 सीटों वाले विमानों की संख्या क्या है और प्रत्येक विमान की कीमत क्या है;

(घ) क्या इस सौदे को अंतिम रूप दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो ये विमान सरकार को कब तक उपलब्ध कराए जाएंगे?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस छह 50 सीटर टर्बप्राप विमानों को प्राप्त करने पर विचार कर रही है। कंपनियों के साथ-साथ विमानों के नाम जिन्हें सूची में शामिल किया गया है, निम्नानुसार हैं:

कम्पनी का नाम	विमान
1. एयरो इन्टरनेशनल (रीजनल) फ्रांस	एटीआर 42-500
2. बम्बार्डियर रीजनल एयरक्राफ्ट कनाडा	डैश 8-300
3. साब एयरक्राफ्ट इन्टरनेशनल लि. स्वीडन	साब-2000

वर्तमान प्रस्तावों के आधार पर प्रत्येक विमान की अनुमानित लागत लगभग 16 मिलियन अमरीकी डालर है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तीन विनिर्माताओं से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है/पर बातचीत की जा रही है।

[हिन्दी]

मीटर गेज पर नई रेलगाड़ी का चलाया जाना

270. **डॉ. सत्यनारायण जटिया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और अगस्त 1997 तक पश्चिम रेलवे में रतलाम रेलवे डिवीजन के अंतर्गत नीमच-माह रेल सेक्शन में मीटर रेल लाइन पर नई ट्रेन शुरू करते हुए रेल सेवाओं के विस्तार के मामले में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और 1997 तक पश्चिम रेलवे के अंतर्गत रतलाम डिवीजन को उपलब्ध कराये गए मीटर गेज लाइन और बड़ी लाइन के यात्री डिब्बे एवं रेलवे इंजनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में मीटर गेज लाइन की यात्री रेल सेवाओं के रखरखाव और विस्तार के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) 5.2.96 से नीमच-महूखंड पर 69/70 इंदौर-महू पैसेंजर शुरू की गई है।

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान रतलाम मंडल के लिए यात्री सेवाओं हेतु कोई अतिरिक्त रेल इंजन मुहैया नहीं कराया गया है। 1995 से अक्टूबर, 97 तक बड़ी लाइन के 91 अतिरिक्त सवारी डिब्बे रतलाम मंडल को मुहैया कराए गए थे।

(ग) आमान परिवर्तन कार्यों में प्रगति के साथ - साथ मी. ला. सवारी डिब्बों की आवश्यकता कम हो रही है परंतु उपलब्ध सवारी डिब्बों को अपेक्षित मानकों तक बनाए रखा जा रहा है। रेलों द्वारा सवारी डिब्बों की स्थिति सुधार के लिए शुरू

किए महत्वपूर्ण उपाय यथा रेलों का नवीकरण, उच्च दाब वाली जेट सफाई मशीनों की व्यवस्था, रेलों की गहन सफाई आदि मीटर लाइनों पर भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं। वन टाइम मेजर इनपुट की व्यवस्था करने के लिए 100 मी.ला. सवारी डिब्बों को सवारीडिब्बा नवीकरण योजना में शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किराए में रियायत

271. **श्री राधा मोहन सिंहः**
श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेलः

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ट नागरिकों, खिलाड़ियों और स्कूल अध्यापकों को यात्रा के दौरान आज की तारीख तक इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में किराये में दी जा रही रियायत का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : वरिष्ठ नागरिकों तथा खिलाड़ियों को इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान से यात्रा करने के लिए निम्नलिखित किराया-रियायतें मान्य हैं:

(1) उन सभी व्यक्तियों को 50 प्रतिशत की छूट जो अपनी यात्रा की शुरुआत की तारीख को 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। यह छूट इकानमी वर्ग को अगाती-कोचीन सेक्टर के अलावा इंडियन एयरलाइन्स की सभी अंतर्देशीय सेवाओं में उपलब्ध है।

(2) (क) एशियाड, ओलम्पिक/कौमनवेल्थ खेलों इत्यादि में स्वर्ण, रजत तथा कांसा पदक विजेताओं के लिए वर्ष में एक बार गृह शहर से राष्ट्रीय टूर्नामेंट स्थल तक निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था।

(ख) उन सभी भारतीय खिलाड़ियों तथा एथलिट्स हेतु जो भारत में होने वाले मान्यताप्राप्त विश्व चैम्पियनशिप में भाग लेते हैं, गृह शहर से खेल स्थल तक आने-जाने की निःशुल्क यात्रा।

(ग) सुश्री पी.टी. उषा तथा उसके कोच (प्रशिक्षु) हेतु गृह शहर से कोचिंग सेन्टर तक निःशुल्क यात्रा।

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के उन खिलाड़ियों को 25 प्रतिशत रियायत जो कलकत्ता/गुवाहाटी से पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी स्टेशन तक विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय खेलों में भाग ले रहे हों।

उड़ीसा में दूरदर्शन की परियोजनाओं का क्रियान्वयन

272. **श्री नवीन पटनायकः** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उड़ीसा में आठवीं योजना के दौरान दूरदर्शन द्वारा कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की गयी हैं;

(ख) इस योजनावधि में इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि का व्यय किया गया;

(ग) उड़ीसा में दूरदर्शन परियोजनाओं पर नौवीं योजना प्रस्ताव में कितना परिव्यय और अनुमानित व्यय है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) आठवी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य में 73.33 करोड़ रुपए की कुल पूजीगत लागत पर दो टी.वी. स्टुडियो केन्द्र, 1 उच्च शक्ति टी. वी. ट्रान्समीटर, 39 अल्प शक्ति टी.वी ट्रांसमीटर और 6 अति अल्प शक्ति टी.वी. ट्रान्समीटरों को सेवा के लिए चालू कर दिया गया है।

(ग) और (घ) नौवीं योजना में उड़ीसा के लिए दूरदर्शन परियोजनाओं का परिव्यय सक्षम प्राधिकारी द्वारा दूरदर्शन के नौवीं योजना प्रस्तावों के लिए अनुमोदित निधि की सीमा पर निर्भर करेगा।

धनराशि का उपयोग

273. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूर्वी रेलवे के अंतर्गत सी.डब्ल्यू. एम. लिलुआ वर्कशप द्वारा लिलुआ वर्कशप के नगर आपूर्ति विभाग और अस्पताल विभाग में धनराशि के उपयोग और उसके दुरुपयोग के बारे में बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नियंत्रण कक्ष सुविधा

274. **श्री चमन लाल गुप्तः** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में कितने विमानपत्तनों में "नियंत्रण कक्ष सुविधा" उपलब्ध है और इनमें से प्रत्येक की निर्माण लागत कितनी है;

(ख) सभी विमानपत्तनों में नियंत्रण कक्ष सुविधा न होने के क्या कारण हैं;

(ग) हवाई यातायात में नियंत्रण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेवार है; और

(घ) सरकार द्वारा आकाश में होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) और (ख) प्रचालनरत अंतर्देशीय और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर नियंत्रण टावर सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इन सुविधाओं को टर्मिनल भवन के एक भाग के रूप में प्रदान किया जाता है और इसलिए प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए अलग लागत बता पाना संभव नहीं है। तथापि, 49 करोड़ रुपए की लागत पर दिल्ली और मुम्बई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर नया नियंत्रण टावर व तकनीकी ब्लॉकों का निर्माण किया गया है जबकि 0.20 करोड़ रुपए से 2.65 करोड़ रुपए के बीच की लागत पर दीमापुर, तिरुपति, कारगिल, इंदौर, इंफाल और बड़ौदरा पर नये नियंत्रण टावरों का निर्माण किया गया है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल विमान यातायात पर नियंत्रण करता है जबकि रक्षा प्राधिकारी उनके द्वारा नियंत्रित हवाई अड्डों पर विमान यातायात सेवाएं प्रदान करते हैं।

(घ) नागर विमानन महानिदेशालय ने वे अपेक्षाएं तैयार की हैं जिन्हें नागर विमानन अपेक्षाओं के माध्यम से जारी किया गया है जो विमानों और मोड "एस" ट्रांसपांडरों पर एयरबोर्न कोलिजन एवोआईडेन्स प्रणाली के अनिवार्य संस्थापन के बारे में है। मध्य आकाश में अक्कर की सभावनाओं से बचने के लिए उठाये गए मुख्य कदम ये हैं: (1) विमान यातायात नियंत्रकों के व्यवसायिक ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, (2) विमान यातायात नियंत्रकों की स्वावधिक दक्षता जांच, (3) विमान यातायात नियंत्रकों के टेप ट्रांसक्रीपटों का मासिक यदा-कदा विश्लेषण जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विमान यातायात नियंत्रक विमानों को अनुदेश जारी करते समय मानक शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं तथा निर्धारित कार्यविधियों का अनुपालन करते हैं, (4) विमान यातायात नियंत्रण घटनाओं में अंतर्ग्रस्त विमान यातायात नियंत्रण अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई, (5) दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों पर विमान यातायात सेवाओं का आधुनिकीकरण, और (6) दिक्चालनात्मक संचार और अवतरण संबंधी सुविधाओं की उपयुक्त व्यवस्था।

[हिन्दी]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पट्टे पर देना

275. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी**: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि को पट्टे पर देने संबंधी किसी मामले को दर्ज किया है जिसके कारण राजस्व की बहुत बड़ी हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिनांक 19.2.97 को वर्ष 1992 के दौरान जुहू हवाई अड्डे पर हैंगर निर्माण हेतु मै. मेस्को एयरलाइंस को हैंगर संख्या 10 में जगह का आवंटन करने तथा 35,000 वर्ग फुट के भू-खंड को पट्टे पर देने संबंधी एक मामला रजिस्टर किया है। मामला सी बी आई की जांच-पड़ताल के अधीन है।

[अनुवाद]

गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्लेटफार्म का विस्तार

276. **श्री महावीर लाल विश्वकर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व रेलवे के अंतर्गत गिरिडीह रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म का विस्तार करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) उपरोक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) 1996-97 के दौरान 3.51 लाख रुपये की लागत पर गिरिडीह में प्लेटफार्म के विस्तार का कार्य शुरू किया गया था और अब पूरा हो गया है।

मध्य प्रदेश में भूकम्प

277. **श्री दादा बाबू परांजपे**:
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय:

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हुडको का विचार मध्य प्रदेश में वर्ष के मध्य में आए भूकम्प से प्रभावित व्यक्तियों को आवास हेतु ऋण उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इन योजनाओं के अंतर्गत कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया है; और

(घ) प्रदान किये गए ऋण की राशि सहित कितने व्यक्ति लाभान्वित हुये हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम जी. वेंकटरामन): (क) मई, 1997 में भूकम्प की वजह से जबलपुर में तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में पूर्णतः/आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 55,000 मकानों के पुनर्निर्माण तथा मरम्मत के लिए हुडको ने राज्य सरकार के परामर्श से नामित राज्य एजेंसियों को 114.00 करोड़ रु. की ऋण सहायता मुहैया कराने के लिए एक पैकेज तैयार किया है।

(ख) हुडको ने अब तक 5727 रिहायशी मकानों के पुनर्निर्माण तथा 12733 रिहायशी मकानों की मरम्मत के लिए 45.71 करोड़

रु. की ऋण सहायता मंजूर की है। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर 15.11.97 तक कार्यान्वयन राज्य एजेन्सियों को 6.43 करोड़ रु. जारी किए हैं।

(ग) और (घ) जैसा कि हुडको ने बताया है, 12.11.97 तक कार्यान्वयन एजेंजियों को कुल 3331 ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 660.00 लाख रु. की ऋण सहायता बावत 2451 आवेदनों को मंजूरी दी गई है और कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा 302.67 लाख रु. संवितरित किए गए हैं।

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

278. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रेल मार्गों के विद्युतीकरण के लिये कोई विस्तृत योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1997 के दौरान सरकार द्वारा रेलवे के कुल मौजूदा नेटवर्क में से कितनी प्रतिशत का विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस विद्युतीकरण के लिये कोई समयबद्ध योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये कितना वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) नौवीं योजना के दौरान 2300 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण करने की योजना बनाई गई है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो। 1997-98 के दौरान कुल मौजूदा रेल नेटवर्क के 0.8 प्रतिशत भाग का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है। नौवीं योजना के दौरान विद्युतीकरण करने के वार्षिक लक्ष्य की योजना इस प्रकार हैः

1997-98	500 कि. मी.
1998-99	450 कि. मी.
1999-2000	450 कि. मी.
2000-2001	450 कि. मी.
2001-2002	450 कि. मी.

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार

279. **श्री के.डी. सुल्तानपुरीः**
श्री गंगा चरण राजपूतः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तक चार माह के दौनान हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार के लिए तैयार की गई योजना क्या है;

(ख) क्या स्थापित किए गए टी.वी. टावर सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इन टी.वी. टावरों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) पिछले चार महीनों के दौरान हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन नेटवर्क के और विस्तार के लिए आशापुरी तथा नेहरी प्रत्येक में एक-एक अर्थात 2 अति अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटरों (अ.अ.श.ट्रा) की स्वीकृति दी गई है।

(ख) और (ग) जहाल्मा में स्थित अति अल्प शक्ति ट्रान्समीटर के अलावा हिमाचल प्रदेश में सभी मौजूदा टी.वी. ट्रान्समीटरों के संतोषजनक रूप से काम करने की सूचना प्राप्त हुई है। अति अल्प शक्ति ट्रान्समीटर, जहाल्मा का मरम्मत कार्य मार्ग अवरुद्ध होने और बर्फ गिरने के कारण फिलहाल रुका हुआ है।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में राठ में एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रान्समीटर (अ.श.ट्रा.) पहले ही कार्यान्वयनाधीन है।

महाराष्ट्र में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

280. **श्री बत्ता मेघेः** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनके लम्बित होने का क्या कारण हैं;

(ग) उपर्युक्त के संबंध में कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है;

(घ) राज्य में बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी परियोजनाओं को विदेशी एजेंसियों से वित्त प्राप्त हो रहा है;

(ङ) इस समय राज्य में क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पु येरननायडु): (क) बंजरभूमि विकास विभाग, ग्रामीण क्षेत्र और

रोजगार मंत्रालय में कोई बंजरभूमि विकास कार्यक्रम नहीं चल रहा है। तथापि, विभाग महाराष्ट्र राज्य में एक समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। नासिक और अहमदनगर जिलों के लिए समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना के अंतर्गत दो परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं। नासिक जिले में 1700 हैक्टेयर बंजरभूमि विकसित करने के वास्ते 156.73 लाख रुपये की कुल लागत से चार वर्षों की अवधि के लिए 1992-93 में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्वीकृत की गई थी। अहमदनगर जिले में 531 हैक्टेयर बंजरभूमि विकसित करने के लिए 42.03 लाख रुपये की कुल लागत से 3 वर्षों की अवधि के लिए 1994-95 में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्वीकृत की गई थी। नासिक जिले में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना पूरी हो चुकी है तथा अहमदनगर वाली समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना के 1997-98 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है। अहमदनगर जिले को छोड़कर राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना के तहत ऐसी कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र राज्य का समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना संबंधी कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए विभाग के पास लंबित नहीं है।

(घ) से (च) राज्य में विदेशी एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित ऐसी कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस का निजीकरण

281. **श्रीमती केतकी देवी सिंह:**
श्री पंकज चौधरी:
श्री आनन्द रत्न मौर्य:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (ग) एयर इंडिया लि. का नाम सरकार द्वारा भेजी गई 40 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की उस सूची में है जो उसने इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए व्यापक और दीर्घकालिक उपनिवेश संबंधी कार्यक्रम तैयार करने के संबंध में अनिवेश आयोग को भेजी थी।

इस समय, इंडियन एयरलाइंस में इक्विटी पूंजी का निवेश न करने का कोई प्रस्ताव नहीं है

[अनुवाद]

फिल्म उद्योग के लिए धन की व्यवस्था करना

282. **श्री कृष्ण लाल शर्मा:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई में हुई हाल की घटनाओं से फिल्म उद्योग और अपराध जगत के बीच सांठ-गांठ की पुष्टि हो गई है;

(ख) यदि हां, जो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश का फिल्म उद्योग अपराध जगत द्वारा उपलब्ध कराए गए धन पर निर्भर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार फिल्म उद्योग को धन प्रदान करने के लिए किसी अलग एजेंसी की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) केन्द्र सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन.एफ.डी.सी) की स्थापना अच्छे चलचित्रों का वित्त पोषण तथा प्रोत्साहित करने और भारतीय फिल्म उद्योग के सम्पूर्ण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, फिल्म उद्योग को फिल्म वित्तपोषण, फिल्मों के सह-निर्माण, दूरदर्शन के साथ सह-निर्माण और थिएटरों के लिए वित्त पोषण के रूप में रुपया लगाता है।

[हिन्दी]

"सेल" की स्थानीय शाखा को निजी कंपनी द्वारा ठगा जाना

283. **श्री बृज भूषण तिवारी:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को "सेल" की गाजियाबाद स्थित स्थानीय शाखा को किसी निजी कंपनी द्वारा ठग लिये जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला कितने रुपए का था और उक्त कंपनी द्वारा ऐसा करने के विरुद्ध तथा इस धनराशि की वसूली के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने इस्पात मंत्रालय को अपने एक ग्राहक जिसे इस्पात सामग्री सप्लाई की गई थी द्वारा हाल ही में गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) स्थित इसकी शाखा में 2 करोड़ रुपये की जाल साजी करने के बारे में सूचित किया है।

कम्पनी से सेल को देय राशि वसूलने के लिए सेल ने कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में स्थानीय पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करना, कम्पनी के विभिन्न निदेशकों द्वारा रखे गए सभी खातों को जब्त करने के लिए पुलिस के साथ संबंधित बैंक को सूचित करना, अस्वीकृत चैकों के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू करना और परिसम्पत्तियों आदि का निपटान करने के लिए कम्पनी, इसके एजेन्टों और कर्मचारियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए रोकादेश देने के लिए सिविल मुकदमा दायर करना शामिल है।

[अनुवाद]

साबरमती रेलवे स्टेशन का विकास

284. **श्री विजय पटेल:**
श्री दिलीप संघानी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर अधिक भीड़-भाड़ के मुद्दे की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिये साबरमती रेलवे स्टेशन का विकास करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की योजना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) इस समय अहमदाबाद स्टेशन पर कोई अत्यधिक भीड़-भाड़ नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यातायात के मौजूदास्तर को पूरा करने के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल संबंधी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

निःशुल्क रेल कूपनों की काला बाजारी

285. **श्री पंकज चौधरी:**
श्री राम सागर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों के निःशुल्क रेल कूपनों की घटना का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) *: (क) जी हां। 10.9.97 को राष्ट्रीय सहारा और 11.9.97 को दैनिक जागरण में* समाचार प्रकाशित हुआ था।

(ख) एक प्राइवेट व्यक्ति बिहार विधान सभा के वर्तमान/भूतपूर्व विधायकों के लिए रेल ट्रेवल कूपनों का एक्सचेंज करके थोक में रेल टिकट खरीद रहा था। वह व्यक्ति रियायती दरों पर रेल ट्रेवल टिकटें भी बेच रहा था।

(ग) जी हां, 30,000 रुपये मूल्य के रेल ट्रेवल कूपन को 15,000 रुपये के नकद भुगतान पर एक छद्मधारी को बेचते समय रंगे हाथ पकड़ा गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रेल सतर्कता के सहयोग से जाल बिछाया गया था।

(घ) और (ङ) केंद्रीय जांच द्वारा श्री राम कुमार नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया था।

(च) रेलवे को परिणाम की जानकारी नहीं है क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के चिकित्सा विंग

286. **श्री सनत मेहता : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया द्वारा विमान क्रू (फ्लाइंग क्रू) की परिचर्या हेतु "डाइटीशियन" की नियुक्ति की गई है और चिकित्सा विंग में जिमनेजियम फिजियोथिरेपी एकक स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) "डाइटीशियन" की नियुक्ति के लिये इन एयरलाइनों द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स के पास दिल्ली में दो जिमनेजियम हैं। उन्होंने किसी डाइटीशियन की नियुक्ति नहीं की है।

एअर इंडिया ने किसी जिमनेजियम की स्थापना नहीं की है तथापि, एयरलाइन ने मुम्बई में चिकित्सा विभाग में एक डाइटीशियन की नियुक्ति की है जो मुख्यालय से अधिक भार वाले कर्मीदल को डाइटिंग उपायों हेतु सलाह और मार्गदर्शन कराता है।

नई रेल परियोजनाएं

287. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह:
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय:
श्री सुन्दर लाल पटवा:
श्री डी. पी. यादव:
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री वी. धर्मभिक्षम:
श्री देवेन्द्र बहादुर राय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान आज तक बिछाई गई, दोहरी की गई तथा बड़ी लाइन में परिवर्तित की गई नई रेल लाइनों का और जिन रेल लाइनों के लिये सर्वेक्षण किया गया, उनका जोनवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन नई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिनके लिये चालू वर्ष में सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है;

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके परियोजनावार कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) इसके लिये परियोजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी चैनल द्वारा टी.वी. मीडिया उपग्रह कार्यक्रम

288. श्री मधुकर सरपोतदार:
श्री अनंत गंगाराम गीते:
श्री सुरेश प्रभु:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी चैनलों द्वारा भारत में भारत विरोधी टी.वी. मीडिया उपग्रह कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) सरकार ने पहले ही संसद में एक प्रसारण विधेयक प्रस्तुत कर दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रसारण संहिता सहित विदेशी उपग्रह चैनलों को विनियमित करने एवं उन्हें भारतीय कानूनों की परिधि में लाने का प्रस्ताव किया गया है। इस विधेयक को संसद की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया है।

[हिन्दी]

हरियाणा में आकाशवाणी स्टेशनों की संख्या

289. **डा. अरविन्द शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा में कार्यरत आकाशवाणी के केन्द्र किन-किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं और वे कब से कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं;

(ख) क्या हरियाणा की भौगोलिक संरचना और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए ये स्टेशन पर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो इन स्टेशनों से कितनी आबादी तथा कितने क्षेत्रों में प्रसारण सुना जाता है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में आकाशवाणी के कुछ और स्टेशन खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो ये स्टेशन किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) फिलहाल, हरियाणा में रोहतक तथा कुरुक्षेत्र में दो आकाशवाणी केन्द्र कार्यरत हैं। इन केन्द्रों से क्रमशः 8.5.76 तथा 24.6.91 से कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं।

(ख) से (ङ) इन दो केन्द्रों तथा दिल्ली चैनलों से पूरे हरियाणा राज्य में रेडियो कवरेज उपलब्ध होता है। इसलिए, रेडियो कवरेज की दृष्टि से मौजूदा केन्द्रों को क्षेत्र तथा जनसंख्या दोनों तरह से पर्याप्त समझा गया है। तथापि, हिसार में 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रान्समीटर बहुउद्देश्यीय स्टूडियो सहित एक स्थानीय रेडियो केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इस केन्द्र के दिसम्बर, 1997 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

आकाशवाणी का अनियमित कार्यकरण

290. **श्री पी. नामग्याल**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी के लेह स्टेशन की प्रसारण सेवायें अक्सर खराबी उत्पन्न होना एक आम बात हो गयी है;

(ख) क्या अधिकांश रिकार्डिंग तथा सुबाहों उपकरण आकाशवाणी के कारगिल स्टेशन भेज दिये गये हैं जिस कारण लेह स्टेशन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में और भी गिरावट आयी है;

(ग) क्या रेडियों के श्रोताओं ने लेह तथा दिल्ली स्थित आकाशवाणी के अधिकारियों से दूरदराज क्षेत्रों में प्रसारित कार्यक्रम की अस्पष्ट ध्वनि तथा उक्त स्टेशन से घटिया तथा अरुचिकर कार्यक्रमों के प्रसारण की शिकायतें कई बार की हैं; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस.जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विशाखापत्तनम-हैदराबाद और विशाखापत्तनम-चैन्नई-कलकत्ता के बीच उड़ानें

291. **डॉ. एम. जगन्नाथः** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए विशाखापत्तनम-हैदराबाद और विशाखापत्तनम - चैन्नई-कलकत्ता से प्रतिदिन उड़ान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) से (ग) वाणिज्यिक और प्रचालनात्मक कठिनाइयों के कारण इस समय इन मार्गों पर दैनिक सेवाओं का प्रचालन कर पाना संभव प्रतीत नहीं होता। तथापि, इंडियन एयरलाइंस की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुसंगी कंपनी, एलाइंस एयर, पहले ही, प्रति सप्ताह विज़ाग/चैन्नई/विज़ाग सेक्टर पर तीन उड़ानों का, हैदराबाद/विज़ाग/हैदराबाद सेक्टर पर प्रति सप्ताह छः उड़ानों का और विज़ाग/कलकत्ता/विज़ाग मार्ग पर प्रति सप्ताह तीन उड़ानों का प्रचालन कर रही है।

निजी विमान कम्पनियों के लिए मार्ग-निर्देश

292. **श्री विजय हाण्डिक** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार पुराने मार्गनिर्देशों के स्थान पर नए मार्गनिर्देश जारी करने का है जिसके अनुसार ट्रंक और अन्य लाभकारी मार्गों पर अपनी उड़ानें चला रही निजी विमान कंपनियों को एक अलाभकारी मार्ग भी चुनना होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सुदूर क्षेत्रों में जहां ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं इस निर्णय के प्रतिकूल प्रभावों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) तथापि, दूर-दराज, दूरस्थ तथा अगम्य क्षेत्रों यथा पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को हवाई मार्ग से जोड़ने वाले विमान प्रचालकों को छूट मुहैया कराने संबंधी विभिन्न सुझाव विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

पायलटों की कार्यावधि

293. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पायलटों और चालक दल के सदस्यों के लिये निर्धारित कार्य घंटे क्या हैं;

(ख) क्या सरकार उनके कार्य घंटे घटाना चाहती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) उड़ान कर्मीदल (कॉकपिट तथा केबिन कर्मीदल दोनों) के सदस्यों का प्रचालकों द्वारा इस ढंग से उपयोग किया जाना अपेक्षित है कि वे नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा यथा अधिसूचित उड़ान समय, उड़ान ड्यूटी समय सीमांकनों तथा विश्राम के घंटों में बढ़ोतरी न करें।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन नेटवर्क पर भारतीय फिल्म

294. **श्रीमती शीला गौतमः**
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेयः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनेक अंतर्राष्ट्रीय टी.वी. नेटवर्क्स भारतीय फिल्मों के प्रसारण अधिकार खरीदकर उन्हें प्रसारित कर रहे हैं और इस प्रकार दूरदर्शन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार दूरदर्शन द्वारा तैयार की गई कितनी फिल्मों तथा अन्य कार्यक्रम इन एजेंसियों को बेचे गए;

(ग) इससे प्राप्त विदेशी मुद्रा तथा भारतीय करेंसी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान फिल्मों तथा अन्य टी.वी. कार्यक्रमों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा/रुपये खर्च किये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) अन्तर्राष्ट्रीय टी.वी नेटवर्क अपने चैनलों पर प्रसारण हेतु निजी निर्माताओं तथा अधिकार-धारकों से भारतीय फिल्मों के अधिकार प्राप्त करते रहे हैं। दूरदर्शन भी अपने नेटवर्कों/चैनलों पर भारतीय फिल्में प्रसारित करता है।

(ख) भारत तथा विदेश में रह रहे और अधिक दर्शकों के लाभ हेतु इन प्रतिस्पर्धी चैनलों के लिए दूरदर्शन द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई थीः

1. 22 जुलाई, 96 को वित्त मंत्री का बजट भाषण।
2. 15 अगस्त, 96 को लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण।
3. 28 फरवरी, 97 को वित्त मंत्री का बजट भाषण।
4. 11 अप्रैल, 97 को संसद में विश्वास प्रस्ताव।
5. 14/15.8.97 को दूरदर्शन द्वारा प्रसारित भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ से संबंधित कार्यक्रम।
6. 13 सितम्बर, 97 को मदर टेरेसा का अंतिम संस्कार कार्यक्रम। इन सीधे प्रसारणों को उपलब्ध कराने हेतु दूरदर्शन द्वारा केवल सेवा प्रभार ही लिया गया था।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा टी.वी. चैनलों की उपरोक्त फीड्स प्रदान करने के माध्यम से 1.27 लाख अमरीकी डालर की राशि प्राप्ति की गई थी।

(घ) वर्ष 1996 तथा 1997 के दौरान 1.97 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा सहित 4.25 करोड़ रु. की रायल्टी राशि का विदेशी कार्यक्रमों के अधिकार प्राप्त करने के लिए भुगतान किया गया था।

नागर विमानन क्षेत्र के कार्यकरण

295. **श्री आनन्द रत्न मौर्य**: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार नागर विमानन क्षेत्र के कार्यकरण को सरल बनाने के लिए व्यापक विधेयक तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) इसे संसद में कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विधायन को संसद के सम्मुख लाने में कुछ और समय लगेगा। इस स्थिति में कोई निश्चित समय-अनुसूची नहीं बताई जा सकती।

उत्तर प्रदेश की आवासीय योजना के लिए सहायता

296. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ आवास निर्माण योजनाएं अनुमोदन और वित्तीय सहायता हेतु भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इनमें से प्रत्येक योजना के लिए कितनी सहायता राशि दिए जाने की सम्भावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) 31.10.97 तक आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हुडको) ने 981.39 करोड़ रुपए की ऋण सहायता के साथ 993 आवास योजनाएँ स्वीकृत की हैं। ये परियोजनाएं पूरी होने पर 5.98 लाख से अधिक रिहायशी इकाइयां, 0.87 लाख उन्नत की गई इकाइयां तथा 0.55 लाख विकसित प्लाट उपलब्ध कराएंगी।

इसके अलावा 31.59 करोड़ रुपए की ऋण सहायता वाली 15 आवास योजनाएँ प्रक्रियाधीन हैं। इन योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) अनुलग्नक के क्रम संख्या 8,10,11 तथा 12 की योजनाएँ कार्यान्वयन अभिकरणों को कुछ स्पष्टीकरण के लिए वापस भेजी जानी हैं। शेष योजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं से संबंधित मानदंडों के अनुसार तथा निधियाँ उपलब्ध होने पर ऋण सहायता स्वीकृत की जाएगी।

विवरण

हुडको में प्रक्रियाधीन आवास योजनाएँ 31.10.97 तक

क्र.सं	राज्य अभिकरण	योजना का नाम	ऋण राशि
1	2	3	4
	उत्तर प्रदेश		(रु. लाख में)
1.	इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	मनी, इलाहाबाद में 400 ईडब्ल्यूएस	100.48
2.	इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	शांतिपुरम इलाहाबाद में 595 ईडब्ल्यूएस	149.50

1	2	3	4
3.	इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	मीन सराय इलाहाबाद में 306 ईडब्ल्यूएस	94.55
4.	इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	उगारपुर सीवा इलाहाबाद में 350 ईडब्ल्यूएस	108.14
5.	इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	कालिंदीपुरम इलाहाबाद में 504 ईडब्ल्यूएस	155.72
6.	इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	देवप्रयाग इलाहाबाद में 336 ईडब्ल्यूएस	88.40
7.	आगरा विकास प्राधिकरण	कालिंदी विहार आगरा फिरोजाबाद रोड अगरा के लिए 1050 ईडब्ल्यूएस	262.50
8.	आगरा विकास प्राधिकरण	शास्त्रीपुरम् आगरा में 3000 ईडब्ल्यूएस इकाइयां	750.00
9.	बरेली विकास प्राधिकरण	राम गंगा नगर बरेली में 40 एलआईजी एचएसजी स्कीम	28.80
10.	बरेली विकास प्राधिकरण	पार्थपुर चौधरी बरेली में 380 ईडब्ल्यूएस	109.46
11.	एल्डको हाउसिंग एण्ड कंस्ट्रक्सन प्रा.लि.	उद्यान रक्षा खंड रायबरेली रोड पर 141 मकानों का निर्माण	186.55
12.	एल्डको हाउसिंग एण्ड कंस्ट्रक्सन प्रा.लि.	उद्यान - 2, सैक्टर - 3 रायबरेली में 232 मकानों का निर्माण	300.00
13.	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए 100 ईडब्ल्यूएस इकाइयाँ	25.00
14.	मालविका स्टील जगदीशपुर	मालविका स्टील जगदीशपुर उत्तर प्रदेश के लिए कर्मचारी आवास	700.00
15.	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	आवंतिका मुरादाबाद में कंप हाउसिंग स्कीम (55 + 45)	100.00
		रुपये	3159.10

इलाहाबाद रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले

297. **श्री इलियास आजमीः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद के अध्यक्ष के खिलाफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जानकारी है;

(ख) क्या इलाहाबाद भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रोजगार प्राप्तकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से पैसा मांगने संबंधी मामलों में शामिल हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) रेल भर्ती बोर्ड में कदाचारों के संबंध में समाचार पत्र की कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद को सेवा से हटा दिया गया है।

सरकारी आवासों में अनधिकृत कब्जाधारी

298. **डा. बलिरामः** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने "जी" पांइट, गोल डाकखाना, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों में अनधिकृत कब्जाधारकों का पता लगा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनधिकृत कब्जाधारकों के निष्कासन के लिस सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विदेशी चार्टर उड़ानें

299. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डीः**
लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठीः
श्री अन्ना साहिब एम. के. पाटिलः

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि और अधिक विदेशी चार्टर उड़ानों को नियमित आधार पर देश में उतरने की अनुमति

दी जायगी यद्यपि पड़ोसी देशों को घरेलू विमान कम्पनियों की चार्टर उड़ानों की योजनाओं की समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान समय में देश में कौन-कौन सी विदेशी चार्टर उड़ानें चलाई जा रही हैं;

(घ) देश में इन विदेशी चार्टर्ड उड़ान प्रचालकों पर लगाए जाने वाले नियंत्रण और पर्यवेक्षण क्या हैं; और

(ङ) घरेलू विमान कम्पनियों द्वारा पड़ोसी देशों को चार्टर्ड उड़ानें चलाने के लिए क्या योजनाएं हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) कतिपय निबंधन और शर्तों के अध्यधीन भारत के लिए, विदेशी पर्यटक चार्टर उड़ानें और कारगो उड़ानों को प्रचालन करने की अनुमति दी जाती है। नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अधिसूचित मार्गदर्शी-सिद्धांतों के अध्यधीन, भारतीय निजी प्रचालकों को भी गैर-अनुसूचित आधार पर, अन्तरराष्ट्रीय मालवाही सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति दी जाती है। भारत में पर्यटन प्रोत्साहन की दृष्टि से, अन्य देशों की पर्यटक चार्टर उड़ानों को प्रचालन की इस उद्देश्य से अनुमति दी जाती है जिससे भारत में पर्यटन के अवसर बढ़ सकें और इसलिए अनुमति दी जाती है कि वे मुख्यतः विदेशी पर्यटकों को ही देश में लाएं। भारतीय अंतर्देशीय वाहकों को भारत से विदेशों गंतव्यों के लिए चार्टर उड़ानें प्रचालित करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ग) चार्टर उड़ानें गैर-अनुसूचित उड़ानें होती हैं और इसलिए इसके प्रचालन समय-समय पर भिन्न-भिन्न होते हैं।

(घ) चार्टर उड़ानों के प्रचालन, नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अधिसूचित संरक्षा और सुरक्षा कार्यविधियों के अध्यधीन होते हैं।

(ङ) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

देश में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना

300. **डा. जी. आर. सरोदे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने दूरदर्शन रिले केन्द्र निर्माणाधीन हैं तथा इनके कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ख) क्या महाराष्ट्र के जलगाँव तथा धूले जिलों में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) वर्तमान में देश में भिन्न-भिन्न शक्तियों के 337 ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं। परियोजनाओं की प्रकृति पर निर्भर करते हुए कार्य के शुरू होने से इन परियोजनाओं को पूरा करने में 2-4 वर्ष के बीच सामान्य समय लगता है।

(ख) और (ग) हालांकि वर्तमान में जलगाँव जिले में रावर में एक अल्प शक्ति टी.वी ट्रांसमीटर, धुले जिले में धाड़गांव में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और पिम्पलनेर-सकरी में एक अति अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन है तथापि मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर जलगांव में एक उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर परियोजना भी स्थापित किए जाने का विचार है जो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा स्कीम के अनुमोदन, संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के अधीन है।

[अनुवाद]

सीपीडब्ल्यूडी (एम डिवीजन सरकारी आवास)

301. **श्री मंगल राम प्रेमी**: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी पी डब्ल्यू डी, नई दिल्ली के एम डिवीजन के आवासों में रिसाव पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मकानों की संख्या कितनी है और इस संबंध में पहले ही कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) रिसाव को ठीक करने के लिए अब क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या इन मकानों में सफेदी कराये जाने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी आवासों में रहने वाले आवंटियों को प्रभावी और संतोषजनक सेवा उपलब्ध हेतु सी पी डब्ल्यू डी के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टि.जि. वेंकटरामन): (क) से (ग) जी, हां। ''एम'' डिवीजन में प्राप्त जल रिसाव की शिकायतें 93 क्वार्टरों के बारे में थी। ''एम'' डिवीजन के कुछ क्वार्टरों में जल रिसाव की रोक के लिये मरम्मत कर दी गई है। शेष क्वार्टरों में रोकथाम मरम्मत का कार्य धन उपलब्ध होने पर किया जाएगा।

(घ) जी, हां। सफेदी सामान्यतः दो साल में एक बार की जाती है लेकिन नये आबंटिती के आने पर, किराएदारी परिवर्तन तथा

विवाह आदि विशेष अवसरों पर आवंटितियों के अनुरोध पर भी सफेदी की जाती है।

(ङ) के.लो.नि.वि. ने बताया है कि आवंटितियों की शिकायतें दूर करने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं लेकिन कभी-कभी धन उपलब्ध न होने पर ऐसा करना संभव नहीं हो पाता।

रेलवे द्वारा देय बकाया राशि

302. **श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे से मध्य, पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण पूर्व रेलवे में प्रचालित प्रावधानों के अनुसार राज्य पुलिस बल की तैनाती के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को 15.66 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या इस बकाया राशि का भुगतान 1979-80 से लंबित है;

(ग) क्या बकाया राशि के भुगतान में असाधारण विलंब से रेलवे स्टेशनों पर राज्य पुलिस बल की तैनाती प्रभावित होगी;

(घ) सरकार का विचार इस बकाया राशि का जनहित में कब तक भुगतान कर दिए जाने का है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ अन्य राज्यों को दिए जाने हेतु राज्यवार कितनी राशि बकाया है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 31.3.97 को मध्य, पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व रेलों पर राज्य पुलिस बल की तैनाती के लिए महाराष्ट्र सरकार को 15.66 करोड़ रुपए की बकाया राशि देय थी।

बहरहाल, 31.10.97 को बकाया इस प्रकार है :

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

मध्य रेल	5.15
पश्चिम रेल	5.04
दक्षिण पूर्व रेल	0.61
दक्षिण मध्य रेल	1.44 (*)
	12.24

(*) दावे ए जी के प्रमाण पत्र के साथ प्राप्त नहीं हुए।

(ख) मध्य रेलवे को छोड़कर 1979-80 से कोई बिल बकाया नहीं है।

(ग) जी नहीं। बकाया के भुगतान में विलम्ब मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुआ है:

(1) राज्य सरकार द्वारा आडिट सर्टिफिकेट प्रस्तुत न किया जाना।

(2) रेल प्रशासन के अनुमोदन के बिना राज्य सरकार द्वारा रा.रे.पु. पोस्टों का एकतरफा सृजन।

(3) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण राज्य पुलिस रेलों पर रा.रे.पु. तैनात करती है। किसी भी कारण से बकाया के भुगतान में विलम्ब के कारण राज्य पुलिस की तैनाती प्रभावित नहीं होती क्योंकि प्रत्येक राज्य सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र में संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति करनी होती है। इसी दौरान राज्य सरकार को संबंधित क्षेत्रीय रेल के साथ बकाया के भुगतान में विलम्ब के कारणों का भी समाधान करना है।

(घ) मार्च 1998 तक सभी अनुज्ञेय दावों को निपटाने के प्रयास जारी हैं।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

31.10.97 को रा.रे.पु. के बकायों की राज्यवार स्थिति

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

राज्य	31.10.97 को बकाया
आन्ध्र प्रदेश	1.40
बिहार	8.37
गुजरात	5.88
कर्नाटक	5.52
केरल	4.97
महाराष्ट्र	12.24
मध्य प्रदेश	6.09
उड़ीसा	1.25
राजस्थान	0.67
तमिलनाडु	7.68
उत्तर प्रदेश	4.32
पश्चिम बंगाल	1.54
जोड़	59.93

पश्चिम बंगाल स्थित बलरामपुर और बागमंडी में अल्प-शक्ति वाले ट्रांसमीटर चालू करना

303. श्री बीर सिंह महतो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बलरामपुर और बागमंडी में अल्प-शक्ति वाले ट्रांसमीटर (एल.जी.पी.) शीघ्र चालू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में बलरामपुर में अल्प-शक्ति टी.वी.ट्रांसमीटर और बागमण्डी में एक अति अल्प शक्ति टी.वी. ट्रान्समीटर फिलहाल कार्यान्वयनाधीन है और 1998-99 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है बशर्ते संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं की उपलब्धता हो।

[हिन्दी]

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

304. डा. राम विलास वेदान्ती:
श्री सोहन वीर सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग (उत्तर प्रदेश) तक रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है और कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) 10 लाख रुपये की लागत पर स्वीकृत देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग के रास्ते ऋषिकेश कर्णप्रयाग तक नई बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है। अभी तक इस सर्वेक्षण पर 3 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

[अनुवाद]

राजकोट विमानपत्तन का रनवे

305. डा. वल्लभ भाई कठीरिया: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट विमानपत्तन पर रनवे को बड़ा करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि एअरबस 320-ए को वहां उतारा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए पुरस्कार

306. श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अक्तूबर, 1997 के इंडियन एक्सप्रेस में "नीड ए कैश अवार्ड 9 बी नाइस टू राम विलास पासवान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए कर्मचारियों को पुरस्कार देने की सरकार की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जारी की गई है तथा क्या उक्त धनराशि आवंटित धनराशि से कई गुणा अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) जिन कर्मचारियों को यह धनराशि दी गई थी उनका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुल्का समिति की सिफारिशें

307. श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुरेश आर. जाधव:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु यातायात नियंत्रकों के लिए वेतन वृद्धि तथा इसमें संशोधन संबंधी गुल्का समिति की सिफारिशें लागू कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब से लागू कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) से (ग) विभिन्न मांगों के सौहार्दपूर्ण हल के लिए विमान यातायात नियंत्रक गिल्ड के साथ बातचीत की जा रही है।

भूंटर विमानपत्तन

308. श्री सत महाजन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के भूंटर (कुल्लू) विमानपत्तन पर कुल्लू, मनाली, मणीकर्ण, बर्सकुन्ड तथा घाटी में और इसके आस पास के अन्य महत्वपूर्ण पर्वतीय केन्द्रों पर भारी संख्या में जाने वाले पर्यटकों के लिए सभी उचित सुविधा उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विमानपत्तन के विस्तार किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूर किए जाने तथा विमानपत्तन का विस्तार कार्य शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) भुंटर हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का है और यहां हवाई अड्डा इन्फ्रास्ट्रक्चर 20 सीटों वाले विमानों के प्रचालनों के लिए उपयुक्त है और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यह केवल साफ मौसम के दौरान प्रचालनों के लिए ही उपयुक्त है।

(ख) जी, हां। राज्य सरकार के अनुरोध पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 50 सीटों वाले विमानों के लिए प्रचालन के लिए भुंटर हवाई अड्डे के स्तरोन्नयन की योजना बना रहा है, जिसके लिए एक नये टर्मिनल भवन का निर्माण और धावनपथ का विस्तार किया जाना आवश्यक होगा। लगभग 17 एकड़ अतिरिक्त भूमि के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। हवाई अड्डा प्रचालनात्मक क्षेत्र के भूमि-कटाव को रोकने के लिए ब्यास नदी के साथ एक बांध और धारक दीवार का निर्माण-कार्य पहले ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आरंभ करवाया जा चुका है।

(ग) और (घ) हवाई अड्डे के विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि की उपलब्धता की पुष्टि कर दिये जाने के बाद ही हवाई अड्डे के स्तरोन्नयन के लिए समय-सीमा संबंधी निर्णय लिया जाएगा।

रेल परियोजनाएं

309. श्री पी.सी. थामस: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1997-98 के बजट में घोषित कार्यान्वित की जाने वाली कुछ रेल परियोजनाओं को स्वीकृति देने से इंकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी नहीं। आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने परियोजना के अनुमोदन पर विचार करने से पूर्व आगामी परियोजनाओं तथा उनकी प्राथमिकताओं सहित चालू परियोजना पर एक विस्तृत नोट की वांछा की है।

भ्रष्टाचार के मामले

310. डा. मुरली मनोहर जोशी: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के सतर्कता विभाग द्वारा 1995-96 के दौरान कितने भ्रष्टाचार, बेईमानी और सिविल अधिकारियों की आय से अधिक संपत्तियों के मामलों की जांच-पड़ताल की गयी;

(ख) उक्त मामलों में कितने अधिकारी (श्रेणी-वार) संलिप्त हैं;

(ग) 1995-96 के दौरान भ्रष्टाचार और बेईमानी के बारे में कितनी शिकायतों को प्राप्त किया गया और उन पर क्या कार्रवाई की गयी;

(घ) क्या सतर्कता विभाग उन कर्मचारियों के खिलाफ स्वतः ही कार्यवाही आरम्भ करता है जिन पर बेईमान और भ्रष्ट होने का शक होता है; और

(ङ) क्या मंत्रालय ने अपने नियंत्रणाधीन सतर्कता अनुभाग की शक्तियों के प्रयोग की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) मंत्रालय के सतर्कता अनुभाग द्वारा मंत्रालय में कार्यरत किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध किसी मामले की जांच नहीं की गई।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1995-96 के दौरान मंत्रालय में कार्यरत किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार या बेईमानी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(घ) मंत्रालय का सतर्कता अनुभाग प्रक्रिया के अनुसार यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो जिन कर्मचारियों पर बेईमान और भ्रष्ट होने का सन्देह होता है उनके विरुद्ध अपनी ओर से कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है।

(ङ) इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न संगठनों में सतर्कता के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा की जा रही है। चालू वर्ष के दौरान इस तरह की तीन समीक्षाएं की गई हैं।

दिल्ली-कराची मार्ग

311. **श्री अजमीरा चन्दूलाल:**
श्री के.पी. नायडू:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायु यातायात नियंत्रकों ने यह कहा है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दिल्ली कराची वायु मार्ग का विभाजन वायु सुरक्षा की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण तथा खतरनाक है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) जी, हां। विमान यातायात नियंत्रक गिल्ड ने दो भागों में विभाजित मार्ग के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया था। इस प्रकार का दो भागों में विभाजन न तो दोषपूर्ण था और न ही यह उड़ान संरक्षा की दृष्टि से खतरनाक ही था। तथापि, मामले को कुछ सीमान्त रिएलायनमेंट द्वारा निपटा लिया गया है।

राजस्थान में मरुभूमि विकास कार्यक्रम

312. **कर्नल सोना राम चौधरी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में वृक्षारोपण के माध्यम से रेगिस्तान के और फैलाव को रोकने के लिए वर्ष 1977-78 के दौरान मरुभूमि विकास कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी;

(ख) क्या राज्य सरकार और वन विभाग ने इस संबंध में कोई परियोजना तैयार नहीं की और केन्द्र सरकार ने इस परियोजना को रोक दिया था और 1995-96 के दौरान झाड़ी कलस्टर विकास परियोजना शुरू की थी;

(ग) क्या जापान सरकार की वित्तीय सहायता से चलाई जा रही अरावली वृक्षारोपण परियोजना को राज्य में अभी तक शुरू नहीं किया है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार रेगिस्तानी जिलों को धन देने पर विचार कर रही है ताकि रेगिस्तान को बढ़ने से रोका जा सके और राज्य में प्राथमिकता आधार पर वृक्षारोपण किया जा सके?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू): (क) जी, हां। भारत सरकार ने वाटरशैड विकास के लिए राजस्थान में मरुभूमि विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी है जिसमें पौधरोपण भी शामिल है।

(ख) राजस्थान राज्य में मरुभूमि विकास कार्यक्रम को रोका नहीं गया है।

(ग) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि अरावली पौधरोपण परियोजना सीकर, झुंझनू, नागौर और पाली के मरुस्थलीय जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए भारत सरकार राज्य के पहचान किए गए जिलों को नियमित रूप से अनुदान रिलीज करती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य को इस उद्देश्य हेतु लगभग 24 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं।

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाओं की समीक्षा

313. **श्री संदीपान थोरात** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में 1996-97 के दौरान शुरू की गई बड़ी रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान परियोजना संबंधी ब्यौरा तथा इन परियोजनाओं के लिए किया गया आवंटन क्या है;

(ग) क्या समय पर काम पूरा करने के लिए दिया गया धन बहुत ही कम पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप लागत और समय में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो मांगे गये अतिरिक्त धन तथा उपलब्ध कराये जाने वाले धन का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) 1996-97 में महाराष्ट्र में शुरू की गई परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति तथा 1997-98 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए किए गए आवंटन एक साथ निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपये में)

परियोजना का नाम	लागत	1997-98 के लिए परिव्यय	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4
नई लाइन			
1. पनवेल-करजत	89.00	1.00	भूमि अधिग्रहण, जिसे आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने स्वीकृत कर दिया है, पूरा हो चुका है। दीर्घकालिक मदों पर कार्य शुरू किया गया है।

1	2	3	4
2. अहमदनगर-बीड-पर्ली-वैजनाथ	353.00	1.00	आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। भूमिग्रहण प्लान और दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और उनके द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिए जाने के पश्चात कार्य में प्रगति होगी।
आमान परिवर्तन			
3. बालाघाट सहित जबलपुर- गोंदिया	356.00	1.00	आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। बड़ी लाइन के संरेखण के अनुरूप अपेक्षित मार्ग परिवर्तन का पता लगाने के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
4. मिरज-लातूर	310.00	20.00	इस कार्य में चरणबद्ध आधार पर प्रगति हो रही है। लातूर से लातूर रोड तक नई लाइन और कुर्डुवाड़ी-पंधारपुर खंड के परिवर्तन के लिए प्रथम चरण पहले ही शुरू किया जा चुका है।
दोहरीकरण			
5. पनवेल-पेन-रोहा भूमि अधिग्रहण	3.90	0.10	भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है और 31.03.99 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इस खंड का दोहरीकरण आगामी वर्षों में शुरू किया जायेगा।

(ग) और (घ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इन कार्यों में प्रगति हो रही है।

[हिन्दी]

मनमाड-मालेगांव-धूलिया-नरदाना रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

314. डा. साहेबराव सुकराम बागुल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनमाड-मालेगांव-धूलिया-नरदाना (महाराष्ट्र) में नई रेल लाइन बिछाने और इसे इंदौर (मध्य प्रदेश) तक बढ़ाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) शिरपुर तक विस्तार सहित धुले और नरदाना के बीच नई बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। मनमाड और धुले के बीच बरास्ता मालगांव नई लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस लाइन का शिरपुर से इंदौर तक विस्तार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) शिरपुर तक विस्तार सहित धुले-नरदाना लाइन के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट, जो अक्तूबर, 1997 में प्राप्त हुई है, से पता चला है कि 2.19 प्रतिशत की प्रतिफल की दर के साथ इस 62 कि. मी. लंबी लाइन पर 104.49 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक के लिए जलापूर्ति परियोजना

315. श्री के.सी. कोंडय्या: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर शहर के लिए कावेरी चरण-चार जलापूर्ति परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए जापान की ओवरसीज इकनामिक कोआपरेशन फंड से सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की सहायता मांगी गई है;

(ग) क्या ओवरसीज इकनामिक कोआपरेशन फंड इस सहायता के लिए सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक चालू कर दिया जाएगा?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वैंकटरामन): (क) जी, हां।

(ख) बंगलौर जल आपूर्ति तथा सीवरेज बोर्ड ने सूचित किया है कि मांगी गई सहायता राशि 804 करोड़ रुपये है।

(ग) जी, हां।

(घ) वित्तीय सहायता की प्राप्ति पहले ही जनवरी, 1997 से शुरू हो गई है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के संघटकों का कार्यनिष्पादन

316. **श्री अण्णासाहिब एम.के.पाटिल:**
श्री संदीपान थोरात:

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वर्ष 1996-97 के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के विभिन्न संघटकों के कार्य की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 के दौरान लागू किए गए तथा प्रस्तावित कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में अनेक परियोजनाओं पर काम नहीं हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं पर किए गए अनुमानित निवेश सहित किए गए विदेशी निवेश क्या हैं और इन परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के लिए विशेष समेकित ऊर्जा परियोजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) और (ख) जी हां। मंत्रालय द्वारा वर्ष 1996-97 के लिए देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रमुख कार्यक्रमों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की गई है। वर्ष 1996-97 के दौरान कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। राज्यवार लक्ष्य, जहां कहीं भी निर्धारित किए गए हों सहित वर्ष 1997-98 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी संलग्न विवरण-II और III में दी गई हैं।

(ग) कार्यरत प्रणालियों और युक्तियों के कार्यप्रचालन सहित इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में होने वाली प्रगति की आवधिक समीक्षा की जाती है। इन प्रणालियों के संचालन के दौरान, रोजमर्रा के प्रचालन और रख-रखाव की समस्याओं का पर्यवेक्षण किया जाता है और आपूर्तिकर्ताओं/राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा इनका समाधान किया जाता है। इस मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य सहित देश की विभिन्न प्रणालियों और युक्तियों को फिर से चालू करने के लिए विभिन्न प्रयास आरंभ किए हैं। मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों में विशेष संघटक शामिल किए गए हैं जैसे वार्षिक रख-रखाव ठेका, बंद पड़ी प्रणालियों को फिर से चालू करने और पुरानी परियोजनाओं के नवीकरण/आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता देना।

(घ) महाराष्ट्र के लिए कोई विशेष समेकित ऊर्जा परियोजना तैयार नहीं की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त की गई राज्यवार उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	पवन विद्युत (मेवा.)	लघु जल विद्युत (मेवा.)	बायोमास कम्बस्टन और सह उत्पादन (मेवा.)	सौर विद्युत (मेवा.)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9.39	-	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	1.00	-	-
3.	असम	-	-	-	-
4.	बिहार	-	0.04	-	-
5.	गुजरात	31.137	-	-	-
6.	गोवा	-	-	-	-
7.	हरियाणा	-	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	-	0.02	-	-
9.	जम्मू व कश्मीर	-	-	-	-
10.	कर्नाटक	3.27	5.40	1.00	-
11.	केरल	-	3.00	-	-

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	2.7	1.00	–	240
13.	महाराष्ट्र	2.77	0.75	1.50	–
14.	मणिपुर	–	–	–	–
15.	मेघालय	–	–	–	–
16.	मिजोरम	–	–	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	–	–	–	–
19.	पंजाब	–	–	–	–
20.	राजस्थान	–	–	–	–
21.	सिक्किम	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	118.48	–	27.00	126
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	–	4.25	7.50	–
25.	पश्चिम बंगाल	–	0.52	–	–
26.	अंडमान व निकोबार	–	–	–	–
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–
28.	दादर व नागर हवेली	–	–	–	–
29.	दिल्ली	–	–	–	–
30.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
31.	पांडिचेरी	–	–	–	–
32.	अन्य	–	–	–	–

विवरण-I (क)

वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त की गई राज्यवार उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य के नाम	सौर जल पंपिंग प्रणालियां (संख्या)	सौर कुकर (सं.)	सौर जल तापन प्रणाली (वर्ग मी. संग्राहक क्षेत्र)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	69	587	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	269	–
3.	असम	17	–	-
4.	बिहार	39	–	–
5.	गुजरात	13	865	–

1	2	3	4	5
6.	गोवा	2	15	-
7.	हरियाणा	3	1800	330
8.	हिमाचल प्रदेश	-	1035	1451
9.	जम्मू एवं कश्मीर	4	-	-
10.	कर्नाटक	42	-	-
11.	केरल	82	-	1506
12.	मध्य प्रदेश	1	13000	96
13.	महाराष्ट्र	22	950	-
14.	मणिपुर	-	-	-
15.	मेघालय	-	-	-
16.	मिजोरम	8	-	-
17.	नागालैंड	-	-	-
18.	उड़ीसा	-	116	22
19.	पंजाब	27	1295	1217
20.	राजस्थान	27	625	-
21.	सिक्किम	-	-	-
22.	तमिलनाडु	68	4	-
23.	त्रिपुरा	-	6	-
24.	उत्तर प्रदेश	26	1112	-
25.	पश्चिम बंगाल	26	700	-
26.	अंडमान व निकोबार	-	-	-
27.	चंडीगढ़	-	-	10
28.	दादर व नागर हवेली	-	-	-
29.	दिल्ली	13	-	-
30.	लक्षद्वीप	-	-	-
31.	पांडिचेरी	-	363	-
32.	अन्य	-	-	-

विवरण-I (ख)

वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त की गई राज्यवार उपलब्धियां

क्र सं.	राज्य के नाम	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां		बायोगैस संयंत्र सं०	उन्नत चूल्हा सं०	बायोमास गैलीफायर	
		एसपीवी प्रणालियां सं०	विद्युत संयंत्र/पैक (केडब्ल्यूपी)			प्रणालियों की संख्या	क्षमता (कि.वा.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	–	5.76	14921	204732	54	1320
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	27	415	–	–
3.	असम	100	1.00	5843	4382	–	–
4.	बिहार	14614	–	1382	6069	–	–
5.	गुजरात	1632	–	19362	63921	–	–
6.	गोवा	–	–	163	9444	1	40
7.	हरियाणा	3097	–	2288	353240	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	4700	–	1300	17390	–	–
9.	जम्मू व कश्मीर	2840	–	196	14000	–	–
10.	कर्नाटक	–	–	26124	67588	–	–
11.	केरल	12081	–	3421	74234	–	–
12.	मध्य प्रदेश	5000	–	20798	248312	6	700
13.	महाराष्ट्र	–	–	15067	124535	1	500
14.	मणिपुर	–	–	201	5068	–	–
15.	मेघालय	655	–	20	–	–	–
16.	मिजोरम	–	–	120	2950	–	–
17.	नागालैण्ड	–	–	182	1850	–	–
18.	उड़ीसा	233	–	11894	172602	–	–
19.	पंजाब	–	–	4468	60000	–	–
20.	राजस्थान	5556	76.95	1869	106721	–	–
21.	सिक्किम	–	–	201	5117	–	–
22.	तमिलनाडु	1219	–	3894	208142	–	–
23.	त्रिपुरा	–	–	87	3188	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	13800	–	16141	227889	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	739	–	12591	169823	5	500

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	अंडमान व निकोबार	38	–	7	1740	–	–
27.	चंडीगढ़	–	–	–	1500	–	–
28.	दादर व नागर हवेली	–	–	2	1000	–	–
29.	दिल्ली	307	–	3	2120	–	–
30.	लक्षद्वीप	291	–	–	–	–	–
31.	पांडिचेरी	2	–	1	2256	–	–
32.	अन्य	–	–	–	–	–	–

विवरण-II

वर्ष 1997-98 हेतु उन्नत चूल्हा, बायोगैस कार्यक्रम और सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित राज्यवार लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/एजेंसी	उन्नत चूल्हा (संख्या)	बायोगैस संयंत्र (संख्या)	सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम	
				सौर लालटेन (सं.)	घरेलू रोशनी प्रणालियां (सं.)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	200000	16000	3000	500
2.	अरुणाचल प्रदेश	15000	100	1000	200
3.	असम	50000	1500	100	300
4.	बिहार	20000	1500	12000	300
5.	गुजरात	90000	12000	4000	–
6.	गोवा	5000	100	50	–
7.	हरियाणा	50000	2000	5000	500
8.	हिमाचल प्रदेश	30000	1200	4000	1000
9.	जम्मू व कश्मीर	50000	200	2000	4500
10.	कर्नाटक	88000	19500	500	100
11.	केरल	100000	1500	4000	1000
12.	मध्य प्रदेश	250000	20000	2000	1000
13.	महाराष्ट्र	200000	15000	1000	100
14.	मणिपुर	15000	300	500	100
15.	मेघालय	10000	100	300	800
16.	मिजोरम	15000	200	100	–
17.	नागालैण्ड	10000	300	–	–
18.	उड़ीसा	140000	7500	1000	100
19.	पंजाब	100000	6000	2000	500

1	2	3	4	5	6
20.	राजस्थान	100000	1500	1700	4500
21.	सिक्किम	5000	250	50	–
22.	तमिलनाडु	100000	2000	1000	200
23.	त्रिपुरा	15000	100	1000	300
24.	उत्तर प्रदेश	230000	12000	10000	7500
25.	पश्चिम बंगाल	190000	10000	300	1000
26.	अंडमान व निकोबार	1500	10	***	***
27.	चंडीगढ़	2000	10	200	–
28.	दादर व नागर हवेली	1200	10	–	–
29.	दिल्ली	2000	10	2000	200
30.	लक्षद्वीप	300	शून्य	***	***
31.	पांडिचेरी	3000	10	500	–
32.	अन्य	912000	49100	700	800
	कुल	3000000	180000	60000	25000

*** संघ राज्य क्षेत्र योजना/बजट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

विवरण-III

वर्ष 1997-98 हेतु कार्यक्रमवार वास्तविक लक्ष्य

क्रम सं.	कार्यक्रम/उपकार्यक्रम	यूनिट	वास्तविक लक्ष्य 1997-98
1.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	लाख संख्या	1.80
2.	उन्नत चूल्हा	लाख संख्या	30.00
3.	बायोमास/स्टैंडएलोन गैसीफायर*	मेगावाट	6.00
4.	आई आर ई पी*	ब्लॉक सं.	200
5.	विशेष प्रदर्शन परियोजनाएं*	संख्या	25
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम		
	(क) सौर लालटेन	संख्या	60000
	(ख) सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां	संख्या	25000
7.	एस पी वी सिंचाई पंप*	संख्या	1000
8.	सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम*	वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र	35,000
9.	सौर कुकर*	संख्या	35,000
10.	पवन पंप और हाइब्रिड प्रणालियां/लघु एरोजनरेटर*	किवा. (सं.)	25(100)
11.	पवन विद्युत*	मेगावाट	175
12.	लघु जल विद्युत *	मेगावाट	10
13.	बायोमास विद्युत *	मेगावाट	45
14.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत *	मेगावाट	0.3
15.	शहरी एवं औद्योगिक ऊर्जा परियोजना *	मेगावाट (सं.)	10(6)
16.	भूतल परिवहन के लिए विकल्प *	संख्या	200

* राज्यवार लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया गया है।

अनधिकृत निर्माण

317. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** अनधिकृत निर्माण के बारे में 30 जुलाई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1207 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सुखदेव नगर में अनधिकृत निर्माण सम्बन्धी 9 मामलों का पता लगाया है। दिल्ली नगर निगम द्वारा इन सभी मामलों में निर्माण गिरा देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार अनधिकृत निर्माण में शामिल सम्पत्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

सम्पत्ति सं.
टी - 806 / के - 4
टी - 8
751/7
186
12
19
34
ए - 92

अहमदाबाद हवाई अड्डे का विस्तार

318. **श्री हरिन पाठक:**
श्री रतिलाल कालिदास वर्मा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में अहमदाबाद हवाई अड्डे के विस्तार के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कोई बजटीय आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निकट भविष्य में यह कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) और (ख) जी हां। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर धावनपथ के विस्तार के लिए वर्ष 1997-98 में 4 करोड़ रुपए का एक बजट प्रावधान किया गया है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निदेशक मंडल ने 48.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर धावनपथ के 11,500 फुट तक विस्तार और सहायक कार्यों की परियोजना का अनुमोदन कर दिया है। विस्तृत इंजीनियरिंग और निविदा सम्बन्धी औपचारिकताएं वर्ष 1997-98 के दौरान पूरी की जाएंगी और वर्ष 1998-99 के दौरान कार्य को वास्तविक रूप से आरंभ किया जायेगा।

[हिन्दी]

बोकारो स्टील लिमिटेड के पी.डी.एफ. से खर्च की गई राशि

319. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अक्तूबर, 1997 तक बोकारो स्टील लिमिटेड की पेरिफैरल डेवलपमेंट फंड से कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) उपर्युक्त धनराशि से विकसित किए गए क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पी.डी.एफ. की परामर्शदात्री समिति के लिए किन-किन लोगों को नामित किया गया है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अक्तूबर, 1997 तक बोकारो स्टील लिमिटेड की परिसरीय विकास निधि (पी.डी.एफ) से लगभग 551.11 लाख रुपए की धनराशि खर्च की गई है। इस धनराशि की सहायता से विकसित किए गए क्षेत्रों में स्कूल भवन, सड़क निर्माण, हैण्ड पम्प लगाना, सामुदायिक कुएं, सिंचाई कुएं, पक्के नदी पथ और बंधारे शामिल हैं।

इस प्रकार की कोई परामर्शदात्री समिति नहीं है। तथापि बोकारो इस्पात संयंत्र में परिसरीय विकास समन्वय समिति है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :

1. प्रबंध निदेशक, बोकारो इस्पात संयंत्र
2. सांसद, धनबाद
3. श्री गया सिंह, सांसद, राज्य सभा
4. विधायक, बरमो
5. विधायक, बोकारो
6. विकास आयुक्त बोकारो
7. उप विकास आयुक्त, बोकारो
8. उप मंडल अधिकारी, चास
9. खंड विकास अधिकारी, चास

10. सचिव, कृषि विपणन प्रभाग, चास

11. सचिव, बोकारो महिला समिति

12. अध्यक्ष, रोटरी क्लब, चास-बोकारो

13. अध्यक्ष, लायन्स क्लब, चास-बोकारो

14. सचिव, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज, चास-बोकारो

15. बी.आई.ए.डी.ए. का प्रतिनिधि

16. बी.आर.एल. का प्रतिनिधि

17. महाप्रबंधक (पी एंड ए), बोकारो इस्पात संयंत्र

18. महाप्रबंधक (एफ एंड ए), बोकारो इस्पात संयंत्र

19. महाप्रबंधक (एफ एस), बोकारो इस्पात संयंत्र

20. मुख्य अभियन्ता (सिविल)

21. सी टी ए प्रभारी (प्रशासन), बोकारो इस्पात संयंत्र

22. सी पी एम, बोकारो इस्पात संयंत्र (अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधि)

23. उप टी ए (पी डी) बोकारो इस्पात संयंत्र।

[अनुवाद]

विमान यात्रियों को सुविधायें

320. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानपत्तनों पर विमान यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराए जाने संबंधी सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर यात्रियों की जांच पड़ताल में लगने वाले समय में कमी किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अपने हवाई अड्डों पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास रहा है। यात्रि एक सतत प्रक्रिया है और यात्री मांगों के आधार पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। कुछ सुविधाओं में निःशुल्क सामान ट्रालियां, मुद्रा विनियम काउंटर, पूर्व-प्रदत्त टैक्सी सेवाएं, रेस्टोरेंट, शॉपिंग आर्केड, इत्यादि शामिल हैं। यात्रियों के विचार जानने के लिए, आवधिक यात्री संतोषजनक सर्वेक्षण के अलावा, हवाई अड्डा टर्मिनलों में प्रेषण केन्द्रों पर सुझाव पेटिका रखी जाती हैं।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस से पूछा गया है कि क्या वह अपनी अंतर्देशीय उड़ानों के लिए चेक-इन समय को कम कर सकता है। नागर विमानन महानिदेशक ने अन्तरराष्ट्रीय विमान कम्पनी से अपनी चेक-इन समय को वर्तमान 3 घंटों से घटाकर 2 घंटा 30 मिनट करने को कहा है।

उड़ीसा में क्रोमाईट अयस्क भंडार क्षेत्र

321. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कुल कितने क्रोमाईट अयस्क भंडार क्षेत्र हैं;

(ख) क्या इन सभी खानों को पट्टे पर दिया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन कम्पनियों को क्षेत्रवार खानों को पट्टे पर दिया गया है; और

(घ) इन खानों को पट्टे पर देने के मानदण्ड और शर्तें क्या-क्या हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उड़ीसा राज्य में क्रोमाईट अयस्क के कुल 183.395 मिलियन टन अनुमानित भंडार हैं।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उड़ीसा में 22 क्रोमाइट खानें हैं जिन्हें कम्पनियों को पट्टे पर दिया गया है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) पट्टाधारी तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित पट्टा डीड में नियम के प्रावधानों के अनुसार शर्तें निर्धारित की जाती हैं।

विवरण

क्र सं.	कम्पनी पट्टाधारी का नाम	हेक्टेयर क्षेत्र
1	2	3
1.	मैसर्स ओएमसी लि. (राज्य सरकार का उपक्रम)	207.360
2.	मैसर्स ओएमसी लि. (राज्य सरकार का उपक्रम)	145.856
3.	मैसर्स ओएमसी लि. (राज्य सरकार का उपक्रम)	1581.833
4.	मैसर्स ओएमसी लि. (राज्य सरकार का उपक्रम)	552.457
5.	मैसर्स ओएमसी लि. (राज्य सरकार का उपक्रम)	936.220
6.	मैसर्स ओएमसी लि. (राज्य सरकार का उपक्रम)	971.245
7.	मैसर्स ओएमसी लि. (राज्य सरकार का उपक्रम)	185.810

1	2	3
8.	मैसर्स ओएमसी लि. (राज्य सरकार का उपक्रम)	23.243
9.	मैसर्स ओएमसी लि. (राज्य सरकार का उपक्रम)	382.709
10.	मैसर्स ओएमसी लि. (राज्य सरकार का उपक्रम)	386.879
11.	मैसर्स ओएमसी लि. (राज्य सरकार का उपक्रम)	583.021
12.	मैसर्स ओएमसी	221.220
13.	मैसर्स टीआईएससीओ लि.	406.000
14.	मैसर्स मिश्रीलाल माइन्स (पी) लि.	246.860
15.	मैसर्स एफएसीओआर	72.843
16.	मैसर्स एफएसीओआर	113.312
17.	मैसर्स एफएसीओआर	187.002
18.	मैसर्स आईएमएफए	40.468
19.	मैसर्स आईएमएफए	26.062
20.	मैसर्स आईसीसीएल	37.340
21.	मैसर्स बी.सी. मोहन्ती एण्ड सन्स (पी) लि.	107.024
22.	मैसर्स एम. ऐकय	56.656

रेलवे में वित्तीय संकट

322. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनका मंत्रालय चालू रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अधिक आबंटन की मांग कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए वित्त मंत्रालय से कितनी धनराशि की मांग की जा रही है;

(ङ) क्या इस संकट से रेलवे के विकास कार्य प्रभावित हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, रेलों की पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेलवे वित्त पर दबाव है जो मुख्यतः बजटीय सहायता जिसे हम अब तक प्राप्त करते रहे हैं, के निम्नतर स्तरों और पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण है।

(ग) और (घ) जी हां। रेलों ने वर्ष 1997-98 के लिए 3300 करोड़ बतौर बजटीय सहायता 3,000 करोड़ रुपए बतौर आंतरिक सृजन और 1650 करोड़ रुपए बतौर सामाजिक दायित्वों के लिए सामान्य राजस्व के साथ 11,000 करोड़ रुपए की एक योजना के आकार का प्रक्षेपण किया था।

बहरहाल, इस पर योजना आयोग और वित्त मंत्रालय द्वारा सहमति नहीं दी गई है और योजना आकार को 1831 करोड़ रुपए (जिसे 2001 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है) बतौर बजटीय सहायता और 3419 करोड़ रुपए बतौर संसाधनों के आंतरिक सृजन के साथ 8300 करोड़ रुपए तक घटा दिया गया है।

(ङ) और (च) रेलें संसाधनों की इन तंगियों के बावजूद परिसंपत्तियों के अधिक उपयोग और बेहतर उत्पादकता के माध्यम से यातायात की मांग को पूरा करने में समर्थ रही हैं। बहरहाल, विकासात्मक कार्यों और रेल नेटवर्क के विस्तार की गति तात्कालिक अल्प अवधि की मांगों/आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता के कारण कुछ धीमी हुई है।

(छ) वित्त मंत्रालय के साथ रेल के संसाधन बढ़ाने के उपाय खोजने के लिए वार्ता जारी है।

श्रीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

323. **श्री गुलाम रसूल कार** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने संबंधी निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) श्रीनगर विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कब तक बना दिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) और (ख) श्रीनगर हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना का है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल एन्कलेव का अनुरक्षण कर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों की पूर्ति हेतु श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुविधाओं के स्तरोन्नयन संबंधी राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है और प्रस्ताव आयोजना स्तर पर है।

(ग) और (घ) जी, हां। रक्षा मंत्रालय ने सिद्धांत रूप में प्रस्ताव से सहमति जता दी है।

(ङ) इस समय कोई निश्चित समय-अनुसूची नहीं बताई जा सकती।

[हिन्दी]

महान पुरुषों के जीवन पर आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण

324. **प्रो. अजित कुमार मेहता** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के महान पुरुषों के जीवन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारण हेतु लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस महान पुरुषों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे महान पुरुषों के जीवन पर आधारित कार्यक्रमों का निर्माण करने पर विचार कर रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) उपयुक्त समय स्लॉट की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए प्रायोजकता श्रेणी के अन्तर्गत दूरदर्शन के डी.डी.-1 तथा डी.डी.-2 चैनलों पर प्रसारण हेतु निम्नलिखित महान विभूतियों पर कार्यक्रमों की मंजूरी दी गई है:

1. भगवान बुद्ध
2. महाराणा प्रताप
3. जगद्गुरु शंकराचार्य
4. महात्मा गांधी
5. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कार्यालय एवं विपणन केन्द्र के लिए डी.डी.ए. प्लाटों का आवंटन

325. **श्री शिबू सोरेन** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में जिला केन्द्र जनकपुरी में प्लाट संख्या-5 पर कार्यालय एवं विपणन केन्द्र के लिए स्वःवित्त पोषण योजना के आधार पर स्थान आवंटन हेतु विज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने आवेदन और धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या नौ वर्ष पूर्व पूरी धनराशि जमा कराए जाने के बावजूद स्थान का आवंटन नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आवंटन विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम जी. वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार, 15 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने पंजीकरण राशि के रूप में 20,000/- रुपये का भुगतान करके अपना नाम पंजीकृत कराया था।

(ग) से (ङ) पंजीकृत व्यक्तियों ने यूनिट लागत के रूप में राशि जमा कराई थी, लेकिन लिफ्ट और अग्नि-सुरक्षा संबंधी व्यवस्था न हो पाने के कारण यूनिट का आवंटन नहीं किया जा सका। अब चूंकि उपर्युक्त सेवाओं की व्यवस्था हो जाने की रिपोर्ट मिल गई है, इसलिए पात्र पंजीकृत व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट इकाइयों का लाटरी के जरिये आवंटन कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

महोबा-खजुराहो रेल लाइन

326. **श्री गंगा चरण राजपूत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महोबा-खजुराहो रेल लाइन के निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त लाइन हेतु आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय परियोजनाएं किस चरण में हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) ललितपुर-सतना, रीवा-सिधी-सिंगरौनी और महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) के बीच नई रेल लाइन की अनुमानित लागत 974.982 करोड़ रुपये है। बहरहाल, महोबा-खजुराहो खंड अभी स्वीकृत परियोजना का भाग नहीं है इस क्षेत्र के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव है और तब इसे संसद के अनुमोदन से शामिल किया जाएगा।

(ख) 1997-98 के लिए परिव्यय 0.01 करोड़ रुपये है।

(ग) कार्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाना है।

[अनुवाद]

सेल द्वारा कोयले का आयात

327. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कोयले का आयात कम किए जाने का निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा अधिक राख की मात्रा वाली घरेलू कोयले का उपयोग किए जाने का निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को अपनी कोयला धोवनशाला भी होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) आयातित कोककर कोयले की आवश्यकता, कल आवश्यकता और घरेलू स्रोतों से कोककर कोयले की उपलब्धि तथा स्वदेशी एवं आयातित कोककर कोयले की उतराई तक की लागत के गुणवत्तात्मक और मात्रात्मक अन्तरों पर निर्भर करती है। सेल के इस्पात संयंत्रों में उत्पादन लागत में कमी करने के लिए एक समग्र कार्य नीति के रूप में कोककर कोयले की आवश्यकता जिसमें आयातित कोककर कोयला भी शामिल है तकनीकी, आर्थिक उपाय अपनाकर कम की जा रही है।

(ख) सेल अधिक राख युक्त घरेलू कोककर कोयले को निम्न राख युक्त आयातित कोककर कायले के साथ उचित मात्रा में मिलाकर धवन भट्टियों में उपयोग कर रहा है।

(ग) और (घ) सेल की अपनी दो धोवन शालाएं हैं। इनमें से एक चासनाला (सेल की सहायक कम्पनी इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लि. की निजी धोवन शाला) और दूसरी दुर्गापुर में है। कोई नई धोवनशाला खोलने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

प्रसार भारती अधिनियम

328. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती अधिनियम लागू होने के बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के अनेक कर्मचारियों को विभिन्न मंत्रालयों में स्थानान्तरित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों को स्थानान्तरण संबंधी विकल्प दिये जायेंगे अथवा उन्हें उच्च अधिकारियों के विवेक के अनुसार स्थानान्तरित किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कर्मचारियों को प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के अनुसार विकल्प दिया जाएगा।

[हिन्दी]

गुजरात में दूरदर्शन केन्द्र

329. **श्री जयसिंह चौहान**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के साबरकांठा जिले में शामलाजी दूरदर्शन केन्द्र का ढाई वर्ष पहले उद्घाटन किया गया था परन्तु इसे अब तक शुरू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे शुरू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) यद्यपि शामलाजी में स्थित अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर (अ.श.ट्रा) का उद्घाटन जनवरी, 1996 में किया गया था तथापि, परियोजना के प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु स्टाफ की मंजूरी न मिलने के कारण उक्त ट्रांसमीटर को प्रचालन में नहीं लाया जा सका। अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के लिए बहुत कम स्टाफ की मंजूरी प्राप्त हुई तथा स्टाफ की तैनाती के होते ही अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से आंशिक प्रसारण शुरू कर दिया जाएगा। तथापि, अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से नियमित प्रसारण सक्षम प्रधिकारी से पूर्ण पूरक स्टाफ की मंजूरी मिलने पर निर्भर करेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण

330. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण संबंधी कोई परियोजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो पर्वतीय क्षेत्रों में इसे सफल बनाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उपकरण उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ङ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के गांवों के विद्युतीकरण के लिए कई परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं। इन परियोजनाओं में सौर उपकरण, जैसे-सौर लालटेन, घरेलू रोशनी प्रणालियां और लघु पन बिजली संयंत्र शामिल हैं।

वर्ष 1997-98 के दौरान संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत अत्यधिक बल दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है।

उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन अपारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी (नेडा) के माध्यम से किया जाता है, जिसके द्वारा पहाड़ी जिलों सहित सभी जिलों में सौर ऊर्जा उपकरण वितरित किए जाते हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के जिलों के गांवों के विद्युतीकरण के लिए 3,000 घरेलू रोशनी प्रणालियां मंजूर की हैं। नेडा ने वर्ष 1997-98 के दौरान इन प्रणालियों के इस्तेमाल से 52 गांवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव किया है।

कोटा हवाई अड्डा

331. **वैद्य दाऊ दयाल जोशी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कोटा हवाई अड्डे के नवीकरण पर कितनी धनराशि व्यय की गई तथा किस प्रकार के कार्य पर यह राशि खर्च की गई;

(ख) क्या दिल्ली-जयपुर-कोटा तथा कोटा-जयपुर-दिल्ली वायुमार्ग पर राजस्थान के उस औद्योगिक नगर के लिए उड़ान चालू करने के संबंध में निजी कम्पनियों को कोई अनुमति दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये उड़ानें किस अवधि के दौरान शुरू की गई थी;

(घ) क्या विमान सेवा शुरू किए जाने के पूर्व विभाग ने उक्त कम्पनियों के साथ कोई अनुबंध किया था; और

(ङ) यदि हां, तो मार्ग वायु सेवा को बंदकर देने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कोटा हवाई अड्डे के नवीकरण पर खर्च की गई राशि 1.56 करोड़ रुपए है।

(ख) से (ङ) विमान कंपनियां नागर विमानन महानिदेशालय की अनुमति उपरान्त, सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन अन्य संबंधित प्रावधानों तथा मार्ग वितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को पूरा करने और उन्हें जारी किये गये परमिटों की अपेक्षाओं को पूरा करके देश में किसी भी हवाई अड्डे पर अपनी सेवाएं प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार विमान कंपनियों के साथ समझौता नहीं करती।

[अनुवाद]

दिल्ली रिंग रेलवे में टिकटों की बिक्री

332. **श्री रूपचन्द पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रिंग रेलवे के लिए वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान कितने यात्री टिकटों की बिक्री हुई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली में रिंग रेलवे को कुल कितनी आमदनी हुई?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) 1995-96 और 1996-97 के दौरान दिल्ली रिंग रेलवे में बेच गये यात्री टिकटों की संख्या क्रमशः 11,06,400 तथा 12,53,700 थी।

(ख) इस अवधि के दौरान शुद्ध आमदनी क्रमशः 29,43,780 रुपये तथा 32,84,910 रुपये थी।

आन्ध्र प्रदेश में रोजगार आश्वासन योजना

333. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका**:
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व प्रधान मंत्री ने आन्ध्र प्रदेश को राज्य में भीषण सूखे की स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत तुरंत 105 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश को अब तक कितनी धनराशि मंजूर तथा जारी की गई है तथा कुल धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) प्रधानमंत्री ने आन्ध्र प्रदेश को राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों की दूसरी किस्त की अग्रिम रिलीज का निर्णय लिया।

(ख) प्रधानमंत्री के निर्णय के अनुसरण में सुनिश्चित रोजगार योजना की निधियों की दूसरी किस्त की अग्रिम रिलीज की 83.70 करोड़ रुपए की राशि आन्ध्र प्रदेश के सभी जिलों को दी गई। अब तक सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत राज्य को पहली किस्तों सहित 167.40 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

हैदराबाद जल पूर्ति परियोजना

334. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक हैदराबाद जल पूर्ति परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये की सहायता देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक सहायता का उपयोग करने हेतु कोई ठोस योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इस परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा ?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन) : (क) विश्व बैंक प्रस्तावित द्वितीय हैदराबाद जलापूर्ति एवं सफाई परियोजना हेतु सहायता राशि देने के लिए अभी सहमत नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक से 1488.40 करोड़ रु. की अनुमानित लागत की सहायता के लिए द्वितीय हैदराबाद जलापूर्ति एवं सफाई परियोजना पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें नागार्जुनसागर से 90 एम. जी. डी. शोधित जल हैदराबाद नगर पहुंचाना, जल वितरण एवं जलमल निकासी की प्रणाली को मजबूत करना, निम्न लागत पर सफाई तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण शामिल है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक कदम अर्थात् इंजीनियरी डिजाइन तैयार करना, प्राप्ति योजना, पर्यावरणीय मूल्यांकन अध्ययन आदि जैसे कदम उठाए गए हैं। कार्य आरंभ करने का समय विश्व बैंक द्वारा परियोजना के अनुमोदन पर निर्भर करता है।

लोधी काम्पलेक्स में मकानों की बालकनी

335. श्री जंगबहादुर सिंह पटेल: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लोधी काम्पलेक्स, नई दिल्ली के कुछ सरकारी मकानों की बालकनियों के गिर जाने से वहां के निवासियों के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या निष्कर्ष निकले और इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं।

कोंकण रेलवे लाइन की पेडने सुरंग संबंधी समस्याएं

336. श्री राम नाईक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे लाइन के इंजीनियरों को पेडने के समीप एक सुरंग खोदने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) ये कठिनाइयां किस प्रकार की हैं;

(ग) इन कठिनाइयों को यथाशीघ्र दूर करने तथा सुरंग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे; और

(घ) यह सुरंग किस तारीख तक पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिकूल भूगर्भीय स्थितियां सामने आने के कारण सुरंग के सिरे की खुदाई में समस्याएं आई हैं।

(ग) समस्याओं पर अब काबू पा लिया गया है और पिछले कुछ सप्ताहों से प्रगति में वृद्धि हुई है।

(घ) सुरंग को दिसम्बर 97 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

काम्पलिमेंट्री रेल पास जारी करना

337. श्री एल. रमना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कितने नए काम्पलिमेंट्री रेलवे पास जारी किए गए;

(ख) ऐसे पास किन-किन वर्गों के व्यक्तियों को जारी किए गए;

(ग) क्या काम्पलिमेंट्री रेल पास जारी करने हेतु विचारार्थ कोई विशिष्ट मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) (1) 1996-97 के दौरान जारी किए गए कार्ड पासों की संख्या -42086 (स्वतंत्रता सेनानियों को जारी किए गए पासों सहित)

(2) 1996-97 के दौरान जारी किए गए चैक पासों की संख्या-6168

(ख) उन व्यक्तियों की कोटि जिन्हें पास जारी किए गए:

(क) कार्ड पास

1. स्वतंत्रता सेनानी (लागत गृह मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है)
2. भूतपूर्व रेल मंत्री/भूतपूर्व रेल राज्य मंत्री/भूतपूर्व रेल उप मंत्री
3. संसद के भूतपूर्व सदस्य
4. अर्जुन पुरस्कार विजेता, ओलंपिक पदक विजेता, एशियाई और संयुक्त राष्ट्र स्वर्ण पदक विजेता
5. वीरता पुरस्कारों (रक्षा) की चक्र श्रृंखला प्राप्तकर्ता
6. वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक प्राप्तकर्ता और वीरता (पुलिस) के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक प्राप्त कर्ता
7. भारतीय राष्ट्रीय खेलकूद संघ, भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन से संबद्ध राज्य ओलंपिक एसोसिएशनों के अध्यक्ष-सचिव
8. रेल मंत्री के विवेक से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, खेलकूद और कल्याण गतिविधियों से जुड़े संगठनों।

(ख) दिशा निर्देशों के अनुसार रेलमंत्री/रेल राज्य मंत्री/बोर्ड के सदस्यों के स्वविवेक से विशिष्ट यात्राओं के लिए चैक पास।

(ग) जी हां।

(घ) कोटि 8 के संबंध में रेल मंत्री जी के स्वविवेक से ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक शैक्षिक, खेलकूद और कल्याण गतिविधियों से जुड़े संगठनों तथा अनुकंपा/चिकित्सा आधारों पर मानार्थ कार्ड पास जारी किए जाते हैं। अन्य कोटियां स्वतः स्पष्ट हैं। इसके अलावा, रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री और रेलवे बोर्ड के सदस्यों के अनुमोदन से अनुकंपा/चिकित्सा आदि आधारों पर पात्र मामलों में विशिष्ट यात्राओं के लिए चैक पास जारी किए जाते हैं।

दिल्ली में होस्टल का निर्माण

338. **श्री टी. गोविन्दन : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार की दिल्ली में काम करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए होस्टल का निर्माण करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम जी. वेंकटरामन) : (क) सरकार की दिल्ली में कार्यरत विशेष रूप से अपने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए होस्टल बनाने की कोई योजना नहीं है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रंगिया-मुर्कोंगसेलक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

339. **डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या रंगिया से मुर्कोंगसेलक तक बड़ी रेल लाइन का निर्माण करने के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जा चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेद्दापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद रेल लाइन का निर्माण

340. **श्री जी. ए. चरण रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या आंध्र प्रदेश में पेद्दापल्ली - करीमनगर-निजामाबाद रेल लाइन के निर्माण कार्य में देरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपर्युक्त लाइन के लिए कितना बजट आबंटन किया गया है; और

(घ) उपर्युक्त लाइन पर कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1997-98 के बजट में 5.00 करोड़ रुपये।

(घ) कार्य दो चरणों में किया जा रहा है। पेद्दापल्ली-करीमनगर के बीच चरण-I का कार्य फिलहाल शुरू कर दिया गया है और इस खंड को दिसंबर, 1999 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। पहले चरण का कार्य पूरा हो जाने के बाद करीमनगर- निजामाबाद के बीच दूसरे चरण का कार्य शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

गुजरात की पेयजल योजनाएं

341. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य सरकार ने कौन-कौन से शहरों के लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा कौन-कौन से शहरों के लिए कितनी-कितनी अनुमानित लागत की परियोजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) 20,000 से कम आबादी (1991 की जनगणना के अनुसार) वाले कस्बों में लागू त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत गुजरात सरकार से आठ कस्बों अर्थात् धर्मपुर, बन्दवा, धोल, ओखपोर्ट, जोडिया, मेंदरवा, बरवाला तथा सूरजकराडी में पेय जल आपूर्ति स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित सभी 8 स्कीमें कुल 508.09 लाख रु. की परियोजना लागत पर त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत मंजूर की जा चुकी है। स्कीम की लागत का 50 प्रतिशत केन्द्रीय अंश होता है और वह राशि राज्य सरकार को पहले ही जारी की जा चुकी हैं। प्रत्येक शहर बाबत परियोजना लागत तथा केन्द्रीय राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	शहर का नाम	परियोजना लागत	केन्द्रीय अंश
1.	धर्मपुर	54.00	27.00
2.	बन्टवा	38.50	19.25
3.	धोल	132.60	66.30
4.	ओखा पोर्ट	14.60	7.30
5.	जोडिया	110.25	55.12
6.	मेन्दरवा	49.00	24.50
7.	बरवाला	90.94	47.47
8.	सूरज कराडी	18.20	19.10
	कुल	508.09	254.04

[अनुवाद]

अतिक्रमण

342. **श्री आई.डी. स्वामी** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री अतिक्रमण के बारे में 14 मई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6229 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इकट्ठी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि भूस्वामी एजेंसियों ने अतिक्रमणों की सूची तैयार की है, जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है तथा भूस्वामी एजेंसियों की सहायता से समय-समय पर मकान गिराने के कार्यक्रम बनाए जाते हैं।

दिल्ली सरकार ने यह भी सूचित किया है कि पालम गांव के शिक्षा भारती स्कूल के पास 16.9.97 को मकान गिराने की कार्रवाई की गई थी, तब 4 बीघा गांव सभा भूमि वापस ले ली गई। दिल्ली सरकार ने इस बात से इंकार किया है कि दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में सभी कालोनियां सरकारी भूमि पर बनी हैं।

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना का पुनर्मूल्यांकन

343. **श्री एल. रमना** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने जवाहर रोजगार योजना का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या निकले;

(ग) क्या इस अध्ययन से यह पता चला है कि राज्यों में कुछ ग्राम पंचायतों ने जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दिए गए धन का उपयोग नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पु येरननायडु) : (क) और (ख) जी, हां। 1 अप्रैल, 1989 से सितम्बर, 1991 तक की अवधि के लिए वर्ष 1992 के दौरान कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन तथा योजना आयोग द्वारा जवाहर रोजगार योजना का त्वरित अध्ययन किया गया। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने आंध्र प्रदेश समेत 10 राज्यों, 20 जिलों तथा 40 ग्राम पंचायतों

का इस उद्देश्य से चयन किया था। जवाहर रोजगार योजना के मूल्यांकन अध्ययन में राज्यवार निष्कर्ष नहीं दिए गए थे।

(ग) और (घ) अध्ययन से यह बात सामने आई कि चयनित 40 ग्राम पंचायतों में से 1989-90 में 2 ग्राम पंचायतों ने तथा 1990-91 में 6 ग्राम पंचायतों ने निधियों का बिल्कुल उपयोग नहीं किया। वर्ष 1991-92 के प्रथम छह महीनों में 19 ग्राम पंचायतों ने निधियों के किसी उपयोग की जानकारी नहीं दी।

भारत सरकार ने जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पहली बार 1993-94 के दौरान तथा पुनः जनवरी 1996 में कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। राज्य सरकारों से प्राप्त मासिक, तिमाही तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से जवाहर रोजगार योजना की लगातार मानिटरिंग की जाती है। राज्य सरकार से कहा गया है कि वह राज्य/जिला खण्ड स्तर पर पर्यवेक्षी स्तर के अधिकारी के लिए एक पर्यवेक्षण अनुसूची बनाएं ताकि कार्यक्रम के गुणात्मक तथा परिणामात्मक पहलुओं की समीक्षा की जा सके। पिछले वर्ष की उपलब्ध कुल निधियों के 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से ज्यादा आविशेष रखने वाले ग्राम पंचायतों को दंडित किया जाता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधी राज्य स्तरीय समन्वय समिति के माध्यम से भी कार्यान्वयन की मानिटरिंग की जाती है। समिति में भारत सरकार के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किए जाते हैं। जवाहर रोजगार योजना सहित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रभावी मानिटरिंग के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 1993 के दौरान क्षेत्र अधिकारी प्रणाली की शुरुआत की है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य/जिला/खण्ड स्तर पर सतर्कता तथा मानिटरिंग समितियां गठित करने के निदेश जारी किए गए हैं।

बाल कलाकारों को पारिश्रमिक

344. **श्री देवेन्द्र बहादुर राय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा एक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बाल कलाकार को एक वयस्क कलाकार की तुलना में अत्यन्त छोटी सी रकम दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो वयस्कों तथा बाल कलाकारों को देय शुल्क/पारिश्रमिक में भारी अन्तर के क्या कारण हैं;

(ग) अन्य समान बौद्धिक कार्य के लिए पारिश्रमिक निर्धारित करने का क्या मानदंड है; और

(घ) क्या पूर्वाभ्यास तथा वाहन भत्ता के रूप में कोई धनराशि देने का कोई प्रावधान है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) वयस्क एवं बाल कलाकारों को इस मौलिक अन्तर के कारण भिन्न-भिन्न शुल्क का भुगतान किया जाता है कि बाल कलाकार प्रशिक्षु होता है जबकि वयस्क कलाकार व्यावसायिक होता है। बाल कलाकार को नाटकों में भाग लेने के लिए 150/- रुपए तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए 100/- रुपए का भुगतान किया जाता है जबकि चार महानगरों में 125/-रुपए का भुगतान किया जाता है। भिन्न-भिन्न बौद्धिक कार्यों के लिए अलग-अलग शुल्क मान निर्धारित किए गए हैं।

(घ) आकाशवाणी में पूर्वाभ्यास एवं वाहन के लिए कोई राशि अदा करने का अलग प्रावधान नहीं है। तथापि, दूसरे स्थान से आने वाले बाल कलाकार को यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता तथा मार्गरक्षी शुल्क का भुगतान किया जाता है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन कार्यक्रम का कवरेज

345. **श्री एन.एन. कृष्णदास** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में मन्दसोर जिले में किन-किन स्थानों पर कम शक्ति के ट्रांसमीटर लगा दिए गए हैं;

(ख) क्या जिन स्थानों को दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है उनमें कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों पर दूरदर्शन के कार्यक्रम कब से देखे जा सकेंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) मन्दसौर जिले में ही मन्दसौर, नीमच और कुकड़ेश्वर में 3 अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर चल रहे हैं, जिले में टी.वी. सेवा को और सुदृढ़ करने के लिए गरोट, भानपुरा और सीतामऊ में 3 अतिरिक्त अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान इनके पूरा हो जाने की संभावना है।

लघु पन बिजली परियोजना

346. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु पन बिजली परियोजनाएं स्थापित करने के प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान आज तक केन्द्र सरकार ने राज्य-वार कितनी परियोजनाएं मंजूर की हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, 3 मेगावाट स्टेशन क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए संवर्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध कराता है। इन परियोजनाओं को स्थापित करने और उनकी मंजूरी का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है। इस मंत्रालय में ऐसी लघु जल विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना का

कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। इसके अलावा, इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान या आज तक किसी नई लघु/मिनी जल विद्युत परियोजना को सहायता नहीं दी गई है।

मरुस्थल विकास

347. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा मरुस्थल विकास पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इस अवधि के दौरान मरुस्थल विकास संबंधी कार्य कलाप का राज्यवार, विशेषकर राजस्थान कि संदर्भ में, ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में मरुस्थल विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए राजस्थान को अभी तक कितना धन आबंटित किया गया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया कुल खर्च 33673 लाख रुपए था।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1992-93 से 95-96 तक के पहले तीन वर्षों में राजस्थान सहित देश में मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई तीन प्रमुख क्षेत्र गतिविधियां इस प्रकार थीं - भूमि संसाधन विकास, जल संसाधन विकास तथा वनीकरण एवं चरागाह विकास थी। 1995-96 के कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र विकास वाटरशैड आधार पर किया जा रहा है। वाटरशैड परियोजना क्षेत्र में शुरू की जाने वाली गतिविधियां गांव वालों तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के वाटरशैड विकास दल द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित की जाती हैं।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए आवंटन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) 1977-78 में कार्यक्रम के आरम्भ होने से लेकर 97-98 तक राजस्थान में मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए किया गया कुल आबंटन 62151 लाख रुपए था।

स्थानीय टी वी कार्यक्रमों का कवरेज

348. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और राजस्थान के कितने गांवों में दूरदर्शन के राष्ट्रीय तथा स्थानीय कार्यक्रम देखे जा सकते हैं; और

(ख) गुजरात के शेष अन्य गांवों में उक्त प्रसारण का विस्तार करने हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) हालांकि टेलीविजन सेवा उपयुक्त डिश एण्टेना प्रणाली के उपयोग से उपग्रह के जरिए गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के सभी गांवों सहित समस्त देश में उपलब्ध है, तथा गांवों में रहने वाली जनसंख्या सहित गुजरात तथा राजस्थान की क्रमशः अनुमानित 81.9% एवं 68.9% जनसंख्या को स्थलीय प्रसारण भी उपलब्ध है।

(ख) गुजरात राज्य में स्थलीय टेलीविजन सेवा बढ़ाने के लिए वर्तमान में विभिन्न शक्तियों की 19 टेलीविजन ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वियनाधीन हैं और इन्हें वर्ष 1998-99 तक चरणबद्ध रूप से पूरा किए जाने की संभावना है बशर्ते संसाधन और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

केबल टी. वी. आपरेटर्स

349. **श्री राजीव प्रताप रूडी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केबल टी वी आपरेटर्स की संख्या में अत्याधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उनके कार्यकरण को विनियंत्रित करने हेतु क्या तंत्र बनाया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में विस्तृत विधान लाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्तमान केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ केबल नेटवर्कों के वार्षिक पंजीकरण का प्रावधान है, यह उनके कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए प्रभावी नहीं रहा है। संसद में प्रस्तुत प्रसारण विधेयक, 1997 में अन्य बातों के साथ-साथ केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को समाप्त करने तथा देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियमन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तन प्रयोक्ता फीस

350. **श्री जी.एम. बनातवाला** :
प्रो. पी.जे. कुरियन :
श्री पी.सी. थामस :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कालीकट विमानपत्तन तथा विशेषकर तीर्थयात्रियों पर लगी विमानपत्तन प्रयोक्ता फीस हटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) जिलाधीश और सचिव केरल राज्य हज समिति कोजीकोडे ने कालीकट हवाई अड्डे पर प्रयोक्ता विकास शुल्क लगाने के संबंध में तीर्थयात्रियों को छूट देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कापार्ट के अन्तर्गत परियोजनाएं

351. **श्री अशोक प्रधान** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कापार्ट द्वारा इसके आरम्भ से उत्तर प्रदेश में विशेषकर गाजियाबाद और बुलंदशहर जिलों में वर्ष-वार और जिला-वार कितनी परियोजनाएं मंजूर की गई;

(ख) उत्तर प्रदेश में उन स्वैच्छिक संगठनों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें "कापार्ट" के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है अथवा निकट भविष्य में प्रदान की जाएगी; और

(ग) अभी तक इनमें से प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि आबंटित, स्वीकृत और जारी की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पवन विद्युत संबंधी निवेश नीति

352. **श्री अनंत गुढे** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में विद्युत की वर्तमान क्षमता में 10 मेगावाट की अतिरिक्त वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु पवन विद्युत क्षेत्र में पुनः निवेश किए जाने संबंधी नवीन नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है तथा नई परियोजनाएं आरंभ करने/चल रही परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ग) पवन ऊर्जा के दोहन हेतु किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है तथा अब तक वास्तव में कितनी मात्रा में पवन विद्युत का उत्पादन किया गया है तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी मात्रा में अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन किए जाने की संभावना है; और

(घ) पवन विद्युत क्षेत्र में क्या विशिष्ट उपलब्धियां रही हैं तथा इस संबंध में किन-किन प्रमुख समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) पवन विद्युत क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास को तेज करने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों के भावी निवेशकों द्वारा पवन विद्युत परियोजनाएं शुरू करने के लिए उनसे सम्पर्क किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए व्यापारिक बैठकों और प्रचार अभियानों की योजना बनाई जाती है। राज्य सरकारों से वाणिज्यिक पवन विद्युत के विकास हेतु अनुकूल नीतियों की घोषणा करने और वाणिज्यिक परियोजनाओं के क्लियरेंस में तेजी लाने के लिए उपयुक्त कार्यपद्धति तैयार करने का अनुरोध किया गया है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा), जो ऐसी परियोजनाओं के लिए उदार ऋण उपलब्ध कराती है, की वित्त पोषण की पद्धतियों की समीक्षा की जा रही है। इन परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों के तहत इरेडा द्वारा निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। पवन संसाधन अध्ययनों का विस्तार किया जा रहा है। इन उपायों से जल्दी ही करीब 100 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता बढ़ने की आशा है।

(ग) देश में अब तक कुल 931 मेगावाट की पवन विद्युत क्षमता की स्थापना की जा चुकी है। 50 मेगावाट की क्षमता, जो प्रदर्शन परियोजनाओं के द्वारा प्राप्त की गई है, को छोड़कर बाकी स्थापित क्षमता वाणिज्यिक परियोजनाओं पर आधारित है। चालू वर्ष के दौरान 30 मेगावाट की क्षमता पहले ही जोड़ी जा चुकी है और अन्य 50 मेगावाट की क्षमता को इसी वर्ष की बाकी अवधि के दौरान जोड़े जाने की संभावना है। संबंधित राज्यों के ग्रिडों में 2.7 बिलियन यूनिट से भी अधिक बिजली पहुंचाई गई है। राज्यवार संस्थापित पवन विद्युत क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) तीव्र वाणिज्यिक विकास इस क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धि है। पवन विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिन समस्या क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है उनमें पवन-स्थलों पर भूमि का आवंटन; यथाआवश्यक वाणिकी क्लियरेंस; कमजोर ग्रिडों और अपर्याप्त विद्युत निकासी की सुविधा और कुछ राज्यों में अनुकूल नीतियों का अभाव शामिल है।

विवरण

अक्तूबर, 1997 तक राज्यवार संस्थापित पवन विद्युत क्षमता

राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
तमिलनाडु	692
गुजरात	154
आंध्र प्रदेश	56
मध्य प्रदेश	11
कर्नाटक	10
महाराष्ट्र	5
केरल	2
उड़ीसा	1
कुल	931

संस्थागत समिति

353. श्री ए.सी जोस :
श्री आर. साम्बासिवा राव :
श्री संदीपान थोरात :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विमान उद्योग को पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए आई एफ सी आई सी आई सी, आई डी.बी आई के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए संस्थागत समिति गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में वायुयान सेवा को बेहतर बनाने के लिए नागर विमानन विकास कोष स्थापित करने का भी निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे विमानन उद्योग को कितनी सहायता प्राप्त होगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) विमानन सेक्टर के लिए इन्फास्ट्रंक्चर अपेक्षाएं प्रदान करने हेतु इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों के अध्ययन की दृष्टि से, उच्च शक्ति प्राप्त इन्टर इन्स्टीट्यूट ग्रुप के गठन का निर्णय लिया गया है जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, आई एफ सी आई, सी आई आई सी आई सी आई, आई डी एफ सी और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल किये गये हैं।

(ग) और (घ) एक "नागर विमानन विकास निधि" के सृजन का प्रस्ताव, प्रारूप नागर विमानन नीति का एक भाग है।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीविजन टावर की स्थापना

354. श्रीमती सुभावती देवी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन टावर स्थापित करने के संबंध में क्या मानवण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या त्रिमुहानी घाट, बहेड़ा, दरभंगा (बिहार) में टेलीविजन टावर स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या त्रिमुहानी घाट टेलीविजन टावर स्थापित किए जाने के लिए सभी मानवण्डों को पूरा करता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे स्थापित नहीं करने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) टी.वी ट्रांसमीटर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी विस्तृत मानवण्ड में अभी तक कवर न किए गए क्षेत्रों विशेषकर पर्वतीय, पिछड़े, जनजातीय, दूरवर्ती, संवेदनशील तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और उनसे परिणामी कवरेज जैसे भिन्न-भिन्न पहलू शामिल हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) त्रिमुहानी घाट, बहेड़ा उच्च ट्रांसमीटर, पटना के दूरवर्ती सेवा क्षेत्रों में आते हैं जो बहेड़ा से 105 कि.मी. की अनुमानित हवाई दूरी पर है। क्षेत्र में टी. वी सेवा के संतोषजनक अभिग्रहण के लिए उन्नत एंटिना और बूस्टर की आवश्यकता है संसाधनों तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए टी.वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में पेय जल और सफाई कार्यक्रम

355. श्री एस.डी.एन. आर. वाडियार : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से सहायता प्राप्त "पेयजल एवं पर्यावरण सफाई योजना" को कर्नाटक में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना के अन्तर्गत राज्य में विकास के लिए किन किन स्थानों का चयन किया गया है और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा वर्ष 1997-98 के दौरान परियोजना-वार कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या विश्व बैंक के मूल्यांकन दल ने हाल ही में राज्य का दौरा किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त दल द्वारा क्या सिफारिशें और सुझाव दिए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पु येरननायडू) : (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त योजना में निम्नलिखित जिलों को शामिल किया गया है :

1. बंगलूर, 2. बेलगांव, 3. बेल्लारी, 4. बीदर,
5. दक्षिणी कन्नड़ 6. गुलबर्गा 7. मांड्या 8. मैसूर,
9. रायचूर और 10. सिमोगा।

सितम्बर, 97 तक किया गया खर्च 950 मिलियन रुपए है। 1997-98 के शेष हिस्से के दौरान 200 मिलियन रुपए खर्च होने का अनुमान है।

(ग) जी, हां।

(घ) मूल्यांकन दल ने सुझाव दिया है कि पूर्ण हो चुके सभी ओवर हैड टैंकों और पाइप लाइनों का हाइड्रोलिक परीक्षण तत्काल करवाया जाना चाहिए, जलापूर्ति योजनाओं के लिए कर्नाटक विद्युत बोर्ड कनैक्शन में शीघ्रता लाई जाए, शौचालय प्रौद्योगिकियों और प्रभावी विपणन के लिए उनकी लागतों की ओर गैर सरकारी संगठनों को लगाया जाए, प्रोत्साहन साहित्य तैयार किया जाए और उन्हें उपलब्ध कराया जाए। एक गड्ढे वाले शौचालयों के लिए डिजाइन और विनिर्देश तैयार किए जाएं, पैन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं, प्रदर्शन के लिए ग्राम पंचायत कार्यालयों अथवा अन्य उपयुक्त स्थानों पर शौचालयों का निर्माण किया जाए तथा शौचालय उपयोग और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर समवर्ती मूल्यांकन करवाया जाना चाहिए। दल ने यह भी सुझाव दिया है कि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए निधियों का बेहतर उपयोग किया जाए।

सरकारी कालोनियों में अनधिकार प्रवेश

356. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली /नई दिल्ली में सरकारी कालोनियों में टैक्सी स्टैण्ड, दुकान और धार्मिक भवनों आदि में अनधिकार प्रवेश के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वैंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख)	टैक्सी स्टैंड	:	4
	दुकान	:	406
	धार्मिक ढांचे	:	56

(ग) अतिक्रमण हटाने के लिए इन मामलों की सूचना स्थानीय निकायों, सम्पदा निदेशालय तथा पुलिस को दी गई है। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों पर अनधिकृत परिसर बेदखली कानून के तहत कार्रवाई जी जा रही है। दिल्ली सरकार द्वारा गठित विशेष कार्यदल से भी इस बारे में मदद ली जा रही है।

दादर रेलवे स्टेशन पर भवन का गिरना

357. **श्री मोहन रावले** :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री एन. रामकृष्ण रेड्डी :
श्री चिन्तामन वानगा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 अक्तूबर, 1997 को मुम्बई में दादर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या छह पर पार्सल डिपो भवन गिर गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(घ) इस घटना के शिकार व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया;

(ङ) क्या उक्त भवन को असुरक्षित घोषित किया गया था;

(च) क्या उक्त भवन के असंतोषजनक रख-रखाव के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) प्रथम दृष्टि में इसका अभिकल्प घटिया था और इस ढांचे का रख रखाव करने वाले सीनियर सेक्सनल इंजीनियर की विफलता थी। रेल संरक्षा आयुक्त, मुम्बई सर्किल एक सांविधिक जांच कर रहे हैं और इस दुर्घटना का कारण मालूम करने के लिए उन्होंने अपनी मदद के लिए एक विशेषज्ञ रख लिया है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ग) 11 मृत और 81 घायल।

(घ) रेलों द्वारा मृतकों के निकट संबंधी को 50,000/- रुपये, घायलों को 10,000/- रुपये और मामूली चोट वाले व्यक्ति को 5,00/- रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था।

(ङ) जी नहीं।

(च) से (ज) रख रखाव करने वाले इंचार्ज सीनियर सेक्शनल इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को निलंबनाधीन रखा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जिम्मेवारी निर्धारित की जा सकती है।

माल डिब्बों का विनिर्माण

358. **श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लिये माल डिब्बों की कुल जरूरत का 5 प्रतिशत ही वैगन्स इंडिया लिमिटेड से विनिर्मित किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस उद्योग को माल डिब्बे की कुल लागत मूल्य का केवल 15 प्रतिशत ही आमान प्रभार मिला और 85 प्रतिशत रेलवे द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की लागत थी;

(घ) क्या रेलवे ने ठेकों की शर्तों में संशोधन कर माल डिब्बों के अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं को इस्पात और अन्य आदानों की आपूर्ति निःशुल्क दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। इस समय उद्योग को प्राप्त मूल्य मालडिब्बों कीकुल लागत का लगभग 45 प्रतिशत हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जूनागढ़ में आकाशवाणी का एफ. एम. केन्द्र और उच्च शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना

359. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :**
श्री सनत मेहता :
श्री दिलीप संघानी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूनागढ़ में आकाशवाणी का एफ.एम. केन्द्र और उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने के संबंध में गुजरात सरकार के अनुरोध पर अब तक कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के बहुत बड़े क्षेत्र के लोगों के हित में निर्णय लेने में सरकार को कितना समय लगेगा;

(ग) इस प्रस्ताव को अगली योजना में सम्मिलित करने के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) जी, हां। नौंवी योजना अवधि के दौरान जूनागढ़ में मौजूदा अल्प शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर की जगह 5 कि. वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर, प्ले बैक सुविधाओं तथा एक उच्च शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर सहित एक रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि, प्रस्ताव का कार्यान्वयन पर्याप्त निधि, अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं संगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

रेल सुरक्षा संबंधी न्यायिक आयोग

360. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री वी. वी. राघवन :
श्री भक्त चरण दास :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल सुरक्षा के सभी पहलुओं की जांच तथा समुचित सिफारिशें करने के लिए कोई न्यायिक आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत कुछ महीनों से रेल सुरक्षा पहलू खतरे में है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) गाड़ियों को संरक्षा में और सुधार के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित संरक्षा उपाय किए गए हैं :

(1) सभी ट्रंक मार्गों और मुख्य लाइन स्टेशनों पर रेल पथ परिपथन का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन।

(2) प्रोसीडिंग गाड़ी को लिए स्टार्टर और अग्रिम स्टार्टर सिगनल ऑन स्थिति में वापस आने तक स्लॉट का दिया जाना, रोकने के लिए सिगनलिंग सर्किट्री में परिवर्तन।

(3) रेल पथ अवसंरचना को सुदृढ़ बनाया गया है, फिश प्लेटों की झलाई तथा उन्हें हटा करके पटरियों को लम्बे झले हुए पटरी पैनलों में बदल दिया गया है।

(4) स्टेशन कर्मचारियों, ड्राइवर और चलती गाड़ियों के गार्ड के बीच संचार सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

(5) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ को चालन विशिष्टताओं पर निगरानी रखने के लिए, परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी कारों, दोलन देखी कारों और सुवाह्य एक्सीलरोमीटरों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(6) चल स्टाक की स्थिति में सुधार किया गया है। चौपहिया मालडिब्बों को बेहतर बोगी वात ब्रेक स्टाक से उत्तरोत्तर बदला जा रहा है।

(7) धुरों के कोल्ड ब्रेकेज के मामलों की रोकथाम के लिए धुरों में होने वाली कमियों के मामलों का समय से पता लगाने के लिए सभी नेमी ओवर हालिंग डिपुओं में पराश्रव्य परीक्षण उपस्कर लगाए गए हैं।

(8) बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं यथा प्रोजेक्टर, स्लाइडों, दुर्घटना मामलों के अध्ययन और उन पर विचार-विमर्श से कर्मचारियों के प्रशिक्षण को नया रूप दिया गया है।

(9) ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों को स्थापना की गई है। यथा कानपुर और तुगलकाबाद दो सिमुलेटर कार्य कर रहे हैं और आस्ट्रेलिया से 2 और सिमुलेटर आयात किए जा रहे हैं।

(10) यदि चलती हुई और रुक रही गाड़ीयों के ड्राइवर पूर्व निर्धारित समयांतराल पर ध्यान नहीं देता तो ड्राइवर को

सिगनल पर खतरे की अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली बम्बई उपनगरीय खंडों पर पहले ही चालू कर दी गई है।

(11) आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश तथा ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री को ले जाने वाले व्यक्तियों की जांच करने के लिए कतिपय नामित गाड़ियों में त्वरित कार्य दल तैनात किए गए हैं।

(12) निरिक्षणों और अचानक जांचों की बारम्बारता में वृद्धि की गई है। अधिक संरक्षा अभियान चलाए गए हैं।

वरिष्ठ नागरिकों तथा विद्यालय अध्यापकों को रियायत

361. **श्री राधामोहन सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों और माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए किराए तथा अन्य कतिपय रियायतें प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या औचित्य हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) 65 वर्ष और इससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को दूसरा शयनयान दर्जे के मेल/एक्सप्रेस के किरायों में 25 प्रतिशत की रियायत दी जाती है। प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के अध्यापकों को दूसरा /शयनयान दर्जा के मेल / एक्सप्रेस के किरायों में 25 प्रतिशत की रियायत दी जाती है जब ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक महत्व के स्थानों के शैक्षणिक भ्रमणों के लिए कम से कम चार के समूह में 300 कि.मी. से अधिक की यात्रा की जाती है। यह रियायत संबंधित स्कूल के मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका/प्रधानाचार्य से अपेक्षित प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत करने पर दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नई रेल गाड़ियां शुरू करना

362. **श्री नवीन पटनायक** :
प्रो. रासा सिंह रावत :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
प्रो. अजित कुमार मेहता :
चौधरी रामचन्द्र बैंदा :
श्री सुशील चन्द्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों, संसद सदस्यों और विभिन्न संगठनों द्वारा नई रेलगाड़ियों को शुरू करने के संबंध में की गई रेलगाड़ी-वार मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1997-98 के बजट में और उसके पश्चात् विभिन्न अवसरों पर घोषित की गई रेलगाड़ियों को शुरू कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में शुरू की गई नई रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) जिन रेलवे जोनों/डिवीजनों से ये रेलगाड़ियां गुजरती हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) दैनिक रेल यात्रियों को दी गई अतिरिक्त सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) उन नई रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक चालू नहीं किया गया है और उसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(छ) क्या इस समय चल रही सभी रेलगाड़ियों में हर किस्म के डिब्बों को जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सभी रेलगाड़ियों में हर किस्म की बोगियों को न जोड़ने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) नई गाड़ियां चलाने के लिए रेल प्रशासन को विभिन्न स्तरों पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। चूंकि यह सूचना व्यापक है और इसमें पुनरावृत्ति शामिल होता है अतः इसे गाड़ी -वार संकलित नहीं किया जाता है।

(ख) निम्नलिखित के सिवाय घोषित की गई गाड़ियों को चला दिया गया है:

1. अहमदाबाद-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
2. पोरबंदर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्स. (साप्ताहिक)
3. हवड़ा-न्यू जलपाई गुड़ी एक्स. (सप्ताह में तीन बार)
4. वास्को -बैंगलूर एक्सप्रेस
5. अमृतसर-जयपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)
6. निजामुद्दीन-सिकंदराबाद राजधानी एक्स. (साप्ताहिक)
7. भुवनेश्वर के लिए कोरापुट-रायगडा लिंक एक्स.

(ग) रेलें गाड़ियों को राज्य-वार नहीं चालाती हैं।

(घ) और (ङ) 1997-98 के दौरान 9 क्षेत्रीय रेलों और लगभग 40 मंडलों में भी दैनिक यात्रियों को सेवित करने वाली 101 गाड़ियां (40 एक्सप्रेस और 61 पैसेंजर गाड़ियां) चलाई गई हैं।

(च) उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित गाड़ियों को परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगियों के कारण शुरू नहीं किया गया है।

(छ) और (ज) जी नहीं। गाडियों में सभी किस्म के सवारी डिब्बे लगाना व्यवहार्य नहीं है।

जम्मू और कश्मीर में दूरदर्शन के कार्यक्रम

363. **श्री चमन लाल गुप्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के डोडा, रजौरी, पुंच, कलडन तथा अन्य सीमावर्ती जिलों में दूरदर्शन के कार्यक्रम को टीवी पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है;

(ख) यदि नहीं, तो कब से इसका प्रसारण वहां नहीं पहुंच रहा है;

(ग) क्या पाकिस्तानी टीवी के कार्यक्रम इन क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों के प्रसारण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान टी. वी. के कार्यक्रम प्राप्त होते हैं।

(घ) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में दूरदर्शन की कवरेज में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य के सीमावर्ती जिलों में भिन्न-भिन्न क्षमता की 14 टी. वी. ट्रांसमीटर परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अलावा, पुंछ तथा राजौरी जिलों में दो और उच्च शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटरों (उ.श.ट्रा.) को स्थापित करने का विचार है बशर्ते सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी, संसाधनों तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

वायु मार्ग के संबंध में विवाद

364. **श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़:**
श्री माधव राव सिंधिया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय वायु सेना के बीच वायुमार्ग डब्ल्यू-3-1 के बारे में विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप हाल ही में विमानों की टक्कर हुई थी. यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस मामले का समाधान कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) और (ख) जी, नहीं। कोई विवाद नहीं था, केवल इस वायु मार्ग को चौड़ा करने के संबंध में उनके बीच विचार-विमर्श हुआ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) मामले को परस्पर परामर्श से निपटा लिया गया है।

दिल्ली एपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, 1986

365. **श्री प्रमोद महाजन: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24.9.97 तथा 25.9.97 के "इंडियन एक्सप्रेस" नई दिल्ली में क्रमशः "बिल्डर्स कैश इन औन डिले इन एक्ट" तथा "नोटिफाईट फार II ईयर्स, एनफोंस्ड नेवर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं तथा सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) अब तक "दिल्ली एपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, 1986 में संशोधन किए जाने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित न करने का कारण यह है कि अधिनियम को अधिसूचित करने के तत्काल बाद दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण जो क्रियान्वयन प्राधिकरण है, ने अधिनियम के खण्ड 3(एम) में की गई अपेक्षानुसार सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति से संबंधित कतिपय मुद्दे उठाए। मामले पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि कैपिटल सिटी में अपार्टमेंट भवनों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कार्यकारियों की संख्या में वृद्धि के लिए "सक्षम प्राधिकारी" को पुनः परिभाषित करने की जरूरत है। यह भी महसूस किया गया कि मौजूदा अधिनियम के विविध अन्य खण्डों में निहित उपबन्ध पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा प्रावधानों का अनुपालन न करने की दशा में अधिनियम में कोई दण्ड प्रावधान नहीं है, जिससे अधिनियम प्रभावहीन लगता है। दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम के त्वरित क्रियान्वयन के लिए पद्धतियों की जांच तथा तैयारी के निमित्त जून, 1988 में एक कार्यदल का गठन किया गया था। इस कार्यदल की कई बैठकें हुई हैं और इसने विभिन्न उपबंधों में संशोधन की सिफारिश की है। अधिनियम गत दोषों के कारण निर्माताओं के कार्यकलापों को नियंत्रित करने की आवश्यकता हुई फलतः मौजूदा अधिनियम में व्यापक संशोधन की जरूरत महसूस की गई। यह महसूस किया गया कि मौजूदा अधिनियम में कुछ संशोधनों के बजाय व्यापक

विधान का प्रारूप तैयार करना उपयुक्त होगा, जिसमें निर्माता विनियमन से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जा सके और भावी प्लाट तथा फ्लैट धारकों के हितों की रक्षा की जा सके। तदनुसार, दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

(ग) सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विधेयक को शीघ्र सदन में पेश किया जाएगा। प्रारूप तैयार करने का काम लगभग अन्तिम चरणों में है।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में अनियमितताएं

366. **श्री रामबहादुर सिंह:**
श्री सुकदेव पासवान:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में कार्य परमिट जारी करने, सतर्कता अनुभाग में तैनाती भ्रष्टाचार और अनियमितताओं तथा यात्रियों से पैसा ठगने के मामलों का पता लगा है;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस धंधे में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर कार्य परमिट जारी करने में हुई अनियमितताओं तथा यात्रियों को लूटने के कुछ मामलों की जानकारी मिली है।

(ख) और (ग) पिछले दिनों में पुलिस ने 170 दलालों को गिरफ्तार किया है। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी ने आप्रजन विभाग से 10 वरिष्ठ निरीक्षकों का स्थानान्तरण करने की कार्रवाई की है। विमान कम्पनियां भी आंतरिक सतर्कता को कड़ी कर रही है।

[हिन्दी]

रिक्त पद

367. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) गत तो वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत श्रेणीवार कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने आर०के० सभरवाल बनाम पंजाब राज्य और भारत सरकार बनाम जे०सी० मलिक के मुकदमों में निर्णय दिया था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए नौकरी में आरक्षण पदों पर लागू होना चाहिए न कि रिक्तियों पर। न्यायालय ने आगे कहा था कि रिक्ति पर आधारित रोस्टर केवल उसी समय परिचालित हो सकते हैं जब तक एक संवर्ग में आरक्षित कोटियों से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाते। तत्पश्चात् रोस्टर परिचालित नहीं हो सकता और सामान्य कोटि और संबंधित आरक्षित कोटियों से संबंधित व्यक्तियों को अधिवर्षिता, त्यागपत्र, पदोन्नति आदि से विनिर्मुक्त रिक्तियां संबंधित कोटियों से व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा ही भरी जाएंगी ताकि आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत को कायम रखा जा सके।

उपर्युक्त सिद्धान्त के आधार पर भर्ती और पदोन्नति, दोनों के लिए पद पर आधारित रोस्टर तैयार किए गए हैं और पद पर आधारित रोस्टर के अनुसार अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि०व० की कमी का आकलन प्रक्रियाधीन है।

(ग) 1995-96 (1.4.95 से 31.3.96 तक) और 1996-97 (15.7.96 से 30.6.97 तक) विशेष भर्ती अभियानों में अ०जा०/अ०ज०जा० से संबंधित निम्नलिखित व्यक्तियों की भर्ती की गई है :

ग्रुप	1995-96		1996-97	
	अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०
"ग"	473	445	775	821
"घ"	533	1291	1068	1233
जोड़	1006	1736	1843	2054

उपर्युक्त विशेष भर्ती अभियान कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निदेशों के अनुसार शुरू किए गए थे। अन्य पिछड़े वर्गों की भर्ती के लिए ऐसा कोई विशेष भर्ती अभियान शुरू नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा प्रसारण

368. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत:**
श्री जगत वीर सिंह द्रोण:
श्री इलियास आज़मी:
श्री अशोक प्रधान:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में राज्यवार क्षेत्र कौन से हैं जहां पर दूरदर्शन और आकाशवाणी के नेटवर्क प्रदान नहीं किये गए हैं;

(ख) क्या सरकार का नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इनमें से कुछ क्षेत्रों में दूरदर्शन और आकाशवाणी के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कुछ और टी॰ वी॰ ट्रांसमीटरों और आकाशवाणी केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी): (क) राज्यवार कवर न किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार अब तक कवर न किए गए क्षेत्रों में रेडियो/टीवी कवरेज बढ़ाने एवं उपलब्ध कराने हेतु सतत रूप से प्रयत्नशील है। विभिन्न नए रेडियो/टीवी ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और मसौदा नौवीं योजना के दौरान ट्रांसमीटर की क्षमताओं को बढ़ाने को प्रस्ताव है जिससे कवर न किए गए क्षेत्रों की कवरेज में सुधार होगा। तथापि, इन स्कीमों का कार्यान्वयन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के अधीन होगा।

विवरण

क्र॰सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आकाशवाणी	दूरदर्शन
1	2	3	4
राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	2.0	21.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.0	88.7
3.	असम	17.0	26.0
4.	बिहार	–	5.6
5.	गोवा	–	0.1
6.	गुजरात	–	28.7
7.	हरियाणा	–	3.4
8.	हिमाचल प्रदेश	45.0	59.0
9.	जम्मू और कश्मीर	68.0	67.7
10.	कर्नाटक	5.0	38.3
11.	केरल	4.0	13.1
12.	मध्य प्रदेश	4.0	33.3
13.	महाराष्ट्र	2.0	24.3
14.	मणिपुर	–	67.9
15.	मेघालय	4.0	5.4
16.	मिजोरम	11.0	32.4
17.	नागालैण्ड	4.0	31.5
18.	उड़ीसा	3.0	20.4
19.	पंजाब	–	0.1
20.	राजस्थान	8.0	43.7
21.	सिक्किम	30.0	22.6
22.	तमिलनाडु	1.0	8.8
23.	त्रिपुरा	–	6.5
24.	उत्तर प्रदेश	10.5	19.6
25.	पश्चिम बंगाल	–	4.6
संघ शासित क्षेत्र			
1.	अंड. और निको. द्वीप समूह	20.0	73.8
2.	चण्डीगढ़	–	0.1
3.	दादर और नगर हवेली	–	34.8
4.	दिल्ली	–	0.1
5.	दमन और दीव	–	0.1
6.	लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीपसमूह	–	1.0
7.	पाण्डिचेरी	–	0.1

टिप्पणीः भूभागीय स्थिति पर विचार नहीं किया है।

निजी एयरलाइनों को लाइसेंस

369. **श्रीमती केतकी देवी सिंहः**
श्री पंकज चौधरीः
श्री महेन्द्र सिंह भाटीः
श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्तुथनः
श्री ए॰ जी॰ एस॰ रामबाबूः

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्गों पर प्रचालन हेतु निजी एयरलाइनों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए लम्बित आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार के लाइसेंस दिए जाने के लिए क्या मार्ग-निर्देश अपनाए जा रहे हैं;

(ग) इस समय प्रचालन कार्य कर रहे निजी एयरलाइनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इसके राष्ट्रीय विमान कंपनियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) और (ख) मैसर्स सहारा एयरलाइन्स और मैसर्स एलबी एयरलाइन्स से अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन की अनुमति हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स और मैसर्स मोदी लुफ्थ एयरलाइन्स से भी अनुरोध प्राप्त हुए थे जो इस समय प्रचालन नहीं कर रही हैं। वर्तमान नीति के अधीन, निजी एयरलाइनों को अन्तर्राष्ट्रीय सेक्टर पर प्रचालन की अनुमति नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

रेलगाड़ियों को रद्द किया जाना

370. **श्री सनत मेहता**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने वाली रेलगाड़ियों को 12 नवम्बर से 14 दिसम्बर 1997 तक स्टेशन को नया रूप दिए जाने के कार्य के कारण रद्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी हां।

(ख) रद्द की गई/आंशिक रूप से रद्द की गई/डाइवर्टिड गाड़ियों (एकल) की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

गाड़ियों की संख्या

	रद्द की गई	आंशिक रूप से रद्द की गई	टर्मिनल बदल गए	डाइवर्टिड	कुल
मेल/एक्सप्रेस	12	16	24	32	84
एमईएमयू/ईएमयू/पैसेंजर	6	2	4	14	26
कुल	18	18	28	46	110

[हिन्दी]

मॉडल रेलवे स्टेशन

371. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूर्वी रेलवे के गया जंक्शन स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने के बारे में योजना को अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गया और बोधगया के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और इन स्थानों पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के आवागमन को देखते हुए उक्त योजना के अंतर्गत एक रेलवे यात्री निवास का भी निर्माण किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल परियोजनाओं का निष्पादन/रख-रखाव

372. **श्रीमती पूर्णिमा वर्मा:**
श्रीमती शीला गौतम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने रेल परियोजनाओं के निष्पादन/रख-रखाव के लिए 1996 और 1997 के दौरान विदेशों से सहयोग का कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा में उच्च शक्ति/निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना

373. **डा० अरविंद शर्मा**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार ने हरियाणा के किन-किन स्थानों पर उच्च शक्ति/निम्न शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटरों को स्थापित करने की मंजूरी दी है;

(ख) इनमें से कितने स्थानों पर ये ट्रांसमीटर स्थापित किए जा चुके हैं;

(ग) शेष ट्रांसमीटरों के स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन ट्रांसमीटरों के कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) फिलहाल, हरियाणा में प्राथमिक चैनल के लिए भिवानी, हिसार, जींद, मेहम, रेवाड़ी, नारनौल और सिरसा में एक-एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर तथा डीडी-2 सेवा के लिए मण्डी डबवाली में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीअर चल रहा है और चरखी दादरी में दूसरे अल्प शक्ति ट्रांसमीटर लगाने का काम पूरा हो गया है। महेन्द्रगढ़, फिरोजपुर, झिरका और टोहाना में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर भी कार्यान्वयनाधीन है। इसके अलावा, एक उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर भी हिसार में स्थापित किए जाने का विचार है बशर्ते सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन, संसाधनों एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता हो।

(ग) सभी परियोजनाएं इनके कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सामान्य नियत समय के अंतर्गत पूरी हो गई हैं/पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(घ) हालांकि महेन्द्रगढ़, फिरोजपुर, झिरका और टोहाना में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर का कार्यान्वयन 1999 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है। हिसार में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम के अनुमोदन के बाद लगभग 3-4 वर्ष लगेंगे।

[अनुवाद]

को-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को भूमि का आवंटन

374. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल**: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज तक को-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समितिवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समितियों को किस दर पर तथा किस स्थान पर भूमि आवंटित की गई है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण कुछ और को-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज को भूमि का आवंटन करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक इस संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी, हां।

(ख) 126 सहकारी समूह आवास समितियों को द्वारका में भूमि आवंटित की गई है। इन समितियों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग)	दर (प्रति वर्गमीटर)	स्थान
1994-95	2033.61 रुपये	द्वारका
1995-96	2158.71 रुपये	द्वारका
1996-97	2216.00 रुपये	द्वारका
1997-98	3210.00 रुपये प्रारंभिक	द्वारका

(घ) से (च) जिन समितियों ने भूमि के लिए मांगे गए मूल्य का भुगतान कर दिया है, उन्हें प्लाट आवंटित करने के बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल कुछ और समितियों को भूमि की उपलब्धता के आधार पर पेशकश की जाएगी।

विवरण

समितियों की सूची जिन्हें द्वारका में भूमि आवंटित की गई है

1. ग्रेट कैपिटल सी जी एच एस लि॰
2. गोदरेज सी जी एच एस
3. श्री राम
4. यूनीक इंश्योरेंस
5. फ्रेन्ड्स सर्कल
6. प्रेरणा
7. डिफेंस लैंड कंटेटमेंट सीजीएचएस
8. सुरुचि
9. भवालपुर ब्रवारी सीजीएचएस
10. फिलिप्स
11. आई.आई.टी. इंजीनियर्स
12. श्री गनी नाथ
13. ई आई एल फ्लैटस्
14. गायत्री
15. एलिजिबली
16. खोसला प्रेसस्ट सी जी एच एस लि॰
17. जानकी
18. हिलाश
19. (ए एस वाई) आडियन्स
20. स्काई लार्क
21. नंदा देवी

22. पटेल सी जी एच एस
23. न्यू आरोही
24. वृंदावन गार्डन सीजीएचएस
25. सुमीत विहार
26. चिमनर सीजीएचएस
27. प्राग ज्योतिषपुर
28. न्यू जय भारत
29. सहभावना
30. शिवालिका
31. आजाद हिन्द
32. भाड़वार
33. प्रौद्योगिकी
34. राजेस्वा
35. भवालपुर
36. शीतल विहार
37. शमन विहार
38. कालका सी जी एच एस
39. मांगलिक सीजीएचएस
40. परम पुनीत
41. न्यू कोसमोजोलिटन
42. होम लिविंग
43. श्री राधा
44. संतोष
45. जवाहर लाल
46. ग्रेट लायलपुर
47. आदर्श आर्य
48. स्वामी दयानन्द
49. आर्डिनेंस फैक्टरी आफिसर्स सी जी एच एस
50. नौवो इंजीनियर्स
51. सोम सी जी एच एस
52. मांउट एवरेस्ट
53. एटरप्रेन्योर्स
54. सतीसर जी जी एच एस
55. अपूर्वा
56. राम कृष्ण सी जी एच एस
57. एलिफेन्ट हैड
58. सुखी परिवार
59. मुनीरका
60. ई.सी.आई.एल.सी.जी.एच.एस.
61. सफीक-उर्र-रहमान
62. राव सी जी एच एस
63. मास सी जी एच एस
64. ईश्वर
65. ए. आई.एम.ओ.
66. धर्म विहार
67. डब्ल्यू टी.पी. बदरपुर, एम्पलायीज
68. बंधु विहार
69. उद्योग विहार
70. जागरण सी.जी.एच.एस
71. उपकारी
72. मनचाहत
73. विक्रम नगर
74. गुरू सी जी एच एस
75. दिल्ली पब्लिक स्कूल
76. के.एम.सी.जी. एच एस लि॰
77. हिम-हिट
78. नव संजीवन
79. जकारिया अधाही नगर
80. गांधी आश्रम
81. आरती सी जी एच एस
82. नव रतन
83. हिमाचल प्रदेश
84. प्रालधनी
85. हिमालय

86. डीजल शैड
87. दिल्ली म्यूनिसिपल प्रेस
88. टू फ्रेंड्स्
89. लवली होम
90. सावन सी जी एच एस
91. यूनियन रिहैबीलिटेशन
92. मनीषा
93. इंटर स्टेट
94. देवास
95. नव निर्माण
96. शुभ लक्ष्मी
97. रफी अहमद किदवई
98. राजा उग्रसेन
99. एस॰बी॰आई॰ कर्मचारी
100. भागवत श्री गामतेश्वर
101. दिल्ली ट्रांसपोटर्स् सीजीएचएस लि॰
102. विश्वास नगर इवैक्यूईस
103. बटुकजी
104. आगाक्रोस
105. यंगस्टरस्
106. तरूणा
107. संचारी विहार
108. अरिहन्त सिद्धार्थ
109. भारत पेट्रोलियम
110. सपना घर
111. सतकरतार विहार
112. एयर इण्डिया एम्पलाइज
113. होमली बुडलैंड
114. हिमाचल धौलाधर
115. मनोचा विहार
116. संत सुन्दर दास जी
117. न्यू राजपूत
118. सेठ विहार
119. प्राज्ञ
120. खत्तार
121. डमदम
122. मोडेस्ट केशको
123. मंदाकिनी
124. वेग संचार
125. मीडिया

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण

375. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:**
श्री विजय गोयल:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन रिहायशी योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक पंजीकृत किया गया है;

(ख) योजनावार ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने फ्लैटों/प्लाटों के लिए पंजीकरण कराया है और अभी भी प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ग) प्राधिकरण द्वारा निर्मित अनेक फ्लैटों का आवंटन कब से नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्राधिकरण द्वारा जिन आवासीय योजनाओं के अंतर्गत पंजीकरण किया था, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ख) फ्लैट/प्लाट के लिए पंजीकृत और प्रतीक्षा व्यक्तियों की योजनावार-संख्या इस प्रकार है :

फ्लैट

	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता
न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम-1979	10097	17231	-
अम्बेडकर आवास योजना-1987	3848	6136	-
जनता आवास पंजीकरण योजना-1996	-	-	15471

प्लॉट

रोहिणी आवास योजना, 1981 (प्लॉट) के अन्तर्गत पंजीकृत और प्रतीक्षारत व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित हैं:

मध्यम आय वर्ग	-	13829
निम्न आय वर्ग	-	20013
जनता	-	4463

(ग) और (घ) फ्लैटों का आवंटन एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जैसे ही फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा होता है, तो उनके आवंटन के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाती है। तथापि, 31.3.97 तक 5357 फ्लैट खाली थे, जिनका निर्माण कार्य तो पूरा हो चुका है, परन्तु उनमें विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। इन फ्लैटों को इस निर्णय के आलोक में आबंटित नहीं किया गया था कि जिन फ्लैटों में बिजली/नागरिक सुविधाएं अभी तक नहीं हैं को आबंटित नहीं किया जाए।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित आवास योजनाएं

क्रम सं.	योजना का नाम	वर्तमान स्थिति	पिछला बकाया (बैंक लॉग)
1.	सामान्य आवास पंजीकरण योजना-1969	समाप्त	शून्य
2.	सामान्य आवास पंजीकरण योजना-1971-72	समाप्त	शून्य
3.	सामान्य आवास पंजीकरण योजना-1972	समाप्त	शून्य
4.	सामान्य आवास पंजीकरण (अनु.जाति/अनु.ज.जाति) योजना-1973	समाप्त	शून्य
5.	सामान्य आवास पंजीकरण योजना-1976	समाप्त	शून्य
6.	स्व-वित्त आवास पंजीकरण योजना-I-1977	समाप्त	शून्य
7.	स्व-वित्त आवास पंजीकरण योजना-II-1978	समाप्त	शून्य
8.	स्व-वित्त आवास पंजीकरण योजना-III-1979	समाप्त	शून्य
9.	स्व-वित्त आवास पंजीकरण योजना-IV-1981	समाप्त	शून्य
10.	सेवा निवृत हुए/होने वाले व्यक्तियों हेतु विशेष पंजीकरण योजना(एस.एफ.एस.), 1981	समाप्त	शून्य
11.	सेवा निवृत हुए/होने वाले व्यक्तियों हेतु विशेष पंजीकरण योजना (एस.एफ.एस.) 1983	समाप्त	शून्य
12.	सेवा निवृत होने वाले व्यक्तियों के लिए सामान्य आवास पंजीकरण योजना, 1982	समाप्त	शून्य
13.	सेवा निवृत होने वाले व्यक्तियों के लिए सामान्य आवास पंजीकरण योजना, 1985	समाप्त	शून्य
14.	स्व-वित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना-V, 1982	समाप्त	शून्य
15.	स्व-वित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना-VI, 1985	समाप्त	शून्य
16.	न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1979	अभी चल रही है।	
17.	अनु.जा/अनु.ज.जा. हेतु अम्बेडकर आवास योजना-1989	अभी चल रही है।	
18.	जनता आवास पंजीकरण योजना-1996	अभी चल रही है।	

प्लाट स्कीम

रोहिणी आवास योजना-1981 अभी चल रही है।

टिप्पणी :

उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित योजनाओं में फ्लैटों/आवासों के आबंटन के लिए भी आवेदन-पत्र आमंत्रित किये हैं:

1. स्व-वित्त पोषित आवास योजना-VII	1994
2. विस्तारणीय आवास योजना	1995
3. स्व-वित्त पोषित योजना-VIII	1995
4. स्व-वित्त पोषित योजना-IX	1996
5. विस्तारणीय आवास योजना	1996

नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए हुडको योजना

376. **श्री मदन पाटिल:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) का नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए कोई विस्तार कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा राज्यवार आवास और बुनियादी ढांचे हेतु हुडको द्वारा कुल कितनी राशि वितरित की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान हुडको द्वारा महाराष्ट्र राज्य में चलाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) जी, हां। हुडको की कारपोरेट प्लान में नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 14,745.50 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर करने और 22, 698.54 करोड़ रु॰ की धनराशि जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के संगत आंकड़े क्रमशः 8679.61 करोड़ तथा 5764 करोड़ रु॰ हैं।

(ख) आवास स्कीमों के लिए हुडको द्वारा राज्यवार ऋण का नियतन, प्रत्येक राज्य के क्षेत्रफल/आबादी के आधार पर प्रत्येक वित्त वर्ष के शुरू में किया जाता है। 1997-98 के दौरान आवास राज्य वार ऋण नियतन और गत तीन वर्षों के दौरान नियतन और वास्तविक मंजूरी के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। अवस्थापना स्कीमें राज्यों से प्राप्त मांग और उपलबध संसाधनों के आधार पर मंजूर की जाती हैं।

(ग) हुडको द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा राज्यवार वितरित ऋण राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(घ) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान राज्य एजेंसियों को हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

आवास स्कीम

श्रेणीवार ऋण मंजूरी

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	ई.डब्ल्यू.एस. (ग्रामीण)	ई.डब्ल्यू.एस. (शहरी)	एल.आई.जी.	एम.आई.जी.	एच.आई.जी. अन्य	शहरी अवस्थापना	मेहनताना	कुल
1994-95	9.25	8.81	18.52	20.83	2.29	15.98	-	73.89
1995-96	-	2.33	8.36	18.05	9.36	37.53	-	75.63
1996-97	-	5.15	-	0.08	15.76	29.83	20.80	71.62
1997-98 (31.10.97 तक)	-	8.23	0.94	9.36	5.54	-	7.40	23.47

विवरण-I

आवास हेतु ऋण मंजूरी/नियतन वर्ष 1994-95 से 1997-98

(रु॰ करोड़ों में)

राज्य	1994-95 ऋण नियतन	1994-95 ऋण मंजूरी	1995-96 ऋण नियतन	1995-96 ऋण मंजूरी	1996-97 ऋण नियतन	1996-97 ऋण मंजूरी	1997-98 नियतन
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	65.19	63.73	71.85	76.63	118.85	202.18	117.56
अरुणाचल प्रदेश	0.51	0.00	0.28	0.00	0.40	0.00	1.56

1	2	3	4	5	6	7	8
असम	22.21	23.74	44.20	35.65	0.40	33.04	70.55
बिहार	50.07	11.75	34.35	26.32	17.93	49.59	53.32
गोवा	2.19	9.00	1.17	0.42	46.45	0.85	1.44
गुजरात	68.26	57.38	66.71	46.00	1.36	47.39	66.54
हरियाणा	13.06	19.38	41.21	56.07	56.15	17.45	29.94
हिमाचल प्रदेश	3.71	5.74	7.23	34.08	17.52	20.16	15.21
जम्मू और कश्मीर	11.02	1.30	13.60	13.67	10.49	0.89	15.20
कर्नाटक	53.08	82.47	44.92	92.84	14.86	81.89	95.66
केरल	27.15	69.89	85.47	118.51	18.29	177.79	70.17
मध्य प्रदेश	70.05	60.04	77.26	74.64	83.81	77.60	184.24
महाराष्ट्र	101.00	73.92	54.25	38.17	92.36	41.79	76.38
मणिपुर	4.66	6.06	2.56	5.77	75.12	39.65	17.42
मिजोरम	6.03	0.00	3.31	5.26	12.13	5.38	15.72
मेघालय	3.08	13.49	2.01	0.94	6.13	5.74	8.87
नागालैण्ड	2.74	5.77	1.89	0.00	3.75	5.89	9.42
उड़ीसा	27.73	37.83	31.29	18.74	6.83	33.90	85.99
पंजाब	19.98	28.98	30.78	8.21	31.26	31.10	30.89
राजस्थान	56.05	55.57	55.35	75.10	22.92	90.46	79.26
सिक्किम	0.20	9.49	0.11	6.50	79.09	7.14	0.56
तमिलनाडु	77.20	121.48	141.73	159.88	0.12	186.88	133.20
त्रिपुरा	2.90	0.27	1.65	0.73	137.33	0.09	7.94
उत्तर प्रदेश	93.12	66.77	50.27	57.58	2.30	101.74	80.77
पश्चिम बंगाल	54.25	36.04	52.28	38.30	83.53	48.35	49.76
अंडमान व नि. द्वी. स.	0.43	0.00	0.22	1.49	57.18	0.00	1.36
चण्डीगढ़	1.48	0.00	2.87	0.00	0.25	0.00	0.93
दादर व नगर हवेली	0.08	0.00	0.05	0.00	0.88	0.00	0.06
दिल्ली	15.96	0.70	9.61	0.00	0.06	1.84	18.88
लक्षद्वीप	0.11	0.00	0.07	0.00	11.17	0.00	0.08
पांडिचेरी	1.50	0.00	0.84	0.00	0.08	0.00	1.04
दमन और दीव	0.00	0.00	0.08	0.00	0.98	0.09	0.09
कुल	847.00	859.96	929.50	991.50	1078.01	1308.78	1340.01

विवरण-II

राज्य	1994-95	1995-96	1996-97
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.57	0.74
आन्ध्र प्रदेश	80.55	82.16	194.92
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
असम	23.19	20.04	19.86
बिहार	3.94	15.46	24.29
चंडीगढ़	0.05	15.46	0.00
दमण व दीव	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.38	110.83	108.12
दादरा नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
गोवा	0.00	1.95	0.30
गुजरात	41.43	35.44	46.72
हिमाचल प्रदेश	4.72	20.44	20.67
हरियाणा	22.60	18.37	22.10
जम्मू व कश्मीर	6.59	5.44	43.92
केरल	134.42	144.31	241.71
कर्नाटक	158.54	222.76	194.55
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0.58	4.06	11.48
महाराष्ट्र	85.91	91.62	112.91
मणिपुर	3.74	3.35	15.59
मध्य प्रदेश	35.06	39.21	40.81
मिजोरम	2.18	3.35	8.60
नागालैंड	7.21	2.18	4.90
उड़ीसा	54.99	24.96	26.16
पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
पंजाब	68.67	35.61	23.19
राजस्थान	63.73	66.59	83.44
सिक्किम	4.44	12.82	4.67
तमिलनाडु	184.44	196.16	236.74
त्रिपुरा	0.68	0.30	0.14
उत्तर प्रदेश	75.51	39.96	43.32
पश्चिम बंगाल	58.03	43.86	40.12
कुल	1121.58	1241.80	1539.97

एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस की समस्याएं

377. **श्रीमती वसुंधरा राजे:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) इन एअरलाइनों को और अधिक प्रतियोगी बनाने के उद्देश्य से इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जाने की आवश्यकता है;

(ग) क्या एअर इंडिया अथवा इंडियन एअरलाइंस द्वारा इस मामले में कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (घ) एअर इंडिया ब्याज और नये विमान पर मूल्यह्रास के कारण व्यय में वृद्धि बढ़ती हुए प्रतिस्पर्धा और प्रचालनों की लागत के कारण लब्धि में कमी बढ़ते हुए अवतरण, हैंडलिंग और विश्वालनात्मक प्रभारों इत्यादि के कारण वित्तीय कठिनाई/कठिनाइयों का सामना करती आ रही है।

हानियों के कारणों की एक व्यापक छानबीन करने और कम्पनी की पूर्व स्थिति बहाली के लिए रणनीति विकसित करने के लिए सरकार ने हाल ही में टैरिफ आयोग के अध्यक्ष, डा. विजय केलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसी दौरान, एअर इंडिया ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें अपने प्रचालनों की पुनः संरचना, विपणन प्रयासों में तेजी लाना, किरायों में वृद्धि इत्यादि शामिल हैं।

इंडियन एयरलाइन्स ए 320 विमान-बेड़े के ग्राउंडिंग होने, ट्रंक मार्गों पर निजी एयरलाइनों के प्रवेश, विमानचालकों के पलायन, प्रचालनात्मक लागतों में वृद्धि इत्यादि के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना करती आ रही है।

इंडियन एयरलाइन्स में हुई हानियों के कारणों की छानबीन करने और एक पूर्व स्थिति बहाली संबंधी रणनीति तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गयी थी। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसकी सिफारिशें इस समय जांच अधीन हैं।

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा अतिक्रमणों का हटाया जाना

378. **डा. बलिराम:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् ने सितम्बर, 1977

के दौरान गोल मार्किट, नई दिल्ली के उद्यान मार्ग और पुराने आश्रम मार्ग की सड़कों तथा पटरियों से अवैध अतिक्रमण हटा दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों की सांठ-गांठ से इन पर पुनः कब्जा कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस लापरवाही के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एन डी एम सी ने सूचित किया है कि बेदखली के बाद पुनः कब्जा करने के लिए उनकी अतिक्रमण करने की प्रवृति रहती है। झुग्गीवासियों ने एन डी एम सी द्वारा लगाई गई रेलिंग को हटा दिया तथा 18 अतिक्रमणों को हटाकर उसे 4.11.1997 को पुनः लगाया गया है।

[अनुवाद]

यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ समझौता

379. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:**
श्री संतोष मोहन देव:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी एयरलाइन कम्पनी "यूनाइटेड एयरलाइंस" एशिया में अपने विमानयात्री-बाजार का विस्तार कर रही है और सम्भावित समझौता हेतु भारतीय कम्पनियों के साथ बातचीत करने की इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के साथ किसी समझौता पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किए गए अंतिम समझौता का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) से (घ) एअर इंडिया ने पहले ही यूनाइटेड एयरलाईस के साथ सात सेवाओं के संबंध में एक कोड-शेयर करार कर लिया है जिसके अनुसार दोनों प्रत्येक सेवा यूनाइटेड एयरलाईस द्वारा लोसएंजेल्स-दिल्ली-लोसएंजेल्स तथा वाशिंगटन-दिल्ली-वाशिंगटन मार्गों पर प्रचालित की जा रही हैं। हांगकांग प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई कतिपय आपत्तियों के कारण इस समय हांगकांग होकर लोसएंजेल्स-दिल्ली-लोस एंजेल्स सेक्टर पर कोड-शेयर निलंबनाधीन है।

विमान दुर्घटनाओं का होते-होते बचना

380. **श्री वी. एम. सुधीरन:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले एक वर्ष के दौरान बढ़ती हुई ऐसी घटनाओं की जानकारी है जिसमें आकाश से विमान दुर्घटना होते-होते बची; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) वर्ष 1996 के दौरान विमान के आपस में दुर्घटना होते-होते बचने की दो घटनाएं और 1997 के दौरान आज तक चार घटनाएं हुई।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय ने वे अपेक्षाएं तैयार की हैं जिन्हें नागर विमानन अपेक्षाओं के माध्यम से जारी किया गया है जो विमानों और मोड "एस" ट्रांसपोंडरों पर एयरबोर्न कोलिजन एवोआईडेन्स प्रणाली के अनिवार्य संस्थापन के बारे में हैं। मध्य आकाश में टक्कर की संभावनाओं से बचने के लिए उठाए गए मुख्य कदम ये हैं: (1) विमान यातायात नियंत्रकों के व्यावसायिक ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, (2) विमान यातायात नियंत्रकों की सावधिक दक्षता जांच, (3) विमान यातायात नियंत्रकों के टेप ट्रांस्क्रीफटों का मासिक यदा-कदा विश्लेषण जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विमान यातायात नियंत्रक विमानों को अनुदेश जारी करते समय मानक शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं तथा निर्धारित कार्यविधियों का अनुपालन करते हैं। (4) विमान यातयात नियंत्रण घटनाओं में अंतर्ग्रस्त विमान यातायात नियंत्रण अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई, (5) दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों पर विमान यातायात सेवाओं का आधुनिकीकरण, और (6) विश्वसनीयात्मक संचार और अवतरण संबंधी सुविधाओं की उपयुक्त व्यवस्था।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र

381. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फर्रुखाबाद तथा इसके आस-पास इटावा, मैनपुरी, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई जैसे जिलों में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उक्त मांग के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, नहीं। इन स्थानों पर आकाशवाणी केन्द्र/रिले केन्द्र स्थापित करने की कोई मांग नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में आकाशवाणी नेटवर्क द्वारा इन सब स्थानों को पूरी तरह कवर किया जाता है।

दूरदर्शन पर मराठी कार्यक्रम के प्रसारणार्थ समय

382. **श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन पर मराठी कार्यक्रमों के प्रसारणार्थ पर्याप्त समय दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने दूरदर्शन पर मराठी कार्यक्रमों के प्रसारणार्थ अधिक समय आवंटित करने के लिए प्रार्थना की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार से शुक्रवार तक केवल मराठी कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए चैनल-I पर 90 मिनट का और समय आवंटित करने हेतु अनुरोध किया था;

(घ) दूरदर्शन ने इस उद्देश्य हेतु अपनी क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनल सेवा पर मराठी में प्रातः 9.30 बजे से पूर्व 60 मिनट का समय दिया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय

383. **श्री बीर सिंह महतो:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रविवार और अवकाश के दिनों में शिकायतें प्राप्त करने हेतु उचित प्रबंध करने के लिए महानिदेशक (निर्माण) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली-द्वारा कोई निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषकर सी.जी.एच. कॉम्प्लेक्स, वसन्त विहार, नई दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों में इन निर्देशों को कार्यान्वित कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि आवंटी अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित शिकायतें निर्दिष्ट सेवा केन्द्रों पर दर्ज करा सकते हैं, जो छुट्टी तथा रविवार को खुले रहते हैं।

(ग) जी, हां। वसंत विहार सरकारी कालोनी के आवंटी अपनी शिकायतें सैक्टर-8, आर.के.पुरम, सेवा केन्द्र में रविवार तथा छुट्टियों के दिनों में भी दर्ज करा सकते हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं।

रेल मार्ग का नवीकरण

384. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:**
श्री भक्त चरण दास:
श्री वसुदेव आचार्य:
श्री देवेन्द्र बहादुर राय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारतीय रेल के अंतर्गत कुल कितने रेल मार्ग का नवीकरण किया जाना है; और

(ख) तत्संबंधी जोनवार ब्यौरा क्या है और नवीकरण के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 10957 कि.मी. (पूर्ण रेलपथ नवीकरण इकाइयां)

(ख) 1.4.97 की स्थिति के अनुसार नवीकरण के लिए बकाया रेलपथों की जोन-वार स्थिति नीचे दी गई है:

रेल	बकाया नवीकरण कि.मी. में (पूर्ण रेलपथ नवीकरण इकाइयां)
म.रे.	2092
पू.रे.	1215
उ.रे.	2671
पूर्वोत्तर	459
पू.सी.रे.	64
द.रे.	583
द.म.रे.	842
द.पू.रे.	2144
प.रे.	887
जोड़	10957

वर्ष 1997-98 के दौरान 2740 पूर्ण रेलपथ नवीकरण इकाइयां पूरे किए जाने का लक्ष्य है। 3600 कि.मी. पूर्ण रेलपथ नवीकरण इकाइयों को वर्ष 1998-99 के लिए स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है। रेलपथ नवीकरण के लिए धन की उपलब्धता के आधार पर रेलपथ नवीकरण के बकाया को समाप्त किया जाएगा।

रेलगाड़ी का शुरू किया जाना

• 385. **श्री सत महाजन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा पठानकोट होकर जम्मू तथा हरिद्वार के बीच एक रेलगाड़ी शुरू करने का वादा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित रेलगाड़ी कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी।

ग्रामीण क्षेत्र सम्पर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को केन्द्रीय निधि

386. **श्री भक्त चरण दास:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र सम्पर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत कालाहांडी तथा नुआपारा जिलों में पुलों के निर्माण हेतु उड़ीसा सरकार को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख पुलों का जैसे सुन्दर नदी तथा तेल नदी पर पुलों का निर्माण कार्य भी आरम्भ किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त धनराशि की सहायता से अन्य कौन-कौन से पुल निर्माणाधीन हैं; और

(ङ) इन पुलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एरोड-एर्णाकुलम रेल लाइन का विद्युतीकरण

387. **श्री पी. सी. थामस:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एरोड-एर्नाकुलम रेल लाइन के विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस पर अब तक कितना व्यय हुआ है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) इरोड-एर्णाकुलम रेल लाइन के इरोड-शोरनूर/वल्लात्तलिनगर के बीच विद्युतीकरण का कार्य मार्च 97 में पहले ही पूरा हो गया है और उपर्युक्त लाइन के शेष भाग पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ख) मार्च, 97 तक इस परियोजना पर 99.36 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

भारत-बंगलादेश क्षेत्र में दूषित पेय जल

388. **श्री अजय मुखोपाध्याय:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत-बंगला देश क्षेत्र के विषय में आर्सेनिक से सबसे अधिक प्रदूषित पेय जल की ओर आकृष्ट किया गया है जो और अधिक प्रदूषित होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को कोई चेतावनी दी है; और

(ग) यदि हां, तो जल के आर्सेनिक से प्रदूषित होने संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों पर सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस समस्या को हल करने के लिए दिशानिर्देश देने और कार्य योजना तैयार करने के लिए 29 अप्रैल से 1 मई, 1997 तक नई दिल्ली में सरकारी प्रतिनिधियों/वैज्ञानिकों, संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य दाता एजेन्सियों के लिए एक क्षेत्रीय सम्मेलन (कंसलटेशन) आयोजित किया।

(ग) भारत सरकार/विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोगी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षक कार्यशाला, पानी की गुणवत्ता विश्लेषण के लिए फील्ड प्रशिक्षण, आर्सेनिक टैस्ट किट बनाने, राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला पश्चिम बंगाल में जन चेतना जागृत करने और जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

इनके अलावा, ग्रामीण कार्य तथा रोजगार मंत्रालय ने बताया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आर्सेनिक संदूषण की समस्या को हल करने के लिए 750 करोड़ रु० की लागत पर स्थायी और फौरी उपायों की परिदृश्य योजना तैयार की है। इस मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन के तहत कई शोध तथा विकास परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने पश्चिम बंगाल के कुछ प्रभावित इलाकों में सर्वे तथा शोध तथा विकास परियोजना शुरू की हैं।

सिविल अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले

389. डा. मुरली मनोहर जोशीः क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1995-96 में मंत्रालय के सतर्कता विभाग द्वारा सिविल अधिकारियों के भ्रष्टाचार बेइमानी और उनकी आय से अधिक सम्पत्ति होन के कितने मामलों की जांच की गई;

(ख) इसमें लिप्त अधिकारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ग) 1995-96 में भ्रष्टाचार और बेइमानी की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सतर्कता विभाग बेइमानी और भ्रष्टाचार के अपराध के संदिग्ध कर्मचारियों के खिलाफ स्वतः कार्यवाही शुरू करता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सतर्कता विभाग के अधिकारों के प्रयोग की समीक्षा करने का विचार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) 20 मामले (आठ पुराने तथा वर्ष 1995-96 के दौरान प्राप्त 12 मामले)।

(ख) प्रारम्भिक जांच के बाद समूह "क" के केवल एक अधिकारी को संलिप्त पाया गया तथा उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। समूह "ख" के दो अधिकारियों के संबंध में प्रारम्भिक जांच की जा रही है।

(ग) 12 मामले प्राप्त हुए थे तथा विभाग में उनकी प्रारम्भिक जांच कराई गई थी। प्रारम्भिक जांच करने पर 10 मामलों में शिकायतें प्रमाणित नहीं पायी गई, अतः इन मामलों में कार्रवाई बंद कर दी गई। एक मामले में शिकायत पर कार्रवाई बंद कर दी गई, क्योंकि जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई थी उसकी मृत्यु हो गई। एक मामलें में विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(घ) सामान्यतः शिकायतें आने पर सतर्कता अनुभाग द्वारा कार्रवाई शुरू की जाती है परन्तु यदि आसूचना की इसकी अपनी ही प्रणाली के माध्यम से इसके कर्मचारियों का दुराचार या कदाचार जानकारी में आता है तो यह कार्रवाई शुरू कर सकता है।

(ङ) और (च) मंत्रालय में सतर्कता अनुभाग के कार्यकरण की हाल ही में समीक्षा की गई तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर तैयार की गई वर्ष 1997-98 की वार्षिक कार्य योजना मंत्रालय द्वारा अपना ली गई है। कार्य योजना में मुख्यरूप से निरोधक सतर्कता, निगरानी और पता लगाना तथा निवारक दण्डात्मक कार्रवाई सम्मिलित है। कार्य योजना पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में मंत्रालय में सतर्कता तंत्र को मजबूत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जैसे संवेदनशील पदों की पहचान करना तथा उन पर बारी-बारी से तैनाती करना तथा भ्रष्टाचार वाले क्षेत्रों की पहचान करना आदि।

कलकत्ता मेट्रो रेलवे को हुआ घाटा

390. श्री सनत कुमार मंडलः
श्री रूपचन्द पालः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कलकत्ता मेट्रो रेलवे को वर्ष 1995-96 में 13.78 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1996-97 में 18.64 करोड़ रुपये की हानि हुई है जबकि वर्ष 1996-97 में महानगर में यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कलकत्ता महानगर में वर्ष 1995-96 और 1996-97 में कितनी राशि के टिकटों की बिक्री हुई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान मैट्रो रेलवे में श्रेणी-वार कितना कार्य चालन व्यय हुआ; और

(ङ) कलकत्ता महानगर रेलवे की हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठा रहा है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) कलकत्ता मैट्रो को 1996-97 में 19.77 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जबकि 1995-96 के दौराम 13.78 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

इस घाटे में बढोतरी मेट्रो परिचालनों की लागत को स्थायी और परिवर्तनशील घटकों में हुई वृद्धि तथा गाड़ी सेवाओं की संख्या में बढोत्तरी के कारण हुई है।

(ग) टिकटों की बिक्री आदि से आर्जित राजस्व निम्नानुसार है:

वर्ष	यात्रियों को संख्या (करोड़ में)	आमदनी (करोड़ रु. में)
1995-1996	4.33	11.70
1996-1997	6.26	17.42

(घ) संचालन व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	सकल संचालन व्यय	पैंशन आरक्षित निधि के विनियोग	शुद्ध संचालन व्यय	संचालन व्यय की मुख्य कोटियां		
				कर्मचारी	ऊर्जा	अनुरक्षण
1995-96	25.48	3.23	22.25	6.78	11.02	2.20
1996-97	37.19	4.15	33.04	10.92	14.96	3.01

(ङ) 1. किराया संरचना में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

2. अनुचित प्रतियोगिता समाप्त करने तथा परिसंपत्तियों का इष्टतम उपयोग करने के लिए मेट्रो गलियारे के साथ-साथ बस मार्गों को युक्ति युक्त बनाने के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया गया है।

3. राज्य सरकार से बिजली ऊर्जा की रियायती दर बहाल करने का अनुरोध किया गया है जिसे नवम्बर 1996 से वापस ले लिया गया था।

4. मेट्रो स्टेशन और इसके बाहर उपलब्ध स्थान का विज्ञापनों और अन्य वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयोग करना।

दूरदर्शन द्वारा उठाये गए घाटे

391. **श्री आर. एल. पी. वर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई 17, 1996 से अक्तूबर, 1996 तथा फरवरी, 1995 से सितम्बर, 1996 के दौरान समाचार-आधारित कार्यक्रमों 'आज तक' 'टू नाइट' कार्यक्रमों के प्रायोजन को उदारता पूर्वक मुक्त वाणिज्यक समय (एफ.सी.टी.) दिया गया;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या मुद्दे की जांच की गई है तथा दोषी व्यक्तियों को सजा दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) 31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के पैरा संख्या 11.1 एवं 11.2 में 'न्यूज टू नाइट' और 'आज तक' कार्यक्रमों के संदर्भ में उल्लेख किया है कि अतिरिक्त निःशुल्क वाणिज्यिक समय प्रदान करने के इन कार्यक्रमों के निर्माताओं को अवांछित लाभ देन के फलस्वरूप दूरदर्शन को क्रमश 5.38 करोड़ रुपये एवं 6.60 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

ऊपर उल्लिखित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर 'आज तक' को अतिरिक्त निःशुल्क वाणिज्यिक समय प्रदान करने संबंधी मामला फिलहाल लोक लेखा समिति के जांचाधीन है। मैसर्स एन.डी.टी.वी. द्वारा निर्मित 'न्यूज टू नाइट' सहित दूरदर्शन द्वारा कुछ कार्यक्रमों को अनुचित लाभ प्रदान करने का मुद्दा 31 मार्च, 1995 का समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में भी शामिल था। इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति द्वारा फिर जांच की गई थी। समिति ने 22 अप्रैल, 1997 को लोक सभा में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि इस मामले को सम्पूर्ण जांच करने हेतु मंत्रिमण्डल सचिव द्वारा विनिश्चित की जाने वाली एक उपयुक्त जांच एजेंसी को सौंपा जाना चाहिए। तद्नुसार, इस मामले की जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

डिवीजनल रेलवे प्रबंधकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन

392. **कर्नल सोना राम चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में बहुत से किसानों ने बिना सरकार की अनुमति लिए लघु सिंचाई के लिए रेलवे लाइनों के नीचे से पानी के पाइप की लाइनें निकाली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों को सिंचाई के लिए रेलवे लाइन के नीचे से पानी के पाईप निकालने की स्वीकृति देने में अत्यधिक विलंब हो रहा है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसी स्वीकृति देने में मूल कारण अत्यधिक समय का लगना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिए स्वीकृति देने की शक्तियों को डिवीजनल रेलवे प्रबंधकों को प्रत्यायोजित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो डिवीजनल रेलवे प्रबंधकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) मौजूदा प्रक्रिया पर्याप्त समझी जाती है।

एअर इंडिया के लिए कारपोरेट योजना

393. **श्री रमजीव बिसवाल :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया ने कोई व्यापक और दीर्घावधि कारपोरेट योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे सम्भवतः कब तक संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) से (घ) एअर इंडिया एक निगमित योजना तैयार करने में लगी हुई है जो कि कम मध्यम तथा दीर्घ कालिक संघटकों वाली होंगी। दिसम्बर, 1997 के अंत तक इस योजना के पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

प्रस्थान समय में परिवर्तन

394. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भागलपुर-कुर्ला एक्सप्रेस के छूटने के समय में परिवर्तन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) बिहार से मुंबई तक गाड़ियों के पुनर्गठन के अनिवार्य भाग के रूप में 1.10.96 से 3447 भागलपुर-कुर्ला एक्सप्रेस के भागलपुर से प्रस्थान समय को 17.00 बजे के बजाय पुनः निर्धारित करके 09.15 बजे कर दिया गया था जिसमें कुर्ला के लिए पटना और मुजफ्फरपुर के बीच दैनिक सेवाएं उपलब्ध कराई गई थी और भागलपुर से कुर्ला तक सप्ताह में चार दिन सेवा को भागलपुर से दादर तक सेवा के रूप में पुनः निर्धारित किया गया था।

[अनुवाद]

रेल परियोजनाएं

395. **श्री अन्ना साहिब एम.के. पाटिल**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने चालू वर्ष के दौरान आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की स्वीकृति हेतु 8000,00 करोड़ रुपयों से अधिक लागत की परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के लिए परियोजना-वार, राज्य-वार प्रस्तावित कुल लागत तथा आवंटन कितना है; और

(ग) प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा पहले से ही अनुमोदित परियोजनाओं के लिए आवश्यक निधियां प्रारंभिक कार्य शुरू करने के लिए मुहैया करा दी गई हैं।

विवरण

(ख) परियोजनाओं का उनकी पूरी लागत सहित और चालू वर्ष के लिए प्रस्तावित आवंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	परियोजना और राज्य	कुल लागत	चालू वर्ष के लिए आवंटन
1	2	3	4
1.	अंगुल-सुकिंडा रोड (90 कि.मी.) नई ब.ला. लाइनल (उड़ीसा)	245.58	0.01
2.	नरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर और रहामा-पारादीप (महानदी और क्षिप्रा नदी पर दूसरे पुल सहित) (उड़ीसा)	235.77	0.01
3.	सुरेन्द्रनगर-भावनगर, पिपवाव तक विस्तार सहित धोला-डासा-महुआ का मी.ला. से ब.ला. (385.26 कि.मी.) (गुजरात)	372.65	0.01
4.	सेलम-करुर नई लाइन (85 कि.मी.) (तमिलनाडु)	155.56	5.00
5.	मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी नई लाइन (62.72 कि.मी.) (बिहार)	96.76	0.01
6.	आरा-सासाराम नई लाइनें (98 कि.मी.) (बिहार)	120.00	1.00
7.	गुडूर-रेणिगुंटा (84 कि.मी.) विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण (आंध्र प्रदेश)	137.79	0.01
8.	मुनिराबाद-महबूबनगर नई लाइन (222 कि.मी.) (आंध्र प्रदेश/कर्नाटक)	419.00	0.01

1	2	3	4
9.	सिकंदराबाद-मुदखेड़ (269 कि.मी.) आमान परिवर्तन (आंध्र प्रदेश/महाराष्ट्र)	290.66	0.01
10.	लूनी-बाड़मेर-मुनाबाव (299 कि.मी.) आमान परिवर्तन (राजस्थान)	226.20	36.17
11.	विरुधुनगर-तेनकासी (357 कि.मी.) आमान परिवर्तन (केरल/तमिलनाडु)	347.26	0.01
12.	बेंगलुरु-सत्यमंगलम नई लाइन (271 कि.मी.) (कर्नाटक/तमिलनाडु)	640.20	0.01
13.	अंगमाली-सबरीमाला नई लाइन (145.8 कि.मी.) (केरल)	645.87	0.01
14.	चण्डीगढ़-लुधियाना (112 कि.मी.) नई लाइनें (पंजाब)	248.43	0.01
15.	बारामती-लोनंदा (54.15 कि.मी.) नई लाइनें (महाराष्ट्र)	86.10	0.01
16.	बोगीबील में रेल-एवं-सडक पुल (46 कि.मी.) (पूर्वोत्तर राज्य)	924.00	15.00
17.	गिरिडीह-कोडरमा नई लाइन (104.50 कि.मी.) (बिहार)	137.00	0.01
18.	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो नई लाइन (520.88 कि.मी.) (मध्य प्रदेश)	974.98	0.01
19.	डीफु-करोंग नई लाइन (123.84 कि.मी.) (पूर्वोत्तर राज्य)	1604.08	0.01
20.	यशवंतपुर-तुमकुर दोहरीकरण (64 कि.मी.) (कर्नाटक)	61.57	0.01
21.	जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज आमान परिवर्तन (256 कि.मी.) (बिहार)	208.16	0.01
		8177.62	57.34

इस्पात संयंत्रों की स्थापना

396. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में निजी क्षेत्र में कितने इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु किन-किन स्थानों का पता लगाया गया है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के मामले में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) निजी क्षेत्रों की उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जो राज्य में इन संयंत्रों की स्थापना कर रही है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) से (घ) अद्यतन सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्णा और परली के बीच रेल सेवा बंद किया जाना

397. **श्री सुरेश आर. जाधव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे में पूर्णा और परली के बीच 347 अप और 348 डाउन रेलगाड़ी का चलना बंद कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अपने पूर्व निर्धारित समय में इस गाड़ी को पुनः चलाए जाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) 347/348 पूर्णा-पर्ली पैसेंजर का चालन, जिसे बंद कर दिया गया था, 23.3.97 से बहाल कर दिया गया है।

रेलवे पटरी पर बम

398. **कुमारी सुशीला तिरिया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई, 97 से अब तक रेल पटरियों पर कुल कितने बम पाए गए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार ने किसी व्यक्ति/गिरोह की गिरफ्तारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेलवे की कार्ययोजना

399. **श्री जय सिंह चौहान:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए 14 सूत्री कार्ययोजना और प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए 13 सूत्री कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कौन-कौन- से उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) क्षेत्रीय रेलों को निम्नानुसार प्रशासनिक व्यय कम करने और आमदनी बढ़ाने के लिए कहा गया है :

I. प्रशासनिक व्यय को कम करने वाले क्षेत्र

1. आतिथ्य व्यय
2. वाणिज्यिक विज्ञापन और प्रचार-प्रसार
3. विमान यात्रा
4. अन्य यात्रा व्यय
5. डाक/कोरियर सेवाएं
6. कार्यालय में समयोपरि भत्ता
7. शुल्क और मानदेय
8. सड़क वाहनों के लिए पेट्रोल/डीज़ल
9. दूरभाष प्रभार विशेषकर एस.टी.डी.
10. सेमिनार/कार्यशाला/प्रशिक्षण
11. फोटो कापियर, फैक्स मशीनें
12. फर्नीचर ओर फिक्सचर का प्रापण
13. लेखन सामग्री

II. आमदनी बढ़ाने के उपाय

1. लदान की गहन निगरानी और लक्ष्य बढ़ाने के प्रयास
2. उच्च मूल्य वाले यातायात को आकृष्ट करने और कोर यातायात के डायवर्जन से बचाव के लिए जोरदार विपणन
3. टिकट रहित यात्रा पर अंकुश लगाना
4. चल टिकट परीक्षकों के धन का उपयुक्त लेखा-जोखा
5. वर्तमान आदेशों के अनुसार पण्यों का सही वर्गीकरण, दर लगाना, तौल करना और मार्ग निर्धारित करना
6. बाहरी व्यक्तियों और कर्मचारियों से बकायों की वसूली के लिए संघटित अभिमान
7. दावा मामलों के कारण नुकसान की रोकथाम और स्थान तथा विलंब शुल्क की औचित्य रहित वापसी/छूट को रोकने के लिए कारगर उपाय
8. साख पत्रों और अन्य साधनों के माध्यम से भुगतान की गई राशि की शीघ्र वसूली
9. स्क्रैप की बिक्री से अधिकतम वसूली
10. खाली दिशा में प्राप्त होने वाले यातायात के लिए कम दरें
11. खुले माल डिब्बों में उर्वरक और सीमेंट का अधिक संचलन
12. अधिक यातायात आकर्षित करने के लिए स्टेशन से स्टेशन दरों का कारगर उपयोग
13. मुआवजा मामलों को न्यूनतम किया जाए
14. अधिक यातायात आकर्षित करने के लिए माल अग्रेषकों को प्रोत्साहन।

[अनुवाद]

केरल में दूरदर्शन केन्द्र

400. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) करेल में दूरदर्शन केन्द्रों का सितम्बर 1997 तक स्थान-वार और क्षमता-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान इन केन्द्रों द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थानीय कलाकारों द्वारा तैयार कार्यक्रमों को इन केन्द्रों द्वारा प्रसारित किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों को प्रसारित करने संबंधी क्या कदम उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) दूरदर्शन केन्द्र तिरूवन्तपुरम ही केरल में कार्यक्रम निर्माण

केन्द्र है। यह निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार कर रहा है: लोक, खेलकूद, बाल, युवा, रोजगार समाचार, तिमल, मलार, भक्ति गीत, साहित्यिक, विज्ञान, पर्यावरण, उपभोक्ता, क्विज, औद्योगिक, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, विधि, शास्त्रीय संगीत, सुगत संगीत, नृत्य, कथकली, सांस्कृतिक गतिविधियां, कृषि, न्यूजरील, साक्षात्कार, दर्शक मंच, थिरनोट्टम, विषयगत चर्चा, फिल्म आधारित कार्यक्रम और मुख्य समाचार तथा क्षेत्रीय समाचार।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

आज तक केरल राज्य में कार्यरत क्षमता सहित टी.वी. ट्रांसमीटरों का स्थानवार ब्यौरा

क्र.सं.	ट्रांसमीटर की किस्म और उसका स्थान	ट्रांसमीटर की क्षमता
1	2	3
1.	उ.श.ट्रां. कोचीन	10 कि. वा.
2.	उ.श.ट्रा. त्रिवेन्द्रम	10 कि. वा.
3.	उ.श.ट्रां. कालीकट (इन्ट)	1 कि. वा.
4.	अ.श.ट्रां. अदूर	100 वाट
5.	अ.श.ट्रां. अट्टापाडी	100 वाट
6.	अ.श.ट्रां. कन्नानौर	100 वाट
7.	अ.श.ट्रां. चंगनाचेरी	100 वाट
8.	अ.श.ट्रां. चेंगानूर	300 वाट
9.	अ.श.ट्रां. इदुक्की	100 वाट
10.	अ.श.ट्रां. कालपेट्टा	100 वाट
11.	अ.श.ट्रां. कान्हांगढ़	100 वाट
12.	अ.श.ट्रां. कासरगोड़	100 वाट
13.	अ.श.ट्रां. कयामकुलम	100 वाट
14.	अ.श.ट्रां. मल्लापुरम	100 वाट
15.	अ.श.ट्रां. पालघाट	100 वाट
16.	अ.श.ट्रां. पथनमथिट्टा	100 वाट
17.	अ.श.ट्रां. पुनालूर	100 वाट
18.	अ.श.ट्रां. शोरानूर	100 वाट
19.	अ.श.ट्रां. तेलीचेरी	100 वाट
20.	अ.श.ट्रां. थोडुपुझा	100 वाट
21.	अ.श.ट्रां. त्रिचूर	100 वाट
22.	अ.श.ट्रां. कालीकट (डीडी-2)	100 वाट
23.	अ.श.ट्रां. कोचीन (डीडी-2)	100 वाट
24.	अ.श.ट्रां. त्रिवेन्द्रम (डीडी-2)	100 वाट
25.	अ.अ.श.ट्रां. कंजिरापल्ली	2x10 वाट
26.	अ.अ.श.ट्रां. देवीकोलम	2x10 वाट

"बोगीबील" पुल के लिए धनराशि का उपयोग

401. **डा॰ प्रवीन चंद्र शर्मा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोगीबील पुल के सर्वेक्षण के लिए आबंटित निधियों का उपयोग इसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है;

(ख) बोगीबील पुल के निर्माण की लागत किस प्रकार विभिन्न लाभार्थी एजेंसियों द्वारा वहन किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सी.सी.ई.ए. ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी हां।

(ख) पुल के निर्माण की लागत में रेल मंत्रालय और भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा भागीदारी किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव

402. **श्री जी.ए. चरण रेड्डी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव आयोजित करने के लिए हैदराबाद को स्थायी स्थान के रूप में चुना गया है; और

(ख) यदि हां, तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय बाल और युवा फिल्मोत्सव का आयोजन कब होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी; हां। यह समारोह दो वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है।

(ख) 10वां अन्तर्राष्ट्रीय बाल एवं युवा फिल्म समारोह दिनांक 14 से 23 नवम्बर, 1997 तक हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है।

बगहा छितौनी बड़ी रेल लाइन

403. **श्री राजीव प्रताप रूडी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत 6.74 करोड़ रुपये के बजट वाली, 28 कि.मी. लम्बी बगहा छितौनी बड़ी लाइन की मंजूरी अप्रैल, 1974 में मिली थी;

(ख) क्या उपयुक्त परियोजना 164.09 करोड़ रूपये के संशोधित बजट अनुमान के साथ अप्रैल, 1994 जारी होने वाली थी;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त परियोजना को चालू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है; और

(घ) उपर्युक्त परियोजना कब तक शुरू की जायेगी?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) जी हां।

(ग) रेल लाइन चालू हो गई है। अब सड़क पुल का अधिसंरचना संबंधी कार्य शुरू किया जा रहा है क्योंकि सहभागियों अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार तथा जल संसाधन मंत्रालय ने हाल ही में अपने हिस्से का भुगतान कर दिया है।

(घ) रेल पुल चालू हो गया है। सड़क पुल के दिसम्बर 99 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

कांगड़ा हवाई अड्डे से विमान सेवा

404. **श्री जी. एम. बनातवाला:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष से हिमाचल प्रदेश स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे से कोई विमान सेवा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कांगड़ा हवाई अड्डे से विमान सेवा पुनः चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कांगड़ा हवाई अड्डा केवल टर्बो-प्रोप विमानों हेतु ही उपयुक्त है। इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़े में उपलब्ध डोर्नियर विमान पहले ही पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा लक्षद्वीप में प्रचालित किए जाने के लिए वचनबद्ध हैं। निजी प्रचालकों को भी व्यवहार्यता के अध्यधीन अपने नेटवर्क में कांगड़ा जैसे नए स्टेशनों को शामिल किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

एयर कार्गो हब

405. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया:**
श्री कृष्ण लाल शर्मा:
डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक अंतर्राष्ट्रीय "एयर कार्गो हब" के लिए स्वीकृति दे दी गयी थी और बाद में इसे रद्द कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो वो कौन-सी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने मंत्रालय के सचिव को ऐसी स्वीकृति जारी करने पर मजबूर किया और बाद में इसे रद्द किए जाने के क्या कारण थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या भविष्य में ऐसे मामलों के बारे में कोई और दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स को स्वायत्तता

406. **श्री अनंत गुढ़े:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस को स्वायत्तता प्रदान करने का है, जिससे वे प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर विमानों की खरीद कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) और (ख) सरकार सामान्यतया विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के प्रति अधिराष्ट्र संबंधी गारंटी नहीं देती है।

प्रसार भारती अधिनियम में परिवर्तन

407. **श्री ए.सी. जोस:**
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका:
श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़:
श्री बृज भूषण तिवारी:
श्री बी. एल. शंकर:
श्री संतोष मोहन देव:
श्री विजय गोयल:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री आर सम्बासिवाराव:
श्री हंसराज अहीर:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की प्रसार भारती अधिनियम, 1990 में परिवर्तन करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रसार भारती के लिये निदेशक मंडल के गठन को अंतिम रूप दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो मंडल (बोर्ड) के गठन और कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार निजी चैनल को विनियमित करने का है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(छ) इस अधिनियम के अंतर्गत दूरदर्शन और आकाशवाणी को किसी सीमा तक स्वायत्तता देने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 1997 को दिनांक 29.10.97 को प्रख्यापित किया गया था जिसके माध्यम से प्रसार भारती की स्वायत्तता में वृद्धि करने एवं इसकी क्षमता बढ़ाने और प्रसार भारती एवं प्रसारण प्राधिकरण के बीच परस्पर व्यापन (ओवरलैप) को दूर करने के उद्देश्य से मुख्य अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन किया गया था जिसे एक अलग अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) प्रसार भारती बोर्ड के गठन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अधिनियम के अनुसार, प्रसारी भारती बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य, छह अंशकालिक सदस्य, चार पदेन सदस्य, निगम कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। बोर्ड अधिनियम में निहित उद्देश्यों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ निगम जिसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों सम्मिलित होंगे, के कार्यकलापों के सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं प्रबंधन से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेगा।

(ङ) और (च) सरकार द्वारा दिनांक 16 माई, 1997 को लोक सभा में प्रस्तुत प्रसारण विधेयक, 1997 में देश में निजी प्रसारण की अनुमति देने की व्यवस्था है। इस विधेयक को संसद की संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया गया है। वर्तमान में इस संबंध में कोई समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती।

(छ) अधिनियम में की गई परिकल्पना के अनुसार, प्रसार भारती को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होगी।

हुडको से कर्नाटक को ऋण

408. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हुडको ने हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के लिए कोई ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तों से सम्बंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने ऋण से संबंधित सभी औपचारिकतायें पूरी कर ली हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त ऋण से सहायता प्राप्त करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या हुडको ने संबंधित एजेंसियों को धनराशि जारी कर दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) 31.10.97 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हुडको ने क्रमशः 41 करोड़ तथा 114 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की परिकल्पना करते हुए 24 आवास तथा 9 शहरी अवस्थापना स्कीमों को मंजूरी दी है। पूर्ण हो जाने पर ये स्कीमें 18292 आवास इकाइयों, 3177 विकसित प्लाट तथा बुनियादी अवस्थापना सेवाएं मुहैया कराएंगी। स्कीमें, हुडको के दिशा-निर्देशों, कानूनी पात्रता, तकनीकी सुदृढ़ता, वित्तीय व्यवहार्यता तथा एजेन्सी के निष्पादन के अनुसार मंजूर की जाती हैं।

(ग) सामान्य रूप से कर्नाटक सरकार की सभी ऐजेंन्सियां हुडको द्वारा मंजूर ऋण सेवाशर्तों का अनुपालन करने में सक्षम हैं।

(घ) हुडको को कर्नाटक की निम्नांकित एजेंसियों से स्कीमें प्राप्त होती हैंः

1. कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड
2. कर्नाटक स्लम क्लियरेंस बोर्ड
3. कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति तथा ड्रेनेज बोर्ड
4. कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम
5. कर्नाटक राज्य कृषि विपणन बोर्ड
6. हुबली धारवाड़ शहरी विकास प्राधिकरण
7. हुबली धारवाड़ नगर निगम
8. मंगलौर शहर निगम
9. कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश तथा विकास निगम
10. कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड

(ङ) जो परियोजनाएं प्रगति पर हैं उनके लिए हुडको ने परियोजना व्यय तथा हुडको ऋण की वित्त सीमा के आधार पर ऋण राशि जारी की है।

(च) 1997-98 (31.10.97) तक के दौरान कर्नाटक में एजेन्सियों को हुडको द्वारा प्रदत्त ऋण स्कीम के ब्यौरे नीचे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1.4.97 से 31.10.97 तक कर्नाटक राज्य को जारी की गई राशि के ब्यौरे

क्र.स.	एजेन्सी का नाम	राशि (लाख रु. में)
1.	कर्नाटक आवास बोर्ड	2238.73
2.	बंगलौर जल आपूर्ति तथा सीवरेज बोर्ड	985.31
3.	कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति तथा ड्रेनेज बोर्ड	196.00
4.	बंगलौर विकास प्राधिकरण	500.00
5.	हुबली धारवाड़ नगर निगम	115.00
6.	स्लम क्लियरेंस बोर्ड	1.48
7.	पुलिस आवास निगम	436.89
	जोड़	4473.35

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरियों की भूमि पर बाड़ लगाना

409. **श्री अमर रायप्रधान:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरियों के भवनों के लिए निर्धारित भूखण्डों को अतिक्रमणों से बचाने के लिए सभी भूखण्डों के चारों और कंटीले तारों की बाड़ लगाने की कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो उनमें कंटीले तारों के बाड़ और लोहे के बड़े-बड़े गेट लगा दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(घ) क्या तार-बाड़ लगाने से पहले ऐसे भूखण्डों से अतिक्रमण हटा लिया गया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसे भूखण्डों पर तार-बाड़ लगाने के बाद सरकार अतिक्रमण करने वालों पर नियंत्रण लगा सकी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम जी. वेंकटरामन): (क) जी, हां। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण के क्षेत्राधिकार में सभी सी. जी. एच.एस. डिस्पेंसरी प्लाटों (डी.डी.ए. से हाल ही में प्राप्त मोती नगर प्लाट को छोड़कर) पर चार दीवारी, कंटीले तारों की बाड़ की व्यवस्था है। मोती नगर प्लाट पर तार धनाभाव के कारण नहीं लगाई जा सकी।

(ख) और (ग) जी, हां। 7 प्लाटों पर 12.30 लाख रु० की लागत से चाहार दीवारी/बाड़ और लोहे के गेट लगाये गये हैं।

(घ) जी हां। डी.आई.जैड. एरिया, सेक्टर-2 में एक प्लाट को छोड़कर।

(ङ) से (छ) जी, हां। निरीक्षणों के जरिये बराबर निगरानी की जा रही है।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

410. **श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे:**
कर्नल सोनाराम चौधरी:
श्री कंवर चंद गेहलोत:
श्री कृष्णलाल शर्मा:
श्री सुल्तान अलाउद्दीन ओवेसी:
श्री अशोक प्रधान:
प्रो. रासा सिंह रावत:
श्री पवन दीवान:
श्री जयसिंह चौहान:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की राज्य-वार अलग-अलग संख्या क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा उपलब्धि क्या रही तथा इन पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या "बागायती" खेत के मालिक भी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मिल रहे लाभ का फायदा उठा रहे हैं;

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा मंजूर की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू): (क) योजना आयोग के अनुसार देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) विगत तीन वर्षों अर्थात् 1994-95, 1995-96, 1996-97 के दौरान लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के स्कीम आफ अर्बन माइक्रो एनटरप्राइजेज के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धियां संलग्न विवरण-II और किए गए खर्च संलग्न विवरण- III में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय को ऐसी किसी घटना के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

(ङ) आई. आर.डी.पी. तथा सूमी (एस.यू.एम.ई.) लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने हेतु शुरू किए गए हैं। आई.आर.डी.पी. का उद्देश्य पता लगाए गए ग्रामीण गरीब परिवारों को सरकारी सबसिडी तथा वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता दिला कर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उत्पादक स्वरूप की परिसम्पत्तियां तथा इनपुट मुहैया कराकर उन्हें गरीबी रेखा को पार करने के योग्य बनाना है। एस.यू.एम.ई. के अन्तर्गत शहरी गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए आय के नियमित साधन के वास्ते लघु उद्यम लगाने के लिए सहायता दी जाती है।

विवरण-I

राज्यों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण 1993-94 (संशोधित विशेषज्ञ समूह)

राज्य	ग्रामीण लोगों की संख्या (लाख)	शहरी लोगों की संख्या (लाख)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	79.49	74.47
अरुणाचल प्रदेश	3.62	0.11
असम	94.33	2.03
बिहार	450.86	42.49
गोआ	0.38	1.53
गुजरात	62.16	43.02
हरियाणा	36.56	7.31
हिमाचल प्रदेश	15.40	0.46
जम्मू व कश्मीर	19.05	1.86
कर्नाटक	95.99	60.46
केरल	55.95	20.46
मध्य प्रदेश	216.19	82.33
महाराष्ट्र	193.33	111.90
मणिपुर	6.33	0.47
मेघालय	7.09	0.29
मिजोरम	1.64	0.30
नागालैंड	4.85	0.20
उड़ीसा	140.90	19.70
पंजाब	17.76	7.35
राजस्थान	94.68	33.82
सिक्किम	1.81	0.03
तमिलनाडु	121.70	80.40
त्रिपुरा	11.41	0.38
उत्तर प्रदेश	496.17	108.28
पं बंगाल	209.90	44.66
अंडमान और निकोबार	0.73	0.33
चंडीगढ़	0.07	0.73
दादर और नगर हवेली	0.72	0.05
दमण व दीव	0.03	0.15
दिल्ली	0.19	15.32
लक्षद्वीप	0.06	0.08
पांडिचेरी	0.93	2.38
अखिल भारत	2440.31	763.37

1. असम के गरीबी अनुपात को सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा त्रिपुरा का आधार माना जाता है।
2. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात को पांडिचेरी तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का आधार माना जाता है।
3. केरल के गरीबी अनुपात को लक्षद्वीप का आधार माना जाता है।
4. गोवा के गरीबी अनुपात को दमण व दीव का आधार माना जाता है।
5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात को चंडीगढ़ के ग्रामीण और शहरी दोनों का आधार माना जाता है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा गोवा के व्यय के वितरण को गोवा की गरीबी के अनुपात के आकलन का आधार माना जाता है।
7 महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा दादर व नगर हवेली के व्यय के वितरण के दादर व नगर हवेली की गरीबी के अनुपात के आकलन का आधार माना जाता है।
8. हिमाचल प्रदेश के गरीबी अनुपात को 1993-94 के लिए जम्मू व कश्मीर का आधार माना जाता है।

विवरण-II

1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान आई.आर.डी.पी. तथा एस.यू.एम.ई. के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय						शहरी क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय					
		1994-95		1995-96		1996-97		1994-95		1995-96		1996-97	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	166884	159908	-	122863	-	203135	10050	15510	10958	5701	10985	18315
2.	अरुणाचल प्रदेश	12468	18764	-	14381	-	10695	0	40	611	0	0	813
3.	असम	54938	62584	-	59030	-	38087	1320	13572	1278	0	1278	0
4.	बिहार	324640	224736	-	265525	-	244764	4450	0	9283	14026	9283	428
5.	गोवा	2840	2192	-	1486	-	1982	75	0	111	10	0	0
6.	गुजरात	61262	72418	-	55686	-	47545	2450	1663	4397	1777	0	1512
7.	हरियाणा	14715	28285	-	29771	-	17202	1610	2060	1453	1725	1211	1644
8.	हिमाचल प्रदेश	4794	7355	-	6606	-	7990	345	0	667	1334	667	108
9.	जम्मू व कश्मीर	20000	13545	-	13189	-	11474	400	0	778	1489	778	2386
10.	कर्नाटक	112055	125810	-	119685	-	116900	4285	14048	4332	0	0	4358
11.	केरल	40767	46294	-	43357	-	48690	4120	3279	2981	1282	2981	0
12.	मध्य प्रदेश	211466	210629	-	210592	-	168123	10770	0	9529	16019	7944	16581
13.	महाराष्ट्र	181926	196677	-	181597	-	161018	5360	7435	13736	10649	13736	13441
14.	मणिपुर	8982	7658	-	6077	-	7256	545	1651	532	0	444	0
15.	मेघालय	9567	6020	-	4534	-	6822	0	0	218	146	278	1415
16.	मिजोरम	4027	3345	-	5085	-	3059	205	700	200	40	167	90
17.	नागालैंड	6737	2251	-	2531	-	2915	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	1353582	1353837	-	120669	-	102741	2570	0	2800	6223	0	3408
19.	पंजाब	10464	22701	-	11786	-	7160	3120	2670	1106	2133	1106	3931
20.	राजस्थान	87857	107799	-	92818	-	70304	5230	9621	4889	9415	4889	12140
21.	सिक्किम	1120	1281	-	2843	-	2249	275	0	266	310	222	406
22.	तमिलनाडु	150860	201221	-	183895	-	152597	22160	12665	11497	9857	11497	26618
23.	त्रिपुरा	12856	21818	-	14657	-	13725	205	33	167	22	167	119
24.	उत्तर प्रदेश	325353	369725	-	355916	-	364552	2644	35852	22830	24893	19328	24833
25.	पश्चिम बंगाल	149552	159722	-	161724	-	110280	4835	3042	10938	17567	0	5278
26.	अ.व न. द्वीप समूह	1421	1126	-	832	-	591	230	1	112	102	186	328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	चंडीगढ़	0	0	-	0	-	0	145	21	0	135	0	64
28.	दमन व दीप	561	97	-	310	-	304	0	0	112	213	0	245
29.	दा. व ना. हवेली	300	302	-	274	-	168	50	11	55	37	0	40
30.	दिल्ली	0	0	-	0	-	0	830	79	800	0	0	518
31.	लक्षद्वीप	140	100	-	18	-	30	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	1161	1221	-	1563	-	1293	115	705	111	211	0	616
		2115097	2215421	-	2089400	-	1923651	102190	124595	116807	125308	86120	128899

टिप्पणीः- 1995-96 से आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

विवरण-III

1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान आई.आर.डी.पी. तथा एस.यू.एम.ई. के अंतर्गत किये गए राज्यवार खर्च को दर्शाने वाला विवरण

किया गया खर्च

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय आई.आर.डी.पी.			शहरी क्षेत्र और रोजगार एस.यू.एम.ई.		
		1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	11287.12	8624.01	12810.19	157.33	317.88	527.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	562.92	582.56	435.87	0	19.59	6.21
3.	असम	3105.55	3409.02	2298.73	122.96	33.85	108.55
4.	बिहार	8015.32	10784.51	13235.67	2	214.07	566.96
5.	गोवा	96.74	116.3	83.78	8.36	8.22	0
6.	गुजरात	3265.37	3077.68	3026.53	44.83	50.04	41.68
7.	हरियाणा	1351.32	1663.74	1111.65	52.39	56.24	36
8.	हिमाचल प्रदेश	376.81	412.28	510.96	0	29.18	13.75
9.	जम्मू व कश्मीर	620.55	701.26	701.1	0	79.58	39.24
10.	कर्नाटक	4354.35	5574.6	6080.14	75.84	49.12	48.95
11.	केरल	2401.23	2268.9	2700.13	104.61	44.54	124.51
12.	मध्य प्रदेश	10237.74	11305.57	13469.83	274.93	708.37	565.99
13.	महाराष्ट्र	7577.07	9837.3	9406.32	183.91	204.91	818.62
14.	मणिपुर	315.82	312.64	416.3	11.67	13.98	0
15.	मेघालय	352.05	301.54	426.39	0	9.43	20.67

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मिजोरम	199.12	288.74	237.9	35.52	25.34	10.64
17.	नागालैंड	215.52	221.48	202.01	0	0	0
18.	उड़ीसा	6034.8	7266.29	6972.15	0	86.42	65.46
19.	पंजाब	1125.75	731.71	547.32	119.99	61.53	136.53
20.	राजस्थान	4626.81	4730.24	4102.25	152.7	212.84	250.66
21.	सिक्किम	42.19	129.25	130.16	0	38.55	32.09
22.	तमिलनाडु	8418.21	8515.03	7086.52	72.32	155.21	619.01
23.	त्रिपुरा	1049.7	766.73	914.07	10.17	4.34	16.44
24.	उत्तर प्रदेश	19335.12	19266.98	21456.55	819.4	825.05	922.92
25.	पश्चिम बंगाल	5747.45	6693.99	5474.89	11.74	597.04	395.46
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	48.03	49.92	29.1	3	0	8.47
27.	चंडीगढ़	0	0	0	4.2	1.88	1.96
28.	दमन व दीप	4.92	16.67	14.79	0	8.18	2.03
29.	दा. व ना. हवेली	14.7	13.68	10.71	0.7	1.45	0.04
30.	दिल्ली	0	0	0	1.51	0	13.75
31.	लक्षद्वीप	9.35	4.38	3.58	0	0	0
32.	पांडिचेरी	40.03	49.2	55.9	4.54	3.99	6.82
	अखिल भारत	100381.7	107716.2	113954.5	2274.58	3860.12	4611.26

[अनुवाद]

विमानन टरबाइन-ईंधन

411. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:**
श्रीमती केतकी देवी सिंह:
श्री पंकज चौधरी:
डा. वाई.एस.राजशेखर रेड्डी:
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:
श्री कृष्ण लाल शर्मा:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एअरलाइन्स को हानि और कई निजी एअरलाइंसों के बन्द होने के कारणों में एक यह है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर विमानन टरबाइन ईंधन नहीं दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर विमानन टरबाइन ईंधन प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सन्दर्भ में क्या कार्रवाई की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) से (ग) जी, हां। सच है कि प्रचालन लागत की 30 प्रतिशत के करीब बैठने वाली विमानन टरबाईन ईंधन की ऊंची कीमत इंडियन एयर लाइंस और भारत में अन्य निजी विमान कम्पनियों पर भारी बोझ है। विभिन्न अंतर्देशीय प्रचालकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों के समान सस्ती दर पर विमानन टरबाइन ईंधन दिया जाए।

(घ) सरकार मामले पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी केन्द्र

412. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया:**
श्रीमती पूर्णिमा वर्मा:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय श्रेणीवार और राज्यवार कितने आकाशवाणी केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) उन आकाशवाणी केन्द्रों के नाम क्या-क्या हैं जो तकनीकी रूप से तैयार हैं लेकिन अभी तक वहां से प्रसारण कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाया है; और

(ग) इन केन्द्रों द्वारा प्रसारण कार्यक्रम कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) देश में 194 आकाशवाणी केन्द्र/रिले केन्द्र कार्यरत हैं। केन्द्रों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) उत्तरकाशी में स्थित 1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर वाला आकाशवाणी रिले केन्द्र ही एक ऐसा केन्द्र है जो तकनीकी रूप से तैयार है और चालू किए जाने के लिए प्रतीक्षारत है। नवम्बर, 1997 के दौरान इसके चालू हो जाने की संभावना है।

विवरण

मौजूदा आकाशवाणी केन्द्र और उनकी क्षमता

क्र. सं.	राज्य तथा स्थान	ट्रांसमीटर की क्षमता	राज्य में आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		12
1.	हैदराबाद	50 कि.वा.मी.वे. 10 कि.वा.मी.वे. 50 कि.वा.शा.वे. 2x3 कि.वा.एफ.एम. (वि.भा.)	
2.	आदिलाबाद	1 कि.वा.मी.वे. (स्था. रेडियो केन्द्र)	
3.	विजयवाड़ा	100 कि.वा.मी.वे. 1 कि.वा.मी.वे.	
4.	विशाखापत्तनम	100 कि.वा.मी.वे.	
5.	कुड्डापा	100 कि.वा.मी.वे.	
6.	कोथागुडम	2x3 कि.वा.एफ.एम.	
7.	वारंगल	2x5 कि.वा.एफ.एम. (स्था. रे. केन्द्र)	
8.	निजामाबाद	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था. रे. केन्द्र)	
9.	तिरूपति	3 कि.वा.एफ.एम. (स्था. रे. केन्द्र)	
10.	अनन्तपुर	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था. रे. केन्द्र)	
11.	कुरनूल	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था. रे. केन्द्र)	
12.	मरकापुरम	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था. रे. केन्द्र)	
	अरुणाचल प्रदेश		4
13.	पासीघाट	10 कि.वा.मी.वे.	
14.	तवांग	10 कि.वा.मी.वे.	
15.	तेजू	10 कि.वा.मी.वे.	
16.	ईटानगर	100 कि.वा.मी.वे. 50 कि.वा.शा.वे.	
	असम		7
17.	गुवाहाटी	50 कि.वा.मी.वे. 10 कि.वा.मी.वे. 50 कि.वा.शा.वे. (2)	
18.	सिलचर	10 कि.वा.मी.वे.	
19.	डिब्रूगढ़	300 कि.वा.मी.वे.	
20.	जोरहाट	2x5 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
21.	हाफलोंग	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
22.	नौगांव	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
23.	धीफू	1 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
	बिहार		10
24.	पटना	100 कि.वा.मी.वे. 3 कि.वा.एफ.एम. (वि.भा.)	
25.	रांची	100 कि.वा.मी.वे. 1 कि.वा.मी.वे. (वि.भा.) 2 कि.वा.शा.वे.	
26.	भागलपुर	20 कि.वा.मी.वे.	
27.	दरभंगा	10 कि.वा.मी.वे.	
28.	जमशेदपुर	1 कि.वा.मी.वे.	
29.	सासाराम	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
30.	पूर्णिया	तदैव	
31.	चाईबासा	तदैव	
32.	हजारीबाग	तदैव	
33.	डाल्टनगंज	2x5 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	

1	2	3	4
	गोवा		1
34.	पणजी	100 कि.वा.मी.वे. 20 कि.वा.मी.वे. (वि.भी.) 2x3 कि.वा.एफ.एम.	
	गुजरात		7
35.	अहमदाबाद	200 कि.वा.मी.वे. 1 कि.वा.मी.वे.(वि.भी.) 2x5 कि.वा.एफ.एम.	
36.	वडोदरा	1 कि.वा.मी.वे. (वि.भी.)	
37.	भुज	10 कि.वा.मी.वे.	
38.	राजकोट	300 कि.वा.मी.वे. 1 कि.वा.मी.वे. (वि.भी.)	
39.	गोधरा	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
40.	सूरत	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
41.	आहवा	1 कि.वा.मी.वे.	
	हरियाणा		2
42.	रोहतक	20 कि.वा.मी.वे.	
43.	कुरुक्षेत्र	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
	हिमाचल प्रदेश		6
44.	शिमला	100 कि.वा.मी.वे. 50 कि.वा.शा.वे.	
45.	कसौली	2x5 कि.वा.एफ.एम. (रिले केन्द्र)	
46.	हमीरपुर	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
47.	धर्मशाला	2x5 कि.वा.एफ.एम.	
48.	कुल्लू	2x3 कि.वा.ए.एम. (रिले)	
49.	किन्नौर (कल्पा)	1 कि.वा.मी.वे. (रिले)	
	जम्मू और कश्मीर		6
50.	श्रीनगर	200 कि.वा.मी.वे. 10 कि.वा.मी.वे. 1 कि.वा.मी.वे. (वि.भी.) 50 कि.वा.शा.वे.	
51.	जम्मू	300 कि.वा.मी.वे. 1 कि.वा.शा.वे.(प्रचालन में नहीं) 3 कि.वा.एफ.एम.	
52.	लेह	10 कि.वा.मी.वे. 10 कि.वा.शा.वे.	
53.	कठुआ	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
54.	पुंछ	तदैव	
55.	कारगिल	1 कि.वा.मी.वे.	
	कर्नाटक		13
56.	बंगलौर	200 कि.वा.मी.वे. 1 कि.वा.मी.वे. (वि.भी.)	
57.	भद्रावती	20 कि.वा.मी.वे.	
58.	धारवाड़	200 कि.वा.मी.वे. 1 कि.वा.मी.वे. (वि.भी.)	
59.	गुलबर्गा	10 कि.वा.मी.वे.	
60.	मंगलौर/उडिपी	20 कि.वा.मी.वे. (उडिपी) 1 कि.वा.मी.वे. (मंगलौर)	
61.	मैसूर	1 कि.वा.मी.वे.	
62.	चित्रदुर्ग	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
63.	हासन	2x3 कि.वा.एफ.एम.	
64.	हॉसपेट	2x5 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
65.	रायचूर	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
66.	मरकारा	2x3 कि.वा.एफ.एम.	
67.	कारवार	3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
68.	बीजापुर	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
	केरल		7
69.	एल्लेप्पी	100 कि.वा.एफ.एम. (रिले केन्द्र)	
70.	कालीकट	100 कि.वा.मी.वे. 1 कि.वा.मी.वे. (वि.भी.)	
71.	त्रिचुर	100 कि.वा.मी.वे.	
72.	त्रिवेन्द्रम	10 कि.वा.मी.वे. 1 कि.वा.मी.वे. (वि.भी.) 50 कि.वा.शा.वे.	
73.	कोचीन	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र) 2x5 कि.वा.एफ.एम. (वि.भी.)	

1	2	3	4
74.	कन्नानौर	2x3 कि.वा.एफ.एम.	
75.	इदुक्की(देवीकुलम)	2x3 कि.वा.एफ.एम.	
	मध्य प्रदेश		19
76.	अम्बिकापुर	20 कि.वा.मी.वे.	
77.	भोपाल	10 कि.वा.मी.वे. 50 कि.वा.शा.वे. 3 कि. वा एफ एम (वि.वि)	
78.	छतरपुर	20 कि.वा.मी.वे.	
79.	ग्वालियर	तथैव	
80.	इन्दौर	100 कि.वा.मी.वे. 3 कि.वा.एफ.एम. (वि.भी.)	
81.	जबलपुर	2x100 कि.वा.मी.वे.	
82.	जगदलपुर	100 कि.वा.मी.वे.	
83.	रायपुर	तथैव	
84.	रीवा	20 कि.वा.मी.वे.	
85.	खण्डवा	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
86.	बिलासपुर	तथैव	
87.	बैतुल	तथैव	
88.	शिवपुरी	2x3 कि.वा.एफ.एम.	
89.	छिंदवाड़ा	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
90.	रायगढ़	तथैव	
91.	शहडोल	2x3 कि.वा.एफ.एम.	
92.	बालाघाट	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
93.	गुना	तथैव	
94.	सागर	तथैव	
	महाराष्ट्र		20
95.	औरंगाबाद	1 कि.वा.मी.वे.	
96.	मुम्बई	100 कि.वा.मी.वे. (2) 50 कि.वा.मी.वे. 50 कि.वा.शा.वे. 2x5 कि.वा.मी.वे.	
97.	जलगांव	20 कि.वा.मी.वे.	

1	2	3	4
98.	नागपुर	1000 कि.वा.मी.वे. (राष्ट्रीय चैनल) 100 कि.वा.मी.वे. 2x3 कि.वा.एफ.एम. (वि.भी.)	
99.	परभणी	20 कि.वा.मी.वे.	
100.	पुणे	100 कि.वा.मी.वे. 2x3 कि.वा. एफ.एम (वि.भी)	
101.	रत्नागिरी	20 कि.वा.मी.वे.	
102.	सांगली	20 कि.वा.मी.वे.	
103.	शोलापुर	1 कि.वा.मी.वे. (स्था.रे.केन्द्र)	
104.	धुले	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था रे. केन्द्र)	
105.	बीड	तथैव	
106.	अहमदनगर	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
107.	नांदेड	तथैव	
108.	अंकोला	तथैव	
109.	कोल्हापुर	2x3 कि.वा.एफ.एम.	
110.	यवतमाल	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
111.	सतारा	तथैव	
112.	चन्द्रपुर	तथैव	
113.	नासिक	तथैव	
114.	उस्मानाबाद	तथैव	
	मणिपुर		1
115.	इम्फाल	50 कि.वा.मी.वे. 50 कि.वा.शा.वे.	
	मेघालय		3
116.	शिलांग	100 कि.वा.मी.वे. 50 कि.वा.शा.वे.	
117.	तुरा	20 कि.वा.मी.वे.	
118.	जोवाई	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
	मिजोरम		2
119.	एजवाल	20 कि.वा.मी.वे. 10 कि.वा.शा.वे.	
120.	लुंगलेह	2x3 कि.वा. एफ.एम.	

1	2	3	4
	नागालैण्ड		2
121.	कोहिमा	50 कि.वा.मी.वे. 50 कि.वा.शा.वे.	
122.	मोकोकचुंग	2x3 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (स्था.रे.केन्द्र)	
	उड़ीसा		11
123.	कटक	100 कि.वा.मी.वे. 1 कि.वा.मी.वे. (वि.भी.) 2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्टीरियो)	
124.	जैपोर	100 कि.वा.मी.वे.	
125.	सम्बलपुर	20 कि.वा.मी.वे.	
126.	केनुझार	1 कि.वा.मी.वे. (स्था.रे.केन्द्र)	
127.	बारीपाड़ा	तथैव	
128.	बहरामपुर	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
129.	भवानीपटना	200 कि.वा.मी.वे.	
130.	बोलंगिर	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
131.	राऊरकेला	तथैव	
132.	पुरी	3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
133.	जोराम्बा	1 कि.वा.मी.वे. (स्था.रे.केन्द्र)	
	पंजाब		3
134.	जालंधर	300 कि.वा.मी.वे. 100 कि.वा.मी.वे. 1 कि.वा.मी.वे. (वि.भी.) 2x5 कि.वा.एफ.एम.	
135.	भटिन्डा	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
136.	पटियाला	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
	राजस्थान		17
137.	जयपुर	1 कि.वा.मी.वे. 1 कि.वा.मी.वे. (वि.भी.) 50 कि.वा.शा.वे.	
138.	कोटा	1 कि.वा.मी.वे. (स्था.रे.केन्द्र)	
139.	अजमेर	200 कि.वा.मी.वे. (रिले केन्द्र)	
140.	बीकानेर	20 कि.वा.मी.वे.	
141.	उदयपुर	तथैव	
142.	जोधपुर	100 कि.वा.मी.वे. 1 कि.वा.मी.वे. (वि.भी.)	
143.	सूरतगढ़	300 कि.वा.मी.वे.	
144.	अलवर	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
145.	नागौर	तथैव	
146.	बांसवाड़ा	तथैव	
147.	चित्तोड़गढ़	3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
148.	बाड़मेर	2x10 कि.वा.मी.वे.	
149.	सवाई माधोपुर	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
150.	चुरू	2x3 कि.वा.एफ.एम.	
151.	झालावाड़	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
152.	जैसलमेर	2x5 कि.वा.एफ.एम.	
153.	माऊंट आबू	2x3 कि.वा.एफ.एम.	
	सिक्किम		1
154.	गंगटोक	20 कि.वा.मी.वे. 10 कि.वा.शा.वे.	
	तमिलनाडु		8
155.	कोयम्बतूर	20 कि.वा.मी.वे.	
156.	मद्रास	200 कि.वा.मी.वे. 50 कि.वा.शा.वे. 10 कि.वा.मी.वे. 2x10 कि.वा.मी.वे. 2x5 कि.वा.एफ.एम.	
157.	मदुराई	20 कि.वा.मी.वे.	
158.	तिरुचिरापल्ली	100 कि.वा.मी.वे. 1 कि.वा.मी.वे. (वि.भी.)	
159.	तिरुनेलवेली	10 कि.वा.मी.वे.	
160.	नागरकोइल	1 कि.वा.मी.वे. (स्था.रे.केन्द्र) 2x5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.	
161.	उटकमण्ड	1 कि.वा.मी.वे.	
162.	तुतिकोरिन	200 कि.वा.मी.वे.	

1	2	3	4
	त्रिपुरा		3
163.	अगरतला	20 कि.वा.मी.वे.	
164.	बेलोनिया	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
165.	कैलाशहर	तथैव	
	उत्तर प्रदेश		17
166.	लखनऊ	300 कि.वा.मी.वे. 50 कि.वा.शा.वे. 10 कि.वा.मी.वे. (वि.भा.)	
167.	अल्मोड़ा	1 कि.वा.मी.वे.	
168.	इलाहाबाद	1 कि.वा.मी.वे. 2x5 कि.वा.एफ.एम. (वि.भा.)	
169.	वाराणसी	100 कि.वा.मी.वे. 1 कि.वा.मी.वे. (वि.भा.)	
170.	रामपुर	20 कि.वा.मी.वे.	
171.	कानपुर	1 कि.वा.मी.वे. (वि.भा.)	
172.	मथुरा	1 कि.वा.मी.वे.	
173.	गोरखपुर	100 कि.वा.मी.वे.	
174.	नजीबाबाद	तथैव	
175.	आगरा	20 कि.वा.मी.वे.	
176.	फैजाबाद	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
177.	बरेली	तथैव	
178.	झांसी	तथैव	
179.	ओबरा	2x3 कि.वा.एफ.एम.	
180.	मसूरी	2x5 कि.वा.एफ.एम.(रिले)	
181.	पौड़ी	1 कि.वा.मी.वे.	
182.	पिथौरागढ़	1 कि.वा.मी.वे. (रिले)	
	पश्चिम बंगाल		5
183.	कलकत्ता	100 कि.वा.मी.वे. (2) 20 कि.वा.मी.वे. (वि.भा.) 50 कि.वा.शा.वे. 10 कि.वा.मी.वे. (युव वाणी) 2x5 कि.वा.एफ.एम. (स्टीरियो)	
184.	कुर्सियांग	20 कि.वा.शा.वे.	
185.	सिलीगुड़ी	200 कि.वा.मी.वे.	
186.	मुर्शिदाबाद	2x3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	
187.	आसनसोल	2x5 कि.वा.एफ.एम. (रिले)	
	संघ शासित क्षेत्र		1
188.	पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार)	20 कि.वा.मी.वे. 10 कि.वा.शा.वे.	
189.	चंडीगढ़	1 कि.वा.मी.वे. 3 कि.वा.एफ.एम.	1
190.	दिल्ली	2x100 कि.वा.मी.वे. 100 कि.वा.मी.वे. 10 कि.वा.मी.वे. (2) 2x5 कि.वा.एफ.एम.	1
191.	पांडिचेरी	1 कि.वा.मी.वे.	2
192.	कराईकल (पांडिचेरी)	2x3 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (स्था.रे.केन्द्र)	
193.	कावारत्ती	1 कि.वा.मी.वे.	1
194.	दमन	3 कि.वा.एफ.एम. (स्था.रे.केन्द्र)	1

टिप्पणी : इस विवरण में राजकोट एवं मोगरा (कलकत्ता) में मेगावाट मी.वे. ट्रांसमीटर और अलीगढ़, मुम्बई, चैन्नई गोरखपुर, बंगलौर, तथा दिल्ली में शार्टवेव ट्रांसमीटर शामिल नहीं हैं जिनका विदेश सेवाओं और आन्तरिक समाचार लिंक-अप आदि हेतु उपयोग किया जा रहा है।

[अनुवाद]

लोक शिकायतें

413. **श्री एस.रमणा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसी जोनल रेलवे ने यात्रियों की शिकायतों की सुनवाई हेतु कोई उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी शिकायतों की सुनवाई हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे उपायों का प्रचार करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी हां।

(ख) विभिन्न उपाय किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:

1. जन शिकायत निवारण तंत्र को सुचारु बनाना।

2. क्षेत्रीय रेलों को समय-सारिणी में उन नम्बरों का प्रकाशन जहां शिकायतकर्ता मुख्यालय में अपर महाप्रबंधकों से और मंडल कार्यालयों में/अपर मंडल रेल प्रबंधकों से संपर्क कर सकते हैं।

3. मुख्यालयों और मंडल कार्यालयों में निगरानी कक्षों की स्थापना जहां शिकायतकर्ता अपनी शिकायत व्यक्तिगत रूप से लिखित में देने के अलावा टेलिफोन या फैक्स के जरिए दे सकते हैं।

4. स्टेशनों पर गाड़ियों में और जनता के साथ संव्यवहार करने वाली अन्य महत्वपूर्ण संस्थापनाओं पर मुहैया कराई गई जन शिकायत पुस्तिकाओं में दर्ज की गई शिकायतों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

5. क्षेत्रीय रेलों पर अपर महाप्रबंधक निदेशक जन शिकायत और मंडलों पर अपर मंडल रेल प्रबंधक निदेशक जन शिकायत होते हैं। रेल उपयोगकर्ता नामित दिनों पर मंडल स्तर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक/मंडल रेल प्रबंधक और जोनल स्तर पर अपर महाप्रबंधक से मुलाकात कर सकते हैं। इन अधिकारियों में से किसी से भी उनकी संतुष्टि न होने के मामले में वे माह के नामित दिनों में महाप्रबंधक से मुलाकात कर सकते हैं।

6. जोनल स्तर पर उप मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक खानपान और मंडल स्तर पर सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक, खानपान के अधीन खान-पान/वेंडिंग गतिविधियों के लिए निगरानी प्रकोष्ठ भी कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी हां। ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए समय-सीमा निर्धारित है। उनका ब्यौरा निम्नानुार है:

1. संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों एवं अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत	30 दिन
2. सामान्य जनता की शिकायत	90 दिन
3. सामान्य जनता की शिकायत जहां प्रारम्भिक जांच के पश्चात एक विस्तृत जांच आवश्यक हो जाती है	120 दिन
4. पेंशन एवं पेशंनर कल्याण विभाग द्वारा भेजी गई शिकायतों का निपटान	90 दिन
5. रेल संबंधी स्थायी समिति के सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदन	
(क) जब सूचना बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध होती है	10 दिन
(ख) जब सूचना रेलों से एकत्रित की जानी होती है	30 दिन

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निःशुल्क रेल पास

414. **श्री राम नाईक:**
श्री पवन दीवान:
श्री काशीराम राणा:
श्री संतोष कुमार गंगवार:
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1996-97 तथा 1997 के दौरान अब तक रेल मंत्रालय द्वारा निःशुल्क यात्रा हेतु कितने पास जारी किए गए;

(ख) इतनी अधिक संख्या में निःशुल्क पास जारी करने के क्या कारण हैं;

(ग) रेल बोर्ड के अवकाश प्राप्त सदस्यों को दिए जाने वाले निःशुल्क पास की नई तथा पुरानी सुविधाओं के बीच क्या अंतर है;

(घ) नए निर्णय के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह आदेश 30 अप्रैल, 1997 को जारी की गई जो रेलवे बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष श्री सी.एल.काव की सेवा का अंतिम दिन था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(छ) इसके परिणामस्वरूप रेलवे द्वारा कितनी राजस्व की हानि उठानी पड़ी?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क)

	1996-97	अप्रैल, 1997 (अक्तूबर, 97 तक)
(1) जारी किए गए मानार्थ कार्ड पासों की संख्या	42086	सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।
(2) जारी किए गए मानार्थ चैक पासों की संख्या	6168	2000

(ख) मानार्थ कार्ड पास, समय-समय पर घोषित योजनाओं के अनुसार संसद के भूतपूर्व सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों, भूतपूर्व रेल मंत्रियों, वीरता पुरस्कार विजेताओं (सेना और पुलिस) अर्जुन पुरस्कार विजेताओं आदि को तथा दिशानिर्देशों के अनुसार व्यक्तियों और संगठनों को जारी किए जाते हैं।

(ग) और (घ) बोर्ड के उन सेवानिवृत्त सदस्यों, जो अपने परिवार के अर्हक सदस्यों सहित सेवानिवृत्त पश्चात् मानार्थ कार्ड पासों के तीन सैटों के लिए पात्र थे, की परिवार के पात्र सदस्यों के साथ जाने पर एक सहचर ले जाने की और सुविधा देकर प्लेटिनम पास जारी करके यात्राओं की कोई संख्या सीमा के बिना यात्रा करने के लिए पात्र बनाया गया है। ये सुविधाएं सेवानिवृत्त सदस्यों द्वारा भारतीय रेलों में दिए गए योगदान की सराहना के संकेत के रूप में प्रदान की गई हैं।

(ङ) जी हां।

(च) बोर्ड के सेवारत और सेवानिवृत्त सदस्यों को प्लेटिनम पास जारी करने का निर्णय 23.4.97 को लिया गया था और 30.4.97 को आदेश जारी किए गए थे।

(छ) चूंकि पास मानार्थ प्रकृति के होते हैं इसलिए उनकी लागत की गणना नहीं की जाती है।

नए विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण तथा निर्माण

415. **श्री नवीन पटनायकः**
श्री आनन्द रत्न मौर्यः
डा. राम विलास वेदान्तीः
श्री माधवराव सिंधियाः
श्री सोहनवीर सिंहः
श्री रनजीब बिसवालः
श्री शरत पटनायकः
श्री ए.जी.एस. राम बाबूः
श्री पी.सी. थामसः
श्री संदीपान थोरातः

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण तथा निर्माण कार्य की प्रगति का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं पर परियोजनावार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार नए विमानपत्तनों के निर्माण हेतु विदेशी पूंजी आमंत्रित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रमती जयन्ती नटराजन)ः (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संबंधी परियोजना

416. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसीः** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ नेलको विकास कार्यक्रम और विश्व पर्यावरण सुविधा पर्वतीय पन-बिजली परियोजना 1994 में शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना के अंतर्गत अब तक राज्यवार किन कार्यों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या उक्त परियोजना के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद)ः (क) और (ख) जी हां। 'भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में लघु पन बिजली संसाधनों के ईष्टतम विकास'' पर एक परियोजना वर्ष 1994 में आरंभ की गई। इस परियोजना में विश्व पर्यावरणीय सुविधा (जीईएफ) से 7.5 मिलियन अमेरिकी डालर की अनुदान राशि और भारत सरकार एवं राज्य सरकार संसाधनों से 22.48 करोड़ रु. के प्रतिरूप निधियन का प्रावधान है। इस परियोजना में एक मास्टर प्लान तैयार करने, 20 प्रदर्शन परियोजनाओं को स्थापित करने, 100 पन चक्कियों और प्रशिक्षण की परिकल्पना है। इन कार्यकलापों के लिए इस परियोजना क्षेत्र में 13 राज्यों को शामिल किया गया है। सभी राज्यों में भूगर्भिक, भूकम्प विज्ञान संबंधी, जल विज्ञान संबंधी आदि अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। प्रदर्शन परियोजना निष्पादन के लिए स्थलों की पहचान कर ली गई है और 10 पन चक्कियों की स्थापना की गई है।

(ग) से (ङ) यह परियोजना निष्पादन के मध्यवर्ती चरण में है। इसकी कलावधि दिसम्बर, 1999 तक है। इस परियोजना से अपेक्षित परिणाम मिलने की संभावना है।

मेल रेलगाड़ी की मांग

417. **श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को दिल्ली और देगाना के बीच जोधपुर मेल के स्थान पर उच्च श्रेणी के डिब्बों वाली एक मेल गाड़ी चलाने के लिए लम्बे अर्से से की जा रही मांग की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार दिल्ली और देगाना के बीच उच्च श्रेणी वाली एक मेल गाड़ी चलाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि नहीं, तो उच्च श्रेणी के यात्रियों को इस सुविधा से वंचित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली और देगाना के रास्ते से दिल्ली और जोधपुर के बीच बड़ी लाइन वाली जोधपुर मेल पुनः चलाने के लिए दिल्ली और देगाना के बीच निकट भविष्य में आमान परिवर्तन संभव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) फिलहाल, दो ए.सी. 2 टियर और एक प्रथम वातानुकूल श्रेणी (सप्ताह में तीन बार) सवारी डिब्बों वाली 2461/2462 दिल्ली–जोधपुर मंदौर एक्सप्रेस दिल्ली एवं देगाना (बरास्ता जयपुर, फुलेरा) के बीच उपलब्ध है। दिल्ली और देगाना के बीच मीटर लाइन पर एक गाड़ी चलाने की व्यावहारिकता की जांच की गई थी परंतु परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाई गई।

(घ) से (ङ) दिल्ली और रेवाड़ी के बीच बड़ी लाइन मौजूद है। रेवाड़ी से देगाना बरास्ता रतनगढ़ मीटर लाइन के आमान परिवर्तन के लिए एक सर्वेक्षण उत्तर रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के पश्चात् ही परियोजना पर आगे विचार संभव होगा।

[हिन्दी]

सामान का गायब हो जाना

418. **श्री के.डी. सुल्तानपुरी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान रेलवे में बुक किए गए सामानों में से जोनवार/राज्यवार कितनी मात्रा में सामान गायब पाए गए; और

(ख) उक्त आधार पर कितनी राशि के दावे का भुगतान किया गया?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, बहरहाल, 1996-97 में हानि, चोरी तथा उठाईगिरी आदि के कारण परेषणों के गायब होने के संबंध में दावेदारों द्वारा जोनवार किए गए दावे की राशि तथा भुगतान की गई राशि इस प्रकार है:

(आंकड़े लाख में)

रेलवे	हानि, चोरी, उठाईगिरी आदि के कारण सामान के गायब होने के संबंध में दावेदारों द्वारा दावा की गई राशि	क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की गई शुद्ध राशि
1	2	3
मध्य	5932.00	300.74
पूर्व	5870.21	324.19
उत्तर	8162.22	746.12
पूर्वोत्तर	3419.45	79.39
पूर्वोत्तर सीमा	5130.34	325.36
दक्षिण	6588.28	249.88
दक्षिण मध्य	5196.82	101.62
दक्षिण पूर्व	8224.78	359.76
पश्चिम	5873.44	285.62

रेलगाड़ी का ठहराव न होने के कारण यात्रियों को कठिनाई

419. **श्रीमती केतकी देवी सिंह**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मनकापुर (उ.प्र.) स्टेशन पर 2553/2554 वैशाली एक्सप्रेस और 5207/5208 बरौनी–अमृतसर एक्सप्रेस जैसी कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो मनकापुर स्टेशन पर उक्त रेलगाड़ियों को ठहराने की व्यवस्था कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्ताव की जांच की गई थी लेकिन वाणिज्यिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

ब्रिटिश एयरवेज

420. **श्री सनत मेहता**: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के नागर विमानन संबंधी व्यापक नीति बनाने के निर्णय के कारण ब्रिटिश एयरवेज की भारत–ब्रिटेन क्षेत्र में क्षमता वृद्धि की योजना को भारी धक्का पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) ब्रिटिश एयरवेज और एयर इंडिया के बीच समझौते की शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी योजना को लागू करने के लिये दोनों सरकारों का द्विपक्षीय समझौता आवश्यक है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) से (ङ) भारत और यू.के. के बीच विमान सेवा प्रचालन के लिए क्षमता संबंधी हकदारी में वृद्धि के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच द्विपक्षीय नागर विमनन वार्ताओं के बारे में चर्चा करने और इसे अंतिम रूप देने की आवश्यकता है। अभी तक वार्ताओं के अगले दौर के लिए तारीखें निश्चित नहीं हुई हैं। प्रस्तावित नागर विमानन सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के कारण किसी भी तरह से क्षमता में वृद्धि के इस मुद्दे को झटका नहीं लगा है।

रेलवे को हुई हानि

421. **श्रीमती पूर्णिमा वर्मा:**
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय:
श्री सुन्दर लाल पटवा:
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे को वर्ष 1996 के दौरान और 31 अक्तूबर, 1997 तक देश में अनेक स्थानों पर आंदोलन के कारण रेलवे संपत्ति का नुकसान होने के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) 1996 और 1997 (31 अक्तूबर तक) के दौरान रेलों पर आंदोलनों के परिणामस्वरूप रेल संपत्तियों की हुई क्षति के कारण रेलों को 251, 14, 60, 840/- रुपये (दो सौ इक्यावन करोड़, चौदह लाख, साठ हजार, आठ सौ चालीस केवल) का नुकसान हुआ।

(ख) रेलों द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाय किए जा रहे हैं:

1. केंद्र/राज्य आसूचना एजेंसियों और रारेपु/स्थानीय पुलिस के साथ अग्रिम सूचना का आदान-प्रदान।
2. रारेपु/राज्य पुलिस के साथ समन्वय बैठकें।
3. जब कभी राजनैतिक पार्टियों/अन्य संगठनों द्वारा कोई आंदोलन किया जाता है तो रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस/रा.रे.पु. के समन्वय से रेलों पर सुरक्षा बढ़ा दी जाती है।
4. रेलवे स्टेशनों, भेद्य संस्थापनाओं और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा आदि की जाती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए सहायता

422. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की विभिन्न प्रणालियों के विकास के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ने वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) जी हां। दिल्ली में जन पुतगामी परिवहन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कुल 64.27 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता जारी की है। सहायता का विवरण इस प्रकार है:

1994-95		
-	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	6.37 करोड़ रु०
-	आकस्मिक व्यय	0.80 करोड़ रु०
1995-96		
-	परियोजना तैयार करने पर आकस्मिक व्यय	0.22 करोड़ रु०
1996-97		
-	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड बाबत इक्विटी	52.00 करोड़ रु०
-	दिल्ली एम.आर.टी.एस. के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	4.85 करोड़ रु०
-	परियोजना तैयार करने के लिए आकस्मिक व्यय	0.03 करोड़ रु०

(ग) और (घ) जापान के ओवरसीज इकोनोमिक कोओपरेशन फंड ने दिल्ली एम.आर.टी.एस. परियोजना के लिए 2.3 प्रतिशत की ब्याज दर पर 14,760 मिलियन जापानी येन ऋण की प्रथम किस्त मुहैया कराने के लिए भारत सरकार के साथ एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऋण राशि वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान जारी की जानी है।

रेलवे द्वारा उठाया गया घाटा

423. **श्री आई.डी. स्वामी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1996-97 के पहले छह महीनों के दौरान रेलवे को भारी घाटा हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा निर्यात में वृद्धि

424. **श्री मदन पाटिल:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997-98 के पहले छः माह के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र ने इस्पात के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) और (ख) भिलाई इस्पात संयंत्र ने अप्रैल-सितम्बर, 1997 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यात प्रेषण में उल्लेखनीय वृद्धि की है। भिलाई इस्पात संयंत्र से अप्रैल-सितम्बर, 1997 और अप्रैल-सितम्बर, 1996 के दौरान लोहा और इस्पात सामग्री का निर्यात और उसकी प्रतिशतता में वृद्धि नीचे दी गई है:

मात्रा : एम टी (अनन्तिम)

उत्पाद	अप्रैल-सितम्बर, 1997	अप्रैल-सितम्बर, 1996	प्रतिशत वृद्धि
इस्पात	291573	168530	73 प्रतिशत
कच्चा लोहा	91250	शून्य	-
कुल	382823	168530	127 प्रतिशत

[हिन्दी]

दलाल

425. **डा. बलिराम:**
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच महीनों के दौरान देश में विशेषकर दिल्ली, मुम्बई, वाराणसी, अहमदाबाद तथा लखनऊ में आरक्षण कार्यालयों में कुल कितने दलालों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) टिकटों की कालाबाजारी में रेल कर्मचारियों की सांठ-गांठ के कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु किए गए उपायों/कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ स्टेशनों में 138 दलालों सहित क्षेत्रीय रेलों पर 1328 दलाल पकड़े गए थे।

(ख) 97

(ग) महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों और आरक्षण कार्यालयों में कदाचारों और टिकटों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर जांचें की जाती हैं। आरक्षण कार्यालयों/रेलवे स्टेशनों में या उनके आस-पास सक्रिय ऐसे दलालों को जो समाज-विरोधी/बेईमान/अप्राधिकृत तत्व/व्यक्ति होते हैं, पकड़ा जाता है और उन पर रेल अधिनियम, 1989 की धारा 143 के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए पुलिस को सौंप दिया जाता है। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है। दलालों और समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों का पता लगाने पर निगरानी रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टी.वी. भी लगाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976

426. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:**
श्री संतोष मोहन देव:
श्री नारायण आठवले:
श्री अण्णा साहिब एम.के.पाटिल:
श्री शरत पटनायक:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रियों का कोई ग्रुप नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने की संभावना की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम विधेयक कब तक लाये जाने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) मंत्रियों के दल ने नगर भूमि

(अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 संशोधित करने के प्रस्तावों पर विचार किया। तथापि मामले की विस्तृत जांच के बाद सरकार ने अब अधिनियम रद्द करने का सैद्धांतिक रूप से निर्णय किया है।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 252 (2) के अनुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 जो एक केन्द्रीय अधिनियम है, को तभी संशोधित/रद्द किया जा सकता है जबकि कम से कम दो संबंधित राज्यों के विधान मंडल अधिनियम संशोधित/रद्द करने का अधिकार संसद को देने संबंधी एक संकल्प पारित करे। कम से कम दो राज्यों से इस प्रकार के संकल्प प्राप्त होने पर सरकार इस मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई करेगी।

[हिन्दी]

कुलियों की मांगें

427. **श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई के कुलियों की कुछ मागें सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उनकी मागों को मानने के बारे में विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (च) मुम्बई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन के लाइसेंसशुदा कुलियों ने मुम्बई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त विश्राम सुविधा की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया है। स्टेशन पर 36''x24'' आकार का एक विश्राम स्थल पहले से ही मौजूद है। निधि की उपलब्धता को देखते हुए यदि व्यावहारिक पाया गया तो एक अतिरिक्त विश्राम स्थल का निर्माण भावी निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

इस्पात परियोजनाओं का कार्यान्वयन

428. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:**
श्री भक्त चरण दास:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित होने वाली लगभग 20 परियोजनायें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) से (ग) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस समय अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा 17 इस्पात परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 11 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं जबकि अन्य परियोजनाएं चालू हो गई हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इनमें से अधिकांश परियोजनाएं निजी क्षेत्र में हैं। तथापि, सरकार इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करती है। यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में विलम्ब, यदि कोई है तो वह भूमि के अधिग्रहण, वित्तीय व्यवस्था आदि जैसे घटकों के कारण है।

विवरण

क्र.सं.	इकाई का नाम और स्थान	प्रक्रिया रूट एवं उत्पाद मिश्र	क्षमता लाख टन (विक्रेय इस्पात)	निवेश (करोड़ रुपये)	स्थिति/तारीख चालू होने की
1	2	3	4	5	6
1.	नोवा उद्योग लिमिटेड (नैनीताल, उत्तर प्रदेश)	ई.ए.एफ.बी.एंड आर.	2.40	101.40	बंद, दिसम्बर 93 से बी.आई.एफ.आर. के अधीन
2.	इंडियन सीमलैस एस.एंड ए. लि (पुणे, महाराष्ट्र)	ई.ए.एफबी.एंड आर./ सीमलैस बार	1.50	175.00	दिसम्बर, 94 से उत्पादन
3.	लॉयल स्टील इंडिया लिमिटेड (वर्धा, महाराष्ट्र)	ई.ए.एफ. प्लेट/ एच.आर.सी.सी.आर./ जी.पी./जी.सी.	6.00 (एस.एम.एस. क्षमता:5 एल.टी.पी.ए.)	1100.00	उत्पादनरत प्लेट/अच.आर.सी. अक्तूबर, 94 सी.आर./जी.पी.जी.सी. दिसम्बर, 95

1	2	3	4	5	6
4.	एस्सार स्टील लिमिटेड (हजीरा, गुजरात)	एच.बी.आई.ई.ए. एफ.एच.आर.सी.	20.00	3933.00	मार्च, 96 से उत्पादनरत
5.	जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड (राजगढ़ मध्य प्रदेश)	डी.आर.आई.ई.ए.एफ. स्लैब/बैलेट्स	4.00 (डी.आर.आई. क्षमता: 6 एल.टी.पी.ए.)	600.00	मार्च, 96/97 से उत्पादनरत
6.	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड (भैरोच गुजरात)	ई.आई.एफ. बैलेट्स (संयंत्र को चंपा, मध्य प्रदेश में स्थानान्तरित कर दिया गया।)	1.20	75.52	मार्च, 96
7.	राजेन्द्र स्टील लिमिटेड (रायपुर, मध्य प्रदेश	ई.ए.एफ.एच.आर.सी. (अंश क्षमता: 1.7 एल.टी.पी.ए. चालू)	3.00	500.00	कार्यान्वयनाधीन
8.	नोवा स्टीलस् (आई.) लिमिटेड (बिलासपुर, मध्य प्रदेश)	ई.ए.एफ डब्ल्यू.आर./ बी.एंडआर.	2.00	140.00	कार्यान्वयनाधीन
9.	माल्विका स्टील लिमिटेड (जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश)	बी.एफ.-बी.ओ.एफ. बी.एंड आर./डब्ल्यू.आर. (बी.एफस्.चालू कच्चे माल का उत्पादन कर रही है	6.00	1532.50	कार्यान्वयनाधीन, दिसम्बर, 97
10.	जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड (बेल्लारी, कर्नाटक)	कोरैक्स-बी.ओ.एफ. एच.आर.सी.	15.70 एच.एस.एम.:चालू (अगस्त,97 कोरेक्स-1:मार्च,98, एस.एम.एस: जून,98 कोरेक्स-2:सितम्बर,98, प्लेट: दिसम्बर,98	4130.00	कार्यान्वयनाधीन
11.	साउथर्न आई.एंड एस. क. लिमिटेड (सेलम, तमिलनाडु)	बी.एफ.ई.ओ.एफ.बी. बी.एंडआर./डब्ल्यू.आर. एल.टी.पी.ए.एस.एम.एस.	3.00 (एस.एम.एस. क्षमता 2.2 : मार्च, 98 एच.आर.एम. सितम्बर, 98	700.00	कार्यान्वयनाधीन
	(बी. एफ एंड सी.पी. जुलाई, 96/अगस्त,97 में चालू कच्चे माल का उत्पादन कर रही है)				
12.	एस.जे.के. स्टील कारपोरेशन लि० (अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश)	बी.एफ-ओ.एफ. बी.ए.आर./डब्ल्यू.आर.	4.00 एस.एम.एस. क्षमता: 2.88 एल.टी.पी.ए. (अप्रैल,1998)	636.00	कार्यान्वयनाधीन
13.	कुमार मेटलर्जिकल कारपो. लिमिटेड (नालगोंडा, आंध्र प्रदेश)	ई.ए.एफ.डब्ल्यू.आर.	1.25	146.00	कार्यान्वयनाधीन मार्च, 1998
14.	इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड (रायगढ़, महाराष्ट्र)	ई.ए.एफ.एच.आर.सी.	30.00	4792.00	कार्यान्वयनाधीन चरण-I दिसम्बर, 97 चरण-II जुलाई, 98
	(तप्त पत्ती मिल का शीत परीक्षण चालू होने के बारे में बताया गया है)				
15.	बेल्लारी एफ.एंड. ए. लिमिटेड (बेल्लारी, कर्नाटक)	बी.एफ-बी.ओ.एफ एल.पी.	4.10	891.00	कार्यान्वयनाधीन अक्तूबर, 1998
16.	ऊषा इस्पात लिमिटेड (सतारा, महाराष्ट्र)	बी.एफ.बी.ओ. एफ.एल.पी.	6.00	1425.00	कार्यान्वयनाधीन मई, 1999
17.	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (वैतारी, उड़ीसा)	बी.एफ.बी.ओ.एफ. बैलेट्स/डब्ल्यू.आर.	6.20 (+टी.जी.ए. कच्चा लोहा)	1510.00	कार्यान्वयनाधीन पी.आई. अक्तूबर, 98 स्टील अक्तूबर, 99
	योग		116.35	22392.42	

(अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 संशोधित करने के प्रस्तावों पर विचार किया। तथापि मामले की विस्तृत जांच के बाद सरकार ने अब अधिनियम रद्द करने का सैद्धांतिक रूप से निर्णय किया है।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 252 (2) के अनुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 जो एक केन्द्रीय अधिनियम है, को तभी संशोधित/रद्द किया जा सकता है जबकि कम से कम दो संबंधित राज्यों के विधान मंडल अधिनियम संशोधित/रद्द करने का अधिकार संसद को देने संबंधी एक संकल्प पारित करें। कम से कम दो राज्यों से इस प्रकार के संकल्प प्राप्त होने पर सरकार इस मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई करेगी।

[हिन्दी]

कुलियों की मांगें

427. **श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई के कुलियों की कुछ मागें सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उनकी मागों को मानने के बारे में विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (च) मुम्बई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन के लाइसेंसशुदा कुलियों ने मुम्बई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त विश्राम सुविधा की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया है। स्टेशन पर 36''x24'' आकार का एक विश्राम स्थल पहले से ही मौजूद है। निधि की उपलब्धता को देखते हुए यदि व्यावहारिक पाया गया तो एक अतिरिक्त विश्राम स्थल का निर्माण भावी निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

इस्पात परियोजनाओं का कार्यान्वयन

428. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:**
श्री भक्त चरण दास:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित होने वाली लगभग 20 परियोजनायें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) से (ग) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस समय अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा 17 इस्पात परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 11 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं जबकि अन्य परियोजनाएं चालू हो गई हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इनमें से अधिकांश परियोजनाएं निजी क्षेत्र में हैं। तथापि, सरकार इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करती है। यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में विलम्ब, यदि कोई है तो वह भूमि के अधिग्रहण, वित्तीय व्यवस्था आदि जैसे घटकों के कारण है।

विवरण

क्र.सं.	इकाई का नाम और स्थान	प्रक्रिया रूट एवं उत्पाद मिश्र	क्षमता लाख टन (विक्रेय इस्पात)	निवेश (करोड़ रुपये)	स्थिति/तारीख चालू होने की
1	2	3	4	5	6
1.	नोवा उद्योग लिमिटेड (नैनीताल, उत्तर प्रदेश)	ई.ए.एफ.बी.एंड आर.	2.40	101.40	बंद, दिसम्बर 93 से बी.आई.एफ.आर. के अधीन
2.	इंडियन सीमलैस एस.एंड ए. लि (पुणे, महाराष्ट्र)	ई.ए.एफबी.एंड आर./ सीमलैस बार	1.50	175.00	दिसम्बर, 94 से उत्पादन
3.	लॉयल स्टील इंडिया लिमिटेड (वर्धा, महाराष्ट्र)	ई.ए.एफ. प्लेट/ एच.आर.सी.सी.आर./ जी.पी./जी.सी.	6.00 (एस.एम.एस. क्षमताः5 एल.टी.पी.ए.)	1100.00	उत्पादनरत प्लेट/एच.आर.सी. अक्तूबर, 94 सी.आर./जी.पी.जी.सी. दिसम्बर, 95

1	2	3	4	5	6
4.	एस्सार स्टील लिमिटेड (हजीरा, गुजरात)	एच.बी.आई.ई.ए. एफ.एच.आर.सी.	20.00	3933.00	मार्च, 96 से उत्पादनरत
5.	जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड (राजगढ़ मध्य प्रदेश)	डी.आर.आई.ई.ए.एफ. स्लैक/बैलेट्स	4.00 (डी.आर.आई. क्षमता: 6 एल.टी.पी.ए.)	600.00	मार्च, 96/97 से उत्पादनरत
6.	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड (भैरोच गुजरात)	ई.आई.एफ. बैलेट्स (संयंत्र को चंपा, मध्य प्रदेश में स्थानान्तरित कर दिया गया।)	1.20	75.52	मार्च, 96
7.	राजेन्द्र स्टील लिमिटेड (रायपुर, मध्य प्रदेश	ई.ए.एफ.एच.आर.सी. (अंश क्षमता: 1.7 एल.टी.पी.ए. चालू)	3.00	500.00	कार्यान्वयनाधीन
8.	नोवा स्टीलस् (आई.) लिमिटेड (बिलासपुर, मध्य प्रदेश)	ई.ए.एफ डब्ल्यू.आर./ बी.एंडआर.	2.00	140.00	कार्यान्वयनाधीन
9.	मालविका स्टील लिमिटेड (जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश)	बी.एफ.-बी.ओ.एफ. बी.एंड आर./डब्ल्यू.आर. (बी.एफस्.चालू कच्चे माल का उत्पादन कर रही है	6.00	1532.50	कार्यान्वियनाधीन, दिसम्बर, 97
10.	जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड (बेल्लारी, कर्नाटक)	कोरैक्स-बी.ओ.एफ. एच.आर.सी.	15.70 एच.एस.एम.:चालू (अगस्त,97 कोरेक्स-1:मार्च,98, एस.एम.एस: जून,98 कोरेक्स-2:सितम्बर,98, प्लेट: दिसम्बर,98	4130.00	कार्यान्वयनाधीन
11.	साउथर्न आई.एंड एस. क. लिमिटेड (सेलम, तमिलनाडु)	बी.एफ.ई.ओ.एफ.बी. बी.एंडआर./डब्ल्यू.आर. एल.टी.पी.ए.एस.एम.एस. : मार्च, 98 एच.आर.एम. सितम्बर, 98	3.00 (एस.एम.एस. क्षमता 2.2	700.00	कार्यान्वयनाधीन
	(बी. एफ एंड सी.पी. जुलाई, 96/अगस्त,97 में चालू कच्चे माल का उत्पादन कर रही है)				
12.	एस.जे.के. स्टील कारपोरेशन लि० (अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश)	बी.एफ-ओ.एफ. बी.ए.आर./डब्ल्यू.आर.	4.00 एस.एम.एस. क्षमता: 2.88 एल.टी.पी.ए. (अप्रैल,1998)	636.00	कार्यान्वयनाधीन
13.	कुमार मेटलर्जिकल कारपो. लिमिटेड (नालगोंडा, आंध्र प्रदेश)	ई.ए.एफ.डब्ल्यू.आर.	1.25	146.00	कार्यान्वयनाधीन मार्च, 1998
14.	इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड (रायगढ़, महाराष्ट्र)	ई.ए.एफ.एच.आर.सी.	30.00	4792.00	कार्यान्वयनाधीन चरण-I दिसम्बर, 97 चरण-II जुलाई, 98
	(तप्त पत्ती मिल का शीत परीक्षण चालू होने के बारे में बताया गया है)				
15.	बेल्लारी एफ.एंड. ए. लिमिटेड (बेल्लारी, कर्नाटक)	बी.एफ-बी.ओ.एफ एल.पी.	4.10	891.00	कार्यान्वयनाधीन अक्तूबर, 1998
16.	ऊषा इस्पात लिमिटेड (सतारा, महाराष्ट्र)	बी.एफ.बी.ओ. एफ.एल.पी.	6.00	1425.00	कार्यान्वयनाधीन मई, 1999
17.	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (दैतारी, उडीसा)	बी.एफ.बी.ओ.एफ. बैलेट्स/डब्ल्यू.आर.	6.20 (+टी.जी.ए. कच्चा लोहा)	1510.00	कार्यान्वयनाधीन पी.आई. अक्तूबर, 98 स्टील अक्तूबर, 99
	योग		116.35	22392.42	

माल ढुलाई सेवा शुरू करना

429. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय रोड रोलर और पिग्गी बैंक प्रणाली के जरिए विशेष माल ढुलाई सेवा शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र से प्राप्त समग्र दो प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का सड़क मार्ग से माल ढुलाई के लिए नए अवसरों के दोहन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यह मामला इस समय किस चरण में है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी हां।

(ख) अतिरिक्त यातायात के सृजन के अलावा, इन सेवाओं से उच्च दर वाले सामान्य माल यातायात के सड़क से रेल की ओर आकर्षित होने की संभावना है।

(ग) रोड रोलरों की शुरूआत करने के लिए मैसर्स किर्लोस्कर न्यूमेटिक कम्पनी लिमिटेड (के.पी.सी.एल), पुणे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पिग्गी बैंक प्रणाली की शुरूआत करने के लिए मैसर्स सांघी फिलामेंट्स प्रा.लि., हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना है।

सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए बजटीय आवंटन

430. **श्री आर. साम्बासिवा राव:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विकास संबंधी विभिन्न सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए बजटीय आवंटन में कटौती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पहले सरकार ने नौवीं योजना में ग्रामीण विकास हेतु दुगुने परिव्यय का प्रस्ताव किया था; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने हेतु कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए रोजगार प्रदान करने तथा आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से बनाए गए कार्यक्रम धनराशि की कटौती से प्रभावित न हों, क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू): (क) और (ख) जी, हां। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय सहित बजट पश्चात अनेक गतिविधियों के कारण बजट पर दबाव बढ़ गया है। अतः बजट स्थिति की समीक्षा करना राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का अनुपालन सुनिश्चत करने के लिए कदम उठाना अपरिहार्य हो गया। अतः केन्द्रीय योजना 1997-98 के लिए बजट सहायता में कम से कम 5 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया गया। इस मंत्रालय के योजनागत बजटीय आवंटन में 5% की प्रस्तावित कटौती का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) नौवीं योजना के प्रस्तावित परिव्यय के संबंध में अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। तथापि यह मंत्रालय नौवीं योजना में परिव्यय को दुगुना करने के प्रति गंभीर है।

विवरण

(करोड़ रु० में)

विभाग का नाम	बजट आवंटन	प्रस्तावित कटौती	संशोधित आवंटन
1. ग्रामीण विकास	2195.00	109.75	2085.25
2. ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन	6805.70	340.29	6465.41
3. बंजर भूमि विकास	95.00	4.75	91.25
कुल	9095.70	454.79	8640.91

बिना चौकीदार वाला रेल फाटक

431. **श्री रमजीव विसवाल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों की जोन-वार और राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या इन फाटकों पर चौकीदार तैनात करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) 24350 अदद

जोनवार:

रेलवे	समपारों की संख्या
मध्य	1681
पूर्व	984
उत्तर	4406
पूर्वोत्तर	3260
पूर्वोत्तर सीमा	1673
दक्षिण	2560
दक्षिण मध्य	2023
दक्षिण पूर्व	3632
पश्चिम	4131
जोड़	24350

राज्यवार :

राज्य	समपारों की संख्या
असम	1045
आंध्र प्रदेश	1555
बिहार	2022
दिल्ली	5
गुजरात	2930
हरियाणा	521
हिमाचल प्रदेश	290
जम्मू और कश्मीर	36
कर्नाटक	1067
केरल	227
मध्य प्रदेश	1783
महाराष्ट्र	1538
मणिपुर	1
मिजोरम	1
उड़ीसा	1136
पंजाब	1053
राजस्थान	2227
तमिलनाडु	1566
त्रिपुरा	36
उत्तर प्रदेश	3709
पश्चिम बंगाल	1587
चंडीगढ़	2
पाण्डिचेरी	9
गोवा	3
नागालैंड	1
जोड़	24350

(ख) और (ग) बिना चौकीदार वाले संवेदनशील समपारों को चरणबद्ध आधार पर यथोचित प्राथमिकता देकर राज्य सरकारों की मदद से चौकीदार वाले समपारों में बदला जाएगा जिन्हें प्रारंभिक पूंजी लागत निवेश करनी होगी।

यद्यपि बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने का कार्य राज्य सरकारों के अनुरोध पर और उनकी लागत पर किया जाता है तथापि संरक्षा दृष्टिकोणों से रेलवे ने 1997-98 में 68 चैकुच समपारों पर अपनी लागत से चौकीदार तैनात करने का विनिश्चय किया है।

[हिन्दी]

भागलपुर-दिल्ली मॉडल रेलगाड़ी शुरू करना

432. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भागलपुर-दिल्ली मॉडल रेल गाड़ी जिसे रेलवे समय सारिणी में शामिल किया जा चुका है को शुरू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ख) पूर्व घोषित भागलपुर-पटना इंटर सिटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को शुरु नहीं किए जाने के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) इंटर सिटी एक्सप्रेस का ठहराव बरियारपुर में नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं जहां विक्रमशिला तथा भागलपुर-मुजफ्फरपुर रेलगाड़ियों सहित सभी रेल गाड़ियां रुकती हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) भागलपुर और दिल्ली या भागलपुर और पटना के बीच गाड़ी शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है और ऐसी किसी गाड़ी की न तो घोषणा की गई थी और न ही इसे अगस्त 1997 से प्रभावी समय सारणी में शामिल किया गया है।

(ग) 1.08.97 से 3419/3420 भागलपुर-मुजफ्फरपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को बरियारपुर पर ठहराव देने की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की कार्य योजना

433. **श्री अण्णासाहिब एम.के. पाटिल:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वर्ष 1997-98/नौवीं योजना के लिए विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरण की प्रक्रिया की मांग के अनुरूप पुनर्गठित रणनीतियों तथा प्राथमिकताओं के दायरे में कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करने तथा पर्यावरणीय और भूतकनीकी क्रियाकलापों से संबंधित अनुसंधान तथा विकास के कार्यक्रमों के लिए उपस्करों और मशीनरी का आधुनिकीकरण किए जाने सहित की जाने वाली विभिन्न प्रस्तावित क्रियाकलापों हेतु कितने धन की आवश्यकता होगी; और

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य-वार विशेषतः महाराष्ट्र राज्य हेतु प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) और (ख) जी, हां। नौवीं योजना और चालू वर्ष 1997-98

के लिए (1.10.97 से 30.9.98 तक) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के योजना-वार भौतिक लक्ष्य और प्रत्येक कार्यक्रम हेतु लक्षित राज्यों/क्षेत्रों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नौवीं योजना का परिव्यय 1381.95 करोड़ रु० है। इसमें से 936.95 करोड़ रु० पूंजीगत प्रतिस्थापना के लिए तथा उसके आधुनिकीकरण के लिए हैं तथा शेष 445 करोड़ रु. प्रचालन के लिए रखे गए हैं।

(घ) चालू वर्ष 1997-98 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा तथा प्रत्येक कार्यक्रम हेतु लक्षित राज्यों/क्षेत्रों के नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं जिसका उल्लेख भाग (क) और (ख) के उत्तर में दिया गया है। चालू वर्ष 1997-98 में महाराष्ट्र राज्य में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

नौवीं योजनावधि के लिए योजना-वार भौतिक लक्ष्य

	स्कीम	क्रियाकलाप एवं लक्ष्य
1	2	3
	I खनिज गवेषण	
	क. गैर कोयला खनिज/धातु	
1.	मूल (बेस) धातु कार्यक्रम राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, पं. बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, अरुणाचल, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश एवं आन्ध्र प्रदेश में 45 अन्वेषण।	एल.एस.एम.-10,000 वर्ग कि.मी. जी.एम.-40 वर्ग कि.मी. छिद्रण-85,600 मी. जी.सी.एस.-40,000(सं.) जी.पी.एस.-12001 कि.मी. पी.टी.-2,000 क्यू.मी.
2.	स्वर्ण कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तमिलनाडु, केरल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, राजस्थान एवं प. बंगाल में 55 अन्वेषण।	एल.एस.एम.-18,000 वर्ग कि.मी. डी.एम-134 वर्ग कि.मी. छिद्रण-1,70,000 मी. सी.सी.एस-79,000 (सं0) जी.पी.एस.-1,0001 कि.मी. पी.टी.-17,000 क्यू.मी.
3.	टिन-टंगस्टन-मालिबडेनम कार्यक्रम तमिलनाडु, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में 10 अन्वेषण	एल.एस.एम-4000 वर्ग कि.मी. डी.एम.-15 वर्ग कि.मी. छिद्रण-12,000 मी. जीसीएस-15,000 (सं.) जीपीएस-200 कि.मी. पी.टी.-3,000 क्यू.मी.
4.	प्लैटिनम ग्रुप की धातुएं एवं आर.ई.ई. कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, तमिलनाडु, बिहार, नागालैण्ड, गुजरात एवं जम्मू और कश्मीर में 10 अन्वेषण	एल.एस.एम.-9,000 वर्ग कि.मी. डी.एम-25 वर्ग कि.मी. छिद्रण-10,000 मी. जी.सी.एस.-30,000 (सं.)
5.	हीरा कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं बिहार में 10 अन्वेषण	आर.ई.सी.जी.एम.-28000 वर्ग कि.मी. छिद्रण 15,000 मी. जी.सी.एस.-27,000 (सं.) पी.टी.-6000 क्यू.मी.

1	2	3
6.	मैटेलोजेनिक अध्ययन कार्यक्रम 6 अन्वेषण (ग्रेनाइट-ग्रीनस्टोन भू-भाग, अल्ट्रामैफिक कॉम्प्लेक्सिज़, अल्का लाइन (क्षारीय) काम्पलेक्सिज इत्यादि)	एलएसएम-15,000 वर्ग कि.मी. छिद्रण-6,000 मी. जी.सी.एस.-20,000 (सं.) जी.पी.एस-150 वर्ग कि.मी.
7.	उर्वरक खनिज बिहार, पं. बंगाल, राजस्थान कर्नाटक, तमिलनाडु में 12 अन्वेषण	एल.एस.एम.-600 वर्ग कि.मी. छिद्रण- 12000 मी. जी.सी.एस. 9000 (सं.) पी.टी.-1000 क्यू मी.
8.	फैरस ग्रुप के खनिज (लौह, क्रोमाइट, मैगनीज इत्यादि) उड़ीसा, गोवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश कर्नाटक में 5 अन्वेषण	एल.एस.एम. 6,500 वर्ग कि.मी. डी.एम.-100 वर्ग कि.मी. छिद्रण-35,000 मी. जी.सी.एस.-20,000 वर्ग कि.मी. पी.टी.-1500 क्यू.मी.
9.	लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट एवं अन्य खनिज मध्य प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक राजस्थान, गुजरात, असम अंडमान में 10 अन्वेषण।	एल.एस.एम.-10,000 वर्ग कि.मी. डी.एम.-30.0 वर्ग कि.मी. छिद्रण-47000 मी जी.सी.एस.-16,000 (सं.) जी.पी.एस-1001 कि.मी.
10.	डाइमेंशन स्टोन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उड़ीसा, पं. बंगाल, बिहार राजस्थान, असम, मेघालय में 20 अन्वेषण	आर.ई.सी./एल.एस.एम. 14000 वर्ग कि.मी. डी.एम.-300 वर्ग कि.मी. छिद्रण-7,000 मी. ओ.एस.-2,500 सं. जी.पी.एस.-2,600 वर्ग कि.मी.
11.	अन्य खनिज (ग्लास सैण्ड) क्ले, क्यानाइट, डयूनाइट इत्यादि) कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, असम, मेघालय, पांडिचेरी में 8 अन्वेषण	एल.एस.एम.-4000 वर्ग कि.मी. डी.एम.-50.0 वर्ग कि.मी. छिद्रण-3,000 मी. + 500 औगर छिद्रण जी.सी.एस. एवं ओ.एस.1500 (सं.) पी.टी.-800 क्यू.मी.

संक्षिप्ताक्षरः एल.एस.एम.-बड़े स्केल पर मानचित्रण (1:10,000 से 1:25,000), (लार्ज स्केल मैपिंग)

डी.एम.-ब्यौरेवार मानचित्रण (1:1000 से 1:5,000), (डीटेल्डमैपिंग)
जी.सी.एस-जियोकैमिकल सैंपलिंग
पी.टी.-पिटिंग एवं ट्रेंचिंग
ओ. एस. - अन्य सर्वेक्षण
जी.पी.एस.-जियोफिजिकल सर्वेक्षण
आर.ई.सी.-रीकन्नाएटेरी सर्वेक्षण।

1	2	3
ख. कोयला एवं लिग्नाइट		
1. दामोदर घाटी कोयला बेसिन 3 परियोजनाएं		क्षेत्र-382 वर्ग कि.मी. छिद्रण-52,500 मी.
2. राजमहल-बीरभूम मास्टर कोयला बेसिन 2 परियोजनाएं		क्षेत्र-75 वर्ग कि.मी. छिद्रण-30,000 मी.
3. महानदी घाटी कोयला बेसिन 5 परियोजनाएं		क्षेत्र-397 वर्ग कि.मी. छिद्रण-75,000 मी.
4. सोन घाटी बेसिन 2 परियोजनाएं		क्षेत्र 189.5 वर्ग कि.मी. छिद्रण- 52,500 मी.
5. वर्धा घाटी कोयला बेसिन 2 परियोजनाएं		क्षेत्र-50 कि.मी. छिद्रण-15,000 मी.
6. गोदावरी घाटी कोयला बेसिन 6 परियोजनाएं		क्षेत्र 355 वर्ग कि.मी. छिद्रण-97,500 मी.
7. पूर्वी एवं पश्चिमी तट लिग्नाइट क्षेत्र (तमिलनाडु, गुजरात एवं केरल) 4 परियोजनाएं		क्षेत्र6070 वर्ग कि.मी. छिद्रण 45,000 मी.
8. चुनिन्दा कोयला एवं लिग्नाइट कोयला क्षेत्रों एवं उनके विस्तारों में बेसिन अध्ययन-4 परियोजनाएं		छिद्रण-7,500 मी.
II. व्यवस्थित भूवैज्ञानिक मानचित्रण		
1. उत्तर पूर्वी भारत		55,579 वर्ग कि.मी.
2. उत्तर एवं पूर्वी हिमालय		6,370 वर्ग कि.मी.
3. सिक्किम हिमालय		6,00 वर्ग कि.मी.
4. क्वाटरनरी भूभाग		11,264 वर्ग कि.मी.
III. विशेषीकृत थीमेटिक मानचित्रण		
1. ग्रेनाइट/ग्रेनुलाइट उच्च ग्रेड का मैटासेडीमैण्टरी भूभाग		
2. ग्रेनाइट-ग्रीनस्टोन-ओल्डर मैटामा-रफिक भूभाग		
3. प्रोटरोजॉएक सुप्राक्रसअल्स, प्लेटफार्म कवर्स, रिफ्ट बेसिन		
4. मीसोजॉएक, सीनोजॉएक मोबाइल बेल्टें		
5. जियोमारफिक/क्वाटरनरी/अध्ययन/नियोटेक्टोनिक्स/लेटेराइट्स		51,400 वर्ग कि.मी.
6. बेसीनल क्षेत्रों के उच्च रिसोल्यूशन बायोस्ट्रेटीग्राफिक एवं सेडिमेंटरी फैसीज अध्ययन		
7. बेसमेण्ट कान्फीग्यूरेशन और क्रस्टम यूनिटों पर ढांचागत माडल तैयार करना और अध्ययन		
8. पेलियोमैग्नेटिक अध्ययन।		
IV. जियोकैमिकल मानचित्रण		
दक्षिणी फन्दे (ट्रेप) को छोड़ते हुए भारतीय प्रायद्वीप में		20,000 वर्ग कि.मी.
(क) सर्वेक्षण अवस्था जियोकैमिकल मानचित्रण स्ट्रीम सैडिमैण्ट सैम्पलिंग (500 मी. अंतराल)		5000 वर्ग कि.मी.

1	2	3
	(ख) मृदा सैम्पलिंग द्वारा अनुवर्ती सर्वेक्षण 200x200 मि.ग्रिड।	5000 वर्ग कि.मी.
	(ग) मृदा सैम्पलिंग द्वारा ब्यौरेवार अनुवर्ती सैम्पलिंगः 200x200 मि. ग्रिड	1,000 वर्ग कि.मी.
V-	**संसाधन मूल्यांकन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास**	
	(क) कैडस्ट्रल मानचित्र आधार पर ग्राम स्तर पर खनिज संसाधन संभाव्यता का मूल्यांकन	उत्तरपूर्वी राज्यों के 1400 ग्राम
	(ख) छिद्रण (कम क्षमता की ड्रिलों का प्रयोग करते हुए)	21000 मी.
VI.	**हवाई सर्वेक्षण**	
	(क) ट्विन आटर एअरबार्न सर्वे सिस्टम (टी.ओ.ए.एस.एस.) द्वारा खनिज का पता लगाने के लिए मल्टी सेंसर सर्वेक्षण	86,150 वर्ग कि.मी.
1.	किम्बरलाइट पाइपों के लिए बुन्देलखण्ड ग्रेनाइटों के साथ जुड़े हुए विन्ध्या की उत्तरी सीमा	3500 वर्ग कि.मी.
2.	मृदा से ढके क्षेत्र में औरीफेरस जोन हेतु सिंधनूर तक फैली हट्टी मुस्की शिस्ट पट्टी	13,500 वर्ग कि.मी.
3.	स्वर्ण, मूलधातु और हीरे के लिए आंध्र प्रदेश में ग्रीनस्टोन एवं किम्बरलाइटिक पट्टी	21,650 वर्ग कि.मी.
4.	करीमनगर जिला आंध्र प्रदेश में अन्य शिस्ट पट्टियां	1500 वर्ग कि.मी.
5.	टीन, टंगस्टन इत्यादि के लिए उ.प्र. चौपन-रेणुकूट-दूधी विनधमगंज क्षेत्र	8000 वर्ग कि.मी.
6.	मूल धातुओं, नोबल धातुओं, टीन टंगस्टन और दुर्लभ भूमि के लिए उ.प्र. जिले में बांदा हमीरपुर झांसी और ललितपुर	15,000 वर्ग कि.मी.
7.	डोलोमाइट-रौल होराइज्न में मूल धातुओं के लिए टॉन्स घाटी	2000 वर्ग कि.मी.
8.	मूलधातु और स्वर्ण के लिए नैनीताल क्षेत्र-चेल्थी	2000 वर्ग कि.मी.
9.	सिरसद-शियर जोन एवं स्वर्ण के विन्यास के लिए बारापानी शियर जोन, मेघालय	1200 वर्ग कि.मी.
10.	दुधोनी-रौंगजौंग लाइनामेंट जोन, मेघालय	800 वर्ग कि.मी.
11.	उम्पिरथा-राजापेरा क्षेत्र, मेघालय	1000 वर्ग कि.मी.
12.	अरुणाचल प्रदेश का पश्चिमी एवं केन्द्रीय भाग	16,000 वर्ग कि.मी.
13.	भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के साथ भूभागीय क्षेत्र	16,000 वर्ग कि.मी.
(ख)	**हैलीबार्न एरोजियो-*फिजिकल सर्वेक्षण***	
1.	हिमाचल क्षेत्र, पूर्वी और पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी राज्य विन्ध्या और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला	84190 वर्ग कि.मी. (2300 मी. की ऊंचाई से कम) 1210 वर्ग कि.मी. (2300 मी. की ऊंचाई से अधिक)
2.	अन्य क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:	
	I. स्वर्ण हेतु केरल के वाएनाड जिले का मल्लापुरम	
	II. टंगस्टन के लिए केरल का पालाघाट जिले-अट्टापदी	
	III. टंगस्टन के लिए त्रिवेन्द्रम जिला-केरल	

1	2	3
	IV. मलिबडेनम के लिए वाएनाड जिला, केरल में अम्बेलावयाल।	
	V. मलिबडेनम के लिए अलिप्पी जिला, केरल में चेंगन्नूर	
(ग)	मल्टीसेन्सर एरोजेफिजिकल सर्वे (एम.ए.एस.)	48,480 वर्ग कि.मी.
(घ)	एन.आर.एस.ए./एन.जी.आर.आई. के सहयोग के साथ रीजनल एरोमैग्नेटिक सर्वे–आंकड़ा संसाधन	
(ङ)	एरोज्योफिजिकल विसंगतियों का ग्राउंड मूल्यांकन	
(च)	इंडियन मैगनेटिक मैप–उपलब्ध एरोमैग्नेटिक आंकड़ा बेस पर आधारित भारतीय उपमहाद्वीप का समेकित चुंबकीय मानचित्र तैयार करने के लिए	
VII .	**सामुद्रिक सर्वेक्षण**	
	(क) तट से 350 नौटिकल मील तक महाद्वीपीय शेल्फ की ई.ई.जेड./विस्तारित सीमा के भीतर समुद्री तल सर्वेक्षण	
	कार्लस बर्ग रिज के चारों ओर समुद्री तल सर्वेक्षण हिन्द महासागर	218,000 वर्ग कि.मी.
	शोध परियोजना के अंतर्गत विशेष सारणियों को तैयार करने के लिए सर्वेक्षण	
	बंगाल की खाड़ी के भागों में महाद्वीपीय शेल्फ और ढलान का विस्तृत मानचित्रण	45,000 वर्ग कि.मी.
	अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में माइक्रो मैंगनीज नॉड्यूलों के निर्धारण हेतु सर्वेक्षण	1,00,000 वर्ग कि.मी.
	350 नौटिकल मीलों तक महाद्वीपीय शैल्फ की बाहरी सीमा के निर्धारण हेतु सर्वेक्षण बंगाल फैन परियोजना	11,00,000 वर्ग कि.मी.
	(अंतिम दो परियोजनाओं को डी.ओ.डी. द्वारा जलपोत किराए पर लिए जाने/आर.वी.एस. समुद्र मंथन के प्रतिस्थापित किए जाने पर आरंभ किया जाएगा	
	(ख) ई.ई.जेड. के भीतर समुद्री तल का संसाधन मूल्यांकन	
	ओ.एन.जी.सी. के सहयोग में भारत की ई.ई जेड के भीतर समुद्री तल की परतों में हाइड्रो कार्बन का जियोकेमिकल स्कैन	1,22,000 वर्ग कि.मी.
	फास्टफेट से भरी परतों के निर्धारण हेतु पश्चिमी बाहरी महाद्वीपीय शेल्फ और ढलान का सर्वेक्षण	30,000 वर्ग कि.मी.
	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तट के सामने कैलसीरियल परतों और खनिज की सघनता वाले क्षेत्रों के मूल्यांकन हेतु बाहरी महाद्वीपीय शेल्फ का सर्वेक्षण	8,000 वर्ग कि.मी.
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की पश्चिमी ई.ई.जेड. के भीतर कैलसीरियस पर क्षेत्र का निर्धारण	20,000 वर्ग कि.मी.
	(ग) अंतर्राष्ट्रीय जियोस्फीयर और बायोस्फीयर के अंतर्गत भूभागीय जल कार्यक्रम के भीतर समुद्री तल सर्वेक्षण	
	तमिलनाडु तट के सामने भूभागीय जल के भीतर समुद्री तल का मानचित्रण	27,000 वर्ग कि.मी.
	गुजरात, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक तट के सामने भू-भागीय जल के भीतर समुद्री तल का मानचित्रण	15,000 वर्ग कि.मी.
	भूभागीय जल के भीतर संसाधन मूल्यांकन, पत्तनों, एल.बी.एम., जेटी, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि हेतु भू तकनीकी अन्वेषण	

1	2	3
	भारत की महाद्वीपीय शेल्फों के क्वाटरनरी अध्ययन की बायोस्ट्रेटीग्राफी	
	तटीक्षेत्र में भू पर्यावरणी अध्ययन	
	(घ) पश्चिमी बेसिन में पॉलिमेटेलिक संसाधन मूल्यांकन (बशर्ते समुद्र मंथन का प्रतिस्थापन किया गया हो अथवा उसे किराए पर लिया गया हो	
VIII.	**भू-तकनीकी अन्वेषण**	
	(क) प्रायोजित योजनाएं	
	1. जल संसाधन विकास	510 परियोजना वर्ष
	2. संचार परियोजनाएं	200 परियोजना वर्ष
	3. विविध परियोजनाएं	150 परियोजना वर्ष
	(ख) मुख्य नदी बेसिनों का भू-तकनीकी मूल्यांकम (3 वर्षीय परियोजना)	10 नदी बेसिन
IX	**पर्यावरणीय भू-वैज्ञानिक अध्ययन**	
	1. भू-भागीय विशिष्ट भू-पर्यावरणीय मूल्यांकन अध्ययन	55 परियोजनाएं
	2. विस्तृत विषयोनमुख भू-पर्यावरणीय अध्ययन	30 परियोजनाएं
	3. क्रियाकलाप विशिष्ट भू-पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन और भू-पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार करना	15 परियोजनाएं
	4. प्राकृतिक भू-वैज्ञानिक आपदा के अल्पीकरण से संबंधित अध्ययन	10 परियोजनाएं
X.	**ऊर्जा संसाधन अध्ययन (कोयला और लिग्नाइट को छोड़ते हुए)**	
	1. भूतापीय अध्ययन (पुगा में गहरे छिद्रण द्वारा रिजरवायर तैयार करना भू-तापीय तरल पदार्थों का प्रयोग अध्ययन और भू-तापीय तरल पदार्थों में दुर्लभ क्षारीय धातुओं की उपस्थिति)	3 परियोजनाएं
	2. मेल्टवाटर रिजीमों और मूल्यांकन के लिए ग्लेशियोलोजिकल अध्ययन	6 परियोजनाएं
XI.	**जियोडाटा प्रबंधन सूचना और जियोइनफार्मेटिक्स**	
	(क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण में भू-वैज्ञानिक आंकड़ा केन्द्र का गठन, चुनिंदा परियोजना क्षेत्रों (जी.एस.आई.बी.आर.जी.एम. परियोजना पर भू-वैज्ञानिक डेटाबेस का सृजन और निम्नलिखित उपपरियोजनाओं के संबंध में अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों का और अधिक विस्तार	
	बिबलियोग्राफिक डेटा बेसिस जियोसाइन्टिफिक थीमेटिक डेटा बेसिस अंकीय मानचित्रण सुविधाएं दूरस्थ सेन्सिंग सुविधाओं का विस्तार	7 परियोजनाएं
	मल्टी क्राईटेरिया डेटाप्रोसेसिंग सेंटर फार स्टडी ऑफ ओर डिपोजिट्स एण्ड मेटेलोजेनी (सी.एस.ओ.एम.) कंम्प्यूटर सिस्टम्स	
	(ख) निम्नलिखित उप सेटों के अंतर्गत चुनिंदा प्राथमिकता क्षेत्रों पर प्रबंधन सूचना तंत्र (जी एस.आई.एम.आई.एस.)	
	जनशक्ति प्रबंधन सूचना तंत्र (एम.ए.एन.एम.आई.एस.)	
	वित्तीय प्रबंधन सूचना तंत्र (एफ.आई.एन.एम.आई.एस.)	
	सहायक सुविधा प्रबंधन सूचना तंत्र (एस.सपु.एफ.एम.आई.एस.)	5 तंत्र
	परियोजना प्रबंधन सूचना तंत्र (पी.आ.ओ.एम.आई.एस)	
	उपस्कर प्रबंधन सूचना तंत्र (ई. क्यू. एम.आई.एस.)	

1	2	3
	(ग) क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिनन खनिज पट्टियों के लिए पायलट परियोजनाओं का कार्यान्वयन।	
XII.	**भूकंपन विज्ञान एवं सीस्मोटैक्ओनिक्स (एस.ई.आई.)**	30 परियोजनाएं
	1. ई.क्यू. डेटाबेस इत्यादि का संकलन	
	2. सीस्मोटैक्टोनिक्स मानचित्रों का संकलन और एटलस तैयार करना	
	3. विभिन्न क्षेत्रों के लिए सीस्मोटैक्टोनिक पैरामीटरों का मूल्यांकन (खंडवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी क्षेत्र, महाराष्ट्र, कोपिलीघाटी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तलचिर बराकर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, कांगड़ा घाटी उत्तरी क्षेत्र/बसपा घाटी में पेलियोसीसमीसिटी, हिमाचल प्रदेश और बाहरी हिमालय, बंगलौर-अंगोल-विजयनगरम क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र में नियोटेक्टोनिक प्रशों के लिए जियोमॉर्फिक विशेषताएं एवं अध्ययन)	
	4. खंडवा पर डी.एस.टी. प्रायोजित परियोजना:	
	खंडवा क्षेत्र में स्थानीय भूकंप के निर्धारण हेतु टेलीमीटरित सीसमिक क्लस्टर।	
	प्रशिक्षण	
XIII	**क. टी.आई., जी.एस.आई. में प्रशिक्षण योजना**	92 पाठ्यक्रम
	(1) प्रबोधन पाठ्यक्रम	10 पाठ्यक्रम
	(2) बुनियादी पाठ्यक्रम	20 पाठ्यक्रम
	(3) अंतर्विषयक पाठ्यक्रम	7 पाठ्यक्रम
	(4) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	25 पाठ्यक्रम
	(5) उच्च पाठ्यक्रम	10 पाठ्यक्रम
	(6) कम्प्यूटर पाठ्यक्रम	5 पाठ्यक्रम
	(7) प्रबंधन पाठ्यक्रम	5 पाठ्यक्रम
	(8) विशेष पाठ्यक्रम	10 पाठ्यक्रम
	(ख) विदेशी संगठनों में प्रशिक्षण योजना, भारत	245 कार्मिक
	(1) सी.एम.सी., एन.आई.आई.टी., आई.एस.आई, आर.सी.सी. इत्यादि में कम्प्यूटर अनुप्रयोग	110 कार्मिक
	(2) रुड़की/के.जी.एफ. में रॉक मैकेनिक्स	10 कार्मिक
	(3) इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रायोगिक पैट्रोलॉजी	5 कार्मिक
	(4) एन.जी.आर.आई. में जियोफिजकल माडलिंग	15 कार्मिक
	(5) आई.आई.एम., ए.एस.सी.आई, एल.बी.एस.ए.ए. इत्यादि	100 कार्मिक
	(6) अयस्क ड्रेसिंग एन.एम.एल., आई.बी.एम.	5 कार्मिक
	(ग) विदेशी प्रशिक्षण योजना	270 कार्मिक
	(1) खनिज गवेषण (माडलिंग के लिए जियोस्टैटिस्टीकल विधि, प्रोडिक्टिव मैटेलोजेनी जियोकैमिस्ट्री, भूमि और बोरहोल पर उच्च जियोफिजीकल गवेषण अल्ट्रेलो प्रिसाइसन विधियों के लिए विश्लेषणत्मक, रसायन-शास्त्र, छिद्रण तकनीकें)	87 कार्मिक

1	2	3
	(2) सामुद्रिक भू-विज्ञान (जियोलॉजी एण्ड जियोफिजिक्स)	41 कार्मिक
	(3) हवाई जियोफिजिकल सर्वेक्षण (जियोफिजिक्स एवं जियोलॉजी)	15 कार्मिक
	(4) भू-तकनीकी, पर्यावरणीय और संबंधित अध्ययन (भू-तकनीकी अध्ययन, पर्यावरणीय भू-विज्ञान जियोबायोस्फीयर अध्ययन, सीस्मोटेक्टोनिक एण्ड रेसीड्अल स्ट्रस स्टडीज प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ग्लेशियोलॉजी, भू-तापीय गवेषण)	40 कार्मिक
	(5) उच्च अनुसंधान एवं प्रयोगशाला अध्ययन (प्रायोगिक पैट्रोलॉजी एवं खनिज विज्ञान जियोक्रोनोलॉजी एवं माइसोटोप जियोलोजी, बायोमीट्रिक एण्ड क्वान्टिटेटिव पेलिन्टोलॉजी कम्प्यूटरीकृत बेसिन विश्लेषण अध्ययन, भू-गणित फोटोजियोलाफजी एण्ड रिमोट सैंसिंग	27 कार्मिक
	(6) उच्च प्रबंधन प्रशिक्षण	15 कार्मिक
	(7) कोलोशन एण्ड सिंथीसिस आफ जियोसाइन्टिफिक डेटा	45 कार्मिक
XIV.	अंटार्कटिक	
	17, 18, 19, 20 और 21 अंटार्कटिक अभियान में भू-वैज्ञानिक अध्ययन	5000 वर्ग कि.मी.
XV.	आंकड़े का प्रसार	
	I. भू-वैज्ञानिक मानचित्रों का संकलन व प्रकाशन	280 मानचित्र
	1. अखिल भारतीय स्तर के भू-वैज्ञानिक और विषयपरक मानचित्र व एटलस	
	2. चतुष्कोणीय भू-वैज्ञानिक मानचित्र	
	3. राज्यों और क्षेत्रों के भू-वैज्ञानिक और खनिज मानचित्र	
	4. जिला संसाधन मानचित्र	
	5. विभिन्न मानों पर एरोजियोफिजिकल मानचित्र	
	6. चुनिंदा खनिज पट्टी मानचित्र	
	7. चुनिंदा विषय परक मानचित्र	
	8. अतिरिक्त विभागीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र	230 प्रकाशन
	II. स्मारकों, अभिलेखों, बुलेटिनों, विशेष प्रकाशनों इत्यादि के तौर पर भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा संकलित भू-वैज्ञानिक आंकड़े का प्रकाशन	
XVI.	अनुसंधान और विकास	
	(क) पेट्रोलोजी	
	1. तरल सम्मिलन अध्ययन	प्रयोगशाला सुविधा और अनुसंधान का विकास
	2. प्रायोगिक पेट्रोलॉजी अध्ययन	-वही-
	3. उच्च इलेक्ट्रॉन प्रोब. माइक्रो विश्लेषात्मक तकनीकें	-वही-
	4. मीटियोराइट और प्लानेटरी भू-वैज्ञानिक अध्ययन	-वही-
	5. इंटर प्लेट मैफिक-अल्ट्रमैफिक मैग्नेटिजम, रिफ्ट संबंधी क्षारीय और कार्बनाटाइट चट्टान, आर्कीयन-प्रोटेरोजोकप ग्रीन स्टोन पट्टी।	-वही-

1	2	3
	6. पी.टी. का मात्रक निर्धारण	प्रयोगशाला सुविधा और अनुसंधान का विकास
	7. आर्कीयन-प्रोटेरोजॉयक गोंडवाना और वर्तमान नदी परत विश्लेषण	-वही-
	8. विभिन्न गोंडवाना और तृतीयक कोयले की पैट्रोग्राफी एवं रसायन संरचना	-वही-
	9. मूल धातु, मैंगनीज, स्वर्ण, आर.ई.ई. और एस.एन.डब्ल्यू भंडारों से संबंधित अयस्क पेट्रोग्राफी	-वही-
	(ख) पेलियन्टोलॉजी और स्ट्रेटीग्राफी	
	1. बायोस्ट्रेटीग्राफी (प्रोटेरोजॉयक कमतर हिमालय, गोंडवाना, क्रिटेशियम तृतीयक-तृतीयक-क्वाटरनरी, स्वरूप, फेनेरोजॉयक ओफियोलाइट पट्टियां इत्यादि)	-वही-
	2. जैविक अवशेष के क्षेत्र में पैलिनोलोजिकल अध्ययन	-वही-
	3. जियोलिपिड और परतों के केरोजिन छिज्जों के विश्लेषण द्वारा प्रीकैम्ब्रीयन जीवन का अध्ययन	-वही-
	4. उच्च रिसॉल्यूशन स्ट्रैटीग्राफी	-वही-
	5. लौह अयस्क और रेडियो एक्टिव खनिज को सघनता प्रदान करने में माइक्रोबायोटा की भूमिका	-वही-
	6. पृथ्वी पर सर्वप्रथम आने वाले स्तरधारियों का अस्थि भौतिकी और तंतुय सूक्ष्म ढांचीय अध्ययन	-वही-
	(ग) जियोक्रोनोलॉजी और आइसोटोप भू-विज्ञान	
	1. निम्नलिखित द्वारा रेडियोमेट्रिक आइसोटोपो	-वही-
	I. आर.बी.-एस.आर.विधि	
	II. एस.एम.-एन.डी.विधि	
	III. यू./टी.एच.-पी.बी.विधि	
	IV. 39 ए.आर.-40 आर. विधि	
	V. पी.बी.-पी.बी. विधि	
	2. रेडियोकार्बन डेटिंग पर जियोक्रोनोलोजिकल अध्ययन	-वही-
	3. थर्मोलियुमिनिसेन्स अध्ययन	-वही-
	4. स्थेबल आइसोटोप अध्ययन	-वही-
	(घ) फोटोजियोलॉजी और रिमोट सेंसिंग	
	1. विषय-परक और अगम्य क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए रिमोट सेन्सिंग अनुप्रयोग कार्यक्रम	
	2. विभिन्न भू-वैज्ञानिक विशेषताओं पर स्पेक्ट्रमी हस्ताक्षरों के अध्ययन हेतु विधियों के निर्वचन और विश्लेषण के मानकीकरण के लिए विशेष कार्यक्रम	
	3. खनिज अन्वेषण, भू-पर्यावरणीय अध्ययनों और आपदाओं के अनुवीक्षण हेतु सहायता के तौर पर रिमोट सेंसिंग।	

1	2	3
	(ङ) रासायनिक	
	1. चट्टानों और खनिजों की मानक संदर्भ सामग्री को तैयार करना	प्रयोगशाला का अनुसंधान एवं विकास
	2. प्रयोगशाला भू-रसायन विज्ञान के लिए प्रबोधन।	
	3. पी.पी.बी. स्तर निर्धारण की विधि।	
	(च) जियोफिजिकल	
	1. अनुरूपण और नेटवर्क विश्लेषण	-वही-
	2. ई.क्यू./एम.ई.क्यू. अध्ययन (सीस्मोटेक्टोनिक कार्यक्रम के भाग तौर पर)	-वही-
	3. बोरहोल/भूमिगत जियोफिजिकल लॉगिंग और गवेषण तकनीकों में सुधार	-वही-
	4. भू-विज्ञान के अध्यारोपण सहित जियोफिजिकल मानचित्र तैयार करना	-वही-
XVII.	**सहयोगी और सहायक कार्यक्रम (भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय)**	
	1. सी.एम.डी.ए., जे.एन.ए. आर.डी.डी.सी., ओ.एन.जी.सी., आई. बी.एम., विश्वविद्यालय और अन्य के साथ सहयोगी कार्यक्रम	30 कार्यक्रम
	2. आई.जी.सी.पी., भारतीय-फ्रेंच (बी.आर.जी.एम.) भारत-यू.एस., भारत-चीन, भारत-जापानी, भारत-आस्ट्रेलिया कार्यक्रम इत्यादि जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी कार्य	25 कार्यक्रम
	3. सी.जी.एम.डब्ल्यू., सार्क, एस.सी.ए.आर. आई.सी.एस.यू., यूनेस्को, ई.एस.सी.ए.पी. इत्यादि जैसे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक निकायों में भागीदारी	10 कार्यक्रम
	4. विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में भूटान योजना	1 कार्यक्रम
XVIII.	**वाणिज्यिक एककों की स्थापना**	
	1. भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण में वाणिज्यिक एककों का विकास	
	2. भारत और विदेश में प्रायोजित कार्यक्रमों का प्रहस्तन	

विवरण-II

चालू वर्ष 1997-98 के लिए योजना-वार भौतिक लक्ष्य
(अक्तूबर 1997 से सितम्बर, 1998 तक)

क्र.स.	योजना	गतिविधि और लक्ष्य	
1	2	3	4
I.	**खनिज गवेषण**		
	क. गैर कोयला खनिज/धातु (112 मदें)		
1.	आधार धातु कार्यक्रम		
	(राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में 19 अन्वेषण)	टी.एम.	325 कि.मी.
		एल.एस.एम.	470 वर्ग किमी.
		रिक.	150 वर्ग किमी.
		ड्रिलिंग	10.200 मी.
		पीटी	189 क्यू.मी.
		जीपी	190 किमी.

1	2	3	
2.	स्वर्ण कार्यक्रम		
	(आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर में 40 अन्वेषण	टीएम	245 कि.मी.
		एलएसएम	447 वर्ग कि.मी.
		रिक	620 कि.मी.
		डी.एम.	10.53 कि.मी.
		ड्रिलिंग	29.600 मी.
		पीटी	43.54 क्यू.एम.
		जीपी	40 कि.मी.
3.	टिन-टंगस्टर-री कार्यक्रम		
	पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, में 5 अन्वेषण	टीएम	180 कि.मी.
		रिक	300 वर्ग कि.मी.
		डी एम	0.80 वर्ग कि.मी.
		ड्रिलिंग	400 मी.
		पीटी	69 क्यू. मी.
		जीपी	9 कि.मी.
4.	प्लेटीनम ग्रुप आफ मेटल कार्यक्रम		
	उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में 2 अन्वेषण	डीएम	0.5 वर्ग कि.मी.
		ड्रिलिंग	1000 मी.
5.	मोलिब्डेनम कार्यक्रम		
	(तमिलनाडु में 2 अन्वेषण	एल.एस.एम	200 वर्ग कि.मी.
		ड्रिलिंग	800 मी.
6.	हीरा कार्यक्रम		
	(मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 11 अन्वेषण)	टी.एम.	600 वर्ग कि.मी.
		एल.एस.एम.	100 वर्ग कि.मी.
		रिक	3500 वर्ग कि.मी.
		डी एम	1.8 वर्ग कि.मी.
		ड्रिलिंग	500 मी.
		पीटी	655 क्यू.मी.
		जी.पी.	315 कि.मी.
7.	फैरस ग्रुप आफ मिनरल		
	(महाराष्ट्र और उड़ीसा में 8 अन्वेषण)	एलएसएम	180 वर्ग कि.मी.
		रिक.	5 वर्ग कि.मी.
		डी एम	8 वर्ग कि.मी.
		ड्रिलिंग	3600 मी.
		पीटी.	225 क्यू.मी.
8.	लाइमस्टोन, डोलोमाइट, डाइमेंशना स्टोन और अन्य खनिज		
	(महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और राजस्थान में 25 अन्वेषण)	टी एम	785 कि.मी.
		एलएसएम	4283 वर्ग कि.मी.
		रिक.	6800 वर्ग कि.मी.
		डी एम	9.6 वर्ग कि.मी.
		ड्रिलिंग	1400 मी.
		पीटी	615 क्यू. एम.

1	2	3	
	(ख) कोयला और लिग्नाइट 44 परियोजनाएं		
	1. दामोदर वैली कोयला बेसिन (7 परियोजनाएं)	ड्रिलिंग	7700 मी.
	2. राजमहल-बीरभूम मास्टर कोल-बेसिन (4 परियोजनाएं)	एलएसएम ड्रिलिंग –	2.0 वर्ग कि.मी. 4400 मी.
	3. महानदी वैली कोल-बेसिन उड़ीसा (4 परियोजनाएं)	एल एस एम ड्रिलिंग	8 वर्ग कि.मी. 6.600 मी.
	4. महानदी वैली कोल-बेसिन मध्य प्रदेश (4 परियोजनाएं)	एलएसएम ड्रिलिंग	7.0 वर्ग कि.मी. 4400 मी.
	5. सोन वैली कोल फील्ड मध्य प्रदेश (4 परियोजनाएं)	एलएसएम ड्रिलिंग	10 वर्ग कि.मी. 4400 मी.
	6. सोन वैली कोल फील्ड मध्य प्रदेश (5 परियोजनाएं)	ड्रिलिंग जी.पीत्र	4400 मी. 1200 कि.मी.
	7. वर्धा और तांबा वैली कोल फबेसिन, महाराष्ट्र (4 परियोजनाएं)	एलएसएम ड्रिलिंग	70 वर्ग कि.मी. 4400 मी.
	8. गोदावरी वैली कोल बेसिन आंध्र प्रदेश (दक्षिण सब-बेसिन 6 परियोजनाएं)	एलएसएम ड्रिलिंग	30 वर्ग कि.मी. 10,000 मी.
	9. लिग्नाइट फील्ड, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान (6 परियोजनाएं)	रिक. ड्रिलिंग एलएसएम	150 वर्ग कि.मी. 7500 मी. 13.5 वर्ग कि.मी.
II.	**सिस्टेमैटिक भू-वैज्ञानिक मैपिंग**		
	1. उत्तर पूर्व भारत	3484 वर्ग कि.मी.	
	2. उत्तर और पश्चिम हिमालय	1885 वर्ग कि.मी.	
III.	**स्पेशलाइज्ड थिमेटिक मैपिंग**		
	मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात में विभिन्न थीम्स पर 39 अन्वेषण यथा:	7490 वर्ग कि.मी.	
	1. ग्रेनाइट/गेनाइट हाई ग्रेड मेटासेडी मेंटरी टेरेंस्		
	2. ग्रेनाइट-ग्रीन स्टोन-ओल्डर मेटामोर्फिक बैरेन		
	3. प्रोटेरोजोक सुप्रेक्रुट्ल प्लेटफार्म कवर्स रिफ्ट बेसिन		
	4. मेसोजोइक-सेनोजोइक मोबाइल बैल्ट्स		
	5. जिओमोरफिक/क्वाटरनरी स्टैडीज/जिओटैक्नीक/लैटराइट्स		
	6. हाई रिसोलूशन बायो-रेट्रेटीग्राफिक और सेडीमेंट्री फेसीस स्टडी आफ क्रस्टल एरिया		
	7. क्रिटीकल स्टडी आन वोलकेनिक और इग्नाइट सूट्स		
	8. स्ट्रक्चरल माडलिंग और बेसमेंट कनफिमरेशन अध्ययन तथा क्रस्टल यूनिट		
	9. प्लाइओमेगनेटिक स्टडी		
	10. स्ट्राटीग्राफी स्थापना		

1	2	3	
	11. वेव डाइनामिक स्टडी तथा बीच मारफोलोजी		
IV.	**हवाई सर्वेक्षण**		
	(क) मल्टीसेनसर एयरबोरन जियोफिजीकल सर्वे, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार के भागों के ऊपर ताकि किम्बरलाइट पाइप जोन का पता लगाया जा सके तथा खनिज लक्षित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया जा सके	20,000 कि.मी. (10,000 वर्ग कि.मी.)	
	(ख) ऐरोजियो फिजीकल अनामलीज का ग्राऊण्ड मूल्यांकन ग्राऊण्ड प्रोस्पेक्टिंग व गवेषण	रिक.	4000 वर्ग कि.मी.
		टीएम	19 कि.मी.
		एसएलएम	एल.एस.एम
		डीएम	2.3 वर्ग कि.मी.
		ड्रिलिंग	4000 मी.
		पीटी	66 क्यू.मी.
		जीपी	1.5 वर्ग कि.मी.
V.	**हवासमुद्री सर्वेक्षण**		
	1. (क) समुद्र मंथन द्वारा अरब सागर में कच्छ से दूर हाइड्रो कार्बन के लिए जियोकैमिल स्केन		4200 वर्ग कि.मी.
	(ख) समुद्र मंथन द्वारा अण्डेमान समुद्र में,		19,500 वर्ग कि.मी.
	(ग) समुद्र कौस्तुभ द्वारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इनके टेरिटोरियल वाटर में सी-बेड मैपिंग		1000 वर्ग कि.मी.
	(घ) समुद्र कौस्तुभ द्वारा गंगा डेल्टा के टेरिटोरियल वाटर में सी-बेड मैपिंग		
	(ङ) केरल से दूर और कर्नाटक तटीय क्षेत्र में समुद्र सौधाकामा द्वारा टेरिटोरियल वाटर में सी-बेड मैपिंग		1000 वर्ग कि.मी.
	(च) गुजरात तटीय क्षेत्र में समुद्र सौधीकामा द्वारा टेरिटोरियल वाटर में सी-बेड-मैपिंक		400 वर्ग कि.मी.
	2. खनिज अन्वेषण (4 मदें) एण्ड एप्रेजल-तीन समुंद्री जहाजों और मेकेनाइज्ड बोट द्वारा		3292 वर्ग कि.मी.
	3. जियोटेक्नीकल अन्वेषण (8 मदें) समुंद्र कोस्तुभ और सौधीकामा द्वारा		1285 वर्ग कि.मी.
	4. जियो-एंवायरमेंटल मूल्यांकन (2 मदें) समुंद्र सौधी कामा और मेकेनाइजड वोट द्वारा		
	5. प्रयोगशाला अनुसंधान (11 मदें)		
VI.	**डोवमेप (3 कार्यक्रम)**		गांव 300
	रिकोर्स एप्रेजल के जरिए गांव अर्थव्यवस्था का विकास 1. असम-200 गांव 2. त्रिपुरा-60 गांव 3. मेघालय-50 गांव		ड्रिलिंग 5200 मी.
VII.	**जियोटेक्नीकल अन्वेषण-29 (247 परियोजनाएं)**		
	1. वाटर रिसोर्स डिवलैपमेंट		23 (237 परियोजनाएं)
	2. कामनीकेशन प्रोजैक्ट		5 (9 परियोजनाएं)
	3. विविध परियोजनाएं		1 (1 परियोजना)

1	2	3
VIII.	जियोसिसमोलोजी और सिसमोटेकनीक (20 कार्यक्रम)	
	(क) सिमोटेकनीक एटलस का बनाया जाना	पीआरएस,आईएनटी,एमएपी 2050 वर्ग कि.मी.
	(ख) पलाईओसेसमिक स्टडी	आर ईसी-500 वर्ग कि.मी.
	(ग) निओटेकनीक और सिसमोटेकनीक अध्ययन	जी.पी.-10,030 वर्ग कि.मी.
	(घ) सिसमिक बाधाएं	टी.एम.-350 कि.मी.
	(ङ) रेडन डिसपरसन स्टडी	एमईक्यू-यथा आवश्यक
IX.	एन्वायरमेंटल जियोस्टडी (43 परियोजनाएं)	पीआरएस, आईएनटी, एमएपी-37449 वर्ग कि.मी. थैम मैप-73,386 वर्ग कि.मी. एलएसएम-250 वर्ग कि.मी.
	1. पर्यावरण प्रभाव अध्ययन (6 मदें) रानीगंज कोल फील्ड, मांडा इंडस्ट्रीयल एस्टेट, न्यू नागपुर टाउनशिप (महाराष्ट्र) श्रीसेलम डैम आंध्र प्रदेश आदि	
	2. क्षेत्री पर्यावरण एपरेजल (32 मदें) यथाः राज्य स्तर, जिला स्तर और साईट स्पैसिफिक एपरेजल, नयापाड़ा उड़ीसा का सूखाग्रस्त क्षेत्र; छोटा नागपुर (बिहार) महबूब नगर, आंध्र प्रदेश, मेघालय राज्य, कलकत्ता मेघा सिटी परियोजना आदि	
	3. जियो एन्वायरमेंट कंडीशन में परिवर्तन (पालाईक्लाईमेंट और कोस्टल डायनामिक्स स्टडी सहित (1 मद)	
	4. राष्ट्रीय बाधा अध्ययन (4 मदें) आरसेनिक इन ग्राउण्ड वाटर (पश्चिम बंगाल व बांगला-देश के पास पड़ने वाले जिले, फ्लोरीन इन ग्राऊण्ड वाटर (राजस्थान और हरियाणा) लैण्डस्लाइड इन मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमालय, रवाईन डिवलपमेंट इन एम.पी.आदि	
	एन.बी. एल.एस.एम.	- लाइज स्केल मैपिंग (1:10,000 या 1:25)
	डी.एम	- डिलेल्ड मैपिग (1:1000 से 1:5000)
	रिक	- रिकलाईसेंस मैपिंग
	टीएम	- ट्रवरस मैपिंग
	जीपी	- जियोफिजीकल ट्रवरल (मेगनेटिक/ग्रेवेटी/रिजिस्टीविटी)
	पीटी	- पिटिंग एण्ड ट्रैंचिंग
X.	एनर्जी रिसोर्स स्टडी (कोल और लिग्नाईट को छोड़कर)-5 परियोजनाएं	
	(क) हीट मैप तैयार करना और केन्द्रीय क्षेत्र का हीट फ्लो मापन	
	(ख) सीसियम इन थरमल सिपरिंग एण्ड ड्रिल होल आफ पुगा जियो थरमल फील्ड इन लद्दाख जिला (जम्मू कश्मीर)	
	(ग) गलेसियोलोजिकल स्टडी फार मेल्ट वाटर रिजाइम एण्ड एसेसमेंट गलेसियर फ्रंट सहित इन चेनाब, गोरी गंगा एण्ड धौली गंगा बेसिन	
	(घ) स्टडी इन गलेसियर मेल्ट सोलूट कंसेंट्रेशन एण्ड ससपेंडिड सेडीमेंट वेरिएशन इन गलेसियर आफ स्पिति एण्ड चन्द्रा बेसिन	

1	2	3
	(ङ) एसेसमेंट आफ पावर जेनरेशन एण्ड डायरेक्ट यूटिलाइजेशन आफ पोटेंसियल जियोथरमल फिल्ड एक्सप्लोरड इन एन.आर.एण्ड सी.आर. (प्रायोजक एमएनईएस)	
	(च) गलेसियर इंवेंट्री आफ जानसकर बेसिन, हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख जिला (जम्मू कश्मीर) एक्सपिडिशन बेसिस पर)	
XI.	जियोडाटा मैनेजमेंट इन्फारमेशन एण्ड जियो इन्फारमेटिक	
	(क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में जियो साइंटीफिक केन्द्र की स्थापना, कुछ चुने हुए क्षेत्रों में जियोसाईंटिफिक डाटाबेसिस का सृजन (जी.एस.आई.बी.आर.जी.एम. प्रोजेक्ट) तथा निम्नलिखित उप-परियोजनाओं के बारे में अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए विस्तार योजना	
	बिबलियोमापिक डाटाबेसिस जियोसाईंटिफिक, थिमेटिक डाटाबेसिस डिजिटल मैप मेकिंग फेसिलिटी रिमोट सेंसिंग फेसिलिटी का विस्तार मल्टी क्राईटेरिया डाटा प्रोसेसिंग और डिपाजिट एण्ड मेटालीजनी के अध्ययन के लिए केन्द्र कम्प्यूटर सिस्टम	
	(ख) विविध/सर्विस आइटम	
	* कम्प्यूट्रीकृत इंवेंट्री डाटा तैयार करना (टाइप फोसिल पर) कुरेटोरियल डिवीजन के सहयोग से	
	* भूकंपन डाटा बेस, अपडेशन, रख-रखाव तथा प्रबंधन	
	डिवलेपमेंट आफ एपलीकेशन साफ्टवेयर/क्रिएशन आफ डाटा बेसिस/विविध सेवाएं मांग करने पर	
XII.	प्रशिक्षण	
	टी.आई,जी.एस.आई में प्रशिक्षण	25 कोर्स
	1. ओरिएंटेशन कोर्स	
	2. बेसिक कोर्स	
	3. इंटर डिससिपलेनरी कोर्स	
	4. रिफ्रेशर कोर्स	
	5. एडवांस कोर्स	
	6. कंप्यूटर कोर्स	
	7. मैनेजमेंट कोर्स	
	8. स्पेशन कोर्स	
	9. फोटो इंटर प्रेटेशन रिमोट सेंसिंग, डिजीटल इमेज प्रोसेसिंग और जी.आई,एस.में समन्वित कोर्स	
	10. मेराइन जियोसाइंस कार्यक्रम डीओडी द्वारा प्रायोजित	

1	2	3
	(ख) संगठन (भारत) से बाहर प्रशिक्षण स्कीम	58 कार्मिक
	(1) सी.एम.सी./एन.आई.आई.टी./आई.एस.आई./आर.ओ.सी. में कंप्यूटर एप्लीकेशन	10 कार्मिक
	(2) इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक्पेरीमेंटल पैट्रोलौजी	3 कार्मिक
	(3) डी.एस.टी. द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण	5 कार्मिक
	(4) डी.ओ.पी.टी. द्वारा प्रबंधन में प्रशिक्षण	40 कार्मिक
	(5) विदेश में प्रशिक्षण स्कीमें	88 कार्मिक
	1. मिनरल एक्सपलोरेशन (एक्सपलोरेशन जियोलोजी) जियोफिजिकल-एक्सपलोरेशन, एनालिसिटिकल कैमिस्ट्री और ड्रिलिंग में एडवास तकनीक	25 कार्मिक
	2. मैराईन जिओलोजी (जिओलोजी व जिओफिजिक्स)	10 कार्मिक
	3. एयरबोरन जिओफिजिकल सर्वे (जिओफिजीक्स व जिओलोजी)	10 कार्मिक
	4. जिओ-तकनीकी, एनवायरमेंटल व उससे संबंधित स्टडी (जिओ-तकनीकी स्टडी, एनवायरमेंटल जिओलोजी, जिओ-बाओस्फेयर स्टडी, सिसमोतकनीक व रेजीड्यूल स्ट्रेस स्टडी, प्राकृतिक विपदा मैनेजमेंट गलैसिओलोजी, जिओ-थरमल एक्सप्लोरेशन	10 कार्मिक
	5. एडवांस रिसर्च व लैब स्टडी (स्कसपैरीमेंटल पैट्रोलोजी व मिनरौलोजी, जिओक्रोनोलोजी व इसोटोप जिओलोजी, बाओ-मैट्रिक व क्वाटीटेटिव पलाइओनटोलोजी, कंप्यूटरीकृत बेसिन एनालाइसिस स्टडी, जिओ-मैथेमैटिक्स, फोटो जिओलोजी व रिमोट सेंसिंग	18 कार्मिक
	6. एडवांस मैनेजमेंट ट्रेनिंग	5 कार्मिक
	7. जिओसाईंटिफिक डाटा का कोलेशन व सिथेंसिस	20 कार्मिक
XIII.	एंटार्टिका	
	16वें एंटार्टिका अभियान का जिओलोजिकल स्टडी	1,000 वर्ग कि.मी.
XIV.	सूचना प्रचार	
क.	मैप कंपाइलेशन व प्रिंटिंग	
	(क) नेशनल सीरीज	
	1. जिओलोजीकल, मिनरल व अन्य थिमेटिक मैप/भारत के एटलस (1:2 मी. व 1:5 मी. स्केल पर)	
	2. राज्यों व क्षेत्रों के जिओलोजीकल व मिनरल मैप (1:2 मी./1:1 मी./1:0.5 मी. स्केल पर)	
	3. जिओलोजीकल क्वाठरेंगल मैप (1:250,000 स्केल पर)	
	4. डिस्ट्रिक रिसोर्स मैप (1:250,000 स्केल पर)	
	5. कोल फील्ड के जिओलोजीकल मैप	
	6. सी-बेड सेडीमेंट मैप	
	7. एक्सट्रा डिमार्अमेंटल व अंतर्राष्ट्रीय मैप	
	8. मिनरल बैल्ट मैप (1:50,000 स्केल पर)	
	9. विभिन्न समुद्रों के एयरोफिजीकल मैप	
	10. चुने हुए थिमेटिक मैप (1:25,000 स्केल पर)	

(ख) अंतर्राष्ट्रीय सीरीज

1. विश्व का जिओलोजीकल मैप (दूसरा संस्करण) भारत व निकटवर्ती देश

2. एशिया का टेक्टोनिक मैप (1:7:5 मी.)

3. विश्व का मिनरल एटलस (1:10 मी.) भारत में खनिज वस्तु डाटा का तैयार किया जाना

ख. प्रकाशन व सूचना

पुस्तकों/मोनोग्राफ/पत्रिका/स्मारिका/रिकार्ड/बुलेटिन/विशेष प्रकाशन आदि का प्रकाशन

XIV. अनुसंधान एवं विकास

क. पैट्रोलोजी

(क) अनुसंधान हेतु प्रयोगशाला सुविधाओं का विकास

(ख) आयरन ओर ग्रुप के कानटैक्ट जोन की काफिक-अल्ट्रामाफिक राक्स का तथा साम्बलपुर-ढेकानाल कालाहाण्डी जिला (उड़ीसा) के भागों में पूर्वी घाट की राक्स तथा संग वैली अल्काइन-अल्ट्रामैटिक कम्पलैक्स, (मेघालय) तथा छोटा नागपुर में बेसिक राक्स तथा तमार-पोरा पहाड़ शीयर जोन के दोनों ओर सिंहभूम ग्रुप आफ राक्स का अध्ययन.

(ग) सिंहभूम के उत्तर में दूधी-ग्रेनाइट कोरोनाइट, तथा धर्मपुरी (तमिलनाडु) के पश्चिम भाग में निओ-प्रिटेरोजोक पैरालकलिन तथा कर्नाटक में सदूर ग्रीन स्टोन बेल्ट में पैट्रोकैमेट्री मेटा सेडीमेंट तथा पूर्वी सिंहभूम (बिहार) के पूर्वी भाग में छबासा तथा डालभूम में मेटामोरफीम आदि का अध्ययन

(घ) राजस्थान में स्वर्ण व बेस मेटल डिपाजिट पारसोरी गोल्ड (महाराष्ट्र) तथा माइक्रोस्कोफिक तथा पेट्रोलोजिकल अध्ययन तथा रामगिरि-पनेर काछेला बेल्ट तथा निकटवर्ती स्थानों पर गोल्ड वीयरिंग लोठस का अध्ययन

(ङ) चुने हुए छोर मेटोराइट पैट्रोलोजीकल अध्ययन

(च) उत्तर प्रदेश में खनिज बेस मेटल व फ्लड इन्कलूजन अध्ययन

(छ) मैट्रोलोजिकल एक्सपेरीमेंट अध्ययन

(ज) पश्चिम बंगाल में गंगा डेल्टा में ग्राऊण्ड वाटर व सेडीमेंटस में जिओलोजिकल व जिओ कैमीकल अध्ययन

ख. पैलाई-ओन्टोलोजी व स्ट्रेटिग्राफी

1. जैसेलमेर व बाड़मेर (राजस्थान) भागों में मारवाड़ सुपरग्रुप आफ बिरमानिया में मैटाजोनस व माइक्रोलोसिस का उत्पादन

2. राजस्थान में जैसेजमेर जिला में जुरासिक सेडाइस की बाओस्ट्रेटीग्राफी

3. दक्षिण केरल में लिग्नाइट-बीरिंग तथा संबंधित सेडीमेंटस का अध्ययन

4. उड़ीसा में तालछे फारमेशन में बाओजीमिक गतिविधि का अध्ययन

5. राजमहल कोल फील्ड में सब सरफेस गोदवाना सेडीमेंट्स का पालीनोस्ट्रेटिग्राफिक मूल्यांकन

6. दारजलिंग सब-हिमालय में सेडीमेंटस का पालीनोलोजिकल अध्ययन

7. कालीजोरा, दारजलिंग (पं. बंगाल) में मैराइन राक्स में माइक्रोपालाईओन टोलोजाकल अध्ययन

8. बीरभूम कोल फील्ड में लोअर गोलनवाना में प्लांट फोसाईल का अध्ययन

9. शिलांग पलाटिओ में वाइओटा व सेडीमेंटेशन-हिस्ट्री का क्रीटेसिओयस सेडिमेंटस

10. आंध्र प्रदेश में इंटर ट्रापियन होरिजन तथा इंफ्रा माइक्रोकमल

11. आंध्र प्रदेश में इन्फ्रा तथा इन्टर ट्रापियम अध्ययन

12. आंध्र प्रदेश में कुड्डप्पा बेसिन के भागों में पूर्व जीवन व इसके बाओ स्ट्रेटिग्राफिक प्रभाव की जांच

13. अण्डेमान द्वीप समूह (आई.जी.सी.पी. 380) में सी बेड सेडीमेंट में माइक्रोबायल बिल्डअप अध्ययन

14. उत्तर प्रदेश में ललितपुर में इन्फ्रा तथा इंटर ट्रैप्पीनस माइक्रो-वट्रीब्रेंटस का अध्ययन

ग. जिओ-क्रोनोलोजी व इसोटोप जिओलोजी

क. आर.बी.एस.आर. डेटिंग

1. पूर्वी घाट मोबाइल बेल्ट के साथ-साथ इंटरूसिवज

2. उड़ीसा में साम्बलपुर में टोनालाइट ग्रेनोडाइओ काइट

3. मिशमी टेक्टोनिक बेल्ट में ग्रेनीटिक राक्स

4. सर्वन ग्रेनूलिटिक टैरेन

5. गुजरात काम्पलैक्स के पुराने निससिक और थामनर ग्रुप में मिगमैटिज और ग्रेनिटिक राक्स

6. उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड ग्रेनिटिक काम्पलैक्स में ग्रनोडिओरीटिक/टोनालिटिक एनक्लेस

ख न्यूटीआईएमएस के लिए व्यवस्था

ग. आइसोटोपिक रेज मैप आफ इंडिया को अप डेड करना तथा डाटा बेस जनरेशन

घ. क्षेत्र की विभिन्न मदों के लिए इनपुट

घ. फोटोजिओलोजी और रिमोट सैंसिंग

1. चल रही परियोजनाओं के लिए लैबोटरी इनपुट का विस्तार

2. धारवाड़ क्रेटाउन/पूर्वी घाट/दक्षिण ग्रेन्यूलिटिक मोबाइल बेल्ट के मध्य मार्जिनल जोन की व्याख्या करना तथा दक्षिण पैनीसुलर इंडिया में मार्जिनल जोन के मैप तैयार करना

3. बैरेन आईलैण्ड की मोनिटरिंग

4. उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में ड्रेन-ऐज अनोमेलीज का अध्ययन

ड. कैमिकल

1. मानक संदर्भ सामग्री तैयार करना

2. प्रयोगशाला जियो कैमस्ट्री के लिए ओरिएंटेशन

3. मोबाइल मेटल और आर ईई विश्लेषण के लिए प्रणाली

XVI. जिओफिजिकल

1. मानक संदर्भ सामग्री तैयार करना

2. जिओकैमस्ट्री लैबोटरी के लिए ओरियेंटेशन

3. आर ई ई और नोबेल मैटल के प्रिसीजन अनालिसिस के लिए मैथोडोलोजी

XVII. जियोफिजिकल

1. मैग्नेटिक के जरिए जियोफिजिकल इनपुट विभिन्न खनिज अनुसांधनों के लिए रीजिसटी विटी और ग्रेविटी

2. बोरहोल में सुधार/अंडरग्राउंड जियोफिजिकल मांगिग तथा एक्सप्लोरेशन तकनीक

3. व्यवस्थित क्षेत्रीय जियोफिजिकल सर्वे

XVIII. सहयोग व सहायता प्राप्त कार्यक्रम

1. बीआरजीएम के साथ सहयोग कार्यक्रम

(क) नागपुर में डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की शुरूआत

(ख) राजस्थान, हैदराबाद तथा कलकत्ता में जिओ-साइंटिफिक द्वारा सेंटर की स्थापना

(ग) सीएसओएम राजस्थान

(घ) कोल सीएचक्यू में साइंटिफिक डाटाबेस

2. जिओलोजिकल सर्वे आफ वियतनाम के साथ सहयोग

3. एयरबोन जिओफिजिकल डाटा प्राप्त करने के लिए तथा उसे प्रोसेस करने के लिए जीएसआई, बीएचपी के साथ सहयोग

4. मंगोलिया, लाओस, मारिसस तथा आस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग

5. मध्य प्रदेश में सोहागपुर बेसिन में इंडो-यू.एस. सहयोग

6. इंडो-भूटान स्कीम

7. अंतर्राष्ट्रीय सांइटिफिक निकायों में भागीदारी

XIX. वाणिज्यिक केन्द्रों की स्थापना

1. भारत में वाणिज्यिक केन्द्रों का विकास

2. भारत और विदेशों में प्रायोजित कार्यक्रमों की हैण्डलिंग।

विवरण-III

जी.एस.आई. के संबंध में महाराष्ट्र में क्षेत्र सत्र कार्यक्रम
संचालन वर्ष 1997-98
महाराष्ट्र

1. खनिज सर्वेक्षण और मूल्यांकनः

1. एम.आई.ई./सी.आर./एम.ए.एच. 1995/002 — एस.एन.उपाध्याय (परि.अर्थ. भू-विज्ञान)

पुलर-पारसोरी स्वर्ण क्षेत्र, नागपुर जिले के मल्पार-पुलर कोसारी ब्लाक में सोने की खोज (ई-1/11 चरण) (1995-98)

पारसोरी (पश्चिम) ब्लाक के पश्चिमी विस्तार का पता लगाने के लिए मास नदी के पश्चिम वाले क्षेत्र में स्वर्ण खनिजीकरण के महत्वपूर्ण क्षितिज का सीमांकन करने के लिए स्वर्ण खनिजीकरण और क्षेत्र के संभावित सोने का मूल्यांकन करने के लिए डी.एम. 6 वर्ग कि.मी.पी./टी. 1200 सी.यू.एम., एस.एम.पी.एल. 3240 नं. डी 5000 एम.डी.एम. शून्य वर्ग कि.मी., पी./टी.0 250 सी.यू. एम. एस.एम.पी.एल. 1261 नं डी 2400 एम (रिग्स 199, 279, 188) डी.एम. 6 वर्ग कि.मी. पी/टी 950 सी.यू.एम., एस.एम.पी.एल. 1979 डी. 2012, 45 एम (संशोधित)

2. एम.आई.ई./सी.आर./एम.ए.एच/1996/003 — ए.के. साह (परि. अर्थ भू-विज्ञान), एस. चट्टोपाध्याय (सी.पी.एल.)

पारसोरी एस. (पूर्वी) ब्लाक, नागपुर जिले में सोने की खोज (ई-II चरण) (1996-98) और पूरब की ओर पारसोरी (पश्चिम) ब्लाक में स्थापित सोना सल्फाइड क्वार्टज धातु रेखा का नीति लंब और गहराई का पता लगाने के लिए तथा अयस्क संबंधों का मूल्यांकन करने के लिए। भाग-I डी 1800 एस.एम.पी.एल. 6000 नं. डी 800. एम. (रि यू. 386) एम.एम.पी.एल. 300 नं. जी. 631.80 एम. एस.एम.पी.एल. 284 नं. भाग-II एस. एम.पी. एल. 100 नं., एस.एम. पी.एल. 50 नं., एस.एम.पी.एल. 50 नं. (संशोधित)

3. एम.आई.ई./सी.आर./एम.ए.एच./1997/010 — ए.के.साह (पी.टी0)

पारसोरी पश्चिम के गहरे भूतल में सोना और तांबा की खोज सोने की संभावना, नागपुर जिला (ई-।। चरण) (1997-99)

गहरी खुदाई के चयनित खनन द्वारा सोना-तांबा खनिजकरण की गहराई में सतल का पता लगाने तथा खनिजकरण की आर्थिक संभावनाओं का आकलन करने के लिए, डी 1600 एम.सी.एस. 300 नं. डी. 800 एम.रि.यू. 240, सी.एस.-150 नं. नई मद।

4. एम.आई.जी./सी.आर./एम.ए.एच./1997/011 — एम.पी. चावड़े (परि. अर्थ भू-विज्ञान)

पूलर (पश्चिम) कोसारी, कोसारी, भयोनरी तथा रनमंगली क्षेत्रों, नागपुर जिला में सोने की खोज (बी-II चरण) (1997-99)

स्वर्ण खनिजकाल के महत्वपूर्ण जोनों का निरूपण करने के लिए तथा क्षेत्र में सोने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए, डी. एम. 2 वर्ग कि.मी. पी/टी. 400 सी.यू.एम., एस.एम.पी.एल. 210 नं. डीएम.।

5. एम.आई.पी./सी.आर./एम.ए.एच./1997/012 — के.सी.महापात्र एस. शेखर (परि. अर्थशास्त्र भू-विज्ञान)

खैरी-किटारी क्षेत्र भान्डा जिला, महाराष्ट्र में स्वर्ण के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (पी-II चरण) (1997-98)

खैरी-किटारी क्षेत्र में स्वर्ण खनिजीकरण के महत्वपूर्ण अंचलों का परिनिर्धारण करना, भाग-I: एल.एस.एम. 30 वर्ग किलोमीटर पी/टी 100 क्यू. मीटर, एस.एम.पी.एल. 300 एन.ओ. सी., भाग-II: डी.एम. 2 वर्ग किलोमीटर, पी/टी 200 क्यू मीटर, एस.एम. पी.एल. 200 एन.ओ.एस. (एक वर्षीय कार्यक्रम), नवीन मद

हीरा

6. एम.आई.पी./सी.आर./एम.ए.एच./1997/013 — के. शशिधरण डी.वी. गणवीर (परि. अर्थशास्त्र, भू-विज्ञान) आर.के. श्रीवास्तव, (पी.जी.आर.एस.) (पी.टी.) के.वी.एस. भास्कर राव,+ डी.पी. पुनीकर,+ जैव भौतिकी से सभी पी.टी.)

चन्द्र नांदेड़ तथा गढ़चिरोल जिलों, महाराष्ट्र के भागों में किम्बरलाइट तथा लैम्प्रोइट्स के लिख खोज (पी-I चरण) (1997-99)

आर्थियन बेन्गापाल में किम्बर लाइट/लैम्प्रोइट का पता लगाना और उनकी विविध प्रकृति का आकलन करना, पी.आर.एस. 2500 वर्ग किलोमीटर (उपग्रह) 1500 वर्ग किलोमीटर (एयरफोटो), अंकीय छवि प्रोसेसिंग 200 वर्ग किलोमीटर, एल.एस.एम. 200 वर्ग किलोमीटर एस.एम.पी.एल. 50 एन.ओ.एस (प्रत्येक 50 किलोग्राम) पी.सी.एस 50 एन.ओ.एस. 2500 वर्ग कि.मी. (उपग्रह) 750 वर्ग कि.मी. (एयरफोटो) यथावश्यक अंकीय छवि प्रोसेसिंग, एल.एस.एम. 100 वर्ग कि.मी. एस.एम.पी.एल. 250 ओ.ए.एस. (प्रत्येक 500 किलोग्राम) पी.सी.एस. 25 एन.ओ.एस, जी.पी. सर्वेक्षण) 15 एल.कि.मी. नवीन मद

मैन्गनीज

7. एम.आई.ई/सी.आर./एम.ए.एच/1993/006 — एस.एन.मेशराम, (पी.टी.) परियोजना आर्थियन सौसर बेल्ट

परसोडा तथा नगर धन चोखला क्षेत्र, नागपुर जिला में मैन्गनीज, ओर्स के लिए जांच (ई.-1 चरण) (1993-98),

परसोडा तथा नगर धन चोखला क्षेत्र में मैन्गनीज और संभाव्यता का पता लगाना तथा आकलन करना (फैरो-मैन्गनीज ग्रेड ओर सहित) : डी-1300 मीटर एल.एस.एम. 110 वर्ग कि.मी. डी.एम. 2 वर्ग कि.मी. पी/टी 270 क्यू. मीटर, एस.एम.पी. एल. 540 जी. पी. सर्वेक्षण 70 एल.कि.मी.: डी. 600 मीटर (आर.आई.जी. यू. 197) एल.एस.एम. शून्य, डी.एम. शून्य, पी./टी शून्य, एस.एम.पी. एल. 150, डी. 624, 900 मीटर, एल.एस.एम. 110 वर्ग कि.मी., डी.एम. 2.3 वर्ग कि.मी., पी./टी. 270 क्यू. मीटर, एस.एम.पी.एल. 390 जी.पी. सर्वेक्षण 70 एल.कि.मी.

8. एम.आई.पी./सी.आर./एम.ए.ए./1997/014 — एस.एन. मेशराम, (पी.टी. के.पटेल) (पी.टी.) (परि. आर्थियन सौसर बेल्ट)

बेल्डा-जूनेवाणी क्षेत्र, नागपुर, जिला में मैन्गनीज ओर के लिए जांच (पी-II चरण) (1997-99)

बेल्डा-जूनेवाणी क्षेत्र, नागपुर, जिला में मैन्गनीज का पता लगाना तथा आकलन करना (फैरा-मैन्गनीज ग्रेड ओर सहित): डी. एम. 2 वर्ग कि.मी. एस.एम.पी.एल. 150 एन.ओ.एस., डी.एम. 1 वर्ग कि. मी., एस.एम.पी.एल. 75 एन.ओ.एस, नवीन मद

9. एम.आई.पी/सी.आर./एम.ए.एच/1997/015 — एस.एम. गोडबोले (पी.टी.) एस.वाई कट्टी (परि. दक्कन ट्रैप) (पश्चिम) एच. अयावले

बांदा-कालाने तथा सम्मिलित क्षेत्र, सिन्धु दुर्ग जिला में मैन्गनीज तथा सम्बद्ध लौह ओर का आकलन करना (पी-II चरण) (1997-98)

फैरो-मैन्गनीज एलोय को प्रस्तावित करने के उद्देश्य से लौह सम्बद्ध मैन्गनीज के संसाधन को आकलन करने के लिए, एल.एस. एम. 30 वर्ग कि.मी. डी.एम. 2 वर्ग कि.मी. पी./टी 100 क्यू. मीटर एस.एम.पी.एल. 100 एन.ओ.एस. (एक वर्षीय कार्यक्रम), नवीन मद।

आयाम-प्रस्तर

10. एम.आई.पी./सीआर./एम.ए.एच./1997/009 एम.मोहन, एस. नाटेशन (परि.दक्कन ट्रैप (ई.)

पूर्वी महाराष्ट्र में आयाम प्रस्तर की संभावना का अकलन करना (1997-2000)

आयाम प्रस्तर तथा ग्रेनाइट संसाधन का प्रांभिक भाग तैयार करने के रूप में आर्थियन तथा प्रौटेरोजोइक राक्स की उपयुक्तता का मूल्यांकन, आर.ई.सी. 1500 वर्ग कि.मी., एल.एस.एम. 120 वर्ग कि.मी. एस.एम. पी.एल. 120 एन.ओ.एस., आर. ई.सी. 400 वर्ग कि.मी., एल.एस.एम. 40 वर्ग कि.मी., एस.एम.पी. एल. 40 एनओ.एस., नवीन मद

III. विशेषज्ञता प्राप्त विषय-परक अध्ययन

11. एस.टी.एम./सी.आर./एम.ए.एच./1996/004 ए.एस. खान, ए.के. हुयइन (पी.टी.), ए. चट्टोपाध्याय (परि. अर्थियन सौसर बेल्ट)

स्ट्रैटीग्राफी, संरचना मेटाकार्पिक इतिहास, तथा टेक्टोनिक्स की व्याख्या के लिए महाराष्ट्र में सौसर बद्ध परिक्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त विषय पर मैपिन्ग (1996-1999)

सौसर परिक्षेत्र की राक्स तथा ओर्स एवं टेक्टोनिक कार्य-ढांचा की स्ट्रैटीग्राफी, संरचना, मेटामार्पिक इतिहास, बेसमेन्ट कवर संबंधों, जिओकेमिकल अंशों को समझने के लिए सौसर ग्रुप तथा सम्बद्ध जिनेरस मिगमेटाइरस के जिओलोजिकल जिओकेमिकल तथा जिओक्रोमोजोजिकल अध्ययन शुरू करना, एस.टी.एम-1650 वर्ग कि.मी. पी.एस.-600 एम.ओ.एस., पी.सी.एल.-100 एन.ओ.एस. जी. सी०एस. 300 एन.ओ.एस, एस.टी.एम.-450 वर्ग कि.मी., पी.एस. 200 एन.ओ.एस, पी.सी.एस. 30 एन.ओ.एस, जी.सी. एस. 100 एन.ओ.एस, एस.टी.एम. 375 वर्ग किलोमीटर, पी.एस. 200, एन.ओ.एस. पी.सी. एस-20 एन.ओ.एस. जी.सी. एस.-60 एन.ओ.एस.

12. आर.पी./सी.आर./एम.ए.एच./1995/015 एच.वाई.भाई (परि.स्ट्रैटी ग्राफी), के.राव, आर.सी. पाठक-के.जे. राव (जी.पी. प्रभाग, सी.आर. से सभी पी.टी.)

वैनगंगा नदी तट, भान्डा तथा गैडचिरोली जिलों-महाराष्ट्र के गहन क्षेत्र में क्षेत्रीय स्काउट बोरहोल्स द्वारा स्ट्रैटीग्राफी की स्थापना (1995-98)

वैनगंगा नदी के गहन क्षेत्र में जिओलोजिकल गठनों का पता लगाना, डी. 1000 मीटर, सी.एस, 100 एन.ओ.एस, सरफेस एस. एम.पी.एल. 60 एन.ओ.एस. पाल अध्ययन, 50 एन.ओ.एस, जी.पी. सर्वेक्षण 100 एल.कि.मी. डी. 600 मीटर (गिन्यू-366), सी.एस. 60 एन.ओ.एस, सरफेस एस.एम.पी.एल. 13 एन.ओ.एस., पाल अध्ययन, 50 एन.ओ.एस, जी.पी. सर्वेक्षण 10 एल. कि.मी. डी. 368, 75 मीटर सी.एस. 40 एन.ओ.एस., सरफेस एस.एम.पी. एल. 47 एन.ओ.एस. पाल अध्ययन, शून्य एन.ओ.एस., जी.पी. सर्वेक्षण शून्य (संशोधित)

13. आर.पी./सी.आर./एम.ए.एच/1995/005 एम. चन्द्रवास

अमरावती जिला-महाराष्ट्र के उत्तर में दक्कन ट्रैप के नीचे गोन्डवाना स्ट्रैटीग्राफी की स्थापनार्थ स्ट्रैटीग्राफी ड्रिलिंग (1995-98)

दक्कन ट्रैप के नीचे होने वाली सेडीमेन्टरी के पृथक भाग-कास्ट्रेटीग्राफिक स्तर तैयार करना, डी. 1300 मीटर एल.एम.पी.एल. 170 एन.ओ.एस., डी. 800 मीटर (रिग यू. - 365), एस.एम.पी.एल. 124, डी-407, 20 मीटर एस.एम.पी.एल. लैब 46 एन.ओ.एस. (संशोधित)

जिओफिजिक्स

14. जी.पी.एम./सी.आर./एम.ए.एच/1996/001 के.वी.एस. भास्कर राव, डी.वी. पुनेकर, जी. वैंकटेशवर्लु

यवतमाल तथा नांदेड़ जिलों में गोन्डावनों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय जिओफिजिकल सर्वेक्षण (1996-98)

दक्कन ट्रैप कवर के अंतर्गत गोन्डावन गठनों के विस्तार का पता लगाना, आर.जी.एम.एस. 2000 वर्ग कि.मी., रैस-साउंड 40, आर.जी.एम.एस. 1000 वर्ग किलोमीटर, रैस सांउड 25, आर.जी.एम.एस. 1000 वर्ग कि.मी. रैस साउंड 15 (संशोधित)

IV. जिओ-तकनीकी तथा विशेष जांच

15. ई.जी.सी./सी.आर./एम.ए.एच./1996-92/001 — एम. कुमारस्वामी, एम. महेश बाबू, पी.एस. मिश्रा, प्रदीप सिंह, पी.सी.डी. मोनी, पी. वेन्कटराजू (पी.टी.) (इंजीनियरी, जिओलोजीकल II से के.वी. राव, आर.सी. पाठक, के.जे. राव (जी.पी. प्रभाग से सभी पी.टी.)

पूर्वी महाराष्ट्र में जल-संसाधन विकास परियोजनाओं का जिओ-तकनीकी मूल्यांकन।

महाराष्ट्र में हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं, प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं, रिसरवायर सक्षमता अध्ययन और जल आपूर्ति योजनाओं की प्रारंभिक/पूर्व निर्माण चरण की जिओ-तकनीकी जांच शुरू करना।

प्राथमिकता-I

(क) प्रारंभिक स्तर पर अन्वेषण

1. छिखालवारा पम्पड स्टोरेज स्कीम, अमरावती, जिला, महाराष्ट्र

(ख) निर्माण स्तर पर अन्वेषण

2. गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना, भन्डारा जिला महाराष्ट्र। संभावित सीपेज क्षेत्र का पता लगाने के लिए जैव भौतिक सर्वेक्षण आरंभ किए जाएंगे।

3. बावनथाडी सिंचाई परियोजना, बालघाट, मध्य प्रदेश और भंडारा जिला, महाराष्ट्र।

4. पूर्ण नदी परियोजना, अमरावती, जिला-महाराष्ट्र प्राथमिकता-II

प्राथमिकता-II

5. चंद्रभागा मंझौली सिंचाई परियोजना, अमरावती जिला-महाराष्ट्र

6. ई.जी./सी./सी.आर./एम.ए.एच./1969-92/001 — आर.जी. सिन्हा, वी.पी. सेबल, डी.टी. काम्बले, आर.के. राजदान (ई.जी. प्रभाग I पूणे) के.वी. राव, आर.सी.पाठक, के.जे. राव, (सभी पी.टी.जी.बी. प्रभाग से हैं)

पश्चिमी महाराष्ट्र में जल संसाधन विकास परियोजनाओं का जैव तकनीकी मूल्यांकन।

महाराष्ट्र में इलैक्ट्रिक परियोजनाओं, मुख्य और मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं, जलाशय सक्षमता अध्ययनों और जलापूर्ति योजनाओं का जैव तकनीकी अन्वेषण की प्रारंभिक/निर्माण स्तर आरंभ करना।

प्राथमिकता-I

प्रारंभिक स्तर अन्वेषण

सिंचाई परियोजनाएं

1. महामाद्वादी सिंचाई परियोजना (मध्यम) सिंधु दुर्ग जिला-महाराष्ट्र

2. साराम्बाला सिंचाई परियोजना (मध्यम), सिन्धु दुर्ग जिला, महाराष्ट्र

3. अर्जुन सिंचाई परियोजना (मध्यम) रत्नागिरी जिला-महाराष्ट्र

4. काज्वी लघु सिंचाई परियोजना (वृहत्) रत्नागिरी, जिला-महाराष्ट्र

5. अपर प्रवरा परियोजना (नीलवन्दे-।।), अहमदनगर, जिला-महाराष्ट्र

6. दमन गंगा-पिंजाल लिंक परियोजना, नासिक का औचित्यतापूर्ण जैव तकनीकी अन्वेषण और महाराष्ट्र में थाणे जिले और गुजरात जिले में वालसाद और बैड रोक प्रोफाइल की रूपरेखा के लिए जी.पी. सर्वेक्षण

जल विद्युत योजनाएं/परियोजनाएं

7. ढंवरली पंप भंडारण योजना (वाजारदा), सतारा जिला, महाराष्ट्र

8. सरंबला रीवर फाल जल विद्युत परियोजना, थाने जिला, महाराष्ट्र

9. सन वडे कैनाल ड्राप जल विद्युत परियोजना, सांगली, जिला महाराष्ट्र

पूर्व-निर्माण स्तर अन्वेषण

10. तलम्बा सिंचाई परियोजना (प्रमुख) सिन्धु दुर्ग जिला, महाराष्ट्र

11. तिलारी सिंचाई परियोजना (प्रमुख) सिन्धु दुर्ग जिला, महाराष्ट्र

12. देवगढ़ सिंचाई परियोजना (मध्यम), सिन्धु दुर्ग जिला, महाराष्ट्र

जलाशय क्षमता अध्ययन

13. महमदवाड़ी सिंचाई परियोजना (मध्यम), सिन्धु दुर्ग, जिला, महाराष्ट्र

अग्रता-I के वे मदें जो शुरू नहीं की जा सकी हैं वे ही जारी रहेंगी तथा वित्तीय सत्र 1997-98 के दौरान इन्हें शुरू किए जाने की संभावना है जैसा कि परियोजना इंजीनियरों ने इसका संकेत दिया है।

पर्यावरण अध्ययन

17. ई.एन.वी./सी.आर./एम.ए.एच./1996/005 — जी.गोन्नाडे (पी.टी.), एन.वी. नितनावरे (परियोजना, पर्यावरण, भूविज्ञान)

नई नागपुर नगरी तथा वूटी वाड़ी औद्योगिक इस्टेट, नागपुर (1996-98) के लिए पर्यावरण प्रभावी मूल्यांकन तथा प्रबंध आयोजना का निर्माण।

विकास के पूर्व पर्यावरण के प्रभाव तथा प्रबंध योजना का निर्माण भू-कारकों तथा डाटा बेस तैयार करने पर आधारित है। विकास योजना की तुलना में भू-कारको पर इसके प्रभावों की पहचान, भू-विज्ञान भू-आकृति विज्ञान, मृदा, ड्रेनेज-315 वर्ग किलो मीटर, एस. एम. पी. एम. 30 नंबर पर विषयक नक्शों का निर्माण, भू-विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान, मृदा, ड्रैनेज-165 वर्ग किलो मीटर एस.एम.पी. एम. 15 नंबर पर विषयक नक्शों का निर्माण

18. ई.एन.वी./सी.आर./एम.ए.एच./1996/006 — प्रेम बाबू, टी.जी. मोहनकार

नागपुर रोड, नागपुर जिला महाराष्ट्र (1996-98) पर मोहा औद्योगिक इस्टेट के लिए पर्यावरण प्रभावी मूल्यांकन तथा प्रबंध आयोजना का निर्माण

मौहा औद्योगिक इस्टेट के लिए पर्यावरण प्रभावी मूल्यांकन तथा प्रबंध आयोजना। भू विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान, मृदा तथा ड्रेनेज, ग्राउंड वाटर एण्ड लैंडयूज-315 वर्ग किलो मीटर, एस.एम.पी.एल.-40, एयर क्वालिटी-432 नम्बर के लिए एस.एम.पी. एल. पर नक्शों का निर्माण, भू-विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान, मृदा, ड्रैनेज ग्राउंड वाटर एण्ड लैंड यूज-150 वर्ग किलोमीटर, एस.एम.पी.एल.-15 नंबर, एयर क्वालिटी 216 नंबर के लिए एस.एम.पी.एल. में नक्शों का निर्माण, भू-विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान, मृदा ड्रेनेज, ग्राउंड वाटर एण्ड क्वालिटी 216 नंबर के लिए एस.एम.पी.एल. में नक्शों का निर्माण।

भू-तापीय प्रभाग

19. सर्विस आइटम — डी.के. मुखोपाध्याय (पी.टी.)

नेशनल हीट फ्लो मैप तैयार करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अंग के रूप में हीट फ्लो मीरजमेंट।

केन्द्रीय क्षेत्र के प्रत्येक डिग्री शीट में कम से कम एक बारे होल संबंधी हीट फ्लो मैप तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में तापीय अनुपात तथा तापीय सुचालकता मापन (6 से 10 नंबर, प्रतिवर्ष)

20. जी.टी./सी./सी.आर./एम.ए.एच/ए.पी./1997/007 डी.के.मुखोपाध्याय (पी.टी.) + जी.

केन्द्रीय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (1997-98) में विद्युत निर्माण तथा प्रत्यक्ष उष्मा का उपयोग और पता लगाए गए संभावित भू-तापीय केन्द्रों के मूल्यांकन पर भू-तापीय अध्ययन केन्द्रों से संबंधित आर. एण्ड डी. परियोजना।

जी.एस.आई. द्वारा की गई भू-तापीय जांचों के आधार पर आंकड़ों की समीक्षा करना तथा विभिन्न श्रेणियों अर्थात् बिजली तैयार करने, वाणिज्य उपयोग, गहन खोज तथा अधिक से अधिक क्रम-वद्ध अध्ययन में भू-तापीय केन्द्रों को वर्गीकृत करना और बिजली निर्माण तथा उष्मा उपयोग की संभावना का मूल्यांकन करना।

सिस्मोलाजी एण्ड सिस्मोटेक्टानिक अध्ययन

21. सर्विस आइटम एन.वी. वेंकटरामन
(जी.ए.एस. प्रभाग से पी.टी.)

भारतीय सिस्मोटेक्टानिक एटलस (शीट संख्या 22,27,28 तथा 30) का निर्माण

22. सर्विस आइटम एस.सी. नौटियाल (सी.एस.एस. प्रभाग)

भूकंपीय घटनाओं की रिपोर्ट की स्थूल तथा गहन भूकंपीय जांच

V. प्रयोगशाला तथा अनुसंधान

शैलविज्ञान

23. आर.पी./सी.आर./एम.ए.एच./एम.पी./1997/002 एस. के. भैमिक (पी.टी.)
टी. पाल (पी.टी.)
(शैल विज्ञान प्रभाग, सी.आर.)

केन्द्रीय भारतीय मोबाइल बेल्ट (1997-99) के सम्पूर्ण टेक्टोनोथर्मल विकास में सौसर बैल्ट के उत्तर में ग्रेनूलाइट सूट का पेट्रोटेक्टोनिक अभिपार्य

केन्द्रीय भारतीय मोबाइल बेल्ट के सम्पूर्ण टेक्टों नोथर्मल विकास को समझने के लिए सौसर बेल्ट के उत्तर और दक्षिण में कलिकाओं की उपस्थिति और खनिज प्रतिक्रियाएं तथा पी.टी.टी. पाथ स्थापित करने के लिए ट्रांसेक्ट मैपिंग 2001 कि.मी. एस.एम.पी.एल.-200, पी.सी.एस. 90, डी.एस.-10, ट्रोसेक्टर मैपिंग-100। कि.मी., एस.एम.पी.एल. 100 पी.सी.एस-30 नई मद में सह सम्बंध।

24. आर.पी./सी.आर./एम.ए.एच/1997/016 ए.के. चैटर्जी (पी.टी.) पी.ई.टी.सी.आर.एस.
वद्वावी (एम.ए.एच डब्ल्यू.)

जिला, अहमदनगर, महाराष्ट्र (1997-98) के गुंजाली-राहुडी क्षेत्रों में डेकन ट्रेप्स के साथ सम्बद्ध लावा टयूब और चैन लो के शैल विज्ञान और भू-रसायन विज्ञान।

लावा टयूब/चैनलों के भू-रसायन विकास और शैल सम्बंधों का अध्ययन करने और लावाटयूब/चैनलों और परजोशी बहाव पी.एस. -100, पी.सी.एस.-40, आई.ई.ई-30, एक्स आर.ई.ए.एस. एन.ई.सी. ई.पी.एम.ए. 10, पी.एस.-100, पी.सी.एस.-40, आर.ई.ई. 30, एक्स.आर.डी.-ए.एस.एन.ई.सी. ई.पी.एम.ए-10 नई मद के मध्य उत्पत्ति सम्बन्धी सम्बन्ध स्थापित करने के लिए।

पैलेनटोलॉजी

25. आर.पी./सी.आर./एम.ए.एच/1997/003 डी.एम. मोहबे

डायनासोर के गुफा स्थल की और चन्द्रपुर, वर्धा, और नागपुर जिलों के बाद के खरीयय तलछटी से सम्बंधित स्के लेटल अवशेष और उनका व्यवस्थित अध्ययन (1997-99)

डायनासोर का गुफा स्थल और लमेआ तलछटी से पिछले रास्ते की खोज।

पी.जी.आर.एस.

26. पी.आर.एस./सी.आर.एम.ए.एच/1997-005 — एस. बासु मलिक, एस.जी. कृष्णा, आर.के. श्रीवास्तव, यू. एस. दुबे, के.के. नाइक (पी.जी.आर.एस. प्रभाग से सभी पी.टी.) ए.के. दास (जी.पी. प्रभाग से पी.टी.) एच.एम. रामचन्द्रा (जियोडाटा प्रभाग से पी.टी.)

बी.आर.जी.एम. फ्रांस के सहयोग से डिजीटल इमेज केन्द्र की स्थापना (1997-98)

बी.आर.जी.एम. फ्रांस के सहयोग से डिजीटल इमेज प्रोसेसिंग केन्द्र पर पी.जी.आर.एस. प्रभाग में लगाए जा रहे हार्डवेयर और साफ्टवेयर दोनों का विकास।

भू-तकनीकी

27. आर.पी./सी.आर./एम.ए.एच./1995-013 — के.के. चैटर्जी (पी.टी.)

समतुल्य सामग्री का उपयोग करके तंत्र अध्ययन का पुनर्निर्धारण (1995-98)

पहाड़ी में प्रचालन के लिए तंत्र पुनर्निर्धारण में अर्न्तदृष्टि प्रदान करना।

VI. डाटा प्रबंधन और प्रसार

भू-डाटा

28. सेवा मद — एच.एम. रामचन्द्र (पी.टी.)

सौसर वेल्ट के लिए डाबेस तैयार करना। भौगोलिक और सौसर बेल्ट के लिए उपलब्ध डाटा प्रसार का संग्रह और संकलन तथा डाटा बेस, इलेक्ट्रानिक और हार्ड कापी प्रकाशन की सूचना प्रसार के लिए तैयारी (1996-99)

डेकन ट्रेप (पश्चिम)

29. सेवा मद — एस.एम. गोड बोले एम. के वांचू

डेकन ट्रेप्स के वोकेनिक्स पर डाटाबेस

जी.एस.आई. से डेकन फ्लड बेसाल्टस पर उपलब्ध प्रकाशित और अप्रकाशित रिपोर्टों को डाटाबेस की तैयारी।

डेकन फ्लड बेसाल्ट्स पर अध्ययन के प्रभावी आयोजना और कार्यान्वियन में अंतिम उपयोग के लिए अतीत और वांछित प्रकार/फारमेट में उपलब्ध सहित डाटाबेस का विकास।

30. आर.पी./सी.आर./एम.ए.ए/-एम.पी./1996/010 — बी. भुसारी (पी.टी) (एम. और सी.) जी.एस. गोन्माडे (पी.टी.) (पर्या) ए.के. दास जी.पी. (पी.टी.) ए.के. साहा (पी.टी.) (स्थै. भू.) एस.जी. कृष्णा (पी.टी.) (पी.जी.आर. एस.) यू. चक्रवर्ती (पी.टी.) (जी.डी.) ए.के. उईन (पी.टी. (आर्य, सौ) पी.के. सिन्हा, एस. चक्रवर्ती, आर.एस. शुक्ला

परियोजना जी.ई.ओ.एस.एम.एम. भौगोलिक सूचना प्रणाली महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश (1996-99)

जी. आई.एस. क्षेत्र में मुख्यतः विभिन्न सहयोगी संगठनों के पास उपलब्ध भौगोलिक डाटा बेस पर आधारित केन्द्रीय भारत की प्रिकेम्बिरियन शील्ड के भागों में स्थायी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली तैयार करना।

नक्शा संकलन

31. एम.ए.पी./सी.आर./एम.ए.एच./एम.पी./1994/015(I) — बी.भास्कर (पी.टी.) एस.डी. पतभाजे (पी.टी.)

खनिज बैल्ट नक्शों का संकलन 1:50,000 पैमाने पर।

32. एम.ए.पी./सी.आर./एम.ए.एच./एम.पी./1994/015(II) — बी. भास्कर (पी.टी.) एस.डी. पतभोजे (पी.टी.)

भौगोलिक क्वाडरेंगल नक्शों का संकलन

33. एम.ए.पी./सी.आर./एम.ए.एच./एम.पी./1994-015 (III) — बी. भास्कर (पी.टी.) एस.डी. पतभोजे (पी.टी.)

जिला संसाधन नक्शे (जांच और मुद्रण)

34. एम.ए.पी./ओ.पी.डब्ल्यू./सी.आर./1996/009 — एस.एस. सहाय्रा बुक्के (एम.एण्ड सी. और पी. (डिवीजन), अमरजीत सिंह, सी.बी. रैना, (सी)टी. (डिवीजन, पुणे)

पश्चिम महाराष्ट्र के जिला संसाधन नक्शे।

भू-विज्ञान, खनिज संसाधन, जैव मोरफोलाजी, संरचना, भू-प्रयोग, प्राकृतिक आपदाओं तथा 1:1,25000 पैमाने पर भू-जल पर सूचना सहित डिस्ट-31 की कुल संख्या, डिस्ट (लक्ष्य) 6, लतूर ओस्मानाबाद, सतारा, पूणे, थाणे और सांगली के विषय में सूचना सहित जिला संसाधन नक्शे तैयार और प्रकाशित करना।

प्रकाशन

35. सेवा मद — के.के.के. नायर, एस. जी. उद्योजी, जे.एल. मिश्री, वी.ए. अगलावे

जी.एस.आई. अभिलेखों, क्षेत्रीय समाचारों, विविध प्रकाशनों का मुद्रण, खनिज अन्वेषण रिपोर्टों और वैज्ञानिकों दस्तावेजों की जांच।

केरल स्थित कन्नानौर में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना

434. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कन्नानौर में उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर को स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो भूमि का अधिग्रहण कब किया गया था;

(ग) क्या कन्नानौर में प्रस्तावित टेलीविजन ट्रांसमीटर की स्थापना/निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है और यदि नहीं, तो इसे कब तक शुरू करने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी हां। कन्नानूर में प्रस्तावित उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर के लिए केरल के तालिपरम्बा तालुक में मंगतुपरम्बा में 3.5 एकड़ के एक सीलं का मार्च 1994 में अधिग्रहण कर लिया गया है।

(ग) और (घ) कन्नानूर में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजना स्थापित करने संबंधी स्कीम को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और इसका कार्य शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा। इस परियोजना का कार्यान्वयन वर्ष 2000-2001 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते इस उद्देश्य हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

उड़ीसा में बहुमूल्य रत्नों का अवैध खनन

435. **श्री के.पी. सिंह देवः** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में अविभाजित बोलंगीर, कालाहांडी और फूलबनी जिलों में बहुमूल्य रत्नों के अवैध खनन की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) और (ख) अवैध खनन की रोकथाम अवश्य ही राज्य सरकार का दायित्व है। उड़ीसा राज्य की सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्थिति निम्नवत् हैः

ऐसे अवैध खनन रोकने और कम करने के लिए राज्य सरकार संबंधित खनन अधिकारियों, पुलिस तथा वन विभाग के अधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से कदम उठाए गए हैं। वर्ष 1979 से 1996 के दौरान बोलानगिर जिले में पुलिस तथा खनन अधिकारियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में 50 से भी अधिक मामले दर्ज किये गए हैं और वर्ष 1992 से 1996 के दौरान कालाहांडी जिले में 82 मामलों का पता लगाया गया है तथा पी.आर. के 8 मामलों में जे.एम. एफ.सी. खरियार में मुकदमा चल रहा है। ऐसे कार्यों के दौरान बोलानगिर जिले में लगभग 8 (आठ) लाख रु० मूल्य के विभिन्न अर्ध-कीमती पत्थर तथा कलाहांडी जिले में 2654.862 किग्रा. मात्रा के विभिन्न अर्ध-कीमती पत्थर जब्त किए गए हैं।

प्लेटफार्म लेवल

436. **श्री सुरेश आर. जाधवः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के परभानी, सेलू और मानवत रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों को उंचा करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी हां, केवल सेलु रेलवे स्टेशन की प्लेटफार्म सतह उंचा करने के लिए अन्य दो स्टेशनों के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है;

(ख) प्लेटफार्म को ऊंचा करने तथा उसके विस्तार संबंधी कार्य को पहले ही शुरू कर दिया गया है; और

(ग) जून 1998 तक।

विमान किराया संबंधी दर

437. **श्री जी.एम. बनातवाला:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के लिए विमान किराया दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हिमाचल प्रदेश पर लागू विमान किराया दर को तर्कसंगत बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) से (ग) इस समय सरकार अन्तर्देशीय विमान किरायों का विनियमन नहीं कर रही है और एयरलाइंस प्रचालक वाणिज्यिक प्रतिफल के आधार पर किराया वसूल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

438. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियारः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तिरूपति-मैसूर तीव्र यात्री रेलगाड़ी हमेशा विलम्ब से चलती है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि यह रेलगाड़ी कुछ परिहार्य समस्याओं के कारण प्रतिदिन रानीगुंटा जंक्शन पर रोकी जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त रेलगाड़ी को निर्धारित समय पर आवाजाही निश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) खतरे की जंजीर खींचने, शरारती गतिविधियों, दुर्घटनाओं, आंदोलन, खराब मौसम, उपस्कर की खराबी तथा परिचालनिक कारणों के कारण गाड़ी में रुकौनी हो जाती है।

(ख) और (ग) जी हां। परिचालनिक कारणों/तंगियों के कारण रेणिगुंटा में कभी-कभार गाड़ी रोकी जाती है।

(घ) विभिन्न स्तरों पर गहन जांच और निगरानी सहित सभी प्रयास नियमित रूप से किए जा रहे हैं।

पट्टे की भूमि को फ्रीहोल्ड में अंतरित करने के लिए शुल्क में वृद्धि

439. **श्री मोहन रावले:**
श्री प्रमोद महाजन:
श्री धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली में पट्टे वाली सम्पत्तियों को फ्रीहोल्ड में अंतरित करने के लिए शुल्क में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पट्टेदारी भूमि अंतरण शुल्क में वृद्धि के खिलाफ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम जी. वैंकटरामन): (क) और (ख) भूमि की पट्टाधारिता अवधि को मुक्त आधार में परिवर्तित करने की योजना दिनांक 14.02.1992 को उस समय शुरू की गई थी, जब परिवर्तन शुल्क दिनांक 01.4.1987 को लागू भूमि दरों से परस्पर संबंधित था। प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर प्रारम्भिक निर्धारित दरों पर परिवर्तन को दिनांक 31.08.1996 तक अनुमति प्रदान की गई थी। तथापि, दिनांक 25.06.1996 को जारी किए गये आदेशों के अनुसार दिनांक 01.09.96 से परिवर्तन शुल्क दिनांक 01.04.1989 को अधिसूचित भूमि दरों के आधार पर वसूल किया जाएगा। सरकार द्वारा दिनांक 01.09.96 के बाद परिवर्तन शुल्क में वृद्धि के रूप से किसी संशोधन की घोषणा नहीं की है।

(ग) और (घ) हालांकि परिवर्तन शुल्क में वृद्धि के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन योजना की वैकल्पिक प्रवृत्ति और उसमें अन्तर्निहित छूट को ध्यान मे रखते हुए उन पर कोई विचार नहीं किया गया।

राजनीतिक दलों को सरकारी आवास का आवंटन

440. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
श्री मधुकर सरपोतदार:
श्री अनंत गंगाराम गीते:
श्री संतोष कुमार गंगवार:
श्री सुरेश प्रभु:

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में अब तक विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और गैर-सरकारी संगठनों को आवंटित सरकारी आवास का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन आवासों के आवंटन के लिए क्या मार्ग-निर्देश/मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) उन राजनीतिक दलों के नाम क्या हैं जिन्हें अर्हतानुसार उचित सरकारी आवास आवंटित किया गया है/नहीं किया गया है; और

(घ) इन राजनीतिक दलों को समुचित सरकारी आवास के आवंटन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) वांछित सूचना संलग्न विवरण पर है।

(ख) राजनैतिक दलों को सामान्य पूल वास का आबंटन निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है:

(1) केवल उन्हीं राजनैतिक दलों या समूहों को आवास दिया जाता है, जो लोक सभा स्पीकर द्वारा दल या समूह के रूप से मान्यता प्राप्त होते हैं। लाइसेंस फीस की गणना एफ-आर-45-ए के संदर्भ में की जाती है।

(2) किसी पार्टी के एक तिहाई स्टाफ को ही छः यूनिट को सीमा तक रिहायती वास दिये जा सकते हैं।

(3) जहां तक उनके लिए आफिस वास की बात है तो आफिस वास की जरूरत का पता लगाने के बाद उपलब्ध होने पर रिहायशी वास भी इस शर्त पर आबंटित किया जा सकता है कि बाजार दर पर लाइसेंस फीस वसूल की जाए।

(4) आवंटन कार्यालय सदस्य की बजाय पार्टी के नाम से किया जाता है।

(ग) और (घ) विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के सामान्य पूल वास के अनुरोध/आवश्यकता पर कालान्तर में उस समय पुनर्विचार किया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसरण में नए दिशा-निर्देश तैयार हो जाएंगे।

विवरण

राजनैतिक पार्टियों को आवंटित वास

क्र.सं	पार्टी का नाम	वास संख्या
1	2	3
1.	अखिल भारतीय कांग्रसे कमेटी (ई.)	24, अकबर रोड़
2.	अखिल भारतीय कांग्रसे कमेटी (ई.)	26, अकबर रोड़
3.	समाजवादी पार्टी	18, कौपरनिक्स लेन
4.	समाजवादी जनता पार्टी	16, आर. पी. रोड़
5.	कांग्रेस (आई)	5, रायसीना रोड़
6.	डी.पी.सी.सी. (आई)	2 तालकटोरा रोड़
7.	भाजपा	11, अशोका रोड़
8.	लोक दल (अ)	15, विन्डसर प्लेस
9.	लोक दल (ब)	3, प. पंत मार्ग
10.	जनता पार्टी	5, प. पंत मार्ग
11.	बहुजन समाज पार्टी	12, जी.आर.जी रोड़
12.	कम्यूनिष्ट पार्टी आफ इंडिया (मा.वादी)	8, वी.पी. हाउस
13.	कम्यूनिष्ट पार्टी आफ इंडिया (मा.वादी)	14, वी.पी. हाउस
14.	भाजपा	24, वी.पी. हाउस
15.	भाजपा	523, वी.पी. हाउस
16.	सी.पी.आई	119, वी.पी. हाउस
17.	सी.पी.आई	201-ए, वी.पी. हाउस
18.	सी.पी.आई	309, वी.पी. हाउस
19.	जनता दल	17, वी.पी. हाउस
20.	जनता पार्टी	418, वी.पी. हाउस
21.	जनता पार्टी	115, वी.पी. हाउस
22	जनता पार्टी	416, वी.पी. हाउस
23.	ए.आई.ए.डी.एम.के	16, वी.पी. हाउस
24	ए.आई.ए.डी.एम.के	310, वी.पी. हाउस
25.	समाजवादी जनता पार्टी	13, विन्डसर प्लेस

1	2	3
26.	महासचिव, कांग्रेस आई, पार्लियामेन्ट	सी-401, सी-402, अलवर्ट स्कवैयर
27.	महासचिव, कांग्रेस आई, पार्लियामेन्ट	781, लक्ष्मी बाई नगर
28.	कांग्रेस (आई)	से-4/181, रा.कृ. पुरम
29.	कांग्रेस (आई)	से-4/209, रा.कृ. पुरम
30.	कांग्रेस (आई)	से-4/892, रा.कृ. पुरम
31.	कांग्रेस (आई)	896, बी.के.एस. मार्ग
32.	कांग्रेस (आई)	80-एच, से-4 डी. आई. जैड
33.	कांग्रेस (आई)	87 टी, से-4, डी.आई. जैड
34.	कांग्रेस (आई)	जे-556, मन्दि मार्ग
35.	अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (इन्दिरा)	डी-1/109, चाणक्य पुरी
36.	समता पार्टी	220, वी.पी. हाउस
37.	कांग्रेस (आई)	45-ए, से-4 डी.आई.जैड
38.	सयुक्त मोर्चा	7, अकबर रोड़
39.	भाजपा	सी-1/5, पंडारा पार्क
40.	भाजपा	सी-1/6, पंडारा पार्क
41.	जनता दल	1/बी, मौलाना आजाद रोड़
42.	सी.पी.आई	ए बी-4, पुराना किला रोड़

गैर सरकारी संगठनों को आबंटित वास

क्र.स.	गैरसरकारी संगठन का नाम	वास संख्या
1	2	3
1.	सीटू	6, तालकटोरा रोड़
2.	भारतीय महिला प्रेस कौर अध्यक्ष	5, विन्डार प्लेस
3.	महासचिव, पार्लीयामेन्ट्री फार्म फोरम	215, राउण एवेन्यू
4.	संजय गांधी मैमोरियल ट्रस्ट	12, विलंटन क्रसेट
5.	अध्यक्ष, फौरन कोर्सान्डस एसोसियटस आफ साउथ एशिया	ए बी-19 मथुरा रोड़
6.	सचिव, जवाहर लाल नेहरू स्पोर्टस कमेटी	सूट नं. 22 तथा स्टाफ क्वॉटर संख्या 65, वी.पी. हाउस
7.	अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ	34-डी, कोटला रोड
8.	महिला दक्षता समिति	19, फायर ब्रिगेड लेन
9.	सेन्ट्रल वक्फ कांसिल	डी-2/136, काका नगर
10.	सेन्ट्रल सेक्टरियेट क्लब	7-10, पार्क स्ट्रीट
11.	इंडोसिन्ध फाउन्डेसन	193, राउज एवेन्यू
12.	सरदार पटेल सोसायटी	डी-2/113, काका नगर
13.	अलमी उर्दु कार्फ्रेंस	164-166,राउज एवेन्यू
14.	समाज वादी साहित्य न्यास ट्रस्ट	190, राउज एवेन्यू
15.	शाहाजहां रोड़ क्लब	21, शाहजहां रोड़
16.	रवि शंकर शुक्ला स्मारक समिति	16 विलंडन क्रिसेंट
17.	काका नगर रेजिडेन्टल सोसायटी	9, काका नगर
18.	ग्रीन क्रोस सोसायटी	147, नार्थ एवेन्यू
19.	केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्	एक्स वाई-68, सरोजनी नगर
20	के.लो.नि.वि. आफिसर वाईवल एसोसिएसन	85/एस-12, रा.कृ.पुरम
21.	हैन्डी क्राफट वैलफेयर फैडरेसन	14, (एल.एस.) तानसेन मार्ग
22.	मोती बात म्यूचल एंड एजुकेसनल सोसायटी	फलैट-8, साईट, I नानक पुरा
23.	सैन्ट्रल गवर्नमेंन्ट एम्पालाइज कंजूमर का. स्टोर लि.	33/4 एल.एम. [illegible] बाग
24.	आल इंडिया कश्मीरी समाज	डी-90, सरोजनी नगर
25.	काशी नागरी प्रचारणी सभा	1-ए, सुनहरी बाग

नई नागर विमानन नीति

441\. श्री जी.ए. चरण रेड्डी :
श्रीमती शारदा टाडीपारथी :
श्री. येल्लैया नंदी :
श्री संतोष मोहन देव :
श्री विजय गोयल :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी नागर विमानन नीति की मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ख) इस नीति की घोषणा कब तक की जाएगी;

(ग) क्या नई नीति नागर विमानन उद्योग के लिये आधारभूत ढांचे के विकास में विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित करेगी; और

(घ) यदि हां, तो यह किस हद तक प्रोत्साहित करेगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (घ) नागर विमानन पर प्रारूप राष्ट्रीय नीति को अभी सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है। अनुमोदन के पश्चात, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में विदेशी निवेशकों की भूमिका सहित नीति संम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातों की घोषणा की जायेगी।

वेस्ट लेण्ड हेलिकाप्टरों का निपटान

442. **श्री राम नाईक :**
श्री वी.वी. राघवन :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने सन् 1991 से बन्द पड़े 19 वेस्ट लेण्ड हेलिकाप्टरों को बेच डालने के सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्रिमंडल से स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें बेच डालने के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इनकी बिक्री के लिए निविदाओं को आमंत्रित किया है;

(घ) यदि हां, तो अब तक प्राप्त की गयी निविदाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें बेच डालने के सम्बन्ध में निर्णय लेने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (ङ) मामला विचाराधीन है।

मध्यम क्षमता वाले लम्बी दूरी के विमान

443. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहूल समिति द्वारा की गई सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न पर विचार करने हेतु कि क्या एयर इंडिया द्वारा मध्यम क्षमता वाली लम्बी दूरी के विमान खरीदे जाएं एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा तीन समितियां गठित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गठित तीनों समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक समिति किन-किन मुद्दों पर विचार करेगी; और

(घ) इन समितियों द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जायेगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

हवाई दुर्घटना

444. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल :**
श्री विजय गोयल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 तथा 1997 के दौरान और आज तक तिथि-वार कुल कितनी हवाई दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रत्येक मामले में कोई जांच करायी गयी है अथवा करायी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो दुर्घटना-वार तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) दिल्ली विमानपत्तन पर हवाई यातायात नियंत्रण सेवाओं के आधुनिकीकरण में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु विमानपत्तन पर आने वाले और प्रस्थान करने वाले विमानों के लिए दो अलग-अलग "कॉरीडोर" का निर्माण करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) इस अवधि के दौरान 12 नवम्बर, 1996 को एक मध्य आकाश में टक्कर हुई थी।

(ख) और (ग) जी, हां। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर.सी. लाहोटी द्वारा जांच की गयी है। जांच न्यायालय ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो सरकार की जांच के अधीन है।

(घ) विमान यातायात नियंत्रण सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर सभी सिविल और विद्युत संबंधी कार्य और उप-प्रणालियों की संस्थापना का कार्य पूरा हो गया है। सभी उप-प्रणालियों के स्थल स्वीकार्य परीक्षण कर लिये गये हैं। प्रणाली स्थल स्वीकार्य परीक्षण मई, 1997 में पूरे कर लिये गये हैं। इस प्रणाली को 31 जनवरी, 1998 तक चालू करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ङ) जी हां।

(च) एटीएस मार्ग सी-452 दिल्ली से कराची, ए-466 दिल्ली से लाहौर, ए-474 दिल्ली से बम्बई के लिए दो वायुमार्गों को पहले ही आने वाली और जाने वाली उड़ानों के लिए दो भागों में बॉट दिया गया है। मार्ग आर - 460 दिल्ली से कलकत्ता के लिए अलग वायुमार्ग का कार्य शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा। दिल्ली से मद्रास

के लिए एटीएस मार्ग डब्ल्यू-19/20 को दो भागों में बांटने के लिए हवाई रिलीज़ करने के लिए मामले को वायु सेना मुख्यालय के साथ उठाया गया है।

[अनुवाद]

माल असबाब का खो जाना

445. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कालीकट हवाई अड्डे पर विमान उतरने के बाद विमान यात्रियों के माल /असबाब खोने के कुल कितने मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) अभी तक कितने मामलों को निपटाया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) 1.10.1995 से 31.10.1997 की अवधि के दौरान, कालीकट हवाई अड्डे पर सामान गुम होने के 22 मामलों का पता लगा है। ज्योंही सामान के खो जाने का पता चालता है, एयरलाइन द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है :

(1) यात्रियों की विषमता संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है।

(2) अखिल भारतीय खोज संबंधी संदेश तत्काल भेजे जाते हैं।

(3) यात्री को उसका सामान मिल जाने पर उसकी डिलीवरी की जाती है।

(4) सामान के न पाये जाने की स्थिति में समझौता कार्रवाई की जाती है।

(ग) रिपोर्ट किये गये 22 मामलों में से, 16 मामलों के संबंध में दावे प्राप्त हुए थे जिनमें से 8 मामलों को निपटारा किया जा चुका है।

विमान किराए में वृद्धि

446. **श्री मदन पाटिल :**
श्री अमर पाल सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने अक्तूबर, 1997 से किराया तथा मालभाड़े में वृद्धि शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो बढ़ाए गए किरायों का क्षेत्रवार (सैक्टरवाइज) ब्यौरा क्या है तथा किराया कब से बढ़ाया गया है;

(ग) क्या अन्य निजी एयरलाइनों ने भी अपने किराए बढ़ाने के लिए अनुमति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो उन निजी आपरेटरों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने किराए तथा मालभाड़े में वृद्धि की है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स तथा एलायंस एयर के अन्तर्देशीय किराये को 15 अक्तूबर, 1997 से निम्न प्रकार से बढ़ाया गयाः

(1) (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र	10.5 प्रतिशत
(ख) भारत के बाकी भाग	
-700 किलोमीटर तक के क्षेत्र	14.0 प्रतिशत
-700 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र	10.5 प्रतिशत

(2) एक्जीक्यूटिव और इकानॉमी श्रेणी के किरायों में अन्तर 50 प्रतिशत तक रखा गया है।

(3) आईएनआर में यात्रियों से एकत्र की जाने वाली कुल राशिको 5 रुपए के अधिकतम आगामी उच्च गणक पर आंका गया है।

(4) सामान सम्बन्धी अधिक दरों को तदनुसार संशोधित किया गया है।

(5) मूल कारगो दरों को भी तदनुसार संशोधित किया गया है।

(ग) और (घ) एयरलाइन ऑपरेटर अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर किराये वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं।

महाप्रबंधकों का स्थानान्तरण

447. **श्री पंकज चौधरी :**
कुमारी उमा भारती :
श्री येल्लैया नंदी :
श्री कोडोकुनील सुरेश :
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्री नें रेल दुर्घटना के तुरन्त बाद दो महाप्रबंधकों के सितम्बर 1997 को स्थानान्तरण के आदेश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल अधिकारियों ने इन स्थानान्तरणों का जबरदस्त विरोध किया था और विरोधस्वरूप सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले गये थे;

(ग) रेलवे को इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई;

(घ) क्या उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया है और सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों की सेवा में अवरोध के आदेश जारी किये हैं;

(ङ) यदि हां, तो इससे रेलवे के कितने अधिकारी प्रभावित होंगे; और

(च) सरकार ने ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) सरकार ने महा प्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे और महाप्रबंधक मध्य रेलवे के स्थानांतरण का निर्णय प्रशासनिक हित में लिया था।

(ख) और (ग) स्थानांतरण आदेशों के विरोध में कुछ अधिकारी आकस्मिक अवकाश पर चले गए थे लेकिन यह सुनिश्चित किया गया था कि न तो रेलवे की सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित हो और न ही प्रभावित होने दिया जाए।

(घ) और (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सूचना प्राप्त होने पर इस विषय पर नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

(च) सभी रेल कर्मचारी रेल सेवा (आचरण) नियमों से शासित होते हैं और इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षित होने पर कार्रवाई की जाती है।

बोकारो इस्पात संयंत्र का पुनर्गठन

448. **श्री शरत पटनायकः** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात बाजार में नये प्रतियोगियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र ओटो मोबाइल तथा "व्हाइट गुड्स" के क्षेत्रों में प्रवेश करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने बोकारो इस्पात संयंत्र के पुनर्गठन हेतु किसी विदेशी कम्पनी से सम्पर्क किया है;

(घ) क्या कोई अमेरिकी कम्पनी बोकारो में इलेक्ट्रो गाल्वेनाइजिंग इकाई स्थापित करने के लिए सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) और (ख) बोकारो इस्पात संयंत्र को आटोमोबाइल और श्वेत माल क्षेत्रों से आर्डर प्राप्त हो रहे हैं। इन क्षेत्रों को एक्स्ट्रा डीप ड्राइंग (ई.डीडी) ग्रेड के इस्पात की आवश्यकता होती है। बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के प्रथम चरण के पूरा होने के बाद इनके उत्पादन में और सुधार होगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) गैल्वेनाइजिंग लाइन के आधुनिकीकरण की संभाव्यता का अध्ययन करने के लिए एक अमरीकी कंपनी यू.एस. एस. इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेंट्स (यू.ई.सी.) ने सितम्बर, 1997 में बोकारो इस्पात संयंत्र का दौरा किया था। इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पूर्वाह्न 11.36 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः गृह मंत्री जी कृपया रिपोर्ट को सभा पटल पर रखें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मुझे उनके द्वारा सभा पटल पर रिपोर्ट रखने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु प्रश्न काल समाप्त किया गया है। इसके लिये प्रस्ताव नहीं रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। उस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जाएगी। मैं उन्हें केवल रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने की लिए अनुमति दे रहा हूं।

..... *(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): 'षड़यंत्र में भागीदार से आपका का तात्पर्य है? आप चरित्र हनन कर रहे हैं ... *व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : अब, और कुछ मत कहिए। आप इस समय शोर क्यों मचा रहे हैं? आप जो चाहते थे वह आपको मिल गया है। कृपया शांत रहिए।

......*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : उन्हें अपने शब्द वापिस लेने चाहिए। .....*(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, मैं अब भी कहता हूं कि वे लोग चरित्र हनन और राजनैतिक छवि का हनन में कर रहे हैं ......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) : यह दादागिरी नहीं चलेगी। अपने शब्द वापस लो।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आप उन्हें अपने शब्द वापिस लेने के लिए कहें। उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम देख रहा था। मैं रिकार्ड की जांच करूंगा और अगर इसमें कुछ गलत बात होगी तो मैं इसे कार्यवाही वृतांत से बाहर निकाल दूंगा।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, आपके निदेशानुसार ......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। गृह मंत्री जी रिपोर्ट सभापटल पर रख रहे हैं।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी, आप थोड़ी देर शांत क्यों नहीं बैठ सकतीं ? कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री तोपदार, कृपया बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री गायकवाड़ जी, अब कृपया बैठ जाइए। आपको उन्हें निदेश नहीं देना चाहिए।

........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत हो गया है। गृह मंत्री जी, कृपया शुरू कीजिए।

जांच आयोग अधिनियम,1952 के अन्तर्गत एक सदस्यीय जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, आपके निदेशानुसार मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं :

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (केवल अंग्रेजी संस्करण):

(एक) श्री राजीव गांधी की हत्या का कारण बनने वाले घटनानुक्रम और उससे संबंधित सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति एम. सी. जैन की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट (अंतरिम रिपोर्ट का भाग बनने वाले परिशिष्टों सहित)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 2373/97]

(दो) उपर्युक्त रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर एक साथ न रखने के कारण बताने वाला विवरण (केवल अंग्रेजी में)

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 2374/97]

......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : हिन्दी की भी प्रति रख दीजिए।

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : क्या हमें रिपोर्ट की प्रति मिलेगी ?....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

....*(व्यवधान)*

कुद्रेमुख आइरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की वार्षिक रिपोर्ट और समीक्षा

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) :

(एक) कुदरेमुख आइरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुदरेमुख आइरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 2371/97]

इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण

नागर विमानन मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : महोदय, मैं सभापटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) :

(एक) इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपयुक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 2372/97]

आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): महोदय, श्री पी. चिदम्बरम की ओर से मैं लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 71 (2) के अंतर्गत आय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 2375/97]

ब्रोडकास्ट इन्जीनियरिंग कंसल्टेंन्टस इंडिया लिमिटेड, नौएडा के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) :

(एक) ब्रोडकास्ट इन्जीनियरिंग कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नौएडा के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेन्टस इंडिया लिमिटेड, नौएडा के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 2375-ए/97]

कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937 के अंतर्गत अधिसूचनायें

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) :

(एक) अमलत्व श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1996 जो 8 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि.82 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कोको बीन श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1996 जो 8 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 184 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 2376/97]

शिशु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): महोदय, श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं;

(1) शिशु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1997 जो 21 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 269 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1997 जो 27 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 338 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 2377/97]

(2) अधिसूचना संख्या का.आ. 1617 जो 21 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा शिशु अधिनियम, 1961 की धारा 24 की उपधाराओं (1) और (2) के अंतर्गत जारी की गई 23 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या का. आ. 239 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि-पत्र जो 13 सितम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2288 में प्रकाशित किया गया था।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 2378/97]

(3) अधिसूचना संख्या का.आ. 2223 जो 6 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा शिशु अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड (ड) के अंतर्गत जारी किए गए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षुओं के विषय क्षेत्रों को अभिहित व्यवसाय के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 2379/97]

संविधान के अनुच्छेद 123 (2)क के अन्तर्गत अध्यादेश

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत

निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 16 सितम्बर, 1997 को प्रख्यापित आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 15)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2381/97]

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 16 सितम्बर, 1997 को प्रख्यापित वित्त अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 16)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2382/97]

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 22 सितम्बर, 1997 को प्रख्यापित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 17)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2383/97]

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 24 सितम्बर, 1997 को प्रख्यापित उपदान का संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 18)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2384/97]

(पांच) राष्ट्रपति द्वारा 26 सितम्बर, 1997 को प्रख्यापित वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 19)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2385/97]

(छह) राष्ट्रपति द्वारा 1 अक्टूबर, 1997 को प्रख्यापित लाटरी (विनियमन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 20)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2386/97]

(सात) राष्ट्रपति द्वारा 3 अक्टूबर, 1997 को प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 21)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2387/97]

(आठ) राष्ट्रपति द्वारा 29 अक्टूबर, 1997 को प्रख्यापित प्रसार भारती (भारती प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 22)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2388/97]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1997, जो 5 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 276 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 1997, जो 5 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 277 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1997, जो 12 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 282 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1997, जो 12 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 283 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2389/97]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। चलिए कुछ काम शुरू किया जाए।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मद संख्या 6 के अन्तर्गत श्री चिदम्बरम् एक व्याख्यात्मक वक्तव्य सदन के पटल पर रखना चाहते हैं; चूंकि चाहे एक विधेयक लम्बित था तो भी एक अध्यादेश जारी कर दिया गया। अतः नियम 71(2) के अन्तर्गत, यदि सदन में एक विधेयक लम्बित हो, और उसी विषय पर एक अध्यादेश जारी कर दिया गया हो, तो एक व्याख्यात्मक टिप्पणी सदन के पटल पर रखनी अनिवार्य होती है। इस हिसाब से तो श्री चिदम्बरम् ठीक ही कर रहे हैं। परन्तु दो अध्यादेश और भी हैं : कर्मचारी भविष्य निधि विविध उपबंध और उपदान अदायगी अध्यादेश 1997। सदन के सम्मुख ये दोनों अध्यादेश भी लम्बित हैं परन्तु इनके सम्बंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां अभी नहीं दी गई। अतः महोदय, एक ओर तो श्री चिदम्बरम् व्याख्यात्मक टिप्पणी पेश करना चाहते हैं और दोनों मंत्री ये वक्तव्य सदन में पेश नहीं कर रहे। मंत्रियों को सामूहिक जिम्मेवारी से काम करना है। सरकार ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है......*(व्यवधान)*

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : हम चाहते हैं कि डी. एम.के. सत्ता पक्ष से बाहर हो जाएं........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं श्री राम नाईक की बात का जवाब दे सकता हूं ? मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं ?

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : हमें रिपोर्ट की एक प्रति चाहिए। हम उसे पढ़ना चाहते हैं........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखवाना चाहते थे। उसे सदन के पटल पर रख दिया गया है।

श्री पी.आर. दासमुंशी : यदि डी. एम.के दल के सदस्य ट्रेजरी बेंचों पर बैठेंगे तो यह सदन का अपमान होगा। यह सदन की अवमानना है ....*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई - उत्तर पूर्व) : आप उन्हें इस बात की आज्ञा दें कि वे घर जाकर उस रिपोर्ट का अध्ययन करें। उन्हें घर जाने की आज्ञा दी जानी चाहिए ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी आपकी बात सुनता हूं। श्री सनत मेहता जी, कृपया बैठ जाएं आप वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री मृत्युञ्जय नायक कृपया बैठ जाइए, मैं आपको भी मौका दूंगा। आप भी नायक है वे भी नाईक हैं। मैं क्या कर सकता हूं ?

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : वे राम नाईक हैं और उस तरफ, वे खलनायक हैं........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राम नाईक, इस सम्बन्ध में नियम बहुत स्पष्ट है।

श्री सनत मेहता कृपया बैठ जाएं मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दें। कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं।

किसी संवैधानिक व्यवधान अथवा विलम्ब और अन्य कारणों को पूरा न करने के सम्बन्ध में नियम 305सी बहुत स्पष्ट है इस तरह के मामले में मामला किसी समिति के सुपुर्द कर दिया जाता है और सदन में उस मामले के सम्बन्ध में चर्चा नहीं होती।

जो मामला आपने उठाया है, उसे उचित समिति के सुपुर्द कर दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले पत्रों को सभा पटल पर रखने दें। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह।

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अध्यादेश 1997 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

[हिन्दी]

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : मैं लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 71(2) के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 1997 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 2380/97]

पूर्वाह्न 11.46½ बजे

[अनुवाद]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय मैं 24 जुलाई, 1997 को सभा को सूचित करने के पश्चात पिछले सत्र के दौरान संसद को दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त चार विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) डॉक कर्मकार (रोज़गार का विनियमन) (प्रमुख पत्तनों को लागू न होना) विधेयक, 1997

(2) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997

(3) विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 1997

(4) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1997

(दो) मैं राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक, 1997 की राज्य-सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित एक प्रति भी सभा-पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.47½ बजे

लोक लेखा समिति
सोलहवां से चौबीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : मैं लोक लेखा समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) उपकरणों के समयपूर्व प्रापण और निर्माण में विलंब संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(2) संयुक्त उद्यम संचालन से हुई भारी हानि संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(3) परिहार्य अथवा अपव्ययी आयातों संबंधी लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 101वें प्रतिवेदन के संबंध में की-गई-कार्यवाही संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।

(4) दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोग (1992-93) से अधिक व्यय के संबंध में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 88वें प्रतिवेदन के संबंध में की-गई-कार्यवाही तथा लोक लेखा समिति (दसवी लोक सभा) के 60वें प्रतिवेदन के संबंध में की-गई-कार्यवाही संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(5) सरकारी निवास स्थान बिना बारी आवंटन के संबंध में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 113वें प्रतिवेदन के संबंध में की-गई-कार्यवाही संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

(6) संघ सरकार विनियोग लेखाओं (सिविल) के स्वरूप में संशोधन के संबंध में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 100वें प्रतिवेदन के संबंध में की-गई-कार्यवाही संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(7) वत्तमल अनुदानों और प्रभारित विनियोग (1995-96) से अधिक व्यय संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।

(8) वाटर कूलरों और फिल्टरों की खरीद पर निष्फल व्यय सबंधी तेईसवां प्रतिवेदन।

(9) अग्रिम अनुज्ञापन योजना संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी मद को लेंगे।

मैं और अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दे सकता था। कृपया बैठ जाएं। यह सब क्या हो रहा है?

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : मुझे कुछ निवेदन करना है।

अध्यक्ष महोदय : अब कोई निवेदन नहीं। क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि मैं आपको एक मौका देने वाला हूं? क्या आप एक मिनट इन्तजार नहीं कर सकते हैं? श्री शरद पवार, कृपया अपने सदस्य को अनुशासन में रखिए। यह कोई तरीका नहीं है।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आपको अनुमति नहीं दी गई है। जब मैं खड़ा बोल रहा हूं तब आपको बैठ जाना चाहिए। जब अध्यक्ष खड़े हों तो आपको बैठ जाना चाहिए।

श्री मृत्युंजय नायक : यह अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं सभी के साथ सहयोग करता हूं। मैंने सभी को समय प्रदान करने का प्रयास किया था। मैं यह पहले ही कह चुका हूं। क्या मैं आगे कार्रवाई करूं? कृपया मुझे गुस्सा मत दिलाएं। श्री सोमनाथ चटर्जी।

पूर्वाह्न 11.48½ बजे

संचार सम्बन्धी स्थायी समिति
तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मैं दूर संचार विभाग से संबंधित "मूलभूत टेलीफोन सेवाओं का निजीकरण" संबंधी पांचवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.49 बजे

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति
आठवां और नौवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) "उपदान का संदाय (संशोधन) विधेयक, 1997" संबंधी आठवां अतिवेदन।

(2) "कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1997" संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.50 बजे

[अनुवाद]

रेल संबंधी स्थायी समिति
नौवा, दसवां, ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के नौवें, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों) को प्रस्तुत करता हूं :

(1) 'रेल वित्त' संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(2) 'भारतीय रेल द्वारा लोक शिकायतों का प्रतिशोध' संबंधी दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(3) 'भारतीय रेल में जोनल कार्यालयों का पुनर्गठन' संबंधी पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(4) 'रेलवे द्वारा वैगनों की अधिप्राप्ति' संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : महोदय, यह दस्तावेज अत्यंत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं अध्यक्षपीठ से जानना चाहता हूं कि हमें प्रतिवेदन की प्रति, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में, मिलेगी या नहीं। यही मेरा प्रश्न है। प्रतिवेदन की प्रति को प्राप्त करना मेरा विशेषाधिकार है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

मुझे यह पता चला है कि इस दस्तावेज को केवल सीमित संख्या में दिया जायेगा। यह ठीक नहीं है और मुझे प्रतिवेदन की प्रति अवश्य मिलनी चाहिए। मैं अन्य सदस्यों के बारे में नहीं जानता कि उन्हें चाहिए या नहीं परन्तु मुझे मेरी प्रति अवश्य मिलनी चाहिए। .....*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (इडुक्की) : अध्यक्ष महोदय, हमारे दल के नेता ने उल्लेख किया कि हम किसी भी विषय पर और अधिक चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रश्न काल को स्थगित किया जाए। अब जबकि प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखे जाने सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, हम चाहते हैं कि इस पर पहले चर्चा होनी चाहिए......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके नेता कुछ कह रहे हैं और अन्य सदस्य कुछ और कह रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं?

.....*(व्यवधान)*

श्री सनत मेहता : महोदय, मुझे किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला है........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तर मिल जाएगा, चिन्ता न करें।

श्री सनत मेहता : महोदय, मैं एक प्रति चाहता हूं ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही बात कहने जा रहा हूं रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी गई है और हम आशा करते हैं कि वह चर्चा के लिए रखी गई है। इसका वही हश्र तो नहीं होगा जो टक्कर कमीशन की रिपोर्ट का हुआ या वर्मा कमीशन की रिपोर्ट का हुआ? चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के लिए रिपोर्ट अधिक से अधिक सदस्यों के हाथों में उपलब्ध हो इसका प्रबंध आपको करना पड़ेगा।

एक बात में और कहना चाहता हूं। सदन में आने से पहले, यह रिपोर्ट सदन में रखी जाने से पहले यह रिपोर्ट मीडिया में प्रकाशित हो गई, यह रिपोर्ट अखबारों में छप गई, दिल्ली की किसी भी सड़क के फुटपाथ पर उसके कुछ अंश मीडिया द्वारा प्रकाशित रूप में प्राप्त किये जा सकते हैं। यह एक सीक्रट डाक्यूमेण्ट था। यह लीक कैसे हुआ, किसने लीक किया, और अगर सरकार इस तरह के दस्तावेजों की गुप्तता को बरकरार नहीं रख सकती तो इस सरकार पर कैसे विश्वास किया जाएगा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित रहस्य के मामले हैं, वह रहस्य के मामले भी सरकार गुप्त रख सकती है? मैं चाहता हूं कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। गृह मंत्री महोदय एक प्रस्ताव लेकर आएं, वक्तव्य लेकर आएं कि यह रिपोर्ट लीक कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। कमीशन तो लीक नहीं कर सकता। कमीशन ने तो रिपोर्ट बनाई है। कमीशन के द्वारा लीक किया गया हो इसकी कोई संभावना नहीं है। यह सरकार में से लीक हुई है। किसने लीक की है, सदन को यह जानने का अधिकार है।

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता : महोदय, मेरे प्रश्न का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : मेहता जी, मैने आपसे वादा किया है कि आपको उत्तर अवश्य मिलेगा।

........*(व्यवधान)*

श्री पी.सी चाक्को : अध्यक्ष महोदय, कृपया हमारी भावनाओं को समझिए। बिना प्रति प्राप्त किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको प्रश्नकाल स्थगित करना पड़ेगा। श्री सनत मेहता ने एक मुद्दा उठाया है........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चाक्को, मैं आपके मामले को बाद में उठाऊंगा। मैंने श्री नायक को पहले अवसर दिया है। मैं आपको भी अनुमति दूंगा, परन्तु अभी नहीं। मैंने श्री नायक को अनुमति दे दी है उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा। आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं?

........*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सनत मेहता : आप जवाब नहीं देते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मेहता, आप फिर से ज्यादती कर रहे हैं।

........*(व्यवधान)*

श्री मृत्युंजय नायक : महोदय, सभा का प्रत्येक मिनट बहुत कीमती और मूल्यवान है........*(व्यवधान)* हम प्रश्न काल को स्थगित करने में आपका सहयोग चाहते हैं। हमारी बात सुनी गई और प्रश्न काल को स्थगित करने के लिए सभा में सर्वानुमति है। परन्तु फिर जैन आयोग के प्रतिवेदन पर परिचर्चा किए बिना कई कागजात सभा पटल पर रख दिए गए हैं और अन्य मुद्दे भी उठे हैं।

महोदय, आपने प्रश्न काल को स्थगित करने की सहमति दे दी थी और जैन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा की अनुमति भी दी है परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप सभा में अन्य विषयों पर चर्चा की अनुमति प्रदान करेंगे या नहीं। महोदय, मैं आपका सहयोग चाहता हूं........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मृत्युंजय नायक , क्या मैं आप से समय मिलने पर नियम पुस्तिका पढ़ने का अनुरोध कर सकता हूं? नियम एकदम स्पष्ट है। सभापटल पर प्रतिवेदन को रखे जाने के पश्चात् प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए प्रस्ताव लाया जाता है।

........*(व्यवधान)*

कुमारी शैलजा (सिरसा) : महोदय, हमें प्रतिवेदन की एक प्रति चाहिए........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव कहां है ? मुझे अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए, इस पर चर्चा किए जाने और न किए जाने का प्रश्न इस समय नहीं उठता। आप एक सूचना दीजिए और मैं उस पर विचार करूंगा।

........*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है ...... (व्यवधान)

श्री सुरेश कलमाड़ी (पुणे): महोदय, हमें प्रतिवेदन की एक प्रति चाहिए।........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश कलमाड़ी, आपकी सूचना के लिए बता दूं कि कोई भी चर्चा के लिए प्रस्ताव की सूचना दे सकता है।

........*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैंने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी है........*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैंने प्रस्ताव के लिए सूचना दी है........*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : सर, नोटिस आपको दिया हुआ है, जसवंत सिंह जी ने कह भी दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्षमा कीजिए । जब तक कि प्रतिवेदन को आधिकारिक तौर पर सभा पटल पर नहीं रखा जाता है तब तक प्रस्ताव के लिए सूचना देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं नोटिसों को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वे रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने से पूर्व प्राप्त हुए हैं। कृपया नया नोटिस दें।

........*(व्यवधान)*

श्री पी. आर. दासमुंशी : महोदय, मैं एक नोटिस दे चुका हूं........*(व्यवधान)* जिसमें मैंने रिपोर्ट को सभापटल पर रखने और उस पर चर्चा करने का आग्रह किया है। कृपया मेरा नोटिस पढ़े ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जिस समय आपने नोटिस दिया, उस समय रिपोर्ट सदन के समक्ष नहीं थी। रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने से पूर्व मुझे बहुत से नोटिस प्राप्त हुए किन्तु वे सभी अमान्य हैं।

श्री पी.आर. दासमुंशी : नोटिस के एक भाग में मैंने सरकार से रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने का आग्रह किया है और दूसरे हिस्से में उस पर चर्चा करने के लिये कहा है। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. आर. दासमुंशी, आप ऐसा नहीं कर सकते।

........*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, यह नियम 184 के अधीन ....*(व्यवधान)*

श्री सनत मेहता : कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए, मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप काफी बोल चुके हैं। अब मैं श्री प्रफुल्ल पटेल को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री प्रफुल्ल पटेल (भंडारा) : महोदय, कांग्रेस दल के नेता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रश्नकाल को स्थगित करने के प्रस्ताव पर पूरे सदन की सहमति है। हम सब इस बात से सहमत हैं कि राष्ट्रीय महत्व के इस विषय का संबंध कांग्रेस व सदन के दिवंगत नेता श्री राजीव गांधी से है। सभा पटल पर रखी गई रिपोर्ट से संबंधित ये सभी बातें समाचार माध्यमों द्वारा सार्वजनिक की गई हैं। श्री सनत मेहता का कहना उचित है कि रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिये सभी सदस्यों को रिपोर्ट की एक-एक प्रति उपलब्ध कराई जाए। तब तक इस पर आगे कोई चर्चा नहीं की जाए। मुख्य बात यह है कि जैन आयोग की लीक हुई इस रिपोर्ट के आधार पर एक विशेष दल तथा कुछ लोगों पर अभियोग लगाया जा रहा है। सरकार द्वारा भी इसका खंडन नहीं किया गया है और इसी वजह से जैन आयोग द्वारा जिस दल को अभियुक्त ठहराया गया है, वही दल आज यहां संसद में सत्ता पक्ष में बैठा है। कांग्रेस किस तरह इस रिपोर्ट पर चर्चा की अनुमति दे सकती है जबकि वही लोग मंत्रियों के स्थानों पर बैठे हुए हैं जिन्हें जैन आयोग ने अभियुक्त करार दिया है। मैं नहीं समझता कि इन लोगों के सत्ता में रहते सदन की कार्यवाही आगे बढ़ सकती है। कांग्रेस पार्टी इसकी अनुमति नहीं देगी। महोदय, आप सदन स्थगित कर दें। सदन को रिपोर्ट का अध्ययन करने दें और तब उस पर चर्चा हो।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री सनत मेहता : क्या मुझे इसका उत्तर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर अवश्य दिया जायेगा।

श्री सनत मेहता : मैं रिपोर्ट का केवल निरीक्षण ही नहीं करना चाहता बल्कि उसे अपनी अलमारी में भी रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास इसकी कोई प्रति नहीं है मुझे अभी तक केवल एक ही प्रति प्राप्त हुई है। वह प्रति मैं आपको नहीं दे सकता। आप लोग कृपया उनकी बात सुनें।

श्री पृथ्वीराज वा. चव्हाण (कराड़) : एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है। महोदय, हमारा कहना है कि जांच के निष्कर्ष यदि लीक होकर प्रेस तक पहुंच गये हैं, तब इस सरकार का सत्ता में बने रहना कठिन है। हम इस बात की पुष्टि के लिये समय चाहते हैं कि प्रैस तक पहुंची बातें सच हैं या गलत। कृपया सदन को कुछ समय के लिये स्थगित कर दें जिससे हम इस बात की पुष्टि कर कोई राजनैतिक निर्णय ले सकें। अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। हम नहीं जानते कि यह सरकार स्थिर रह पायेगी या नहीं। हमारी मांग यही है कि हम जानना चाहते हैं कि यह सब ठीक है या नहीं। हम इसकी पुष्टि करना चाहते हैं। हमें सरकार को जारी रखने के संबंध में कोई न कोई राजनैतिक निर्णय अवश्य लेना होगा। जब तक हम इस बात की पुष्टि नहीं कर लेते कि समाचारों में प्रकाशित कहानी सत्य है या नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझ रहा हूं।

श्री पी.आर. दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, अभियोग से संबंधित सारी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलत हो रही है। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दासमुंशी जी, आप बार-बार सीट से उठकर खड़े नहीं हो सकते।

श्री पी.आर. दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, यह एक तर्कसंगत प्रश्न है कि चारा घोटाले के अभियोग के संबंध में इसी सरकार ने श्री वर्मा को केन्द्रीय मंत्री परिषद से त्याग पत्र देने के लिये कहा था और जब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जैन आयोग द्वारा द्रविड़ मुनेत्र कड़घम पर भी दोषारोपण किया गया है तो द्रविड़ मुनेत्र कड़घम के लोगों के रहते मंत्रालय कैसे चल सकता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, कृपया बैठ जाइए।

........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उस मामले को मैं देखूंगा। अब आप कृपया बैठ जाएं। दासमुंशी जी हम रिपोर्ट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कृपया इन सब बातों का उल्लेख यहां मत करिए।

........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सदन के सूचनार्थ मैं कह रहा हूं

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस एवं श्री सनत मेहता जब मैं बोल रहा हूं तो आप नहीं बोल सकते। श्री सुरेश कृपया आप भी नहीं।

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : यह संतोषजनक नहीं है .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप को उत्तर देने के लिए समय दिया जायेगा। आप इंकार करते हैं मैं समझता हूं इतना काफी है। हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं

........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? मैं काफी देर से आपकी बातें सुन रहा हूं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : आधे घंटे से मैं बोलने के लिए अपना हाथ उठा रहा हूं........*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा (छिंदवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, चन्द्रशेखर जी कुछ कहना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ कहना चाहते हैं। कहिए, किन्तु चंद्रशेखरजी इससे पहले कि मैं आपसे निवेदन करूं

........*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, संसद सदस्यों के लिए आपने कई बार प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित की हैं। अब आप उनके लिये प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित क्यों नहीं करते?

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, मैं पिछले एक घंटे से आपको शांत बैठा देखकर मैं आपकी तारीफ कर रहा था। आप उसे व्यर्थ क्यों कर रहे हैं।

जहां तक रिपोर्ट की प्रतियों का सम्बंध है, नियमों के अनुसार जब कोई रिपोर्ट सदन के सभा पटल पर रखी जाती है, तो सरकार इसकी 31 प्रतियां सभापटल पर रखने के लिए और 5 प्रतियां लाइब्रेरी के लिये उपलब्ध करानी होती हैं। नियम यही कहते हैं। जहां तक मेरा संबंध है, मैं सरकार को इस नियम का कड़ा से पालन करने का निर्देश दे सकता हूं। 31 और 5 प्रतियों के अतिरिक्त यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह और प्रतियां उपलब्ध करा सकती है या नहीं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको केवल नियम बता रहा हूं।

........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह आज रिपोर्ट की अधिकतक प्रतियां उपलब्ध कराए।

........*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : सरकार कहां है? सरकार में कौन सम्मिलित है?

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि इसमें 5000 पृष्ठ हैं। मैंने रिपोर्ट नहीं देखी, गृह मंत्री जी ने ऐसा कहा है।

........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जहां तक चर्चा का संबंध है, मुझे प्रसन्नता है कि सदन इन दिनों काफी क्रियाशील है जैसा कि इसे होना चाहिये। जैसे ही मैने कहा कि चर्चा के प्रस्ताव के लिये नोटिस देना होगा मुझे अभी -अभी जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिये दो नोटिस प्राप्त हुए हैं- एक सरकार की तरफ से और एक विरोधी दल की ओर से।

........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं करूँगा।

........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं।

........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक क्षण सुनिये। उन्होंने इसे पहले दिया है और मुझे और भी कुछ कहना है।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : हमने इसे पहले दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपको और भी जानकारी देनी है।

........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री नायक जी कृपया बैठ जाइए। श्री जोस आप इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए।

........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 4 बजे हो रही है। मैं कार्य मंत्रण समिति के समक्ष मामला रखूंगा। मैं सदस्यों को यदि वे चाहते हैं तो अपराह्न 3.30 बजे तक प्रस्ताव की सूचना देने की अनुमति प्रदान करता हूं। इसलिए अपरान्हन 3.30 बजे तक सदस्यों से सूचना प्राप्त की जायेगी ताकि 4 बजे में कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष पूरा मामला रख सकूं।

........*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: मेरा यह कहना है कि प्रतिवेदन देखने के लिए हमे समय चाहिए उसके बिना सभा का कार्य जारी नहीं रह सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आपको समय किसलिए चाहिए?

श्री पृथ्वीराज दा चव्हाण: प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए कुछ घंटे का समय होना चाहिए। आप सभा स्थगित कर दें ताकि हम यह पता कर सकें कि प्रेस ने क्या लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं। मैंने उत्तर में बताया है कि कार्य मंत्रणा समिति में चार बजे मामले पर चर्चा की जायेगी। कार्य मंत्रणा समिति इस पर निर्णय लेगी।

........*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा चव्हाण : हम सभा को इस स्थिति में चलते रहने की अनुमति नहीं दे सकते हैं ....*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : महोदय, मेरा गला थोड़ा खराब है।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम आपका गला तो ठीक है।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, मैं विपक्ष में नेता की इस बात से पूर्ण सहमत हूं कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि प्रतिवेदन लीक कैसे हुआ। लेकिन मुझे खेद है कि विपक्ष के नेता ने वे तथ्य नहीं बताये जिनके बारे में देश या सम्पूर्ण विश्व जानता है। प्रचार माध्यमों में बताया गया है कि आयोग के अध्यक्ष ने वह रिपोर्ट उसे प्रकाशित करने वाले एक सम्पादक को दिखायी। क्या इसकी अनुमति है? इस प्रकार के मामलों में हमें जांच-पड़ताल की मांग करनी चाहिए और तत्पश्चात् कार्यवाही की जाये। यह अक्षम सरकार किसी भी विषय पर कार्यवाही करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं पूछता हूं कि यदि ऐसे दस्तावेज-जो इतने संवेदनशील प्रवृति के हैं और जो आयोग के अध्यक्ष ने स्वयं लीक किये हैं तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और क्या माननीय मंत्रीजी ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। सभा पटल पर प्रतिवेदन रखे जाने के पूर्व उन्होंने प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सम्पादक को क्यों दिखाई?

यह सभा की प्रतिष्ठा और राष्ट्र की सुरक्षा के कारण तथा खण्ड न्यायाधीश की टिप्पणी के प्रति हमारी गहन आस्था के कारण इस बात का बहुत महत्व है।

दूसरे, बिना किसी दुर्भावना के प्रेस में यह बताया गया है कि माननीय न्यायाधीश जिन्होंने यह प्रतिवेदन दिया है, मेरे पर भी दोषारोपण किया है। मैंने प्रेस को बताया है कि यदि सरकार मेरे विरुद्ध कोई जांच कराती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रशेखर जी, हम इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि हम अभी प्रतिवेदन की विषय वस्तु पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

......*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, मैं आपका मार्गनिर्देश चाहता हूं। ......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार खड़े क्यों हो जाते हैं?

......*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, क्या लगाये गये आरोपों के आधार पर मैं आपसे यह जान सकता हूं कि प्रतिवेदन के अनुसार

मुझ पर जो आरोप लगाया गया है, उस लिहाज से मैं सभा की बैठक में भाग लूं या नहीं? मैं इसीलिए जानना चाहता हूं कि ऐसा लगता है जैसे यह सभा चाहती है कि जो भी आरोपी हो, उसे तत्काल सभा छोड़ देनी चाहिए मैं बिना किसी आक्रोश या दुर्भावना के कहता हूं कि यदि इस सभा का यही दृष्टिकोण है तो मैं तब तक सदन छोड़ने को तैयार हूं जब तक इस पर निर्णय नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री जी क्या आप रिपोर्ट लीक होने के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : जहां तक इस रिपोर्ट लीक होने का प्रश्न है, तो सरकार निश्चितरूप से इसके बारे में चिंतित है। हमने पहले ही जांच शुरू कर दी है और यदि जांच से सार्थक परिणाम नहीं निकलते हैं, ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कलमाडी (पुणे): क्या यह जांच आपके कार्यालय से कराई जा रही है? हम केवल इतना ही जानना चाहते हैं। ......*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम जांच करवा रहे हैं, आप नहीं। .....*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कलमाडी : वह व्यक्ति जो एक आरोपी है, जांच कैसे करवा सकता है? यह स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। आप जांच नहीं करवा सकते हैं। ......*(व्यवधान)*

महोदय, वह जाँच कैसे करवा सकते हैं? जाँच निष्पक्ष होनी है। वह जांच नहीं करवा सकते हैं। वह एक न्यायाधीश नहीं हो सकते, वह एक गवाह भी नहीं हो सकते हैं......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश जी, यह अनुचित है। आप सभा में यह नहीं कह सकते हैं कि उनके कार्यालय से लीक हुआ है। आप बहुत बड़ा दोषारोपण कर रहे हैं। इसके बारे में सावधान रहिये।

......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार के वक्तव्य बिना किसी साक्ष्य के नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार आप किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं।

श्री सुरेश कलमाडी : लेकिन वह कोई जांच नहीं करवा सकते। जांच स्वतंत्र होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि उन्हाने जांच के आदेश दे दिये हैं। आप जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें। इस प्रकार का कोई फैसला न सुनाएं, विशेषकर सभा में इस प्रकार से किसी पर दोषारोपण न करें । यह ठीक नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : अध्यक्ष महोदय, उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंह, मैं रिकार्ड देखूंगा।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : महोदय, मैं श्री कलमाडी, द्वारा लगाये गये आरोपों पर घोर आपत्ति करता हूं जिनका कोई आधार नहीं है या इस प्रकार के आरोपों को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। श्री चन्द्रशेखर ने कुछ क्षण पहले ही, कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की ओर इशारा किया था निश्चितरूप से उनका इशारा मेरी ओर नहीं था। उन्हें जिसकी तरफ इशारा किया था वह कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ और उसके अनुसार यही निष्कर्ष निकला कि अब तक कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है यह न्यायाधीश ही थे जिन्होंने इसे लीक किया है। श्री कलमाडी के पास हमारे ऊपर आरोप लगाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। ....*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, उन्होंने केवल एक जांच का आदेश दिया है वह यह कहें कि जांच गृह मंत्रालय के किसी अधिकारी ने यह प्रतिवेदन पढ़ लिए जाने के पश्चात ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता उसके पहले नहीं।...........*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (इडुक्की) : महोदय, वह अपना फैसला सुना रहे हैं ......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री की बात सुनिए। उन्हें अपना वाक्य पूरा करने दीजिये

....*(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, उन्होंने केवल जांच का आदेश दिया है। वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे हैं? आपने श्री कलमाडी को फटकार लगाई, आपने यह मानदण्ड गृह मंत्री के लिए क्यों नहीं अपनाया? यह उचित नहीं है, महोदय ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): अध्यक्ष महोदय ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने गृह मंत्री को अवसर प्रदान किया है। क्या आप कुछ देर रुक नहीं सकते? पहले गृह मंत्री को अपना वक्तव्य पूरा कर लेने दीजिए।

प्रो. पी.जे. कुरियन : वे बिना किसी साक्ष्य के आरोप कैसे लगा सकते हैं? उन्होंने केवल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने जॉच की रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है। वे कह रहे हैं कि जस्टिस श्री जैन ने इसे लीक किया है। आपने श्री कलमाडी को फटकार लगाई, आप यही बात गृह मंत्री पर क्यों नहीं लागू करते हैं? यह बात गलत है।

अध्यक्ष महोदय : आपने गृह मंत्री की बात नहीं सुनी है। उन्होंने केवल यह कहा है कि जो श्री सुरेश कलमाडी ने कहा है यह बात समाचार-पत्र में भी प्रकाशित हुई है और यह भी कहा कि समाचार पत्रों में दूसरे ढंग से भी यह बात प्रकाशित हुई है। यही सब गृह मंत्री ने कहा है।

......*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, गृह मंत्री ने कहा है कि ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पूरी बात नहीं सुनते हैं, आप केवल आधी बात सुनते हैं।

श्री सुरेश कलमाडी : यह अत्यधिक गम्भीर मामला है, महोदय।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, जैसा कि श्री चौहान ने संकेत दिया है, उन्होंने एक राजनीतिक निर्णय लिया है, वह निर्णय यह है कि जैन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं होगी। यह निर्णय का राजनीतिक पहलू है कि जैन आयोग के प्रतिवेदन पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होगी। इसीलिए, वे इसे टालने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक राजनीतिक निर्णय है, महोदय.. ....*(व्यवधान)* आपने कहा था कि ....*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज डा. चव्हाण : हमने कहा था कि हम पहले प्रतिवेदन का अवलोकन करना चाहते हैं। हमने पहले ही कहा था कि ....*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप चर्चा से घबरा रहे हैं।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा): हम चर्चा कराना चाहते हैं ....*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप चर्चा से घबरा रहे हैं। इसलिए आप सभा के काम काज में बाधा डाल रहे हैं। अभी ऐसी कई बातें हैं जो छुपी हुए हैं। यदि चर्चा होती है तो कई बातों का पर्दाफाश होगा। इसी कारण किसी भी प्रकार की चर्चा से वे घबरा रहे हैं.....*(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : आप चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं .....*(व्यवधान)*

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम जी. वेंकटरामन) : महोदय, कांग्रेस के मेरे मित्रों ने प्रतिवेदन को पढ़ा नहीं है। परन्तु वे सभी पार्टियों और व्यक्तियों पर दोषारोपण कर रहे हैं और उंगली उठा रहे हैं। यह बात ठीक नहीं है .....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हमें मध्याह्न भोजन के समय तक इसे पूरा कर लेना चाहिए।..........*(व्यवधान)* क्या कोई चर्चा भी होगी या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ देर पहले कहा था कि मुझे दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से एक सरकार की ओर से दूसरी विपक्ष की ओर से प्राप्त हुई है।

.....*(व्यवधान)*

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, क्या आप हमें बोलने की अनुमति नहीं देंगे? मैं जानना चाहता हूं क्या आप हमें इस विषय पर बोलने की अनुमनि देंगे या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछा है। मुझे उस विषय को स्पष्ट करना है। मुझे कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव की सूचना मिली है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत अच्छी बात है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 17 पर विचार करेंगे। श्री पी. चिदम्बरम विधेयक वापस लेंगे।

अपराह्न 12.16 बजे

[अनुवाद]

आयकर (दूसरा संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आय कर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लिये जाने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लिये जाने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

......*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज डा. चव्हाण (कराड): नहीं महोदय। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। .....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, हम इस सरकार को समर्थन नहीं देंगे। .....*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज डा. चव्हाण : हम इस बात का पता लगाएंगे कि डी.एम.के को इसमें दोषारोपित किया गया है या नहीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री रमाकान्त डी. खलप को आमंत्रित करता हूं।

अपराह्न 12.17 बजे

विधान परिषद विधेयक

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पंजाब और तमिलनाडु राज्यों के लिए विधान परिषदों के सृजन और इसके अनुपूरक, आनुषंगिक तथा परिणामिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

संविधान के अनुच्छेद 169 के अधीन, संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद् के सृजन के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, उपबधं कर सकेगी, यदि उस राज्य की विधान सभा, विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा अपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करती है। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आ क्या चाहते हैं?

श्री प्रदीप भट्टाचार्य (सेरमपुर) : डी.एम के को सत्ता से हटाया जाना चाहिए।

डा. के.पी. रामलिंगम (तिरचेगोडे) : हमें सत्ता से क्यों हटाया जाना चाहिए? .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. रामलिंगम यह मामला मुझ पर छोड़ दीजिए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप चिन्ता न करें। मैं इस स्थिति से निपट लूंगा।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप चाहते क्या हैं। क्या आप अभी चर्चा कराना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या चाहते हैं?

....*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, इस वर्ष हम स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, हम इस सरकार का समर्थन नहीं करते हैं। सरकार को स्वयं त्यागपत्र दे देना चाहिए। अन्यथा, उसे सत्ता से हटाया जाएगा।... *(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़) : हम प्रतिवेदन का अवलोकन करना चाहते हैं। आप कृपया सभा को स्थगित कर दीजिए। हम पहले प्रतिवेदन को पढ़ेंगे। .....*(व्यवधान)* महोदय, हम प्रतिवेदन अवश्य पढ़ेंगे।.....*(व्यवधान)* कृपया हमें प्रतिवेदन को पढ़ने की अनुमति दीजिए...........*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हम अपना समर्थन वापस लेते हैं .....*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : कृपया हमें प्रतिवेदन को पढ़ने की अनुमति दीजिए। ....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हम अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं। ....*(व्यवधान)* हम समर्थन नहीं दे रहे हैं...........*(व्यवधान)* आप निर्णय करें...........*(व्यवधान)* उनकी सरकार गिरने दीजिए। ......*(व्यवधान)* महोदय, उनकी सरकार गिरने दीजिए। ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा दो बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 02.03 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 02.03 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए डी.एम.के. जिम्मेवार है। ....*(व्यवधान)* डी.एम.के को सत्ता से हटाया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* प्रतिवेदन के 77वें पृष्ठ पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि इसमें डी.एम.के. की भूमिका रही है। . ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, पिछले एक घण्टे के दौरान हमें जैन आयोग के प्रतिवेदन के कुछ पृष्ठों को पढ़ने का अवसर मिला। इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि डी.एम.के. की निश्चितरूप से भूमिका रही है। ....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : शरद जी, आपने कौन-सा खण्ड पढ़ा है?

श्री शरद पवार : महोदय, डी.एम.के. की निश्चितरूप से भूमिका रही है। इसीलिए, हम एक ऐसे दल को सरकार में भागीदार दल के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हम इस सरकार को सत्ता में नहीं बने रहने देंगे।...........*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, नैतिक आधार पर यह सरकार डी.एम.के. को सत्ता में बनाए रखकर कैसे चल सकती है?.....*(व्यवधान)*

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): महोदय, हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दृष्टिकोण पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। परन्तु उन्हें शान्त रहना चाहिए...*(व्यवधान)* आप लोग एक-एक करके अपनी बात कहिए। श्री पवार, कृपया अपने सदस्यों को नियंत्रित कीजिए।...........*(व्यवधान)*

श्री ए. राजा (पैरम्बलूर): दुनिया में आपका दल ही एक ऐसा दल है जिसने अपने नेता की हत्या की है।...........*(व्यवधान)* आप लोग श्रीमती इन्दिरा गांधी के हत्यारे हैं।...........*(व्यवधान)*

श्री पी.एन. शिवा (पुदुक्कोट्टई) : क्या आप ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं ?...........*(व्यवधान)* आप लोगों की विश्वसनीयता खत्म हो गई है...........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 02.09 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 21 नवम्बर, 1997/30 कार्तिक, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।